ला, खंड 30, अंक 2

सोमवार, 19 नवम्बर, 2007
28 कार्तिक, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 64
Dated 12 Jan 2009

(खंड 30 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए. के. सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

चतुर्दश माला, खंड 30, बारहवां सत्र, 2007 (शक)

अंक 2, सोमवार, 19 नवम्बर, 2007/28 कार्तिक, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा बधाई	1
पाकिस्तान के विरुद्ध एक दिवसीय श्रृंखला जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	4-547
तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 40 (16.11.07)	4-49
41 से 60 (19.11.07)	49-69
अतारांकित प्रश्न संख्या 111 से 220 (16.11.07)	69-220
221 से 406 (19.11.07)	220-547
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
बंगलादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में आए भयंकर चक्रवात "सिद्र" के कारण बड़े पैमाने पर जान–माल की हानि	549
मंत्री द्वारा वक्तव्य	549-550
बंगलादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में हाल ही में आए भयंकर चक्रवात के कारण हुई हानि	
श्री प्रणब मुखर्जी	549-550
सभा पटल पर रखे गए पत्र	551-553
विधेयकों पर अनुमति	554
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	554-555
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति	
15वां, 16वां और 17वां प्रतिवेदन	555
रेल संबंधी स्थायी समिति	
32वां, 33वां और 34वां प्रतिवेदन	555-556
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
199वां और 200वां प्रतिवेदन	556
सभा का कार्य	556-559
नियम 377 के अधीन मामले	559-570
(एक) रामनगरम–मैसूर के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए धनराशि का वार्षिक आबंटन बढ़ाये जाने की आवश्यकता	
श्री इकबाल अहमद सरडगी	559-560
(दो) जम्मू और कश्मीर के अखनूर में सेना और अर्द्धसैनिक बलों में युवाओं की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री मदन लाल शर्मा	560
(तीन) धान के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.के. खारवेनथन	560-561
(चार) पश्चिम बंगाल में बालासान की दार्जिलिंग पेय जल परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री डी. नरबुला	561-562
(पांच) गुजरात के मेहसाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वजलधारा योजना कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
श्री जीवाभाई ए. पटेल	562
(छह) भरुच–जम्बूसर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा नेत्रा और अंकलेश्वर के बीच रेल लाइन को नंदुरबार तक बढ़ाते हुए पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री मनसुखभाई डी. वसावा	562-563

(सात) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लेप्रोपाइरोसिस के और फैलने से रोके जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त 563

(आठ) नागपुर के जिन किसानों की भूमि विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए अधिग्रहित की जा रही है, उन्हें समुचित मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. महादेवराव शिवनकर 563-564

(नौ) भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री योगी आदित्यनाथ 564

(दस) राजस्थान में और अधिक गांवों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत 564-565

(ग्यारह) प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों के कारण केरल के हतोत्साहित नारियल उत्पादकों को राहत देने के लिए उचित तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सी. एस. सुजाता 565

(बारह) केन्द्रीय सड़क निधि परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर स्थित थुरावूर को केरल के मेन सैंट्रल रोड से जोड़े जाने की आवश्यकता

डा. के. एस. मनोज 565-566

(तेरह) उत्तर प्रदेश के औरेया जिले के किसानों को एन.टी.पी.सी. दिबियापुर से विद्युत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुराज सिंह शाक्य 566

(चौदह) उत्तर प्रदेश के बरेली–पीलीभीत–बस्ती को जोड़ते हुए मौजूदा राज्य राजमार्ग संख्या 26 को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा 566-567

(पन्द्रह) शैक्षणिक सत्र 2008–09 से बिहार के पटना में आई.आई.टी. खोले जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव 567

(सोलह) केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को उत्पादकता वृद्धि आधारित बोनस दिए जाने की आवश्यकता

श्री सी. कुप्पुसामी 567-568

(सत्रह) महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में किए गए संशोधनों का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल 568

(अट्ठारह) कोयला और अन्य खनिजों पर रॉयल्टी को यथामूल्य आधार पर बिक्री मूल्य का 20% निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 568-569

(उन्नीस) झारखंड में कोडरमा जिले में कोनार नहर सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 569-570

अनुबंध-I 571-580

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका (16.11.07) 571

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका (19.11.07) 572

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका (16.11.07) 573-575

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका (19.11.07) 575-580

अनुबंध-II 581-584

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका (16.11.07) 581-582

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका (19.11.07) 581-582

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका (16.11.07) 581-584

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका (19.11.07) 583-584

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, 19 नवम्बर, 2007/28 कार्तिक, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, हमने कार्य स्थगन का प्रस्ताव का नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल स्थगित करके नंदीग्राम पर चर्चा करने के लिए जो हमने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है, उस पर चर्चा चलाई जाए। ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.0½ बजे

अध्यक्ष द्वारा बधाई

पाकिस्तान के विरुद्ध एक दिवसीय श्रृंखला जीतने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला की जीत पर मैं अपनी क्रिकेट टीम को बधाई देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस कार्य में मेरा साथ देंगे। हम लोग अब कुछ अच्छा काम करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के बाद मैं आपकी बात सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात मध्याह्न 12.00 बजे सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आप मध्याह्न 12.00 बजे निवेदन कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो. मल्होत्रा, मैं किसी भी विषय के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी चीज की अवहेलना नहीं कर रहा हूं। प्रश्न–काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात प्रश्न काल के तुरंत बाद मध्याह्न 12.00 बजे सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल चलने दीजिए। आपसे मेरी यही अपील है। कृपया प्रश्न काल चलने दीजिए। मैं प्रश्न–काल के बाद आपकी बात सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित मत कीजिए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर कुछ नहीं कहा है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि मैं प्रश्न–काल के बाद आपकी बात सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप सभी एक साथ खड़े हो जायेंगे और बोलेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न काल के बाद आपकी बात सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सुमित्र जी, मैं प्रश्न–काल के बाद आपकी बात सुनूंगा और इसमें केवल 55 मिनट का देर है। इसलिए मैं 55 मिनट बाद आपकी बात सुनूंगा।

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी भी विषय को अस्वीकार नहीं किया है। मैंने इस विषय की मेरिट के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैंने कहा है कि कृपया प्रश्न काल चलने दीजिए। उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कहिए, मैं किसकी बात सुनूं। यदि आप सभी एक साथ बोलेंगे तो मैं कैसे सुन सकता हूं। वह भी खड़े हैं। सभी खड़े हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, क्वैश्चन ऑवर सस्पेंड किया जाए और एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा की जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्न काल स्थगित नहीं करुंगा। प्रश्नकाल को निलंबित करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने कहा कि मैं आपकी बात सुनूंगा और मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आपको अपना निर्णय बताऊंगा। मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है। आप यह अच्छी तरह जानते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, नन्दीग्राम से पहले तो कुछ नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन ऑवर तो ले सकते हैं। क्वैश्चन ऑवर हो सकता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन ऑवर के बाद सुनेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने प्रश्न-काल स्थगित करने के लिए सूचना दी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही – वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमने आपको मना नहीं किया है।

[अनुवाद]

आप ऐसा क्यों कहते हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमने कहा है कि आपको क्वैश्चन ऑवर के बाद सुनेंगे।

[अनुवाद]

मैं सभा में सभी से अपील करता हूं। कृपया सभा को सुचारु रूप से चलने दीजिए। कृपया सभा को चलने दें। किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को खारिज नहीं किया जाएगा। मैंने पहले भी यह बात कही है। मैं यह देखने का पूरा प्रयास करूंगा कि सभी महत्वपूर्ण विषयों पर समुचित चर्चा हो। मैंने आपके प्रस्ताव को अस्वीकृत नहीं किया है। इसकी बारी आने दीजिए, लेकिन यदि आप प्रश्न-काल नहीं होने देंगे। तो यह कैसे संभव होगा?

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाएं

*21. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान कुछ विद्युत परियोजनाओं का कार्य निष्पादन ठीक नहीं चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन विद्युत परियोजनाओं में परिवर्तन करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) और त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) विद्युत संयंत्रों के निष्पादन का आकलन/मूल्यांकन उनके उत्पादन लक्ष्य की तुलना में

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वास्तविक विद्युत उत्पादन के अनुसार किया जाता है। विद्युत केन्द्रों के लिए उत्पादन लक्ष्य उनकी संस्थापित क्षमता, यूनिटों की आयु, विगत के निष्पादन, सुनियोजित बंदी, जल/ईंधन (मात्रा एवं गुणवत्ता–दोनों) की उपलब्धता आदि मद्देनजर वर्ष–वार आधार पर निर्धारित किया जाता है। जहां मानसून एवं गैर–मानसून महीनों में जल की उपलब्धता तथा सिंचाई की आवश्यकता जल–विद्युत केन्द्रों के निष्पादन को प्रभावित करती है, वहीं ईंधन की गुणवत्ता एवं उपलब्धता का ताप विद्युत केन्द्रों के निष्पादन पर असर पड़ता है। इस कारण कुछ विद्युत संयंत्रों द्वारा हासिल वास्तविक विद्युत उत्पादन उनके लक्ष्य से भिन्न होता है। हालांकि कुछ पुराने विद्युत संयंत्रों का, विशेषकर राज्य क्षेत्र में, अपने निष्पादन मानदंडों में सुधार करने की आवश्यकता है।

(ख) जहां अपेक्षित स्तर पर निष्पादन नहीं कर रहे पुराने एवं अकुशल जेनरेटिंग यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में जारी रहेगा, वहीं विद्युत मंत्रालय ने अच्छा निष्पादन कर रही विद्युत यूटिलिटियों के साथ मिलकर 22 ताप विद्युत केन्द्रों, जिनके अंतर्गत 70 यूनिट शामिल हैं तथा जिनकी संस्थापित क्षमता 7880 मे.वा. है, के लिए अगस्त, 2005 में "उत्कृष्टता में साझेदारी" कार्यक्रम शुरू किया ताकि वे यूनिटें, जो 60% से कम पीएलएफ (संयंत्र भार घटक) पर कार्यरत थी, उनके निष्पादन में सुधार किया जा सके।

गैस–आधारित विद्युत केन्द्रों के समुपयोग को बढ़ाने के लिए व्यवहार्य या व्यावहारिक सीमा तक एलएनजी तथा तरल ईंधन की तत्काल खरीद कर गैस–आधारित विद्युत केन्द्रों का प्रचालन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) और त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) सरकार के समीक्षाधीन है।

पुनर्निर्मित एपीडीआरपी में मुख्य बल हानि में कमी के मद्देनजर वास्तविक एवं प्रदर्शनीय निष्पादन पर दिए जाने का प्रस्ताव है।

राज्यों द्वारा विद्युत का उपयोग न करना

***22. श्री काशीराम राणा :**
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किसी क्षेत्र में विद्युत का उपयोग न होने के कारण विद्युत की क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विद्युत का पूर्ण उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) वर्तमान वर्ष (अप्रैल से सितम्बर 2007) के दौरान गैस आधारित विद्युत स्टेशनों के लिए गैस की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण उत्पादन क्षमता का उपयोग न होने, वर्षा के पश्चात प्रणाली गत मांग में कमी के कारण कम उत्पादन और तरल ईंधन आधारित विद्युत स्टेशनों के मामले में उत्पादन की अपेक्षाकृत अधिक लागत के कारण उत्पादन क्षमता की हानि हुई है।

राज्य–वार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

तत्काल उपलब्ध बाजार में रिगैसीफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (आर एल एन जी) को खरीदने और सरप्लस बिजली वाले प्रदेशों की कमी वाले प्रदेशों में विद्युत के अंतरण को अधिकाधिक करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 2007–08 (अप्रैल, 07 से सितम्बर, 07) के दौरान उत्पादन क्षमता का उपयोग न होने के कारण विद्युत उत्पादन की हानि

(आंकड़े मिलियन कि.वा. घंटे में)

राज्य/क्षेत्र	अपर्याप्त गैस आपूर्ति	प्रणालीगत मांग में कमी	तरलीकृत ईंधन आधारित गैस स्टेशनों में उत्पादन की उच्च लागत
1	2	3	4
उत्तरी			
दिल्ली	525.77	–	0
राजस्थान	277.37	–	0
सीजीएस	1802.18	1492.8	0
कुल उ. क्षे.	2605.32	1492.8	0
पश्चिम			
गुजरात	2797.79	612.809	0
महाराष्ट्र	1879.64	21.418	0
सीजीएस	1237.70	0	0
कुल प. क्षे.	5915.13	634.227	0
दक्षिणी			
आंध्र प्रदेश	3804.42	504.09	12.26
कर्नाटक	एन.ए.	1060	811

1	2	3	4
केरल	एन.ए.	246.12	897.22
तमिलनाडु	992.53	275.22	1000.81
सीजीएस	एन.ए.	260.74	707.62
कुल द. क्षे.	4786.61	2346.17	3428.91
पूर्वी			
डीबीसी	एन.ए.	38.318	0
पश्चिम बंगाल	एन.ए.	23.566	0
कुल पू. क्षे.	0	61.884	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र			
असम	603.8	0	0
त्रिपुरा	221.04	0	0
सीजीएस	342.17	शून्य	शून्य
कुल पूर्वोत्तर	1167.01	0	0
अखिल भारत	14463.73	4535.08	3428.91

सीजीएस–केंद्रीय उत्पादक केन्द्र
नोट – कोयले की कमी के कारण उत्पादन में कमी शून्य है।

[अनुवाद]

शहरी क्षेत्रों में क्लीनर मोबिलिटी

***23. श्री वरकला राधाकृष्णन :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने "शहरी क्षेत्रों में क्लीनर मोबिलिटी" संबंधी किसी पायलट परियोजना को स्वीकृत दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों में विशेषकर राज्यों की राजधानियों में "मोबिलिटी क्लीनर" परियोजना को एक नियमित शहरी विकास योजना के रूप में क्रियान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बढ़ती मुकदमेबाजी को रोकने संबंधी समिति

***24. श्री जीवाभाई ए. पटेल :**

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर में बढ़ती हुई मुकदमेंबाजी को रोकने के उपायों का सुझाव देने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की गई है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) से (ङ) सरकार ने, दिनांक 4 मई, 2005 को जारी किए गए आदेशों के द्वारा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ओ.पी. वैश्य की अध्यक्षता में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अभियोजन तंत्र को कारगर बनाने के संबंध में सिफारिश करने हेतु एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। इस दल ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19 अक्तूबर, 2005 को प्रस्तुत की।

सरकार ने रिपोर्ट की जांच कर ली है तथा कम्पनी रजिस्ट्रारों को न्यायालयों में ऐसे मामलों के अभियोजन की कड़ी निगरानी करने तथा अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए हैं। कम्पनी रजिस्टारों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत समीक्षाधीन ऐसी कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से हटाने के लिए कार्रवाई करने का परामर्श भी दिया गया था। जो निष्क्रिय पाई गई।

[अनुवाद]

विश्व बैंक ऋण

***25. श्री उदय सिंह :**

श्री अधीर चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक हाल ही में विभिन्न परियोजनाओं के लिए भारत को 944 मिलियन डालर का ऋण मंजूर करने पर सहमत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उन विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान कर ली है जिनमें विश्व बैंक सहायता का निवेश किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक किन शर्तों पर उपर्युक्त धनराशि देने पर सहमत हुआ है और इस राशि पर ब्याज दर क्या है; और

(ङ) सरकार उक्त ऋणों और उन पर ब्याज की राशि को किस प्रकार चुकाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) जी हां। भारत सरकार ने 944 मिलियन डालर की कुल राशि के लिए विश्व बैंक के साथ 2 नवम्बर, 2007 को तीन परियोजना ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये तीन परियोजनाएं हैं:–

1. 300 मिलियन डालर की आईबीआरडी सहायता और 300 मिलियन डालर के बराबर आईडीए सहायता से ग्रामीण ऋण सहकारिता परियोजना का सुदृढ़ीकरण;

2. 280 मिलियन डालर की आईबीआरडी सहायता से व्यावसायिक, प्रशिक्षण सुधार परियोजना; और

3. कर्नाटक समुदायी आधारित तालाब प्रबंधन परियोजना के लिए 64 मिलियन डालर की राशि का अतिरिक्त वित्त–पोषण।

(घ) और (ङ) यह ऋण विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच सहमत हुई परियोजनाओं को शासित करने वाली मानक शर्तों और निबंधनों द्वारा शासित होगा। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच ऋण/उधार करार की शर्तों के आधार पर ब्याज सहित मूलधन राशि की अदायगी, सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट में आवश्यक प्रावधान करके की जाती है।

विद्युत की कमी

***26. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**

श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत की भारी कमी है जबकि उन क्षेत्रों द्वारा भारी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जाता है जिसे अन्य क्षेत्रों में अंतरित कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्य मेगा विद्युत अभियान शुरू करने के लिए तैयार है जैसा कि दिनांक 19 अगस्त, 2007 "द इकनॉमिक टाइम्स)" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या रणनीति तैयार की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) देश में विद्युत की समग्र रूप से कमी है। कमी की मात्रा विद्युत की मांग व पूर्ति के आधार पर प्रति–दिन और घंटा–दर–घंटा भिन्न–भिन्न है। देश के कुछ क्षेत्रों में मुख्यतः उनकी स्वयं की उत्पादन क्षमता अपर्याप्त होने और विद्युत उत्पादन क्षमता में भिन्न–भिन्न प्रकार होने के कारण विद्युत की अधिक मात्रा में कमी हुई। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत की कमी मुख्यतः इस तथ्य के कारण हुई है कि इस क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन मुख्यतः जल विद्युत स्टेशनों से होता है जो कि पानी के अंतः प्रवाह पर निर्भर करते हैं। मानसून के दौरान जल विद्युत उत्पादन अधिकतम हो जाता है जबकि क्षेत्र में समग्र मांग इतनी अधिक नहीं रहती है। कुछ राज्य अन्य क्षेत्रों को विद्युत का विक्रय करते हैं। गैर–मानसून और सदियों के महीनों में जल विद्युत उत्पादन क्षेत्र में मांग की तुलना से कम हो जाता है जिससे कमी अधिक बताई जाती है।

अप्रैल 2007 से अक्तूबर 2007 की अवधि के दौरान देश में ऊर्जा कमी और व्यस्ततम कमी क्रमशः 7.3% और 14.6% थी। वर्ष 2007–08 के दौरान (अक्तूबर 2007 तक) ऊर्जा (मि.यू.) और व्यस्ततम कालीन उर्जा (मे.वा.) दोनों के संबंध में देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 2006–2007 और 2007–2008 के दौरान (सितम्बर, 2007 तक) पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों को की गई आपूर्ति से बड़ी मात्रा में अंर्त–क्षेत्रीय आदान–प्रदान हुआ है। वर्ष 2006–2007 और 2007–2008 (अप्रैल से सितम्बर) के दौरान किये गए अंतर्क्षेत्रीय आदान–प्रदान का ब्यौरा विवरण–II में है।

देश में विद्युत की कमियों के मुख्य कारण निम्नवत् हैं:–

(i) राज्यों में विद्युत की मांग का उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि से अधिक होना।

(ii) मुख्यतः राज्य क्षेत्र में कुछेक पुराने ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों का संयंत्र भार घटक कम होना।

(iii) गैस की अपर्याप्त उपलब्धता।

(iv) विद्युत की चोरी समेत उच्च सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए टी एण्ड सी) हानियां।

(v) पर्याप्त विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण प्रणाली सृजित करने के लिए अपेक्षित निवेश हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने में राज्य यूटीलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति उनके आड़े आ रही है।

(ग) और (घ) दिनांक 19.8.2007 के द इकनॉमिक टाइम्स में छपा समाचार लेखक का अपना विचार प्रतीत होता है और यह इस मंत्रालय में जारी किसी सरकारी प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित नहीं है।

तथापि वर्ष 1978–87 के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा किये गये पुनर्मूल्यांकन अध्ययनों पूर्वोत्तर राज्यों में कुल मिलाकर 58971 मे.वा. बृहत जल विद्युत क्षमता विद्यमान है। के.वि.प्रा. में सूचना के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में 11वीं योजना अवधि के दौरान क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम 4284 मे.वा. होने की प्रत्याशा है। ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

विवरण-I

विद्युत आपूर्ति की स्थिति (अनंतिम)

आंकड़े मि.यू. निवल में

राज्य प्रणाली क्षेत्र	अक्तूबर, 2007				अप्रैल–अक्तूबर, 2007			
	ऊर्जा				ऊर्जा			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी(–)		आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी(–)	
	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(%)	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	105	105	0	0.0	941	941	0	0.00
दिल्ली	1,701	1,695	-6	-0.4	14,669	14,628	-41	-0.3
हरियाणा	2,265	2,113	-152	-6.7	17,527	16,264	-1,263	-7.2
हिमाचल प्रदेश	467	463	-4	-0.9	3,370	3,340	-30	-0.9
जम्मू और कश्मीर	865	765	-100	-11.6	6,149	4,598	-1,551	-25.2
पंजाब	3,330	2,977	-353	-10.6	27,851	26,408	-1,443	-5.2
राजस्थान	2,957	2,957	0	0.0	19,304	19,255	-49	-0.3
उत्तर प्रदेश	4,963	4,263	-700	-14.1	36,284	31,464	-4,820	-13.3
उत्तरांचल	561	561	0	0.0	3,960	3,926	-34	-0.9
उत्तरी क्षेत्र	17,214	15,899	-1,315	-7.6	130,055	120,824	-9,231	- 7.1
छत्तीसगढ़	1,076	1,016	-60	-5.6	8,171	7,746	-425	-5.2
गुजरात	6,472	5,456	-1,016	15.7	37,263	32,460	-4,803	-12.9
मध्य प्रदेश	3,309	3,052	-257	-7.8	19,776	18,095	-1,681	-8.5
महाराष्ट्र	10,226	8,285	-1,941	-19.0	63,469	53,646	-9,823	-15.5
दमन और दीव	157	139	-18	-11.5	1,020	919	-101	-9.9
दादरा नागर हवेली	284	284	0	0.0	1,947	1,947	0	0.0
गोवा	233	232	-1	-0.4	1,591	1,575	-16	-1.0
पश्चिमी क्षेत्र	21,757	18,464	-3,293	-15.1	133,237	116,388	-16,849	-12.6
आंध्र प्रदेश	5,372	5,229	-143	-2.7	36,327	34,999	-1,328	-3.7
कर्नाटक	3,219	3,145	-74	-2.3	21,947	21,551	-396	-1.8
केरल	1,287	1,262	-25	1.9	8,882	8,743	-139	-1.6
तमिलनाडु	5,937	5,680	-257	-4.3	38,941	38,313	-628	-1.6
पांडिचेरी	154	154	0	0.0	1,100	1,100	0	0.0
लक्षद्वीप #	2	2	0	0	14	14	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दक्षिणी क्षेत्र	15,969	15,470	-499	-3.1	107,197	104,706	-2,491	-2.3
बिहार	832	711	-121	-14.5	5,344	4,849	-495	-9.3
डीवीसी	1,146	1,115	-31	-2.7	7,822	7,679	-143	-1.8
झारखंड	448	389	-59	-13.2	2,851	2,662	-189	-6.6
उड़ीसा	1,633	1,597	-36	-2.2	10,738	10,571	-167	-1.6
पश्चिम बंगाल	2,260	2,162	-98	-4.3	17,309	16,737	-572	-3.3
सिक्किम	21	20	-1	-4.8	144	141	-3	-2.1
अंडमान निकोबार #	20	15	-5	-25	140	105	-35	-25.0
पूर्वी क्षेत्र	6,340	5,994	-346	-5.5	44,208	42,639	-1,569	-3.5
अरुणाचल प्रदेश	31	27	-4	-12.9	206	181	-25	-12.1
असम	419	397	-22	-5.3	2,847	2,660	-187	-6.6
मणिपुर	58	53	-5	-8.6	317	294	-23	-7.3
मेघालय	139	132	-7	-5.0	995	761	-234	-23.5
मिजोरम	23	21	-2	-8.7	164	130	-34	-20.7
नागालैंड	36	27	-9	-25.0	219	191	-28	-12.8
त्रिपुरा	69	63	-6	-8.7	448	414	-34	-7.6
पूर्वोत्तर क्षेत्र	775	720	-55	-7.1	5,196	4,631	-565	-10.9
अखिल भारत	62,055	56,547	–5,508	–8.9	419,893	389,188	–30,705	–7.3

#लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्टैंड एलोन प्रणाली है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।
नोट - उच्चतम मांग की पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत दर्शाते हैं (पारेषण हानियों समेत) आयात करने वाले राज्यों की खपत में निवल निर्यात की गणना की गई है।

व्यस्ततमकालीन मांग और व्यस्ततमकालीन पूर्ति (अनंतिम)

(आंकड़े मि.यू. निवल में) में

राज्य/प्रणाली क्षेत्र	अक्तूबर, 2007 व्यस्ततमकालीन				अप्रैल–अक्तूबर, 2007 व्यस्ततमकालीन			
	मांग (मे.वा.)	पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी(–) (मेगावाट)	(%)	मांग (मे.वा.)	पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी(–) (मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	210	210	0	0.0	275	275	0	0.0
दिल्ली	3,232	3,208	-24	-0.7	4,075	4,030	-45	-1.1
हरियाणा	4,007	3,657	-350	-8.7	4,956	4,821	-135	-2.7
हिमाचल प्रदेश	879	879	0	0.0	879	879	0	0.0
जम्मू और कश्मीर	1,536	1,336	-200	-13.0	1,700	1,336	-364	-21.4
पंजाब	6,565	5,354	-1,211	-18.4	8,197	7,340	-857	-10.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजस्थान	4,483	4,400	-83	-1.9	4,792	4,792	0	0.0
उत्तर प्रदेश	9,186	7,386	-1,800	-19.6	11,104	8,568	-2,536	-22.8
उत्तरांचल	1,041	1,041	0	0.0	1,102	1,102	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	31,858	29,190	-2,668	-8.4	32,462	29,414	-3,048	-9.4
छत्तीसगढ़	2,110	1,801	-309	-14.6	2,266	1,853	-413	-18.2
गुजरात	12,047	8,885	-3,162	-26.2	12,047	8,885	-3,162	-26.2
मध्य प्रदेश	5,789	5,470	-319	-5.5	5,932	5,470	-462	-7.8
महाराष्ट्र	18,371	13,508	-4,863	-26.5	18,441	13,508	-4,933	-26.8
दमन और दीव	240	215	-25	-10.4	240	215	-25	-10.4
दादरा नागर हवेली	432	406	-26	-6.0	460	406	-54	-11.7
गोवा	446	407	-39	-8.7	457	408	-49	-10.7
पश्चिमी क्षेत्र	37,955	27,852	-10,103	-26.6	37,955	27,852	-10,103	-26.6
आंध्र प्रदेश	8,606	8,301	-305	-3.5	9,701	8,641	-1,060	-10.9
कर्नाटक	6,093	5,320	-773	-12.7	6,583	5,506	-1,077	-16.4
केरल	2,726	2,666	-60	-2.2	2,764	2,711	-53	-1.9
तमिलनाडु	8,975	8,603	-372	-4.1	8,975	8,686	-289	-3.2
पुडुचेरी	239	239	0	0.0	276	276	0	0.0
लक्षद्वीप #	6	6	0	0	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	26,011	24,054	-1,957	-7.5	26,011	24,194	-1,817	-7.0
बिहार	1,529	1,244	-285	-18.6	1,529	1,244	-285	-18.6
डीवीसी	1,768	1,738	-30	-1.7	1,787	1,757	-30	-1.7
झारखंड	700	688	-12	-1.7	776	688	-88	-11.3
उड़ीसा	2,841	2,764	-77	-2.7	2,841	2,764	-77	-2.7
पश्चिम बंगाल	5,104	4,582	-522	-10.2	5,104	4,854	-250	-4.9
सिक्किम	60	60	0	0.0	60	60	0	0.0
अंडमान निकोबार #	20	15	-5	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	11,430	10,548	-882	-7.7	11,430	10,562	-868	-7.6
अरुणाचल प्रदेश	85	54	-31	-36.5	85	57	-28	-32.9
असम	848	744	-104	-12.3	848	744	-104	-12.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मणिपुर	119	88	-31	-26.1	119	90	-29	-24.4
मेघालय	374	265	-109	-29.1	404	279	-125	-30.9
मिजोरम	76	51	-25	-32.9	77	52	-25	-32.5
नागालैंड	86	86	0	0.0	88	86	-2	-2.3
त्रिपुरा	158	136	-22	-13.9	158	141	-17	-10.8
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,657	1,332	-325	-19.6	1,657	1,347	-310	-18.7
अखिल भारत	108,911	92,976	-15,935	-14.6	108,911	92,976	-15,935	-14.6

#लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्टैंड एलोन प्रणाली है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

नोट - उच्चतम मांग की पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत दर्शाते हैं (पारेषण हानियों समेत) आयात करने वाले राज्यों की खपत में निवल निर्यात की गणना की गई है।

विवरण-II

(आंकड़े मि.यू. निवल में)

अप्रैल, 2006 से मार्च 2007

⟶ से से ↓	उत्तरी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पूर्वोत्तर क्षेत्र	कुल निर्यात
उत्तरी क्षेत्र		289.1	250.8	18.8		558.7
पश्चिमी क्षेत्र	192		3.5	2.9		198.4
दक्षिणी क्षेत्र	1358.8	3256.0		115.9	0.6	4731.3
पूर्वी क्षेत्र	4664.9	5044.9	1418.1		667.7	11795.6
पूर्वोत्तर क्षेत्र	337.6	174.4	7.1	49.7		568.8
कुल आयात	6553.3	8764.4	1679.5	187.3	668.3	17852.8

अप्रैल, 2007 से सितंबर, 2007

⟶ से से ↓	उत्तरी क्षेत्र	पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	पूर्वोत्तर क्षेत्र	कुल निर्यात
उत्तरी क्षेत्र		385.6	297.6			683.2
पश्चिमी क्षेत्र	741.9		46.7	5.3		793.9
दक्षिणी क्षेत्र	1519.5	778.4		82.9		2380.8
पूर्वी क्षेत्र	2947.9	1559.6	574.6		128.2	5210.3
पूर्वोत्तर क्षेत्र	311.4	54.1	7.2	28.4		401.2
कुल आयात	5520.8	2777.7	926.1	116.6	128.2	9469.4

विवरण-III

11वीं योजना के दौरान लाभ हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	संयंत्र का नाम	राज्य	एजेंसी	क्षेत्र	श्रेणी	अंतिम क्षमता (मेगावाट)	प्रकार	11वीं योजना के दौरान लाभ (2007-12)	लाभ का प्रत्याशित वर्ष
पूर्वोत्तर क्षेत्र									
क.	**केन्द्रीय क्षेत्र**								
	नीपको								
1.	कामेंग	अरुणाचल प्रदेश	नीपको	सी	यूसी	600	हाइड्रो	600	2010-11
	कुल (नीपको)							600	
	एनएचपीसी								
1.	सुबानसिरी लोअर	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	सी	यूसी	2000	हाइड्रो	2000	2011-12
	उप जोड़ (एनटीपीसी)							2000	
	एनटीपीसी								
1.	बोंगाईगोब	असम	एनटीपीसी	सी	एलओए	750	कोयला	750	2010-12
	उपजोड़ (एनटीपीसी)							750	
	ओएनजीसी								
1.	त्रिपुरा गैस आईएलएफएस	त्रिपुरा	ओएनजीसी	सी	एलओए	750	गैस/एलएनजी	750 750	2011-12
	उप जोड़ (केन्द्रीय क्षेत्र)							4100	
ख.	**राज्य एवं निजी क्षेत्र**								
	असम								
1.	लकवा डब्ल्यूएच	असम	एएसजेनको	एस	यूसी	37.2	गैस/एलएनजी	37.2	2008-09
	उपजोड़ (असम)							37.2	
	मेघालय								
1.	मिन्टू चरण-1	मेघालय	एईएसईबी	एस	यूसी	84	हाइड्रो	84	2009-10
2.	न्यू उमत्रु	मेघालय	एईएसईबी	एस	एलओए	40	हाइड्रो	40	2011-12
	उपजोड़ (मेघालय)							124	
	नागालैंड								
1.	दीमापुर डीजी	नागालैंड	वैद्युत विभाग	एस	यूसी	23	डीजल/एचएफओ	23	2011-12
	उपजोड़ (नागालैंड)							23	
	उपजोड़ (राज्य क्षेत्र)							184	
			उप जोड़ (केन्द्रीय क्षेत्र)					4100	
			उप जोड़ (राज्य क्षेत्र)					184	
			उप जोड़ (निजी क्षेत्र)					0	
			कुल पूर्वोत्तर (क्षेत्र)					4284	

वन निवासी अधिनियम के अंतर्गत नियम

*27. श्री सी. के. चन्द्रप्पन :

श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने से पहले प्रस्तावित नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त सभी टिप्पणियों की जांच कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त नियमों को अंतिम रूप से कब तक अधिसूचित किया जाएगा?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया) : (क) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियम अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) दिनांक 19 जून, 2007 को पूर्व प्रकाशित प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त टिप्पणियों की जांच कर ली गई है तथा सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।

[हिन्दी]

घरेलू शेयर बाजार में विदेशी वित्तीय संस्थान

28. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शेयर बाजार में विदेशी वित्तीय संस्थानों के निरंतर बढ़ते पूंजी निवेश के कारण यह अत्यधिक अस्थिर बनता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या 19 सितम्बर, 2007 के बाद से भारतीय शेयर बाजार में विदेशी वित्तीय संस्थानों की पूंजी का हिस्सा बढ़ता जा रहा है जबकि घरेलू निवेशकों का हिस्सा घटता जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा 30 सितम्बर, 2007 तक घरेलू तथा विदेशी निवेश पूंजी संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शेयर बाजार की अस्थिरता की अवधि के दौरान आम निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) प्रतिभूति बाजार में अस्थिरता घरेलू तथा विदेशी, खुदरा तथा संस्थागत निवेशकों की अर्थव्यवस्था क्षेत्र तथा कंपनी के बारे में धारणाओं का परिणाम होती है। यह धारणा अनेक कारकों से प्रभावित होती है जिनमें वृहद–आर्थिक माहौल, अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता, कारपोरेट निष्पादन, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं तथा बाजार संबंधी मनोभाव शामिल है। सेबी की राय यह है कि 19 सितम्बर, 2007 से 12 नवम्बर, 2007 की अवधि के दौरान विभिन्न बाजार भागीदारी द्वारा किए गए निवेश और बाजार में हुए उतार–चढ़ाव विदेशी संस्थागत निवेश और अस्थिरता के बीच कार्य कारण संबंध नहीं दर्शाते हैं।

(ग) और (घ) सेबी ने सूचित किया है कि 19 सितम्बर, 2007 से 12 नवम्बर, 2007 तक की अवधि के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास एक्सचेंजों पर निवल 16,454 करोड़ रुपए था।

(ङ) सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) तथा एक्सचेंजों ने सुरक्षित, पारदर्शी तथा कुशल बाजार का संवर्धन करने तथा बाजार अखंडता की संरक्षा करने के लिए प्रणालियां तथा पद्धतियां लागू की हैं। इन प्रणालियों में जोखिम प्रबंधन की उन्नत कार्यप्रणालियां शामिल हैं जिनमें ऑनलाईन मानीटरिंग तथा निगरानी, स्थितियों पर विभिन्न सीमाएं, मार्जिन संबंधी अपेक्षाएं, सर्किट फिल्टर इत्यादि शामिल हैं जो बाजार में अत्यधिक उतार–चढाव की गुंजाइश को कम कर देते हैं। अस्थिरता के अवधि के दौरान, एक्सचेंज सर्किट फिल्टरों की मानीटरिंग पर ध्यान देते हैं और व्यष्टि स्टॉकों हेतु सर्किट फिल्टरों को आशोधित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

[अनुवाद]

कुपोषण संबंधी आंकड़े

*29. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना पैनल के देश में कुपोषण संबंधी आंकड़ों के बारे में संदेह प्रकट किया है जैसा कि दिनांक 9 अगस्त, 2007 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आंगनवाड़ी केन्द्र देश में कुपोषण संबंधी आंकड़े उचित रूप से नहीं रख रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार के दिशानिर्देश क्या हैं; और

(ङ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) दिनांक 9 अगस्त, 2007 के राष्ट्रीय दैनिक 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार, योजना आयोग ने कुपोषित बच्चों के संबंध में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–III में दर्शाए गए 46% तथा संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों के आंकड़ों में दर्शाए गए 55% की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत एकत्र किए गए आंकड़ों पर शंका व्यक्त की है।

आंकड़ों में अंतर अपरिहार्य है और इसलिए इनकी परस्पर तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि कुपोषण के स्तर पर पता लगाने के लिए विभिन्न अभिकरणों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणालियां एक–दूसरे से भिन्न होती हैं। आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम में छह वर्ष से कम आयु के बच्चों की पोषाहारीय स्थिति का मूल्यांकन इण्डियन एकैडमी ऑफ पैडियैट्रिक्स के विकास मानकों का प्रयोग करते हुए बच्चों की आयु के अनुसार वज़न के आधार पर किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–III/संयुक्त राष्ट्र अभिकरण आयु के अनुसार वज़न मानक विचलन वर्गीकरण (एन.सी.एच.एस. विकास मानक) का प्रयोग करते हैं। इन दो भिन्न मानकों की परस्पर तुलना नहीं की जा सकती है।

राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 30 जून, 2007 तक देश के विभिन्न भागों में विभिन्न श्रेणियों के कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का प्रतिशत 33.95 से 0.57 के बीच था।

(ग) से (ङ) आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत आधारभूत स्तर पर मुख्य रूप से आंगनवाड़ी केन्द्रीय ही सेवा प्रदाता केन्द्र होता है। आंगनवाड़ी केन्द्र कुपोषण संबंधी आंकड़े रखते हैं तथा इस प्रयोजनार्थ विभिन्न रजिस्टर निर्धारित किए गए हैं। मौजूदा दिशानिर्देशों में इस स्कीम के प्रारंभ से ही इण्डियन एकैडमी ऑफ पैडियैट्रिक्स क्लासीफिकेशन्स के आधार पर बच्चों के (6 वर्ष तक की आयु के) कुपोषण के संबंध में आयु के अनुसार वज़न संबंधी आंकड़े दर्ज करने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु विकास चार्ट निर्धारित किए गए हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वज़न करने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों को वज़न करने वाली मशीनें उपलब्ध कराई जाती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को इन विकास चार्टों में आंकड़े दर्ज करने व इन आंकड़ों को पढ़ने का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय–समय पर यह सुनिश्चित करने को कहा जाता रहा है कि कुपोषित बच्चों का मानीटरन करने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों में विकास चार्टों/स्वास्थ्य कार्डों जैसे रिकार्ड समुचित ढंग से रखे जाएं तथा इनका नियमित रूप से अद्यतनीकरण किया जाए।

हाल ही में इस मंत्रालय ने आई.सी.डी.एस. स्कीम में विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए बाल विकास मानक अपनाए जाने का निर्णय भी लिया है। ये मानक वैज्ञानिक तथा बालक/बालिका–विशिष्ट हैं।

मतदाता पहचान-पत्र

***30. प्रो. महादेवराव शिवनकर :**

प्रो. एम. रामदास :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आज की तिथि तक विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने मतदाता पहचान–पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा अभी तक राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितने प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र प्रदान किए गए हैं;

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(घ) सभी मतदाताओं को ऐसे मतदाता पहचान–पत्र कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संसूचित किए गए अनुसार ऐसे निर्वाचकों की, जिन्हें मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं, संख्या और साथ ही ऐसे निर्वाचकों का, जिन्हें पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए हैं, प्रतिशत की प्रास्थिति दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 1994–95 से 2007–08 तक की अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को, "मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने" के मद्दे उपगत व्यय में उसके अंश के रूप में अनंतिम रूप से 656,66,92,000/– रु. की राशि जारी की है।

(घ) भारत निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि उसका यह प्रयास रहा है कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र स्कीम के अधीन 100% निर्वाचकों को लाया जाए और यद्यपि सभी निर्वाचकों को फोटो पहचान पत्र स्कीम के अंतर्गत लाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं, फिर भी विभिन्न कारणों जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं और प्रशासनिक तंत्र का नियोजित होना, जो निर्वाचक कार्य से भिन्न अन्य कार्य भी करता है तथा स्वयं मतदाताओं की उपेक्षा, कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से प्रगति उचित रूप से नहीं हो पाई है।

विवरण

मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र की प्रगति के लिए प्रास्थिति

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	1.1.2007 की निर्वाचक नामावली के अनुसार कुल साधारण निर्वाचक	निर्वाचक जिन्हें त्रुटिमुक्त पहचान पत्र जारी किए गए	जारी किए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों का प्रतिशत (स्तंभ 3 और 4)
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश%	49,848,636	35,278,198	70.77
2	अरुणाचल प्रदेश**	672,916	160,094	23.79
3	असम ^^ और #	17,410,558	0	0.00
4	बिहार	52,816,478	31,296,720	59.26
5	छत्तीसगढ़	14,457,317	4,223,015	29.21
6	गोवा	1,010,207	764,774	75.70
7	गुजरात	36,528,716	30,343,437	83.07
8	हरियाणा	12,157,316	11,288,378	92.85
9	हिमाचल प्रदेश	4,542,339	3,807,917	83.83
10	जम्मू और कश्मीर^^	6,284,658	4,276,715	68.05
11	झारखण्ड	16,195,000	8,409,060	51.92
12	कर्नाटक^^	41,610,955	32,069,242	77.07
13	केरल	20,929,146	20,929,146	100.00
14	मध्य प्रदेश^^	38,446,833	28,473,060	74.06
15	महाराष्ट्र	66,656,743	30,560,179	45.85
16	मणिपुर ##	1,701,410	763,481	44.87
17	मेघालय	1,246,640	1,160,116	93.06
18	मिजोरम	583,231	484,388	83.05
19	नागालैंड ### और ^^	1,268,359	576,725	45.47
20	उड़ीसा	27,235,112	19,661,504	72.19
21	पंजाब	16,858,308	15,693,997	93.09
22	राजस्थान	34,789,794	26,721,193	79.89

1	2	3	4	5
23	सिक्किम	305,992	222,766	72.80
24	तमिलनाडु	39,014,179	35,689,655	91.48
25	त्रिपुरा	2,005,704	1,997,757	99.60
26	उत्तर प्रदेश	1,14,344,263	91,300,000	79.84
27	उत्तराखण्ड	5,961,350	5,298,723	88.88
28	पश्चिम बंगाल	49,458,794	46,630,101	94.28
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	243,188	214,241	88.10
30	चंडीगढ़	354,130	354,130	100.00
31	दादरा और नागर हवेली	133,250	95,645	71.78
32	दमण और दीव	90,003	60,447	67.16
33	लक्षद्वीप	40,241	37,617	93.48
34	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र	10,123,095	6,262,840	61.87
35	पुदुचेरी	711,595	711,595	100.00
	योग	686,036,456	495,816,856	72.27

%हैदराबाद के 13 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर जहां ईपीआईसी कार्यक्रम चल रहा है।

** अरुणाचल प्रदेश में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सं. 4, 46, 49 और 50 के निर्वाचकों के आंकड़ों को छोड़कर।

^^ 1.1.2006 की नामावली के संबंध में निर्वाचकों के आंकड़े।

1996–97 के प्रथम चरण में कुल 67,479 ईपीआईसी तैयार किए गए थे किंतु उन्हें वितरित नहीं किया गया था। वर्तमान में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम असम राज्य में जारी नहीं है।

1997 तक कुल 1033733 निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को फोटोग्राफी के लिए जारी किया था। उपायुक्तों द्वारा संचालित सर्वेक्षण के अनुसार उनमें से 90 प्रतिशत मतदाताओं के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि असामाजिक तत्वों द्वारा वे छीन लिए गए थे।

नागालैंड में 1.1.2005 के संबंध में गहन पुनरीक्षण के पश्चात् ईपीआईसी का प्रतिशत 57.06% से घटकर 45.47% रह गया।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत धनराशियों का दुर्विनियोग

***31. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण हेतु आबंटित धनराशियों का उपयोग न करने/दुर्विनियोग करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों के उपयोग न किए जाने अथवा दुर्विनियोग के बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय को शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान वर्ष 1999 में शुरू किया गया था। प्रारंभ में के वल 39 जिलों में परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं और बाद में वर्ष 2003–04 में जिलों की संख्या बढ़कर 398 हो गई। इसके पश्चात् अन्य 180 जिलों में परियोजनाएं अनुमोदित की गई। वर्ष 2001 की जनगणना से पता चलता है कि केवल 21.92 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को शौचालय की व्यवस्था थी। यह कवरेज बढ़कर वर्ष 2001–02 में 22.38: 2002–03 में 22.86:, 2003–04 में 27.34: और वर्ष 2004–05 में 30.56: हो गई। कवरेज की यह दर संतोषजनक नहीं पाई गई। टीएससी के अंतर्गत निष्पादन औरा रिलीज की गई निधियों के उपयोग में सुधार लाने के लिए की गई कुछ कार्रवाइयां निम्नलिखित हैं:

1. कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की व्यापक भागीदारी और निर्मल ग्राम पुरस्कार की स्थापना के माध्यम से उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन देना।

2. गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों के लिए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों की लागत को 625 रु. से बढ़ाकर 1500 रु. तक करने के लिए टी एस सी के दिशा-निर्देशों में संशोधन।

3. व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए गरीबी रेखा से ऊपर जीवन बसर करने वाले व्यक्तियों को ब्याजमुक्त ऋण देने के लिए प्रत्येक जिले में पराक्रामी निधि का प्रावधान।

4. गांवों में संपूर्ण स्वच्छता स्तर में सुधार लाने के लिए ठोस तथा द्रव अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की शुरूआत।

5. कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के आबंटन को वर्ष 2004-05 में 400 करोड़ रु. से बढ़ाकर वर्ष 2005-06 में 700 करोड़ रु. वर्ष 2006-07 में 800 करोड़ रु. और वर्ष 2007-08 में 1060.00 करोड़ रु. किया गया।

6. ऑन-लाइन, वेब आधारित मासिक प्रगति रिपोर्टों, राज्यों के साथ तिमाही समीक्षा बैठकों और राज्य मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन के रूप में राज्यों के साथ नियमित निगरानी।

की गई उपर्युक्त पहलों से कवरेज बढ़कर वर्ष 2005-06 में 37.66%, 2006-07 में 44.81% और वर्ष 2007-08 के मध्य में आज 48.49% हो गई है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत निधियों की राज्य-वार रिलीज और उपयोग नीचे दिए अनुसार है:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य	केन्द्र से रिलीज	केन्द्रीय अंश का उपयोग
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	27323.28	20264.07
2	अरुणाचल प्रदेश	634.68	403.01
3	असम	3840.23	1112.63
4	बिहार	17775.37	8025.05
5	छत्तीसगढ़	9045.11	7024.67
6	दादरा व नागर हवेली	3.15	1.67
7	गोवा	172.32	142.68
8	गुजरात	9584.98	8948.94
9	हरियाणा	5647.83	3639.08
10	हिमाचल प्रदेश	850.88	751.14
11	जम्मू और कश्मीर	2226.27	991.70
12	झारखण्ड	8780.47	5271.70
13	कर्नाटक	9226.18	6840.82
14	केरल	5221.56	4382.64
15	मध्य प्रदेश	17820.72	11666.98
16	महाराष्ट्र	19608.96	15002.62
17	मणिपुर	990.89	115.18
18	मेघालय	844.83	268.82
19	मिजोरम	928.75	929.27
20	नागालैंड	533.84	283.84
21	उड़ीसा	19318.04	11187.04
22	पांडिचेरी	94.84	60.23
23	पंजाब	1173.09	235.99
24	राजस्थान	8975.82	6751.03
25	सिक्किम	755.35	763.90
26	तमिलनाडु	25385.07	19327.03
27	त्रिपुरा	2417.51	2285.67
28	उत्तर प्रदेश	43571.31	37260.98
29	उत्तराखंड	1621.67	805.27
30	पश्चिमी बंगाल	13302.64	9695.45
	कुल योग	257675.64	184439.09

[हिन्दी]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन

*32. **श्री संतोष गंगवार :** क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण लोगों को निःशुल्क उपकरण प्रदान करने का है ताकि बिजली पर निर्भरता को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों की संस्थापना के लिए लागत के लगभग 30 से 100% के बीच, केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जो प्रयोग में लाई गई प्रौद्योगिकी, स्थान विशेष और उपयोगकर्त्ता की श्रेणी पर निर्भर करती है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम	उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता
1	2	3
क.	**ऑफ-ग्रिड अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम**	
1.	**दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण :**	
.	दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गावों/बस्तियों में परिवारों के लिए बिजली उत्पादन/रोशनी प्रणालियां	प्रत्येक प्रौद्योगिकी के लिए पूर्व-विनिर्दिष्ट अधिकतम राशि और 18,000 रु. प्रति परिवार की समग्र सीमा के अध्यधीन विद्युत उत्पादन प्रणालियों की लागत का 90% गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों हेतु एकल रोशनी वाली एसपीवी प्रणाली की 100% लागत।
2.	**परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्र**	
	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य (असम के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर)	11,700/-रु. प्रति संयंत्र
	असम के मैदानी क्षेत्र	9,000/-रु. प्रति संयंत्र
	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल (तराई क्षेत्र को छोड़कर), तमिलनाडु का नीलगिरी, दार्जिलिंग के सदर कुर्सांग और कलिपपोंग सब-डिवीजन, सुन्दरबन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4,500/- रु. प्रति संयंत्र (1 घनमीटर स्थिर डोम प्रकार के संयंत्र हेतु 3,500/-रु. तक सीमित)
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, रेगिस्तानी जिले, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, उत्तरांचल के तराई क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अन्य अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र	3,500/- रु. प्रति संयंत्र (1 घनमीटर स्थिर डोम प्रकार के संयंत्र हेतु 2,800/-रु. तक सीमित)
	अन्य सभी	2,700/- रु. प्रति संयंत्र (1 घनमीटर स्थिर डोम प्रकार के संयंत्र हेतु 2,100/-रु. तक सीमित)
3.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बायोमास गैसीफीयर	तापीय और इलैक्ट्रो-मैकेनिकल अनुप्रयोगों हेतु 1.50 लाख रु./100 किवा.ई (दोहरे ईंधन इंजन के साथ) 1 मेगावाट तक के

1	2	3
		विद्युत उत्पादन हेतु 15.00 लाख रु./100 किवा.ई (100% प्रोड्यूसर सेस इंजिन के साथ)
		विशेष श्रेणी के राज्यों और द्वीप समूह के लिए 20% उच्चतर सब्सिडी
4.	औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए बायोमास गैसीफीयर	तापीय अनुप्रयोगों के लिए 2.00 लाख रु./300 किवा.ई दोहरे ईंधन इंजन के साथ 2.50 लाख रु./100 किवा.ई 100% प्रोड्यूसर गैस इंजन के साथ 10.00 लाख रु./किवा.ई संस्थाओं में 100% प्रोड्यूसर गैस इंजन के साथ 15.00 लाख रु./100 किवा.ई
5.	औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र	50.00 लाख रु. से 1.00 करोड़ रु./मेवा.ई जो प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 20% अधिक सब्सिडी)
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) प्रणालियां एसपीवी लालटेन	पूर्वोत्तर और विशेष श्रेत्रों के लिए 2,400 रु. और अन्य के लिए शून्य
		गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की स्कूल जाने वाली बालिका के लिए स्कूल की संपूर्ण पढ़ाई के दौरान एक एसपीवी लालटेन की 100% लागत
	एसपीवी घरेलू रोशनी प्रणालियां	पूर्वोत्तर और विशेष श्रेत्रों के लिए 4,500 से 8,660 रु. और मॉडल पर निर्भर करते हुए सामान्य क्षेत्रों के लिए 2500 से 4,800 रु.
	एसपीवी सड़क रोशनी प्रणालियां	पूर्वोत्तर और विशेष श्रेत्रों के लिए 17,300 रु. सामान्य क्षेत्रों के लिए 9,600 रु.
	1 किवा.पी < क्षमता का एसपीवी स्टैंडलोन विद्युत संयंत्र	पूर्वोत्तर और विशेष श्रेत्रों के लिए 2,25,000 रु./किवा.पी. सामान्य क्षेत्रों के लिए 1,25,000रु./किवा.पी.
	10 किवा.पी < क्षमता का एसपीवी स्टैंडलोन विद्युत संयंत्र	पूर्वोत्तर और विशेष श्रेत्रों के लिए 2,70,000 रु./किवा.पी.
		सामान्य क्षेत्रों के लिए 1,50,000रु./किवा.पी.
7.	एसपीवी जल पंपन प्रणालियां	प्रयोग किए गए एसपीवी ऐरे का 30 रु./डब्ल्यू पी. अधिकतम 50,000 रु. प्रति प्रणाली के अध्यधीन
8.	लघु एरो–जनरेटर एवं हाइब्रिड प्रणालियां	अविद्युतीकृत द्वीपों में उत्पादन लागत का 90% अथवा 2.40 लाख रु./किवा., इनमें से जो भी कम हो। अन्य क्षेत्रों में सरकारी/सामुदायिक प्रयोग हेतु उत्पादन लागत का 75% अथवा 2.00 लाख रु./किवा., इनमें से जो भी कम हो
		अन्य सभी उपयोगकर्ताओं के लिए लागत का 50% अथवा 1.25 लाख रु./किवा., इनमें से जो भी कम हो

[हिन्दी]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन

***32. श्री संतोष गंगवार :** क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में अपरम्परागत ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण लोगों को निःशुल्क उपकरण प्रदान करने का है ताकि बिजली पर निर्भरता को कम किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों की संस्थापना के लिए लागत के लगभग 30 से 100% के बीच, केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जो प्रयोग में लाई गई प्रौद्योगिकी, स्थान विशेष और उपयोगकर्त्ता की श्रेणी पर निर्भर करती है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम	उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता
1	2	3
क.	**ऑफ-ग्रिड अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम**	
1.	**दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण :**	
.	दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गावों/बस्तियों में परिवारों के लिए बिजली उत्पादन/रोशनी प्रणालियां	प्रत्येक प्रौद्योगिकी के लिए पूर्व-विनिर्दिष्ट अधिकतम राशि और 18,000 रु. प्रति परिवार की समग्र सीमा के अध्यधीन विद्युत उत्पादन प्रणालियों की लागत का 90%
		गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों हेतु एकल रोशनी वाली एसपीवी प्रणाली की 100% लागत।
2.	**परिवार प्रकार के बायोगैस संयंत्र**	
	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य (असम के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर)	11,700/-रु. प्रति संयंत्र
	असम के मैदानी क्षेत्र	9,000/-रु. प्रति संयंत्र
	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल (तराई क्षेत्र को छोड़कर), तमिलनाडु का नीलगिरी, दार्जिलिंग के सदर कुर्सांग और कलिपपोंग सब-डिवीजन, सुन्दरबन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4,500/- रु. प्रति संयंत्र (1 घनमीटर स्थिर डोम प्रकार के संयंत्र हेतु 3,500/-रु. तक सीमित)
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, रेगिस्तानी जिले, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, उत्तरांचल के तराई क्षेत्र, पश्चिमी घाट और अन्य अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र	3,500/- रु. प्रति संयंत्र (1 घनमीटर स्थिर डोम प्रकार के संयंत्र हेतु 2,800/-रु. तक सीमित)
	अन्य सभी	2,700/- रु. प्रति संयंत्र (1 घनमीटर स्थिर डोम प्रकार के संयंत्र हेतु 2,100/-रु. तक सीमित)
3.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बायोमास गैसीफीयर	तापीय और इलैक्ट्रो-मैकेनिकल अनुप्रयोगों हेतु 1.50 लाख रु./100 किवा.ई (दोहरे ईंधन इंजन के साथ) 1 मेगावाट तक के

1	2	3
9.	सौर तापीय प्रणालियां/युक्तियां	**बॉक्स प्रकार के कुकर :** राज्य नोडल एजेंसी को प्रोत्साहन : – आईएसआई ब्रांड पर 200 रु. प्रति कुकर – गैरआईएसआई ब्रांड पर 100 रु. प्रति कुकर – प्रचार/कार्यशाला आदि हेतु 1.50 लाख रु. तक – विनिर्माताओं को सहायता; बीआईएस अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 50% फीस की प्रतिपूर्ति **सौर जल तापन प्रणालियां :** – घरेलू उपयोगकत्ताओं को 2%, संस्थाओं को 3% और सामुदायिक उपयोकत्ताओं को 5% की दर पर सब्सिडीकृत ऋण के अलावा मोटिवेटर को प्रोत्साहन के रूप में 100/–रु. वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र – वाणिज्यिक संस्थापनाओं/संस्थाओं को 825 रु./1100 प्रति वर्गमीटर की दर पर पूंजीगत सब्सिडी **सौर वायु तापन/स्टीम उत्पादन प्रणालिया :** कुछ सीमाओं के अध्ययधीन लागत के 35–50% की दर पर पूंजीगत सब्सिडी **डिश/सामुदायिक प्रकार के सौर कुकर :** डिश प्रकार के सौर कुकर हेतु लागत का 30%, अधिकतम 1,500/–रु. और शैफलर/सामुदायिक प्रकार के कुकरों हेतु 15,000 रु.

ख. ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत कार्यक्रम :

क्र.सं.	विद्युत परियोजना के प्रकार	विशेष श्रेणी के राज्य (पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल)	अन्य राज्य
1	2	3	4
1.	लघु पनबिजली परियोजनाएं	2.25 करोड़ रु. X (सी)^0.646	1.50 करोड़ रु. X (सी)^0.646
2.	बायोमास विद्युत परियोजनाएं	25 लाख रु. X (सी)^0.646	20 लाख रु. X (सी)^0.646
3.	निजी क्षेत्र द्वारा खोई सह- उत्पादन परियोजनाएं 40 बार और उससे अधिक	18 लाख रु. X (सी)^0.646	15 लाख रु. X (सी)^0.646
4.	खोई सह–उत्पादन परियोजनाएं (सहकारी/सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र द्वारा)		

1	2	3	4
	40 बार और उससे अधिक	40 लाख रु./मेवा.	40 लाख रु./मेवा.
	60 बार और उससे अधिक	50 लाख रु./मेवा.	50 लाख रु./मेवा.
	80 बार और उससे अधिक	60 लाख रु./मेवा.	60 लाख रु./मेवा.
		8 करोड़ रु./परियोजना तक सीमित	8 करोड़ रु. प्रति परियोजना तक सीमित
5.	उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए बायोमास विद्युत	1.2 करोड़ रु. X (सी)^0.646	1.0 करोड़ रु. X (सी)^0.646
6.	पवन विद्युत परियोजनाएं	3 करोड़ रु. X (सी)^0.646	2.50 करोड़ रु. X (सी)^0.646

सी : परियोजना की क्षमता मेगावाट में ^ : की घात तक

* नई चीनी मिलों (जहां अभी उत्पादन शुरू होना है व बैक प्रेशर पद्धति/मौसमी/आनुसांगिक सह–उत्पादन अपनाने वाली चीनी मिलें) के लिए सब्सिडी उपरोक्त के आधे स्तर की होगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सावधि जमा दरों में कमी

*33. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने सावधि जमाओं की ब्याज दरें कम कर दी हैं जबकि उनके द्वारा ऋण ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 अक्तूबर, 1997 से वाणिज्य बैंकों को अपने संबंधित निदेशक बोर्ड/आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के पूर्वानुमोदन से विभिन्न परिपक्वता वाली घरेलू मियादी जमाओं पर स्वयं की ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दे दी है। अतः जमा राशि पर ब्याज दरें स्वयं बैंकों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अक्टूबर, 1994 से दो लाख रुपए से अधिक के अग्रिमों पर ब्याज दरें अविनियमित कर दी हैं और ये ब्याज दरें आधार मूल उधार दरों (बीपीएलआर) तथा ब्याज दरों के फैलाव संबंधी मार्गनिर्देशों के अध्यधीन बैंकों द्वारा अपने निदेशक बोर्डों के अनुमोदन से स्वयं निर्धारित की जाती हैं। बैंकों द्वारा अपने ऋण उत्पादों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उनसे कहा गया है कि वे (i) निधियों की वास्तविक लागत, (ii) परिचालन खर्चों और (iii) प्रावधान करने/पूंजी प्रभार एवं लाभ मार्जिन की विनियामक अपेक्षा को पूरा करने के लिए न्यूनतम मार्जिन को ध्यान में रखकर अपनी बीपीएलआर निर्धारित करें और यह सुनिश्चित करें कि बीपीएलआर से वास्तविक लागत का पता चले। अतः अलग–अलग बैंक बीपीएलआर तथा ब्याज दरों के फैलाव संबंधी मार्गनिर्देशों के अध्यधीन किसी ऋणकर्ता विशेष से ली जाने वाली ब्याज दरें निर्धारित करते हैं। भारत में प्रचलित ऋण बाजार तथा छोटे ऋणकर्ताओं को रियायत देना जारी रखने की आवश्यकता को देखते हुए, दो लाख रुपए तक के ऋणों के लिए उच्चतम सीमा के रूप में बीपीएलआर का प्रयोग करने की प्रथा जारी है। तथापि, बैंक बीपीएलआर के संदर्भ के बिना और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु ऋणों, शेयरों एवं बोर्डों पर अलग–अलग व्यक्तियों को ऋणों, अन्य गैर–प्राथमिकता क्षेत्र के वैयक्तिक ऋणों आदि के संबंध में आकार को ध्यान में रखे बिना ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की घरेलू मीयादी जमा दरें तथा बीपीएलआर निम्नलिखित हैं :

जमा दरें	मार्च 2006	मार्च 2007	अगस्त 2007
1 वर्ष तक	2.25–6.50	2.75–8.75	2.75–8.00
1 वर्ष से 3 वर्ष तक	5.75–6.75	7.25–9.50	7.25–9.50
3 वर्ष से अधिक	6.00–7.25	7.25–9.50	7.75–9.50
बीपीएलआर	10.25–11.25	12.25–11.75	12.50–13.50

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

*34. **डा. चिन्ता मोहन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर हो रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का मुद्रास्फीति दर, भारतीय रुपए के मूल्य और अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार बढ़ती हुई मुद्रास्फीति और भारतीय रुपए के मूल्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को सीमित करने के लिए कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्तरों और मुद्रास्फीति की दर के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाहों में हुई वृद्धि काफी हद तक विदेशों में किए गए निवेशों के कारण प्रतिसंतुलित हो गई है। विनिमय दर द्वारा यथानिर्दिष्ट रुपए का मूल्य, विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। रुपए के मूल्य में हाल ही में हुई वृद्धि उन अत्यधिक निवल पूंजी अंतर्वाहों के कारण है, जिनका एक संघटक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।

(ग) और (घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को सीमित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। क्रमिक उदारीकरण के लिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीति की सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है।

न्यायालयों में लंबित मामले

***35. श्री रायापति सांबासिवा राव :**

श्री चंद्र भूषण सिंह :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्च न्यायालयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारी संख्या में मामलों को निपटाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) जी हां। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में 31 दिसंबर, 2004, 2005 तथा 2006 को लंबित मामलों की संख्या उपदर्शित करने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) न्यायालयों में मामलों का शीघ्र निपटारा, ऐसा विषय है जो अनन्य रूप से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथापि, उच्चतर न्यायालयों में लंबित मामलों सहित मामलों के निपटारे को सुकर बनाने के विचार से सरकार आवधिक रूप से उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पद संख्या का पुनर्विलोकन करती है और उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में रिक्तियों का शीघ्र भरा जाना सुनिश्चित करती है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से किए गए त्रैवार्षिक पुनर्विलोकन में सरकार ने निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायधीशों के पद सृजित किए हैं :-

1.	इलाहाबाद	65
2.	आंध्र प्रदेश	10
3.	बंबई	11
4.	कलकत्ता	08
5.	दिल्ली	12
6.	हिमाचल प्रदेश	02
7.	कर्नाटक	01
8.	केरल	09
9.	मध्य प्रदेश	01
10.	पंजाब और हरियाणा	15
11.	झारखंड	08
12.	छत्तीसगढ़	10
	योग	152

सरकार न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोजन के लिए एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है, जो अन्य बातों के साथ, मामलों के शीघ्र निपटारे को सुकर बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में आईसीटी अवसंरचना को प्रोन्नत करने का उपबंध करती है।

विवरण

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के ब्यौरे

न्यायालय का नाम	31.12.04 को	31.12.05 को	31.12.06 को
उच्चतम न्यायालय	30151	34481	39780

उच्च न्यायालयों में लंबित सिविल और दांडिक मामलों के ब्यौरे

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	31.12.2004 को		31.12.2005 को		31.12.2006 को	
	का नाम	सिविल मामले	दांडिक मामले	सिविल मामले	दांडिक मामल	सिविल मामले	दांडिक मामले
1	इलाहाबाद	544655	175993	565500	198922	600272	214898
2	आंध्र प्रदेश	164915	17226	141249	18570	136896	13367
3	बम्बई	288454	37330	315020	36310	326361	36589
4	कलकत्ता	212448	40270	179175	28726	229522	38836
5	दिल्ली	60353	10772	63655	14724	66062	16739
6	गुजरात	113505	25962	100488	30897	85585	28926
7	गुवाहाटी	50442	6939	54405	7419	52146	6991
8	हिमाचल प्रदेश	17939	5600	18011	5760	20090	6272
9	जम्मू व कश्मीर	42417	2435	39529	2444	41499	1803
10	कर्नाटक	118899	10754	73157	12754	78837	14797
11	केरल	113652	21752	109316	24060	92511	25038
12	मद्रास	275730	23029	334383	29168	372973	33985
13	मध्य प्रदेश	141785	59133	130259	55759	127120	56665
14	उड़ीसा	91996	14553	186113	17717	203112	18940
15	पटना	63290	21658	66549	25033	71217	25007
16	पंजाब और हरियाणा	218457	46845	201151	42320	199295	42973
17	राजस्थान	146447	57901	158318	47867	157091	51004
18	सिक्किम	50	5	29	13	42	9
19	उत्तरांचल	29850	6048	30437	7163	21311	6836
20	छत्तीसगढ़	42158	21574	49521	23382	60690	24933
21	झारखंड	20865	14947	25085	18785	26030	21583
	योग	2758307	620726	2841350	647793	2968662	686191
	कुल योग	33,79,033		34,89,143		36,54,853	

युवा वैज्ञानिकों/छात्रों को प्रोत्साहन

*36. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का युवा वैज्ञानिकों सहित नई प्रौद्योगिकी की खोज करने वाले तथा उन पर अनुसंधान जारी रखने वाले छात्रों को प्रोत्साहन/बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी प्रतिभाओं की खोज करने हेतु प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास और प्रशिक्षण सरकार की कार्यसूची में हमेशा शीर्ष पर रहा है। युवा वैज्ञानिकों और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए भी अनेक

स्कीमें प्रारंभ की गई हैं। जैसे युवा वैज्ञानिकों के लिए एस ई आर सी कार्यक्रम, कार्यशील युवा वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए स्वर्णजयंती अध्येतावृत्तियां, श्यामा प्रसाद मुकर्जी अध्येतावृत्तियां, के.एस. कृष्णन अध्येतावृत्तियां, रमन्ना अध्येतावृत्तियां और जे.बी.बोस एवं रामानुज अध्येतावृत्तियां तथा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में युवा प्रतिभाशाली छात्रों को आकर्षित करने तथा इसमें उन्हें बनाए रखने के लिए विज्ञान में नेतृत्व के लिए युवा सी एस आई आर कार्यक्रम (सी पी वाई एल एस), हीरक जयंती अनुसंधान अंतः शिक्षु पुरस्कार स्कीम, कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जे आर एफ/एस आर एफ), जैव प्रौद्योगिकी पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान एसोसिएटशिप एवं ओवरसीज अध्येतावृत्तियां, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (के वी पी आई), राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड कार्यक्रम आदि। इसके अतिरिक्त, छात्रों सहित युवा वैज्ञानिकों को नैनोप्रौविज्ञान और नैनोद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी आदि जैसे उभर रहे क्षेत्रों सहित नई प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान करने तथा/अथवा परीक्षण के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु स्कूलों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियों से परिचित कराया गया है।

सरकार 11वीं योजना में इंस्पयार (अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष) नामक एक नई स्कीम प्रारंभ कर रही है। प्रस्तावित स्कीम की मुख्य विशेषताएं होंगी : (1) स्कूलों में नवोन्मेष निधिकरण (दस लाख युवा नवोन्मेषक) (2) विज्ञान की जानी-मानी हस्तियों के साथ ग्रीष्मकालीन शिविर (उच्च निष्पादकों के लिए), (3) सिद्ध प्रतिभा बल के लिए सुनिश्चित अवसर स्कीम; तथा (4) सार्वजनिक – निजी भागीदारियों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से निधिकृत अनुसंधान में प्रतिभा का प्रतिधारण। इसके अतिरिक्त 11वीं योजना में उच्चतर शिक्षा में विज्ञान (एस एच ई) के लिए छात्रवृत्तियों पर एक अन्य नई स्कीम प्रारंभ की जाएगी। इस स्कीम का उद्देश्य मेधावी छात्रों के लिए उनके बी एस सी/एम एस सी पाठ्यक्रमों के दौरान विज्ञान विषयों में प्रति वर्ष 1,00,000/-रु0 की 10,000 अध्येतावृत्तियां प्रारंभ करना है। इन पहलों का उद्देश्य अधिक से अधिक अनुसंधान करने तथा बहुमूल्य परिणाम प्राप्त करने के लिए युवाओं में रुचि पैदा करना है।

इन अध्येतावृत्तियों/स्कीमों में प्रतिभा की पहचान तथा उनका चयन विशेषज्ञ समीक्षा सहित एक कड़ी प्रतियोगिता प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

मौसम पूर्वानुमान

***37. श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों, जहां मिनट-दर-मिनट मौसम संबंधी सटीक पूर्वानुमान लगाया जाता है, में प्रयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकियों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्ययनों का क्या परिणाम निकला; और

(ग) भारत में ऐसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मूल्यांकन और हमारी अपनी आधुनिकीकरण योजनाओं, जो प्रेक्षणात्मक अवसंरचना (भूमि और समुद्री प्लेटफार्मों) तथा उन्नत पूर्वानुमान मॉडलों के साथ पूर्वानुमान क्षमताओं, दोनों के संबंध में है, निम्नलिखित गतिविधियां पहले ही शुरू की जा चुकी हैं :-

1. भारत मौसम-विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) और राष्ट्रीय मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.) का व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के निम्नलिखित भाग हैं :

   (i) पूर्वानुमान के लिए उच्च क्षमता वाले कम्प्यूटर प्राप्त करना;

   (ii) स्ववालित वर्षा मापियों (ए.आर.जी.) स्वचालित मौसम केन्द्रों (ए.डब्ल्यू.एस.), उपरि स्तर वायु डेटा हेतु उन्नत रेडियो सौंदे प्रणालियों सहित प्रेक्षण प्रणालियों में वृद्धि करना, डोप्लर मौसम रेडार (डी.डब्ल्यू.आर.) प्राप्त करना आदि।

2. मौसम पूर्वानुमान की सटीकता को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयास पहले ही किए जा चुके हैं :-

   (i) 2007 की मानसून ऋतु के लिए 125 स्वचालित केन्द्रों को चालू किया गया है।

   (ii) 50 कि.मी. वियोजन वाले उन्नत संख्यात्मक मॉडल को पूर्ण बनाया गया है।

   (iii) पूर्वानुमानों को बेहतर बनाने के लिए मई, 2007 से अतिरिक्त उपग्रह प्रेक्षणों को संख्यात्मक मॉडलों में शामिल किया जा रहा है।

   (iv) 50 कि.मी. ग्रिड वैश्विक पूर्वानुमान मॉडल से सूचना और सीमावर्ती मैदानों से 27 कि.मी. ग्रिड वियोजन पर मौसम अनुसंधान पूर्वानुमान (डब्ल्यू.आर.एफ.) मॉडल को प्रायोगिक तौर पर वास्तविक-समय के लिए पूर्ण बनाया गया है।

   (v) पूर्वानुमान संबंधी कौशल को बढ़ाने के लिए एक बहु-मॉडल-मानव-मिश्रित प्रणाली को अपनाया गया है।

इन कुछ नवीन कार्यों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2007 की मानसून ऋतु के दौरान अल्प और मध्यम अवधि के मौसम में सुधार हुआ है।

पर्मानेन्ट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन

***38. श्रीमती निवेदिता माने :**

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेग, नीदरलैंड स्थित पर्मानेन्ट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इस वर्ष के अंत तक भारत में अपना क्षेत्रीय केन्द्र खोलने वाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ स्थान की पहचान कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) महासचिव, स्थायी माध्यस्थम् न्यायालय, हेग से भारत में उसकी क्षेत्रीय सुविधा खोलने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उस पर स्थायी माध्यस्थम् न्यायालय के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

शिक्षा ऋण

***39. श्री एम. अप्पादुरई :**

श्री एस. अजय कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब ग्रामीण छात्रों को शिक्षा संबंधी ऋणों के वितरण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शिक्षा संबंधी ऋणों के वितरण के मामले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच काफी विसंगति पाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) बैंकों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा ऋण मंजूर न करने/संवितरण न करने के संबंध में समय-समय पर कुछ शिकायतें मिलती रहती हैं। इन शिकायतों को संबंधित बैंक के साथ उठाया जाता है, ताकि उपचारात्मक उपाय किए जा सकें और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी योग्य/मेधावी छात्र वित्तीय सहायता के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार शिक्षा ऋण के संवितरण के संबंध में बैंकों की ग्रामीण शाखाओं एवं शहरी शाखाओं में अंतराल है, परन्तु समय के साथ-साथ यह अंतराल कम हो रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवितरित कुल शिक्षा ऋण के एक हिस्से के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं द्वारा संस्वीकृत शिक्षा ऋण वर्ष 2004-05 में 15.50 प्रतिशत था जो वर्ष 2007-08 के दौरान (सितम्बर, 2007 तक) बढ़कर 18.30 प्रतिशत हो गया। सरकार शिक्षा ऋण के संवितरण की प्रगति पर गहन निगरानी रखती है और बैंकों से कहा गया है कि योग्य एवं जरूरतमंद छात्रों को ऐसे ऋणों के लिए इंकार करने के लिए तुरंत उपचारात्मक उपाय करें। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों से भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि मॉडल शिक्षा ऋण स्कीम के मौजूदा मार्गनिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

[हिन्दी]

डी डी ए में भ्रष्टाचार

***40. श्री हरिकेवल प्रसाद :**

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डीडीए में दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) डीडीए में भ्रष्टाचार के अभी भी ऐसे मामलों की संख्या में बढ़ोत्तरी के क्या कारण हैं जिनका पता नहीं चलता तथा जो प्रकाश में नहीं आ पाते हैं और इन्हें कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा यथा सूचित दिल्ली विकास प्राधिकरण में पिछले तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के दर्ज मामले इस प्रकार हैं :-

2004-05

क्र.सं.	एफआईआर सं. एवं दिनांक	एजेंसी	स्थिति	दोषी
1	2	3	4	5
1.	पीई/डीए1/04/ए/0012 7.4.04	सीबीआई	आरडीए/अनिवार्य सेवानिवृत्त	सत्यवीर सिंह, यूसीडी

1	2	3	4	5
2.	206/4 23.4.04	पीएस केएम पुर	विचाराधीन	1. एच सी वर्मा, एडी 2. महिपाल सिंह, यूडीसी 3. सत्यपाल सिंह, यूडीसी 4. विनोद कुमार, एलडीसी
3.	आरसी–24(ए)04/डीए 1 6.5.04	सीबीआई	विचाराधीन	हरिमोहन, जेई
4.	29/04 2.7.04	एसीबी	विचाराधीन	इकबाल सिंह मान, पटवारी
5.	13/05 11.3.05	एसीबी	विचाराधीन	आर एस नेगी, सहायक
6.	विभाग	डीडीए	आरडीए	1. नरेन्द्र कुमार गुप्ता, जेई 2. पवन कुमार, मेट
		2005-06		
1.	आरसी/डीए1/2005/ए/0031 27.6.05	सीबीआई	विचाराधीन	ओ.पी. राय, ईई
2.	आरसी/45/ए/05/डीए1 9.8.05	सीबीआई	विचाराधीन	1. पी उनियाल, सर्वेयर 2. श्री राम, मेट
3.	आरसी/एसी–1/2005/ए/0006 12.9.05	सीबीआई	विचाराधीन	मेहरोज खान, जेई
4.	42/05 5.10.05	एसीबी	विचाराधीन	के.आर. भटनागर, यूडीसी
5.	17/06 20.2.06	एसीबी	विचाराधीन	मोहिन्दर कुमार, एस के
6.	आरसी–7(ए)06/सीबीआई 6.3.06	सीबीआई	विचाराधीन	राकेश कुमार शर्मा, पटवारी
		2006-07		
1.	33/06 19.4.06	एसीबी	विचाराधीन	1. श्री राममहेश यादव, पटवारी 2. ब्रहम सिंह, एस/जी
2.	36/06 15.5.06	एसीबी	विचाराधीन	रोहताश, खलासी
3.	67/06 29.8.06	एसीबी	विचाराधीन	वीरेन्द्र वर्मा, एसओ (हॉर्टि.)
4.	आरसी/एसआईजे/2007/ए/0001 23.1.07	सीबीआई	जांचाधीन	अजय श्रोटिया, जेई
		2007-08		
1.	आरसी/डीए1/2007/ए/0025 24.7.07	सीबीआई	विचाराधीन	1. ए के मिश्रा, डीडी (सेवानिवृत्त) 2. जे आर गौड, एडी 3. श्याम बाबू, एई 4. एस के शर्मा, जेई 5. अजय कुमार शर्मा, सहायक

डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि भ्रष्टाचार के ऐसे मामले जिनका पता नहीं चलता तथा जो प्रकाश में नहीं आ पाते, की बढ़ोत्तरी का पता लगाने के संबंध में कोई पद्धति नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के मामलों पर दृढ़ता से कार्यवाही की जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो, वहां आपराधिक मामले और अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाती है। डीडीए की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ाने और अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं। नागरिकों को उनके कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए सुविधा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से जनता की शिकायतों को सुनने के लिए वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध है। स्कीमों, नियमों, प्रक्रियाओं, आवेदन पत्रों आदि को वेबसाइट पर डाल दिया गया है। मकानों के आबंटन के लिए ड्रा को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। निविदा सूचनाओं को वेबसाइट पर डालना शुरू कर दिया गया है। व्यवसायिक प्लाटों का निपटान पर्याप्त रूप से प्रचारित सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से किया जाता है। कार्यालयों की विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त करने और संचालन में निरपेक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए अन्य विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा गुणवत्ता जांच, सतर्कता मामलों के शीघ्र निपटान तथा विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों की समीक्षा भी की जाती है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में स्पीड पोस्ट सुविधा

***41. श्री एन.एस.वी. चित्तन :**

प्रो. एम. रामदास :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पीड पोस्ट की सुविधा केवल देश के शहरों में ही उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि में प्रत्येक राज्य में कितने स्पीड पोस्ट केन्द्र हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस सुविधा को उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस सेवा के कार्यकरण की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी नहीं। देश में स्पीड पोस्ट सुविधा शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है।

(ख) देश में 1166 स्पीड पोस्ट केन्द्र हैं। केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। स्पीड पोस्ट केन्द्रों का विवरण विभाग की वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) स्पीड पोस्ट सेवा के नेटवर्क का विस्तार बाजार की जरूरतों, ग्राहकों की आवश्यकताओं, अनुमानित कारोबार, उपलब्ध परिवहन सुविधाओं आदि को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(ङ) और (च) स्पीड पोस्ट सेवा की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसका क्रियान्वयन बाजार की चुनौतियों और डाक सेवाओं के लिए उभरते अवसरों का आकलन करके किया जाता है। सतत समीक्षा का उद्देश्य इस उत्पाद को ग्राहकोन्मुखी एवं प्रतिस्पर्धी बनाना है। स्पीड पोस्ट पूरे भारत में एक दर की शुरूआत, स्थानीय स्पीड पोस्ट प्रभार में कटौती, क्रेडिट सुविधा, ग्राहक के घर से एकत्र करना आदि कदम ऐसी समीक्षाओं के उपरांत उठाए गए हैं।

विवरण

स्पीड पोस्ट केन्द्रों की सूची

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्पीड पोस्ट केन्द्रों की संख्या	राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्रों की संख्या	कुल
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	23	59	82
अरुणाचल प्रदेश	1	10	11
असम	6	18	24
बिहार	11	53	64
छत्तीसगढ़	6	32	38
दिल्ली	1	0	1
गोवा	2	12	14
गुजरात	7	53	60
हरियाणा	16	2	18
हिमाचल प्रदेश	5	17	22
जम्मू व कश्मीर	2	17	19
झारखंड	4	80	84
कर्नाटक	23	11	34

1	2	3	4
केरल	13	11	24
मध्य प्रदेश	12	80	92
महाराष्ट्र	9	62	71
मणिपुर	1	25	26
मेघालय	1	24	25
मिजोरम	1	20	21
नागालैंड	2	11	13
उड़ीसा	5	38	43
पंजाब	17	18	35
राजस्थान	7	37	44
सिक्किम	1	0	1
तमिलनाडु	45	21	66
त्रिपुरा	1	14	15
अंडमान एवं निकोबार केन्द्र शासित क्षेत्र	1	3	4
दमन एवं दीव केन्द्र शासित क्षेत्र	0	3	3
लक्षद्वीप केन्द्र शासित क्षेत्र	0	1	1
पुडुचेरी केन्द्र शासित क्षेत्र	1	1	2
उत्तर प्रदेश	40	48	88
उत्तराखंड	14	15	29
प. बंगाल	10	80	90
सेना डाक सेवा	2	0	2
कुल	290	876	1166

इथनॉल उत्पादन हेतु रियायत

*42. **श्री रनेन बर्मन :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इथनॉल की उपयोगिता के मद्देनजर इथनॉल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इथनॉल उत्पादकों को कुछ रियायतें देने की घोषणा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं। इथनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसके उत्पादकों हेतु रियायतों की घोषणा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विकेन्द्रीकृत योजना के अंतर्गत खरीद लागत

*43. **डा. एम. जगन्नाथ :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के प्रचालनों की खरीद लागत की तुलना में कुछ राज्यों में विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अंतर्गत उसी प्रकार के खाद्यान्नों की खरीद लागत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या उच्च खरीद लागतों के आलोक में उक्त योजना की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाने वाली खाद्यान्नों की खरीदारी की लागत (अधिग्रहण लागत) विकेन्द्रीकृत खरीदारी करने वाले राज्यों द्वारा की गई खरीदारी की लागत के साथ तुलनीय नहीं है, क्योंकि कुछ प्रासंगिक खर्चे जो विकेन्द्रीकृत खरीदारी करने वाले राज्यों की अधिग्रहण लागत का हिस्सा हैं वे भारतीय खाद्य निगम की वितरण लागत का हिस्सा होते हैं। तथापि, अखिल भारत आधार पर भारतीय खाद्य निगम के लिए गेहूं और चावल की आर्थिक लागत (जिसमें अधिग्रहण लागत और वितरण लागत, दोनों शामिल होती हैं) विकेन्द्रीकृत खरीदारी योजना के अधीन अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल की आर्थिक लागत से अधिक है। विकेन्द्रीकृत खरीदारी योजना के प्रचालनों के अधीन खाद्यान्नों की खरीदारी करने से ढुलाई लागत में भी बचत होती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दूध उत्पादन

*44. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**

श्री रेवती रमन सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देश में कितनी मात्रा में दूध का उत्पादन हुआ और दूध चूर्ण बनाने के लिए इसमें से दूध की कितनी मात्रा का उपयोग किया गया है;

(ख) घरेलू उत्पादन से कितनी घरेलू मांग की पूर्ति की जाती है; और

(ग) पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद मदर डेयरी और अन्य दूध विक्रेताओं द्वारा दूध के मूल्यों में बार-बार वृद्धि किए जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन निम्नानुसार है :

(मिलियन टन में)

वर्ष	दुग्ध उत्पादन
2004–05	92.50
2005–06	97.10
2006–07	100.9 (अनंतिम)

चालू वर्ष में उत्पादित दूध की मात्रा का अनुमान अभी नहीं लगाया गया है।

दुग्ध पाउडर का उत्पादन सहकारी क्षेत्र और निजी डेयरियों द्वारा लगभग 50:50 के अनुपात में किया जाता है। सहकारिताओं द्वारा उत्पादित दुग्ध पाउडर और दुग्ध पाउडर में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल दूध की अनुमानित मात्रा नीचे दी गई है।

वर्ष	दुग्ध पाउडर उत्पादन* (मीट्रिक टन)	दुग्ध पाउडर में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल दूध की अनुमानित मात्रा (मिलियन टन में)
2004–05	160,031	1.76
2005–06	178,866	1.97
2006–07	171,719	1.89
2007–08	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

* स्किम दुग्ध पाउडर, संपूर्ण दुग्ध पाउडर, डेयरी वाइटनर और बाल आहार

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर पर्याप्त है।

(ग) मदर डेयरी तथा अन्य दुग्ध विक्रेताओं द्वारा दूध की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन लागत में वृद्धि होना है।

[अनुवाद]

दलहनों और तिलहनों का उत्पादन

***45. श्री जोवाकिम बखला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दलहनों और तिलहनों की कमी और उनके उत्पादन में गिरावट दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में दलहनों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चालू वर्ष और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या ठोस कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) देश में दालों एवं खाद्य तेलों की मांग निरन्तर बढ़ रही है और दालों एवं खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं हो रहा है। वर्ष 2006-07 में दालों का उत्पादन 16.24 मिलियन टन आवश्यकता की तुलना में 14.23 मिलियन टन था एवं वर्ष 2006-07 में तिलहन का उत्पादन 40.29 मिलियन टन की आवश्यकता की तुलना में 23.88 मिलियन टन था। दलहनों एवं तिलहनों के कम उत्पादन के मुख्य कारण हैं ये मुख्य रूप से सीमान्त एवं उपसीमान्त भूमियों में वर्षा सिंचित परिस्थितियों अंतर्गत छोटे एवं सीमान्त किसानों द्वारा उगाये जाते हैं। इनकी उत्पादनका निम्न बीज प्रतिस्थापन दर, नई किस्मों की अपर्याप्तता और हानिकारक कीटों एवं रोगों के प्रति संवेदनशील की वजह से भी बुरी तरह प्रभावित होती है।

दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एवं आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का दाल घटक देश के प्रमुख दाल उत्पादक 14 राज्यों के 168 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसी तरह, तिलहनों की उत्पादकता एवं उपज को बढ़ाने की दृष्टि से तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का की समेकित स्कीम (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.) के अंतर्गत वित्तीय सहायता के मानदण्ड और प्रतिमान संशोधित किए गए हैं।

[हिन्दी]

कृषि राजसहायता

***46. श्री रामदास आठवले :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान अमरीका और अन्य विकसित देशों के किसानों की तुलना में देश में किसानों को कितनी राजसहायता दी गई है;

(ख) क्या देश में किसानों को दी जाने वाली राजसहायता में लगातार कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश के किसानों को विकसित/विकासशील देशों के बराबर राजसहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) नवीनतम उपलब्ध वर्ष 1999 से 2001 हेतु संयुक्त राज्य, यूरोपीय समुदाय, जापान तथा भारत द्वारा प्रदान किया गया कुल घरेलू समर्थन (सब्सिडी) की तुलनात्मक राशि नीचे दी गयी है।

तुलनात्मक घरेलू समर्थन के ब्यौरे

(मिलियन अमेरिकी डालर)

देश	1999	2000	2001
संयुक्त राज्य	74,054.4	74,200.3	72,129.1
यूरोपीय समुदाय	88,340.3	87,817.6 (विपणन वर्ष 2000/01)	75.083.75 (विपणन वर्ष 2001/02)
जापान	31,908.6	30,551.97	एन.ए.
भारत (वर्ष)	8,221.98 (1995-96)	8,288.28 (1996-97)	9,048.13 (1997-98)

(स्रोत : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय) एन.ए. = उपलब्ध नहीं

भारत ने अब तक केवल 1997-98 तक विश्व व्यापार संगठन को अपनी घरेलू समर्थन वचनबद्धता को सूचित किया है। यह विवरण दर्शाते हैं कि भारत के कुल घरेलू समर्थन में कमी नहीं आयी है।

विकसित देश अपने कृषि क्षेत्र को उच्च स्तर का समर्थन प्रदान करना वहन कर सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए, विकसित देशों के समान सब्सिडी प्रदान करना वहन करने योग्य नहीं है। तथापि, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार ने उच्च उत्पादन तथा उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुपक्षीय रणनीति अपनायी है। इन कदमों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि में वृहत्त प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई, उर्वरक का सन्तुलित उपयोग, विपणन ढांचे का विकास आदि। तीन वर्षों में कृषि ऋण को दुगुना करने हेतु 18 जून, 2004 को एक व्यापक ऋण नीति की घोषणा की गई। किसान प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण (3 लाख रुपए के मूलधन की राशि तक) प्राप्त करते हैं। अल्पकालीन फसल ऋण हेतु 2 प्रतिशत ऋण अनुदान खरीफ 2006-07 से चल रही है। अन्य बातों के साथ-साथ चावल, गेहूं तथा दालों के उत्पादन में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को प्रारंभ करके भी कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

कृषि संकट

***47. श्री नरहरि महतो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदर्भ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के 31 आत्महत्या प्रवण जिलों में कृषि संकट के उपशमन हेतु प्रधान मंत्री के 17,000 करोड़ रुपए के पैकेज के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के निदेशक श्री आर. राधाकृष्णा की अध्यक्षता वाले कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट में इस पैकेज के क्रियान्वयन संबंधी अनेक खामियों के बारे में बताया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य टिप्पणियों का सार क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के आत्महत्या प्रवण 31 अभिज्ञात जिलों में किसानों के लिये पुनर्वास पैकेज के क्रियान्वयन हेतु 16978.69 करोड़ रु. के अनुमोदित आबंटन की तुलना में विभिन्न क्रियान्वयनकारी एजेंसियों द्वारा 31 अक्तूबर, 2007 तक 10107.60 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

(ख) और (ग) प्रो. आर. राधाकृष्णा, निदेशक, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान की अध्यक्षता में कृषि ऋणग्रस्तता संबंधी विशेषज्ञ समूह ने पाया कि कवरेज और एड्रेस (निराकरण) की गई समस्याओं के रूप में पुनर्वास पैकेज व्यापक है किन्तु इसकी संरचना और क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमियां हैं :

(i) कुछ स्कीमों की संरचना परिवारों द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं पर आधारित नहीं है।

(ii) इन उपायों में क्षेत्र एवं परिवार विशिष्ट लचीलेपन का अभाव है।

(iii) उचित संस्थागत व्यवस्था के अभाव के कारण क्रियान्वयन एवं मानीटरिंग से संबंधित समस्यायें हैं।

विशेषज्ञ समूह ने टिप्पणी की है कि पुनर्वास पैकेज में परिकल्पित संकटापन्न किसानों के लिये राहत उपायों का क्रियान्वयन एवं मानीटरिंग सावधानीपूर्वक किये जाने की आवश्यकता है तथा यह सिफारिश की है कि आवश्यक लचीलेपन के साथ व्यक्तिगत परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और साथ ही किसान परिवारों को मुसीबत से बचाने के लिए अनुवर्ती उपाय किये जाने चाहिए। इसने दो और वर्षों के लिए पैकेज के "गैर-ऋण घटक" को जारी रखने की भी सिफारिश की है।

विशेषज्ञ समूह की टिप्पणी पूर्णतः न्यायसंगत नहीं है क्योंकि सरकार ने पुनर्वास पैकेज का अनुमोदन करते समय एक सुव्यवस्थित संरचित मानीटरिंग एवं क्रियान्वयन प्रणाली को भी अनुमोदित किया है, जिसमें समयबद्ध तरीके से पैकेज के वितरण तथा संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष उद्देश्य की सहकारी समितियों/समुदाय आधारित संगठन तथा उचित संस्थागत व्यवस्था का सृजन और पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी तथा राज्य एवं जिला स्तरीय समितियां शामिल हैं।

निजी ऑपरेटरों द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन

*48. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी ऑपरेटरों द्वारा अपने मोबाइल फोन उपभोक्ताओं से भिन्न-भिन्न दरें वसूल की जाती हैं और ये दरें सरकारी कंपनियों द्वारा ली जाने वाली दरों से अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) के मार्गदर्शी सिद्धांतों एवं निर्देशों का उल्लंघन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) निजी प्रचालक तथा सरकार के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियां, दोनों ही, विभिन्न टैरिफ प्लानों के अधीन अपने-अपने मोबाइल फोन उपभोक्ताओं से भिन्न-भिन्न दरें वसूल करते हैं। चूंकि प्रशुल्क प्लानों के तहत विभिन्न सेवाओं का सम्मिश्रण होता है, इसलिए समूचे देश के विभिन्न प्रचालकों के टैरिफ प्लानों के बीच तुलना कर पाना कठिन है।

(ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) को दूरसंचार प्रशुल्क निर्धारित करने और विनियमित करने का दायित्व प्रदान किया गया है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को दूरसंचार प्रशुल्कों की पुनरीक्षा करने और उनमें आशोधन करने का भी अधिकार है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपने दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टीटीओ) 1999 के तहत तीन श्रेणियों अर्थात ग्रामीण उपभोक्ताओं, सेल्यूलर सेवाओं के रोमिंग प्रभारों और पट्टाशुदा सर्किटों के प्रशुल्क को छोड़कर प्रशुल्क निर्धारण के संबंध में तटस्थता की नीति अपनायी है। चूंकि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ निर्धारित करने के बारे में नीति में लचीलापन है, इसलिए इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मार्गदर्शी सिद्धांतों और निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन

*49. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) के उन्नयन की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निजी सरकारी भागीदारी से इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनका उन्नयन कब तक किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) नई प्रौद्योगिकियों के विकास एवं उद्योग की उभरती हुई आवश्यकताओं के मद्देनजर प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के उन्नयन की आवश्यकता महसूस की गई है। भारत सरकार ने तदनुसार देश के समस्त सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निम्नानुसार उन्नयन आरंभ किया है :-

(क) वर्ष 2005-06 से 160 करोड़ रुपये की लागत पर घरेलू वित्तपोषण के माध्यम से 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन।

(ख) वर्ष 2006-07 से 1581 करोड़ रुपये की लागत पर विश्व बैंक सहायता के माध्यम से 400 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन।

(ग) वर्ष 2007-08 से प्रति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 2.5 करोड़ रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर सरकारी निजी

भागीदारी से शेष 1396 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन।

इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु उद्योग की निकट भागीदारी की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, उन्नयन के कार्य को पूर्ण करने के लिए संस्थान प्रबंधन समितियों (आई एम सी) का गठन किया जा रहा है। संस्थान प्रबंधन समितियों की अध्यक्षता उद्योग भागीदार द्वारा की जा रही है। उद्योग से चार अन्य सदस्य संस्थान प्रबंधन समिति में हैं। शेष पांच सदस्य सरकार से हैं तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्राचार्य आई एम सी का सदस्य सचिव है।

इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन का कार्य वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंत तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों हेतु वेतन बोर्ड

***50. डा. के.एस. मनोज :**

श्री एन.एन. कृष्णदास :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकारों और गैर–पत्रकारों के लिए गठित वेतन बोर्डों ने अपनी रिपोर्ट दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का आयात

***51. डा. सत्यनारायण जटिया :**

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 2007 से देश में आयातित गेहूं और चावल की अलग–अलग मात्रा कितनी है तथा इनका आयात मूल्य कितना है और किन–किन तिथियों को इनका आयात किया गया;

(ख) चालू वर्ष के दौरान मार्च, 2008 तक कितनी मात्रा में गेहूं, चावल तथा अन्य खाद्यान्नों का आयात किए जाने की संभावना है तथा किन मूल्यों पर इनका आयात किए जाने की संभावना है;

(ग) उक्त आयातों के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में आयातित गेहूं की वितरण पद्धति क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) गेहूं और चावल के आयात की सरकारी खाते और गैर सरकारी खाते, दोनों पर अनुमति है। सरकार ने मार्च, 2007 से अपने खाते पर किसी भी चावल का आयात नहीं किया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मार्च–जून, 2007 के महीनों के दौरान प्राइवेट पार्टियों द्वारा 1,12,949 टन गेहूं और 26 टन चावल का आयात किया गया था। जिन मूल्यों पर प्राइवेट आयात हुआ है उसकी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

सरकार ने मार्च, 2007 से 6,11,091 टन गेहूं का आयात किया है। इसमें से 1,76,210 टन मात्रा वित्तीय वर्ष 2006–07 में अंतिम रूप दी गई निविदाओं के प्रति है। 4,34,881 टन की सुपुर्दगियां वित्तीय वर्ष 2007–08 में अंतिम रूप दी गई निविदाओं के प्रति है। आयात की गई मात्रा और उसके मूल्यों का तारीखवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सरकार ने इस वर्ष केन्द्रीय पूल के लिए 23 लाख टन गेहूं आयात करने का निर्णय लिया है, जिसमें से 13.06 लाख टन का आयात करने के लिए पहले ही आर्डर दे दिए गए हैं। 13.06 लाख टन मात्रा में से 5.11 लाख टन गेहूं का आर्डर 325.59 अमरीकी डालर प्रति टन सी. एण्ड एफ. (एफ.ओ.) के भारित औसत मूल्य पर और 7.95 लाख टन का आर्डर 389.45 अमरीकी डालर प्रति टन सी. एण्ड एफ. (एफ. ओ.) के भारित औसत मूल्य पर दिया गया है।

यह पूर्वानुमान लगाना कठिन है कि मार्च, 2008 तक वास्तव में कितनी मात्रा में गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्नों का आयात किए जाने की संभावना है तथा उसका क्या मूल्य होगा। सरकारी खाते पर अथवा प्राइवेट खाते पर और आयात करने संबंधी निर्णय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए तथा बाजार में गेहूं, चावल और खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। प्राइवेट व्यापारियों द्वारा किए जाने वाला आयात वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करेगा जबकि सरकार द्वारा किए जाने वाले आयात का निर्णय खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर आधारित होता है।

(घ) सरकार द्वारा आयात किए गए गेहूं का वितरण देश के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को छोड़कर शेष राज्यों में आवश्यकता और उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली/कल्याण योजनाओं के लिए किया जाता है।

विवरण

मार्च, 2007 से 14.11.2007 तक राज्य व्यापार निगम के जरिए केन्द्रीय पूल हेतु आयात किए गए गेहूं का विवरण

पोत के पहुंचने की तारीख	मात्रा (मी. टन)	दर (यू.एस. डालर प्रति टन)
2006-07 में अंतिम रूप प्रदान की गई निविदाएं		
02.03.2007	62930	199.20
05.03.2007	38057	232.00
26.04.2007	35391	199.20
08.05.2007	39832	212.75
जोड़	176210	
2007-08 में अंतिम रूप प्रदान की गई निविदाएं		
18.09.2007	51836	329.95
06.10.2007	48250	388.00
15.10.2007	45336	329.95
28.10.2007	24951	329.95
02.11.2007	43727	324.10
02.11.2007	67198	317.95
04.11.2007	38498	324.10
04.11.2007	47882	388.00
13.11.2007	67201	317.95
जोड़	434881	
सकल जोड़	611091	

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में रोज़गार के अवसर

*52. **प्रो. महादेवराव शिवनकर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन के अवसर कम हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में रोज़गार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जनगणना 1991 के अनुसार कृषि में संलग्न देश में कुल किसानों तथा खेती मज़दूरों कामगारों की संख्या 210.68 मिलियन थी। यह 2001 जनगणना (नवीनतम) में बढ़कर 234.10 मिलियन हो गयी है। रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की हाल ही में हुई दो अति महत्वपूर्ण पंचवर्षीय चक्रों के अनुसार, कृषि क्षेत्र में चालू सामान्य स्थिति आधार पर रोजगार 1999–2000 (55वें दौर) में 239.73 मिलियन व्यक्तियों पर अनुमानित थे जो 2004–05 (61वें दौर) में 258.59 मिलियन व्यक्ति तक बढ़ गये। इस प्रकार कृषि पर निर्भरता में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) कृषि में अतिरिक्त रोजगार सृजन करने की योजना नहीं है। तथापि, कई विकास कार्यक्रम यथा चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों हेतु एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम को शामिल करते हुए कृषि का वृहद प्रबंधन ग्रामीण भंडारण योजना, कृषि विपणन संरचना का विकास, सूक्ष्म सिंचाई, ग्रामीण ऋण, तिलहन, दाल, पाम आयल तथा मक्का की एकीकृत स्कीम (आईसोपाम) तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यान्वित की जा रही है।

हाल ही में, सरकार ने दो योजनाएं प्रारंभ की हैं यथा (i) चावल, गेहूं तथा दालों के उत्पादन बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा (ii) कृषि क्षेत्र में और अधिक निवेश करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु इन योजनाओं पर विचार किया गया है। कृषि तथा गैर कृषि रोजगार सृजन के अलावा इन कार्यक्रमों से किसानों की आय बढ़ाने में भी सुधार होने की संभावना है।

[हिन्दी]

जल संचयन संबंधी कानून

*53. **श्री अनंत गुढ़े :**

श्री निखिल कुमार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिन-प्रतिदिन गिरते भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कोई कानून अधिनियमित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है तथा इस योजना के लिए किन स्रोतों से धन जुटाए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) जल संसाधन

मंत्रालय ने भूजल के विकास और प्रबंधन को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीएस) को माडल बिल परिचालित किया है। इस माडल बिल में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण का प्रावधान शामिल है।

(ख) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस संबंध में कानून अधिनियमित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जल संचयन से संबंधित स्कीमों के लिए निधि केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की स्कीमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

जल की कमी

***54. श्री अधीर चौधरी :**

श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 2025 तक जल की भारी कमी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में गत कुछ वर्षों की स्थिति की तुलना में ताजे जल की उपलब्धता की मात्रा में कमी आयी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा जल की कमी को पूरा करने तथा भविष्य में इसका उचित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) देश में समग्र रूप से 2025 तक जल की गंभीर कमी होने का अनुमान नहीं है।

(ग) जी, नहीं। भारत में स्वच्छ जल की औसत वार्षिक मात्रा स्थिर होने का अनुमान है और इसकी कमी की कोई प्रवृत्ति नहीं देखी गयी है। तथापि, जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रतिव्यक्ति जल उपलब्धता में गिरावट आ रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल की मांग बढ़ रही है। इसलिए राष्ट्रीय जलनीति में जल उपयोग में इष्टतम दक्षता तथा इसके संरक्षण के महत्व के संबंध में सार्वजनिक जागरूकता पर प्रकाश डाला गया है। राष्ट्रीय जल नीति में उल्लेख है कि (क) जल संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए, (ख) देश में उपलब्ध जल संसाधनों को यथासंभव सीमा तक उपयोज्य संसाधनों की श्रेणी के भीतर लाया जाना चाहिए, (ग) जल के सभी विभिन्न उपयोगों की दक्षता को इष्टतम किया जाना चाहिए और (घ) जल संसाधन क्षेत्र के प्रबंधन में प्रतिमान परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जल संसाधनों के विकास और उन्नत प्रबंधन संबंधी अनेक उपाय शुरू किए गए हैं जिसमें भंडारणों का सृजन, जल निकायों का पुनरुद्धार, वर्षा जल संचयन, भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण और बेहतर प्रबंधन प्रक्रियाओं को अपनाया जाना इत्यादि शामिल है। भारत सरकार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम, कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार संबंधी राष्ट्रीय परियोजना इत्यादि जैसी विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध करा रही है। भारत सरकार ने जल संसाधन विकास (एनपीपी) के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें परस्पर जुड़ी नहर प्रणालियों सहित विभिन्न नदी प्रणालियों पर भंडारणों के निर्माण की योजना है।

कालीन और कांच उद्योग में बाल श्रम

***55. श्री मदनलाल शर्मा :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभी भी कालीन तथा कांच उद्योग में बड़ी संख्या में बाल मजदूर कार्यरत हैं जिससे इस संबंध में बनाए गए नियमों और कानूनों का उल्लंघन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में बाल श्रम के पूर्ण उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें कितनी सफलता मिली है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, 5-14 वर्ष की आयु वर्ग में 32647 बच्चे कालीन उद्योग में और 5,758 बच्चे कांच उद्योग में कार्य कर रहे हैं। बाल श्रम एक जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्या है, जिसके लिए लम्बी अवधि तक सतत प्रयास किए जाने की जरूरत है। समस्या के स्वरूप और आकार को ध्यान में रखते हुए, सरकार जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों को सर्वप्रथम दायरे में लेते हुए एक क्रमिक और आनुक्रमिक दृष्टिकोण का अनुसरण कर रही है। ऐसे 15 व्यवसाय और 57 प्रक्रियाएं हैं जहां बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है, इनमें कालीन बुनाई और चूड़ियों आदि सहित कांच तथा कांच के बर्तन का विनिर्माण भी शामिल है।

(ग) सरकार देश के 250 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) स्कीम चला रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, जोखिमकारी कार्य से हटाए गए बच्चों को विशेष स्कूलों में रखा जाता है, जहां उन्हें त्वरित ब्रिजिंग शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, वजीफा और स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं आदि मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा, सरकार देश के 21 जिलों में इन्डो-यू एस बाल श्रम परियोजना (इन्डस) भी चला रही है। राष्ट्रीय बल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत 4.57 लाख बच्चों और इन्डस परियोजना के अंतर्गत 27,533 बच्चों को अब तक औपचारिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से मुख्य धारा में लाया जा चुका है।

[हिन्दी]

घटिया गेहूं

***56. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :**

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत वितरण हेतु हाल ही में आयातित लाल गेहूं को राज्यों ने घटिया होने के कारण अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की राज्य-वार क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आयात से पूर्व गेहूं के नमूनों की विभिन्न प्रयोगशालाओं में जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या कुछ राज्यों ने पीडीएस के अंतर्गत वितरण हेतु घरेलू गेहूं की आपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आबंटित आयातित लाल गेहूं को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों द्वारा तरजीह नहीं दी जा रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों से आयातित लाल गेहूं की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं।

शिकायतें प्राप्त होने पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र क्षेत्रों से अक्तूबर, 2007 के दूसरे पखवाड़े के दौरान आयातित लाल गेहूं के नमूने संयुक्त रूप से लिए और गुणवत्ता के लिए इनका विश्लेषण करवाया। इस विश्लेषण में सभी नमूनों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 के अधीन विहित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाया गया है। स्वदेशी गेहूं के गुणवत्ता पैरामीटरों के साथ विश्लेषणों के परिणामों की तुलना करने से यह भी पता चला है कि आयातित लाल गेहूं की गुणवत्ता स्वदेशी गेहूं के साथ तुलनीय है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय पत्तनों पर पोत से आयातित गेहूं को उतारने की अनुमति देने से पहले गेहूं की गुणवत्ता की जांच खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारियों तथा पादप संगरोध प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। आयातित गेहूं को पोत से उतारने की अनुमति तभी दी जाती है जब यह विहित सभी विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाया जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक आमद हुए आयातित गेहूं के पोतों में से प्रत्येक का गेहूं अपेक्षित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाया गया है।

(ङ) और (च) केरल और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने घरेलू गेहूं के साथ-साथ ही आयातित लाल गेहूं का आबंटन करने का अनुरोध किया है। उनके अनुरोध के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्धता पर निर्भर करते हुए 50:50 के अनुपात में आयातित और घरेलू गेहूं जारी किया गया है। हाल में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों ने भी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केवल स्वदेशी गेहूं अथवा आयातित श्वेत गेहूं का ही आबंटन करने का अनुरोध किया है। तथापि, केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्वदेशी गेहूं की सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए राज्यों को केवल स्वदेशी गेहूं का आबंटन करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

जैव कृषि अपनाना

***57. श्री एस.के. खारवेन्धन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनेक किसान धीरे-धीरे रासायनिक कृषि के स्थान पर जैव कृषि अपना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में जैव कृषि के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है तथा इसके परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने जैव कृषि को बढ़ावा देने तथा इसके लिए किसानों को आसान वित्तीय सहायता/ऋण उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) देश में कुछ किसान जैविक खेती की शुरूआत कर रहे हैं।

(ख) हालांकि सरकार द्वारा जैव कृषि संबंधी कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया है तथापि, एकत्रित की गई सूचना के अनुसार, देश में जैव कृषि के अधीन प्रमाणित क्षेत्र 3.12 लाख हैक्टेयर तक पहुंच गया है।

(ग) और (घ) सरकार देश में जैव कृषि के उत्पादन, संवर्धन, प्रमाणीकरण और मण्डी विकास के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम, राष्ट्रीय जैव कृषि परियोजना (एन पी ओ एफ) कार्यान्वित कर रही है जिसमें सेवा प्रदाताओं, फलों/सब्जियों के अपशिष्ट कम्पोस्ट की जैव-उर्वरकों और वर्मीकल्चर हैचरियों की जैव आदान उत्पादन यूनिटों की स्थापना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जैव कृषि का संवर्धन, फील्ड प्रदर्शन, माडल जैव फार्म की स्थापना तथा मण्डी विकास के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।

सरकार वर्ष 2005-06 से देश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत जैव कृषि को भी एक घटक के रूप में शामिल किया गया है और बागवानी फसलों की जैव खेती, वर्मीकम्पोस्ट यूनिटों की स्थापना करने तथा जैव कृषि प्रमाणीकरण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जैव उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं और राष्ट्रीय जैव उत्पादन कार्यक्रम (एन पी ओ पी) का कार्यान्वयन कर रहे हैं। इस स्कीम के अधीन मण्डी विकास, अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन सहायता के लिए इसके पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

सिले-सिलाए वस्त्र उद्योग में कर्मचारियों की स्थिति

***58. श्री सुरेश अंगडि** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के, विशेषकर कर्नाटक के सिले-सिलाए वस्त्र (गारमेंट) उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की दयनीय कार्य-दशा और कम मजदूरी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में सिले-सिलाए वस्त्र उद्योग क्षेत्र के कर्मचारियों की कार्य-दशा तथा मजदूरी में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) और (ख) देश के परिधान उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों की दयनीय कार्य-दशा की कोई विशिष्ट सूचना नहीं मिली है। तथापि, केन्द्र सरकार को कर्नाटक स्थित कुछ परिधान विनिर्मात्री इकाइयों द्वारा श्रम संबंधी नियमों और मानदंडों का अनुपालन न किए जाने के बारे में कुछ जगहों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन रिपोर्टों की जांच कर्नाटक राज्य सरकार में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा की गई थी, जिन्होंने सूचना दी है कि संबंधित अपैरल विनिर्मात्री इकाइयों द्वारा श्रम कानूनों और मानदंडों का कोई उल्लघंन नहीं किया गया है।

(ग) परिधान उद्योग में कार्यरत कामगारों की दशा में सुधार लाने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 बनाया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने वर्ष 1978 के दौरान परिधान उद्योग में कार्यरत कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है और उसमें समय-समय पर संशोधन भी किया है। पिछला संशोधन 3.11.2001 को किया गया था। उसके अनुसार अत्यधिक कुशल कर्मचारियों को 101 रुपए प्रतिदिन, अर्द्धकुशल कर्मचारियों के लिए 98 रुपए प्रतिदिन और अकुशल कर्मचारियों के लिए 93 रुपए प्रतिदिन भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्ती महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाता है।

बागवानी में घाटा

***59. श्री पी.सी. गद्दीगउडर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषतः कर्नाटक में बागवानी किसानों को उनके उत्पादन में घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बागवानी कृषि को लाभकारी उद्यम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) बागवानी फसलों के उत्पादन में हुई वृद्धि के साथ फलों, सब्जियों, मसाले तथा चटनी, अचार आदि के मूल्यों में जोड़ी गई हाल ही के वर्षों में हुई सामान्य वृद्धि दर्शाती है कि देश में बागवानी किसानों को उनके उत्पादन में कोई घाटा नहीं है। तथापि, कभी-कभी प्राकृतिक आपदाओं तथा कीटों एवं बीमारियों के फैलने जैसे विभिन्न कारणों के कारण कुछ नुकसान होते हैं।

(ग) बागवानी उत्पादन को एक लाभदायक उपक्रम बनाने के उद्देश्य से सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उत्तर पूर्व तथा हिमालय में बागवानी के एकीकृत विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन तथा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत टपकाव तथा छिड़काव सिंचाई अपनाने के लिए किसानों को सहायता प्रदान कर रही है। इसके अलावा सरकार उन फसलों, जोकि न्यूनतम समर्थन मूल्यों के अन्तर्गत कवर नहीं होती है, के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने हेतु मूल्य समर्थन कार्यक्रम निर्धारित करती है।

चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य

***60. श्री एल. राजगोपाल :**

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 1000 रुपये किए जाने हेतु जनप्रतिनिधियों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। ऐसे अनुरोध प्राप्त हुये हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2007–08 के लिए 17 मई, 2007 को धान (सामान्य) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 645 रुपये प्रति क्विंटल तथा धान (ग्रेड–ए) के लिए 675 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। धान के प्रापण को बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने 9 अक्तूबर, 2007 को धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 50 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय भी लिया। इसके अलावा, 15 नवम्बर, 2007 को 50 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस स्वीकृत किया गया।

कामकाजी महिलाओं हेतु होस्टल

***111. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कामकाजी महिलाओं हेतु होस्टल योजना" के लिए स्वीकृत धनराशि का गत तीन वर्षों के दौरान उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उक्त योजना का पुनरुद्धार करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख)

वर्ष	बजट प्राक्कलन (रुपये करोड़ों में)	वास्तविक व्यय (रुपये करोड़ों में)
2004–05	10.00	4.82
2005–06	6.00	2.24
2006–07	5.00	4.40

स्कीम के मानकों एवं आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण बजट प्राक्कलनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका।

(ग) और (घ) दिवस देखभाल केन्द्रों सहित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवनों के निर्माण/विस्तार हेतु सहायता स्कीम में सुधार करने के लिए सुझाव देने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने इस स्कीम में सुधार करने के अपने सुझाव प्रस्तुत कर दिए हैं। इन सुझावों के प्रमुख बिंदु संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

संशोधन, जिनसे सुधार समिति सहमत है

1. **होस्टल में कौन-कौन रह सकता है?**

- पर्याप्त संख्या में कामकाजी महिलाएं उपलब्ध न होने की दशा में छात्राओं को होस्टल में रहने की अनुमति दी जा सकती है। छात्राओं के लिए उपयुक्त लाइसेंस शुल्क संरचना निर्धारित की जानी चाहिए।
- बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु तक तथा बालकों को 10 वर्ष की आयु तक अपनी मां के साथ होस्टल में रहने की अनुमति दी जा सकती है।

2. **आय सीमा तथा होस्टल में रहने की अवधि**

- आय की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। विभिन्न आय वर्गों की महिलाओं के लिए विभिन्न श्रेणियों के कमरे निर्धारित किए जा सकते हैं। होस्टल में रहने वाली महिलाओं को प्रदान किए गए फ्लोर एरिया के अनुसार उनसे लाइसेंस शुल्क/किराया लिया जा सकता है।
- होस्टल में अधिकतम पांच वर्ष तक रहने की अनुमेय सीमा बनाए रखी जाए।

3. होस्टल भवन के निर्माण हेतु अनुदान के लिए आवेदन करने के पात्र संगठन

- अस्पतालों को भी पात्र माना जाए।
- पंचायतों एवं कन्टोनमेंट बोर्डों जैसे स्थानीय निकायों का पात्र निकायों के रूप में विशेष रूप से उल्लेख किया जाए।

4. वित्तीय सहायता पद्धति

- इस विषय में निर्णय लें कि क्या होस्टल भवन के निर्माण हेतु शत–प्रतिशत सहायता (मौजूदा 75 प्रतिशत से बढ़ाकर) तथा भूमि की लागत हेतु शत–प्रतिशत सहायता (मौजूदा 50% से बढ़ाकर) का प्रस्ताव किया जाए।
- होस्टल की शुरूआत के समय 5,000/रुपये प्रति महिला की दर से एक मुश्त अनुदान आरंभ किया जाए।
- यदि होस्टल 15 वर्ष से भी अधिक समय तक संतोषजनक ढंग से चलाया जा रहा हो तो उस होस्टल की मरम्मत के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये का अनुदान आरंभ किया जाए।
- किराए के भवनों में होस्टल चलाने का विकल्प शुरू किया जाना चाहिए तथा इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त सहायता मानक निर्धारित किए जाने चाहिए।
- होस्टल में आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए आवर्ती वार्षिक अनुरक्षण अनुदान का प्रावधान किया जाए तथा गैर–सरकारी संगठन/होस्टल पर नजर रखी जाए।

5. होस्टल की क्षमता

- होस्टल की क्षमता के लिए कोई अधिकतम सीमा न रखी जाए।

6. क्षेत्र एवं लागत संबंधी मानक

- इस स्कीम में प्रति महिला अधिकतम 180 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र का मानक शामिल किया जाए। किंतु निर्माण लागत के लिए कोई प्रति व्यक्ति सीमा निर्धारित न की जाए (निर्माण लागत की समीक्षा राज्य लोक निर्माण विभाग तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग करेंगे)।

7. होस्टल में सुविधाएं

- प्रत्येक तल पर वॉशिंग मशीन और आयरनिंग बोर्ड, स्नान गृह में गीज़र तथा कमरों में कूलर/हीटर को उपस्कर अनुदान हेतु पात्र मदों में शामिल किया जाए (फिलहाल इनमें से कोई भी पात्र मदों में शामिल नहीं है)।

8. मांग सर्वेक्षण

- संगठित क्षेत्र में महिला कर्मचारियों की संख्या तथा विभिन्न स्थानों पर होस्टल आवास की जरूरतमंद महिलाओं की संख्या के आधार पर राज्य सरकारें होस्टल की मांग का निर्धारण करेंगी।

9. मानीटरन व मूल्यांकन

- प्रमुख गैर–सरकारी संगठनों अथवा अन्य स्वतंत्र निकायों के माध्यम से वर्ष में दो बार निर्माणाधीन होस्टलों तथा कार्यशील होस्टलों का पूर्ण मानीटरन करने के लिए राज्य सरकारों को विशेष रूप से उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।
- पांच वर्ष में एक बार अखिल भारतीय मूल्यांकन का प्रावधान इस स्कीम में किया जाना चाहिए।

10. अन्य उपाय

- अनुदानों का दुरुपयोग किए जाने की स्थिति में दाण्डिक ब्याज वसूले जाने का प्रावधान
- होस्टल की भूमि एवं भवन सरकार को गिरवी रखे जाने का प्रावधान।

[हिन्दी]

बिहार में स्वजलधारा योजना का कार्यान्वयन

112. **श्री गिरिधारी यादव :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वजलधारा योजना के अंतर्गत बिहार से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) उक्त योजना को किन–किन स्थानों पर कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में उक्त योजना की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) स्वजलधारा योजना के अंतर्गत वर्ष 2002–03 में केन्द्र द्वारा परियोजनाएं आमंत्रित की गई थीं। तत्पश्चात्, सभी राज्यों को उस वर्ष के आबंटन के भीतर परियोजनाएं अनुमोदित करने तथा कार्यान्वित करने का अधिकार दिया गया था। जिलेवार ब्यौरा केन्द्र स्तर पर नहीं रखा जाता है। बिहार के जिन जिलों में स्वजलधारा परियोजना कार्यान्वित की जा रही हैं, वे हैं : पटना, सिवान, भागलपुर, वैशाली,

नालंदा, नवादा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगुसराय, पू. चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, लक्खीसराय, शेखपुरा, कटिहार तथा जमुई।

(ग) और (घ) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मासिक प्रगति रिपोर्टों, राज्यों के साथ तिमाही समीक्षा बैठकों तथा राज्य मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन के रूप में नियमित समीक्षा की जाती है।

हिमाचल प्रदेश में शहरी मलिन बस्तियों हेतु विदेशी सहायता

113. **प्रो. प्रेम कुमार धूमल :** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में शहरी मलिन बस्तियों में सुधार करने के लिए विदेशी सहायता से कितनी परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) उक्त परियोजनाएं कब से चल रही हैं;

(ग) क्या कुछ परियोजनाओं को अभी तक शुरू नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ङ) देश में, विशेषतः हिमाचल प्रदेश में, विदेशी सहायता से शहरी स्लमों में सुधार की कोई परियोजना नहीं चल रही है। तथापि तीन परियोजनाएं, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्य प्रत्येक में एक परियोजना डीएफआईडी (यूनाइटेड किंगडम) के सहयोग से चल रही हैं। इन परियोजनाओं में शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं और गरीबी उपशमन के लिए नगर प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने के प्रावधान हैं।

आवास निर्माण कंपनियां

114. **श्री सुभाष महरिया :** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई आवास निर्माण कंपनियां किसी नीति/विनिमय के अभाव के कारण मकान खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों को परेशान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आवास निर्माण कंपनियों के कार्यों को विनियमित करने के लिए नीति बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (ग) भूमि और आवास संबंधी मामले राज्य के विषय हैं और राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। आवास निर्माण कंपनियों के कार्यों को नियमित करना राज्य सरकारों का दायित्व है।

आंध्र प्रदेश को विश्व बैंक सहायता

115. **श्री एम. अंजनकुमार यादव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार को गत दो वर्षों के दौरान विश्व बैंक से कोई सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान उक्त वित्तीय सहायता से किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी हां। गत दो वर्षों के दौरान विश्व बैंक के साथ चार परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए गए ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

परियोजना का नाम	हस्ताक्षर करने/समापन की तारीख	राशि अमरीकी डालर में
तृतीय आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार ऋण (एपीईआरएल-III)	8.2.2007/30.06.2008	150 मिलियन (आईबीआरडी) 75 मिलियन (आईडीए)
आंध्र प्रदेश समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	8.6.2007/31.12.2012	94.5 मिलियन (आईबीआरडी) 94.5 मिलियन (आईडीए)
आंध्र प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति और सफाई के लिए पीएचआरडी अनुदान	8.2.2007	680.00
आंध्र प्रदेश में सरकारी वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए आईडीएफ अनुदान	5.9.2006/5.9.2009	430,000

(ग) विकास संबंधी कार्य परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुसार किए जाते हैं जिनको वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विश्व बैंक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है।

[अनुवाद]

समुदाय प्रशासित पेयजल

116. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को "गुजरात राज्य में पंचमहल और दाहोद के पिछड़े जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत समुदाय प्रशासित पेयजल आपूर्ति अवसंरचना" नामक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। "गुजरात राज्य में पंचमहल और दाहोद के पिछड़े जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत समुदाय प्रशासित पेयजल आपूर्ति अवसंरचना" शीर्षक से एक प्रस्ताव जापान के सहायता अनुदान कार्यक्रम के अंतर्गत बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु गुजरात सरकार से ग्रामीण विकास मंत्रालय में प्राप्त हुआ था।

इस प्रस्ताव पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विचार किया गया और चूंकि सहायता के लिए मांगी गई राशि बहुत कम थी अतः उक्त सहायता प्राप्त करने के लिए इसे उचित नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

ऋण की वसूली

117. **श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वितरित ऋणों की वसूली में कुछ व्यक्तियों/फर्मों को कुछ छूट दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में एक लाख रुपए से अधिक की छूट लेने वाले व्यक्तियों/फर्मों का बैंक-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) ऋण वसूली में छूट देने के संबंध में बैंक अपने निदेशक मंडल से अनुमोदित ऋण वसूली नीति के अनुसार अलग-अलग मामलों के आधार पर निर्णय लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की विद्यमान प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) से वांछित आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं।

कंपनियों पर बकाया कर

118. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक विदेशी कंपनियों पर कितना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर बकाया है;

(ख) ऐसी रेजिडेन्ट तथा नॉन-रेजिडेन्ट कंपनियों को जारी नोटिसों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितनी धनराशि वसूली गई;

(घ) उनसे कर संग्रहण में क्या मुश्किलें पेश आ रही हैं; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आवास क्षेत्रक हेतु विधेयक

119. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आवास क्षेत्रक को सरल और सुचारु बनाने एवं इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिए एक व्यापक विधेयक तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त विधेयक के प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस विधेयक के संसद में कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) जी नहीं। "आवास" विषय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है और इस विषय पर कोई भी कानून बनाना संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है।

तथापि, केन्द्र सरकार वर्ष 1986 से राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावरण नीति बना रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवास और संबंधित अवस्थापना विकसित करने और राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय

निकायों तथा संबंधित एजेंसियों के सहयोग से पर्याप्त रूप से किफायती आवास का प्रावधान करने की व्यवस्था है।

दिल्ली मेट्रो रेल की सुरंगों में विज्ञापन

120. **श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के पास सुरंगों में विज्ञापन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) लिमिटेड ने सूचित किया है कि उसने सुरंगों में विज्ञापन लगाने हेतु उपकरणों के स्थापना के लिए निजी कंपनियों से करार किया है। इनकी स्थापना विचाराधीन है और अभी तक इसे अमल में नहीं लाया गया है।

अग्नि बीमा

121. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने इमारतों के अग्नि बीमा हेतु मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए मानदंड पूर्व मानदंडों से भिन्न हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने सूचित किया है कि उसने 01 जनवरी, 2007 से अग्नि बीमा के संबंध में प्रशुल्क को समाप्त कर दिया है। परिणामस्वरूप, बीमाकर्ता बीमित संपत्ति की जोखिम अवधारणा के आधार पर दरें निश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, बीमा के इस वर्ग के लिए बीमा पालिसियों के निबंधनों एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा गरीबी उपशमन के उपाय

122. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक कम आय वाले देशों की सहायता करने के लिए संयुक्त रणनीति बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उपाय से भारत को गरीबी हटाने में कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक–आईएमएफ सहयोग को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंधन कार्य योजना (जेएमएपी) को 20–22 अक्टूबर, 2007 को आयोजित विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के पश्चात आरंभ किया गया था। जेएमएपी को दो संस्थाओं के स्टाफ के बीच समन्वय में सुधार लाने और संवाद को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है ताकि दोनों एक साथ मिलकर कारगार तरीके से कार्य कर सकें

(ग) भारत आईएमएफ से उधार नहीं लेता है। आईएमएफ की गरीबी उन्मूलन और विकास सुविधा (पीआरजीएफ) के अंतर्गत किसी प्रकार के ऋण या उधार के लिए आईएमएफ को प्रस्ताव देने की कोई मंशा नहीं है।

पूर्वी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और खेलगांव के बीच सुरंग

123. **श्री मिलिन्द देवरा : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग–24, खेलगांव और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को जोड़ने के लिए दिल्ली सरकार की सुरंग सड़क परियोजना में एक बार फिर से विलंब होने की संभावना है क्योंकि दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) ने इस संबंध में कुछ आपत्तियां उठाई हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली शहरी कला आयोग ने क्या आपत्तियां उठाई हैं;

(ग) इस सुरंग परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) विलम्ब के कारण इस परियोजना की लागत में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर कला आयोग की टिप्पणियां इस प्रकार हैं:–

(i) इस व्यवस्था से लोदी रोड का पूर्व पश्चिम संपर्क बन जाएगा जिसमें दक्षिण, पश्चिम व उत्तर से राष्ट्रीय राजमार्ग–24 की ओर जाने वाला समस्त यातायात लोदी रोड से होकर गुजरेगा जिसके परिणामस्वरुप लोदी रोड के सभी चौराहों पर भीड़भाड़ होगी और इन सभी मार्गों पर और अधिक फ्लाईओवरों की आवश्यकता होगी।

(ii) एनएच–24 की ओर जाने के लिए लोदी रोड से गुजरने के कारण रेस कोर्स/अशोक होटल आदि के आसपास भी यातायात बढ़ जाएगा।

(iii) हालांकि अन्य चौराहों पर फ्लाईओवर बनाने की संभावना है

(यद्यपि वांछित नहीं है) लेकिन हेरीटेज स्थल होने के कारण सफदरजंग मकबरे पर फ्लाईओवर बनाना संभव नहीं होगा।

(iv) इसके अलावा मेट्रो के प्रस्तावित भूमिगत कारीडोर के कारण इस स्थान पर अंडरपास बनाना भी संभव नहीं है। सफदरजंग मकबरे वाला चौराहा हमेशा के लिए मार्गावरोध ही रहेगा।

(v) एनएच–24 तथा रिंग रोड, प्रगति मैदान और रिंग रोड के साथ–साथ मथुरा रोड, प्रगति मैदान तथा सेन्ट्रल विस्टा सिस्टम और हैक्सागन के जंक्शनों का सुदृढ़ीकरण तथा इसे समग्र प्रस्ताव का भाग बनाना आवश्यक होगा। एनएच–24 तथा लोदी रोड को जोड़ने वाले किसी भी प्रस्ताव को शहर के संपूर्ण संदर्भ में और उसके संपूर्ण व व्यापक प्रभाव के साथ देखा जाना चाहिए।

(vi) इस प्रस्ताव के कारण लोदी रोड क्षेत्र का संपूर्ण पर्यावरण विघटित हो जाएगा।

(vii) प्रस्तावित सुरंग अत्याधिक लंबी होने के कारण काफी महंगी पड़ेगी और इससे सुरक्षा समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।

(ग) इन मसलों को देखते हुए सुरंग परियोजना पूरी करने के लिए समय–सीमा बताना संभव नहीं होगा।

(घ) एलाइनमेंट को अंतिम रूप दिए जाने तक लागत प्राक्कलन तैयार नहीं किए जाते हैं अतः विलंब के कारण होने वाली मूल्य वृद्धि का इस समय सही–सही मूल्यांकन भी कठिन होगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य दिवसों में वृद्धि

124. **श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार की अवधि को 100 दिनों से अधिक करने के संबंध में कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत परिवार के स्थान पर व्यक्तियों को प्रतिस्थापित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान सरकार ने राज्य में उदयपुर, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले रोजगार के दिनों की संख्या 100 दिनों से बढ़ाकर 200 दिन करने की मांग की थी। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि राज्य द्वारा इन जिलों के लिए प्रस्तुत रिपोर्टों से पता चला था कि इन जिलों में जिन परिवारों ने 2006–07 के दौरान रोजगार की मांग की थी, उन्होंने इस अधिनियम के अंतर्गत गारंटीयुक्त 100 दिनों के रोजगार के अपने विधिक अधिकार का पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। एनआरईजीए के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक परिवार को मांग पर अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराकर ग्रामीण परिवारों की जीविका सुरक्षा बढ़ाने की परिकल्पना है। इसलिए, एनआरईजीए के अंतर्गत बुनियादी इकाई परिवार है न कि व्यक्ति। तथापि, परिवार के सदस्य इस अधिनियम के अंतर्गत मांग पर प्रत्येक परिवार को 100 दिनों के गारंटीयुक्त रोजगार के अतिरिक्त, रोजगार के उपलब्ध अन्य अवसरों का उपयोग कर सकते हैं।

[अनुवाद]

आईएवाई के अंतर्गत गांवों में पौधरोपण

125. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत शामिल बस्तियों/गांवों में पेड़ लगाने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ निधियां कब तक मुहैया कराए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कम्पनियों द्वारा धर्मार्थ कार्य पर व्यय में वृद्धि

126. **श्री वी.के. ठुम्मर :**

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक कम्पनियों ने धर्मार्थ कार्यों पर व्यय में 100 प्रतिशत वृद्धि दिखाई है;

(ख) क्या ऐसे व्यय सरकार को धोखा देने और कर अपवंचन के उद्देश्य से किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) कोई कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुपालन में उन चैरिटेबल और अन्य निधियों को कोई राशि अंशदान कर सकती है जो उनके कार्य व्यापार या उनके कर्मचारियों के कल्याण से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं हैं। इस संबंध में कम्पनियों द्वारा किए गए व्यय से संबंधित विशिष्ट आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.आई.)

127. **श्री मोहन जेना :**

श्री चन्द्रभान सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजाना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य की तुलना में राज्य-वार कितना लक्ष्य हासिल किया गया;

(ख) क्या देश में अभी तक पहचान किए गए सभी अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण में आर.जी.जी.वी.वाई. की प्रगति संतोषजनक नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) कार्यवाहक एजेंसियों ने सूचना प्रदान की है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत इस योजना को अप्रैल, 2005 में आरंभ करने के बाद, 65,627 गांवों में (9 नवम्बर, 2007 की स्थितिनुसार) विद्युतीकरण कार्य कर लिए गए हैं। राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

कार्यान्ववक राज्यों ने आरजीजीवीवाई के तहत अब तक (9 नवम्बर, 2007 तक) 6155.91 करोड़ रु. प्राप्त किए हैं। वर्षवार और राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

आरजीजीवीवाई के तहत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में ग्राम विद्युतीकरण की उपलब्धियां वर्ष-वार संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

(ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) जो कि भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2005 में आरंभ किया गया एक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम है, अभी तक प्रत्याशित दिशाओं में प्रगति कर रहा है। पूर्व ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम जिसमें कि विद्युतीकरण की औसत दर 3000 गांव वार्षिक रही है, की तुलना में आरजीजीवीवाई के तहत वर्ष 2005-06 में 9819 गैर-विद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत किया गया था और वर्ष 2006-07 में 28,706 गैर विद्युतीकृत गांवों विद्युतीकृत किया गया था तथा इसके अतिरिक्त इन दो वर्षों में लगभग 12000 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। वर्ष 2007-08 में अभी तक 5162 गैर विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और 10063 विद्युतीकृत गांवों का सघन विद्युतीकरण किया गया है। इसके सिवाय, अप्रैल, 2005 में स्कीम चालू होने के बाद 15 लाख विद्युत कनेक्शन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को निःशुल्क प्रदान किए गए।

(ग) क्रियान्वयन के दौरान सम्मुख आए कुछेक मुद्दे निम्नवत् थे-

(i) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के मिलने में देरी।

(ii) टर्न-की ठेकों की जानकारी न होने के कारण राज्य विद्युत यूटिलिटियों और राज्य सरकार के विभागों द्वारा टेंडर जारी करने में विलंब।

(iii) वन संबंधी स्वीकृति में देरी।

(iv) 33/11 केवी उपकेंद्रों के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी।

(v) टर्न-की कार्य करने में सक्षम कंपनियों की सीमित संख्या।

(vi) ठेकेदार एजेंसियों द्वारा उद्धृत बहुत उच्च दरें।

(vii) सामग्री की कमी तथा बढ़े हुए मूल्य।

(viii) रोड परमिट एवं वे बिलों को जारी करने में देरी।

(ix) राज्य यूटिलिटिज द्वारा आरजीजीवीवाई के तहत् केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा सृजित भौतिक परिसंपत्तियों को लेने में देरी।

(x) संशोधित परिभाषा के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पंचायत प्रमाण पत्रों में देरी।

(xi) ग्रामीणें में नए कनैक्शन लेने हेतु जागरूकता की कमी।

(xii) कुछ राज्यों में अत्याधिक खराब अपस्ट्रीम ग्रामीण विद्युत अवसंरचना।

(xiii) कुछ राज्यों द्वारा अभी तक बीपीएल सूची तैयार नहीं किया जाना या तैयार करने में विलंब करना।

(xiv) कुछ राज्यों द्वारा सामग्री पर राज्य एवं स्थानीय करों में छूट देने से मना करना।

(घ) और (ङ) जी हां। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन द्वारा 570 जिलों के लिए 611 परियोजनाएं प्राप्त की गई हैं। प्राप्त की गई परियोजनाएं राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दी गई हैं। दसवीं योजना हेतु 5000 करोड़ रु. के अनुमोदित परिव्यय को पूंजीगत सब्सिडी मानते हुए स्कीम के चरण-I में क्रियान्वयन हेतु 235 परियोजनाएं सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् ग्यारहवीं योजना में शेष परियोजनाओं को शुरू किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

विवरण-I

गांवों की राज्य-वार वर्ष-वार संख्या, जहां कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आरजीजीवीवाई के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य किए जाने की सूचना

क्र.सं.	राज्य	2005-06 के दौरान			2006-07 के दौरान			2007-08 के दौरान (9.11.2007 के अनुसार)			संचयी (9.11.2007 के अनुसार)		
		विद्युतीकृत (संख्या)	अविद्युतीकृत (संख्या)	कुल	विद्युतीकृत (संख्या)	अविद्युतीकृत (संख्या)	कुल	विद्युतीकृत (संख्या)	अविद्युतीकृत (संख्या)	कुल	विद्युतीकृत (संख्या)	अविद्युतीकृत (संख्या)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	5614	0	5614	5,614	0	5,814
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
3	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
4	बिहार	0	1600	1600	0	8415	8415	0	1,542	1,542	0	11557	11,557
5	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	31	31	0	31	31
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
7	गुजरात	0	0	0	625	0	625	31	0	31	656	0	656
8	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
10	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
11	कर्नाटक	350	47	397	8000	0	8000	4,087	0	4087	12437	47	12,484
12	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	50	15	65	50	15	65
14	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	266	29	295	266	29	295
15	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
20	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
21	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	–
22	राजस्थान	0	230	230	570	765	1335	0	366	366	570	1361	1,931
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	0	7503	7503	0	16620	16620	0	2,152	2152	0	26275	26,275
27	उत्तरांचल	0	87	87	2332	798	3130	0	219	219	2332	1104	3287
28	पश्चिम बंगाल	0	352	352	0	2108	2108	0	808	808	0	3268	3,268
29	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल जोड़	350	9819	10169	11527	28706	40233	10063	5,162	15225	21,940	43,687	65627

विवरण-II

12.11.2007 के अनुसार आरजीजीवीवाई के अंतर्गत राज्यवार तथा वर्ष–वार वितरित राशि

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	आरजीजीवीवाई के अंतर्गत संवितरित राशि				कुल
		2004–05 के दौरान	2005–06 के दौरान	2006–07 के दौरान	2007–08 के दौरान (12.11.2007 तक)	
1	आन्ध्र प्रदेश			94.35	191.36	285.71
2	असम			39.22		39.22
3	बिहार	200.24	181.74	470.14	398.97	1251.09
4	छत्तीसगढ़		*6.50	36.18	12.34	55.02
5	गुजरात			13.36	12.15	25.52
6	हरियाणा			12.33	12.34	24.67
7	हिमाचल प्रदेश			7.48		7.48
8	झारखंड		*3.50	285.24	136.47	425.21
9	जम्मू और कश्मीर			19.59		19.59
10	कर्नाटक		72.69	87.36	92.58	252.53
11	केरल			5.13		5.13
12	मध्य प्रदेश			104.66	60.08	164.74
13	महाराष्ट्र			10.02		10.02
14	मणिपुर			13.53		13.53
	मेघालय				12.73	12.73
15	नागालैंड			4.23	0.26	4.49
16	उड़ीसा		*3.50	63.67	52.17	119.34
17	राजस्थान	9.33	47.20	87.19	86.56	230.28
18	उत्तर प्रदेश	639.96	172.64	1544.41	95.02	2452.03
19	उत्तराखंड		59.44	278.28	17.89	355.61
20	पश्चिम बंगाल	114.49	0.93	204.76	26.33	346.51
	कुल	964.02	548.04	3381.13	1207.25	#6155.90

*सीपीएसयू को अग्रिम अदायगी

बीपीएल घरों के विद्युतीकरण के लिए जारी 58.46 करोड़ रुपए शामिल हैं।

वर्ष 2004–05 के दौरान वितरित राशि को आरजीजीवीवाई के मुकाबले समायोजित कर लिया गया है क्योंकि वर्ष 2004–05 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम को आरजीजीवीवाई के साथ मर्ज किया गया है।

विवरण-III

सरकार द्वारा वर्षवार निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संसूचित ग्राम विद्युतीकरण की उपलब्धि

क्र.सं.	वर्ष	लक्ष्य (गांवों की संख्या)	9.11.2007 के अनुसार उपलब्धि गांवों की संख्या जहां आरई कार्य किए गए		
			अविद्युतीकृत	विद्युतीकृत	कुल
1	2005–06	10000	9819	350	10169
2	2006–07	40000	28706	11527	40233
3	2007–08	40000	5162	10063	15225
	कुल योग	90000	43687	21940	65627

विवरण-IV

राज्यवार रूप से स्वीकृत, सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित तथा जांचाधीन आरजीजीवीवाई डीपीआर की संख्या

12.11.07 के अनुसार

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत एवं क्रियान्वयनाधीन (संख्या)	स्वीकृत किंतु अभी रुकी हुई हैं (संख्या)	सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित	जांचाधीन	कुल (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	17	–	5	4	26
2	अरुणाचल प्रदेश	2	–	14	0	16
3	असम	3	4	8	8	23
4	बिहार	26	3	9	6	44
5	छत्तीसगढ़	3	2	–	11	16
6	गुजरात	3	6	16	0	25
7	हरियाणा	4	2	12	0	18
8	हिमाचल प्रदेश	1	–	3	8	12
9	जम्मू व कश्मीर	3	1	6	4	14
10	झारखंड	13	–	5	4	22
11	कर्नाटक	17	9	–	1	27
12	केरल	1	6	7	0	14
13	मध्य प्रदेश	8	8	5	27	48
14	महाराष्ट्र	4	13	–	17	34

1	2	3	4	5	6	7
15	मणिपुर	2	1	1	0	4
16	मेघालय	2	1	–	4	7
17	मिजोरम	2	6	–	0	8
18	नागालैंड	2	1	2	6	11
19	उड़ीसा	4	2	3	22	31
20	पंजाब	–	1	16	0	17
21	राजस्थान	25	2	12	2	41
22	सिक्किम	2	2	–	0	4
23	तमिलनाडु	–	16	13	0	29
24	त्रिपुरा	1	–	1	2	4
25	उत्तर प्रदेश	64	–	2	5	71
26	उत्तरांचल	13	–	–	0	13
27	पश्चिम बंगाल	13	–	–	19	32
	कुल	235	86	140	150	611

स्रोत – आरईसी

राज्य विद्युत बोर्डों का घाटा

128. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में राज्य विद्युत बोर्ड वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे राज्य विद्युत बोर्डों को उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए 2007–08 के दौरान धनराशि आबंटित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ विदेशी वित्तीय संस्थानों ने भी वर्ष 2006–07 और 2007–08 के दौरान कुछ राज्य विद्युत बोर्डों को सहायता प्रदान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) राज्य विद्युत यूटिलिटियों, संबंधित राज्य बिजली नियामक आयोगों द्वारा विनियमित होती हैं। योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2001–02 के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों तथा विद्युत विभागों की कार्य प्रणालियों के आधार पर राज्य बिजली बोर्डों की वाणिज्यिक हानियां (सब्सिडी के बिना) वर्ष 2000–01 के दौरान रु. 25,259 से बढ़कर वर्ष 1992–93 में बढ़कर रु. 4560 करोड़ रुपए हो गई है। वर्ष 2001–02 के उपरांत पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी), जो कि राज्य विद्युत यूटिलिटियों को भी निधियां मुहैया करवाता है, ने इन यूटिलिटियों के वित्तीय कार्यनिष्पादन के परिणामों पर वार्षिक सम्मेलन करना प्रारंभ कर दिया है। पीएफसी की अध्ययन रिपोर्ट यह दर्शाती है कि विद्युत यूटिलिटीज की वाणिज्यिक हानियों के बढ़ते प्रचलन पर रोक लगी है। राज्य विद्युत यूटिलिटी की वाणिज्यिक हानियां (बिना सब्सिडी के) जो कि वर्ष 2004–05 के दौरान 19,107 करोड़ रुपऐ से बढ़कर वर्ष 2004–05 के दौरान रु. 23,880 करोड़ रुपए हो गई थी, वे वर्ष 2005–06 में घटकर रु. 19,546/– करोड़ रुपए हो गई है। पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा वर्ष 2005–06 के लिए समेकित की गई राज्य बिजली बोर्ड (एसईबी) विद्युत यूटिलिटियों के राज्यवार लाभ/हानियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2002–03 में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को राज्यों में उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली को मजबूती प्रदान करते हुए निवेश करने तथा तकनीकी हानियों में कमी लाने एवं आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एवं राज्य विद्युत यूटिलिटिज द्वारा नकद हानियों में कमी लाने के उद्देश्य में नकद

अनुदानों द्वारा प्रोत्साहित करने हेतु चालू 11वीं योजना के दौरान भी एपीडीआरपी को जारी रखने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

(ङ) और (च) वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 (सितम्बर, 2007 तक) के दौरान अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटीज को उपलब्ध करवाई गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

2005-06 के दौरान राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लाभ/हानि (सब्सिडी के बिना) को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	वर्ष 2005-06
1	2	3	4
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	बीएसईबी	(1,515)
	झारखंड	जेएसईबी	(507)
	उड़ीसा	सीईएससीओ	(84)
		ग्रिडको	26
		एनईएससीओ	(2)
		ओएचपीसी	(24)
		ओपीजीसीएल	148
		एसईएससीओ	(29)
		डब्ल्यूईएससीओ	(8)
		ओपीटीसीएल	(0)
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	(6)
	प. बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	23
		डब्ल्यूबीएसईबी	(257)
कुल पूर्वी क्षेत्र			(2,236)
पूर्वोत्तर क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल पीडी	(90)
	असम	एएसईबी	(111)
		एपीजीसीएल	(51)
		एईजीसीएल	(1)
		सीएईडीसीएल	(24)
		एलएईडीसीएल	(27)
		यूएईडीसीएल	(42)
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	(226)

1	2	3	4
	मेघालय	मेघालय एसईबी	(52)
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	(33)
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	(98)
	त्रिपुरा	त्रिपुरा पीडी	(8)
कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र			(764)
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	89
		बीएसईएस यमुना	46
		दिल्ली ट्रांसको	94
		इन्द्रप्रस्थ	(49)
		एनडीपीएल	113
		प्रगति	48
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	(466)
		एचपीजीसीएल	9
		एचवीपीएनएल	(110)
		यूएचबीवीएनएल	(1,121)
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	(56)
	जम्मू और कश्मीर	जेएण्डके पीडीएल	26
		जेएण्डके पीडीडी	(1,375)
	पंजाब	पीएसईबी	(1,402)
	राजस्थान	एवीवीएनएल	(618)
		जेडीवीवीएनएल	(671)
		जेवीवीएनएल	(340)
		आरआरवीपीएनएल	(3)
		आरआरवीयूएनएल	(19)
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	(840)
		एमवीवीएन	(671)
		पश्चिम वीवीएन	(599)
		पूर्व वीवीएन	(1,357)
		यूपीजेवीएनएल	(42)

1	2	3	4
		यूपीपीसीएल	(149)
		यूपीआरवीयूएनएल	(293)
	उत्तरांचल	यूजेवीएनएल	(2)
		यूटी पीसीएल	(215)
		यूटी ट्रांसको	(20)
कुल उत्तरी क्षेत्र			(9,993)
दक्षिणी	आन्ध्र प्रदेश	एपी जेनको	63
		एपी ट्रांसको	138
		एपीसीपीडीसीएल	(235)
		एपीईपीडीसीएल	(12)
		एपीएनपीडीसीएल	(634)
		एपीएसपीडीसीएल	(561)
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	51
		जेईएससीओएम	(387)
		एचईएससीओएम	(637)
		केपीसीएल	252
		केपीटीसीएल	(264)
		एमईएससीओएम	11
		वीवीएनएल	7
		सीएचईएससीओएम	(174)
	केरल	केएसईबी	(43)
	पांडिचेरी	पांडिचेरी पीसीएल	9
		पांडिचेरी पीडी	30
	तमिलनाडु	टीएनईबी	(2,535)
कुल दक्षिणी क्षेत्र			(4,921)
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसईबी	414
	गोवा	गोवा पीडी	144
	गुजरात	जीईबी	
		जीएसईसीएल	70

1	2	3	4
		डीजीवीसीएल	(64)
		एमजीवीसीएल	(84)
		पीजीवीसीएल	(401)
		यूजीवीसीएल	(575)
	मध्य प्रदेश	एमपीएसईबी	84
		एमपीपीजीसीएल	5
		एमपीपीटीसीएल	(5)
		एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	(395)
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	(321)
		एमपी पूर्वी क्षेत्र वीवीसीएल	(319)
	महाराष्ट्र	एमएसईबी	(291)
		एमएसईडीसीएल	(304)
		एमएसपीजीसीएल	113
		एमएसपीटीसीएल	311
कुल पश्चिम क्षेत्र			(1,632)
सकल योग			(19,546)

स्रोत : पावर फाइनेंस कारपोरेशन (वर्ष 2003-04 से 2005-06 के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन पर रिपोर्ट) कोष्ठक आंकड़े हानि को दर्शाते हुए।

संक्षेपाक्षरों की सूची

एईजीसीएल = असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कारपोरेशन लि.

एपीसीपीडीसीएल = आन्ध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.

एपीईपीडीसीएल = आन्ध्र प्रदेश इस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.

एपीजीसीएल = असम पावर जेनेरेशन कारपोरेशन लि.

एपीएनपीडीसीएल = आन्ध्र प्रदेश नार्थर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.

एपीएसपीडीसीएल = आन्ध्र प्रदेश साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.

एपीट्रांस्को = आन्ध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.

एवीवीएनएल = अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.

एएसईबी = असम स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड

एपीजेनको = आन्ध्र प्रदेश जेनरेशन कारपोरेशन लि.

बेसकॉम = बैंगलोर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.

बीएसईबी = बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

सेस्को = सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लि.

चेस्काम = चामुंडेश्वरी इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन लि.

सीपीएसयू = सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग

सीएसईबी	=	छत्तीसगढ़ स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
सीएईडीसीएल	=	सेन्ट्रल असम इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.
डीजीवीसीएल	=	दक्षिण गुजरात विज. कंपनी लि.
डीएचबीवीएनएल	=	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि.
डीवीवीएनएल	=	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.
ईडी/पीडी	=	इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट/पावर डिपार्टमेंट
जीएसईएल	=	गुजरात स्टेट इलैक्ट्रिसिटी कारपोरेशन लि.
जेस्काम	=	गुलबर्ग इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.
ग्रिडको	=	ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि.
जीईबी	=	गुजरात इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
गेटको	=	गुजरात इलैक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.
एचपीजीसीएल	=	हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.
हेस्काम	=	हुबली इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.
एचपीएसईबी	=	हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
एचवीपीएनएल	=	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि.
आईपीसीएल	=	इंद्रप्रस्थ पावर कारपोरेशन लि.
जेडीवीवीएनएल	=	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.
जेएसईबी	=	झारखंड स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
जेवीवीएनएल	=	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
जे एंड के पीडीडी	=	जम्मू एवं कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट
जे एंड के पीडीसीएल	=	जम्मू एवं कश्मीर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.
केपीसीएल	=	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.
केपीटीसीएल	=	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि.
केएसईबी	=	केरल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
एलएईडीसीएल	=	लोअर असम इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रब्यूशन कंपनी लि.
मेस्काम	=	मेंगलोर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.
एमजीवीसीएल	=	मध्य गुजरात विज. कंपनी लि.
एमपीएसईबी	=	मध्य प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
एमपीपीजीसीएल	=	मध्य प्रदेश पावर जेनरेशन कं. लि.
एमपीपीटीसीएल	=	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कं. लि.
एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	=	एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि
एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	=	एमपी पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि.
एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	=	एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि.
एमएसईबी	=	महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
एमएसईडीसीएल	=	महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि.
एमएसपीजीसीएल	=	महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कं. लि.
एमएसपीटीसीएल	=	महाराष्ट्र स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं. लि.
एमईएसईबी	=	मेघालय स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
एमवीवीएनएल	=	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि.

एनएलपीएल	=	नार्थ दिल्ली पावर लि.
नेस्को	=	नार्थर्न इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लि.
ओएचपीसी	=	उड़ीसा हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि.
ओपीजीसीएल	=	उड़ीसा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.
ओपीटीसीएल	=	उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.
पीजीवीसीएल	=	पश्चिम गुजरात विज. कं. लि.
पीपीसीएल	=	प्रगति पावर कारपोरेशन लि.
पीएसईबी	=	पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
पूर्व वीवीएनएल	=	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि.
पश्चिम वीवीएनएल	=	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.
आरआरवीयूएनएल	=	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.
आरआरवीपीएनएल	=	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.
सेस्को	=	साउथर्न इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लि.
टीएनईबी	=	तमिलनाडु इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
यूएईडीसीएल	=	अपर असम इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि.
यूजीवीसीएल	=	उत्तर गुजरात विज. कं. लि.
एचएचबीवीएनएल	=	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि.
यूजेवीएनएल	=	उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि.
यूपीआरवीयूएनएल	=	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.
यूपीजेवीएनएल	=	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि.
यूपीसीएल	=	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि.
यूपी	=	उत्तर प्रदेश
उत्त. पीसीएल	=	उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि.
उत्त. ट्रांसको	=	उत्तरांचल ट्रांसमिशन कं. लि.
वीवीएनएल	=	विश्वेश्वरैया विद्युत निगम लि.
डब्ल्यूबीपीडीसीएल	=	वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.
डब्ल्यूबीएसईबी	=	वेस्ट बंगाल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
वेस्को	=	वेस्टर्न इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लि.

विवरण-II

2006-07 और 2007-08 (सितंबर, 2007 तक) के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा विभिन्न राज्यों के रा.वि. बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों को दी गई सहायता के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	रा.वि.बो./पावर यूटिलिटीज	एजेंसी का नाम	परियोजना का नाम	विदेशी वित्तीय सहायता 2006-07	2007-08 (30.9.2007 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	जैपनीज बैंक फॉर इंटरनेशरल कोओपरेशन	सिम्हाद्री एवं विजाग ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट	4.96	0
2.	असम	एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	असम पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट	75.56	93.51

1	2	3	4	5	6
3.	गुजरात	एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	गुजरात पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट	17.46	0
4.	मध्य प्रदेश	एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	मध्य प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट	151.41	27.01
5.	मेघालय	जैपनीज बैंक फॉर इंटरनेशनल कोओपरेशन	उमियम चरण-II का आर एंड एम	2.13	2.28
6.	राजस्थान	विश्व बैंक	राजस्थान पावर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट	121.80	0
7.	पश्चिम बंगाल	जैपनीज बैंक फॉर इंटरनेशनल कोओपरेशन	पुरूलिया पम्पड स्टोरेज प्रोजेक्ट (II) और (III), प. बंगाल पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, बक्रेश्वर थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 4 व 5	730.42	183.95

एल.आई.सी. एजेंट हेतु कल्याण उपाय

129. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 लाख से अधिक स्व-नियोजित एलआईसी एजेंटों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या एलआईसी एजेंटों हेतु पेंशन और कल्याण निधि प्रारम्भ करने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ग) क्या सरकार एलआईसी एजेंटों को सीपीएफ सुविधा के अंतर्गत लाने हेतु एक विधेयक पारित करने पर विचार कर रही है जैसा कि वर्ष 1956 से 1958 के बीच उन्हें पीएफ की सुविधा दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि वह अपने एजेंटों को ग्रेडेड ग्रुप इंश्योरेंस कवरेज और क्लब सदस्य एजेंटों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी जैसी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।

(ख) एलआईसी ने सूचित किया है कि उनके एजेंटों को पेंशन देय नहीं है क्योंकि बीमा अधिनियम, 1938 या बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण विनियमों के अंतर्गत पेंशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, निगम के किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के लिए कल्याण निधि नहीं है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। एलआईसी ने सूचित किया है कि उनके एजेंटों को भविष्य निधि देय नहीं है क्योंकि एजेंट निगम के कर्मचारी नहीं हैं और भविष्य निधि अधिनियम, 1925 केवल वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है।

जाली नोट

130. श्री निखिल कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली नोटों के प्रचलन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था सीधे रूप से प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों द्वारा कितने जाली नोट जब्त किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में जाली नोटों के प्रचलन को रोकने हेतु उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा जाली नोटों के प्रचलन को रोकने हेतु क्या अद्यतन दृढ़ उपाय किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पता लगाए गए जाली भारतीय करेंसी नोट (एफआईसीएन), प्रचालन में नोटों की तुलना में बहुत कम हैं। 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार प्रचालन में 33,823 मिलियन करेंसी नोटों की तुलना में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पता लगाए गए जाली भारतीय करेंसी नोटों की संख्या केवल 1,04,743 थी।

(ग) से (ङ) देश में भारतीय करेंसी में जाली नोटों के प्रधालन को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं : जाली नोटों की तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता में वृद्धि करना, अखबारों और इलेक्ट्रोनिक मीडिया से सुरक्षात्मक पहलुओं संबंधी सूचना का प्रचार–प्रसार करना तथा बैंकों के सभी मुख्य कार्यालयों में जाली नोट संबंधी सतर्कता प्रकोष्ठ बनाना। जालसाजी को अत्यंत कठिन बनाने के लिए बैंक नोटों में अतिरिक्त सुरक्षात्मक पहलू समाहित किए हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने जाली करेंसी नोटों के मामलों की जांच पर निगरानी के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नोडल एजेंसी नामित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा जाली नोटों का पता लगाने के लिए तंत्र को सुदृढ़ किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए अद्यतन उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) देशभर में अधिक नगदी का संचालन करने वाली और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर नोट छंटाई मशीनों की स्थापना करने के लिए बैंक शाखाओं की पहचान करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है।

(ii) सार्वजनिक सूचना के लिए प्रचार–प्रसार करना।

(iii) बैंकों/अन्य एजेंसियों के लिए जाली नोटों का पता लगाने में प्रशिक्षण को तेज करना।

कंपनी विधि में परिवर्तन

131. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कॉरपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारपोरेट प्रशासन के लिए विभिन्न कार्यविधियों को सरल बनाने तथा लघु और मध्यम उद्यमों को सुदृढ़ करने के लिए कंपनी विधि में कोई परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लाये जाने की संभावना है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) से (ग) सरकार ने लघु और निजी कंपनियों सहित विभिन्न प्रकार की कंपनियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा कंपनियों के कॉरपोरेट प्रशासन के लिए एक कानूनी ढांचा जो जवाबदेही के साथ अधिक लोचशील तथा कार्य करने की स्वतंत्रता, संबंधित पणधारकों के हितों को संरक्षण तथा उचित लागत पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा, को तैयार करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 में व्यापक संशोधन का कार्य आरंभ किया गया। संशोधित कंपनी कानून से संबंधित प्रस्तावों सहित एक प्रारूप कंपनी विधेयक शीघ्र ही संसद में विचारार्थ लाए जाने का प्रस्ताव है।

विश्व बैंक के अध्यक्ष का भारत दौरा

132. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत के दौरे पर आए विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ कुछ मुद्दों/परियोजनाओं पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) चर्चाओं का क्या परिणमा निकला तथा ऐसी नई परियोजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है जिनका वित्तपोषण करने के लिए विश्व बैंक सहमत हुआ है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार ने 944 मिलियन डालर की कुल सहायता राशि के लिए विश्व बैंक के साथ दिनांक 2 नवम्बर, 2007 को तीन ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये तीन परियोजनाएं हैं:–

300 मिलियन डालर की आईबीआरडी सहायता के साथ ग्रामीण ऋण सहकारिता परियोजना का सुदृढ़ीकरण और 300 मिलियन डालर के बराबर आईडीए सहायता।

- 280 मिलियन डालर की आईबीआरडी सहायता वाली व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना, और
- कर्नाटक समुदाय टैंक प्रबंधन परियोजना के लिए 64 मिलियन डालर की राशि का अतिरिक्त वित्त-पोषण

विश्व बैंक के मानदंडों के अनुसार परियोजना करारों के हस्ताक्षरित होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के अंदर परियोजनाएं प्रभावी घोषित होंगी।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

133. **श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर छत्तीसगढ़ ने आश्रमों, बालक व बालिका छात्रावासों के निर्माण जनजातीय विद्यार्थियों की क्षमताओं के विकास हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देने तथा आवासीय विद्यालय खोलने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2007-08 के दौरान इन कार्यकलापों हेतु राज्य-वार कितनी निधियां उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को आश्रम विद्यालय, लड़के/लड़कियों के लिए छात्रावास के निर्माण तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, यह मंत्रालय संबंधित योजनाओं के अंतर्गत इन गतिविधियों के लिए राज्यों को अनुदान निर्मुक्त करता है। जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय के निर्माण, लड़के तथा लड़कियों के लिए छात्रावास तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान की निर्मुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ सहित राज्य सरकारों से प्रस्तावों का प्राप्त होना एक सतत् प्रक्रिया है। निःशुल्क भूमि की उपलब्धता, राज्य के बजट में राज्यों के सुमेलित (मैचिंग) अंश की उपलब्धता के विषय में पुष्टि, गत वर्षों में निर्मुक्त अनुदानों हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं गत वर्षों में स्वीकृत प्रस्तावों के संबंध में भौतिक प्रगति रिपोर्टों एवं निधियों की उपलब्धता सहित सभी संदर्भों में पूर्ण प्रस्ताव होने पर ही सहायता-अनुदान की राशि निर्मुक्त की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से चालू वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्रम सं.	योजना का नाम	प्रस्ताव का ब्यौरा
1.	जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय की स्थापना	पांच आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए 114.48 लाख रुपए की निर्मुक्ति हेतु प्रस्ताव
2.	लड़के/लड़कियों के लिए छात्रावास	10 छात्रावासों के निर्माण के लिए 164.64 लाख रुपए की निर्मुक्ति हेतु प्रस्ताव।
3.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	केन्द्रीय अंश के रूप में 216.11 लाख रुपए की निर्मुक्ति हेतु प्रस्ताव। चालू वर्ष में 130.24 लाख रुपए तदर्थ अनुदान के रूप में पहले ही निर्मुक्त किए जा चुके हैं और 81.88 लाख रुपए राज्य सरकार के पास आधिक्य अनुदान के रूप में रखे हुए हैं।

(ग) योजनाओं में निधियों के राज्यवार आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना से अतिरिक्त धनराशि का आबंटन

134. **श्री रामदास आठवले :**

श्री एल. राजगोपाल :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों हेतु इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां आबंटित करने हेतु विभिन्न राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (ग) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आईएवाई के अंतर्गत आबंटित 5 प्रतिशत निधियां बाढ़, आग, आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से पैदा हुई आकस्मिकताओं से निबटने के लिए अलग रखी जाती हैं। इस संबंध में संबंधित राज्य सरकार से आपदा का स्वरूप और अवधि, उन व्यक्तियों की सूची जिनके घर उस आपदा की वजह से नष्ट हो गए हैं और केन्द्रीय अंश की रिलीज के

पश्चात् अविलम्ब राज्य मैचिंग अंश रिलीज करने की राज्य सरकारकी प्रतिबद्धता जैसी अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों सहित अनुरोध प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2004-05 के दौरान, प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हुए मकानों के निर्माण के लिए बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरांचल को अतिरिक्त निधियां रिलीज की गई थीं। राज्यों के नाम और प्राकृतिक आपदाओं से नष्ट हुए मकानों के निर्माण के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान आबंटित/रिलीज की गई अतिरिक्त निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य-वार अतिरिक्त केन्द्रीय आबंटन/रिलीज को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	आन्ध्र प्रदेश	112.490	210.750	150.000
2	अरुणाचल प्रदेश	149.340		37.500
3	असम	412.500		18.750
4	बिहार	40375.000	18.750	18.750
5	छत्तीसगढ़	151.090	4.500	
6	गुजरात	225.540	168.750	
7	हरियाणा	18.750		
8	हिमाचल प्रदेश	4.125		
9	कर्नाटक			112.500
10	केरल	4.500		
11	मध्य प्रदेश	56.890	150.000	62.250
12	महाराष्ट्र			454.234
13	नागालैंड		18.670	
14	उड़ीसा	309.600		25.575
15	राजस्थान	18.750		225.000
16	तमिलनाडु	543.750		
17	उत्तर प्रदेश	216.465	56.250	55.313
18	उत्तरांचल	171.720		
	कुल	42770.510	627.670	1159.872

[अनुवाद]

नए कृषि खाते खोलना

135. **डा. एम. जगन्नाथ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोले गए नए कृषि खातों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किसानों को कृषि ऋणों के वितरण के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इनमें क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ग) क्या किसानों को दिए जाने वाले कृषि/फसल ऋणों पर ब्याज दरों को और अधिक कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) सरकार द्वारा दिनांक 18.06.2006 को घोषित किए गए कृषि ऋण पैकेज के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अगले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष 50 लाख नए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी। वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गए नए कृषक खातों की संख्या क्रमशः 45.50 लाख, 42.55 लाख और 44.52 लाख थी। ऐसे खाते खोलने के लिए राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान ऋण के प्रवाह के लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 104500 करोड़ रुपए, 141000 करोड़ रुपए और 175000 करोड़ रुपए था। वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान संवितरण क्रमशः 86981 करोड़ रुपए, 125309 करोड़ रुपए, 180485 करोड़ रुपए और 203296 करोड़ रुपए था। ऋणों के संवितरण का तीन वर्षों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि किसानों को वर्ष 2006-07 से मूल राशि पर 3 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ 7 प्रतिशत पर अल्पावधि ऋण प्राप्त हो। सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनकी अपनी अंतर्ग्रस्त निधियों पर 2 प्रतिशत की दर पर ब्याज सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार इस प्रयोजन के लिए नाबार्ड को ब्याज सहायता और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को रियायती पुनर्वित्त प्रदान कर रही है। इसके अलावा, इस ब्याज दर को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों के अंतर्गत राज्यवार बुनियादी स्तर के ऋण (जीएलसी) का संवितरण

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2003–2004	2004–2005	2005–2006
1	2	3	4	5
1	चंडीगढ़	37245	90803	162231
2	नई दिल्ली	242367	388227	1307623
3	हरियाणा	628620	864028	1084743
4	हिमाचल प्रदेश	38232	61581	95482
5	जम्मू व कश्मीर	6619	11184	90545
6	पंजाब	914790	1279416	1547980
7	राजस्थान	313996	517225	756234
	उत्तरी क्षेत्र	2181869	3212464	5044838
8	अरुणाचल प्रदेश	390	1257	1337
9	असम	19129	26724	66332
10	मणिपुर	580	1923	5766
11	मेघालय	5184	2474	5657
12	मिजोरम	544	2019	2432
13	नागालैंड	742	1978	2402
14	त्रिपुरा	3000	3817	8476
15	सिक्किम	425	541	1169
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	29994	40733	93571
16	बिहार	142172	181726	212458
17	झारखंड	21461	40739	50588
18	उड़ीसा	127778	198549	312919
19	पश्चिमी बंगाल	212944	302168	644134
20	अंडमान–निकोबार	385	587	1528
	पूर्वी क्षेत्र	504740	723769	1221627
21	मध्य प्रदेश	342935	529344	690396
22	छत्तीसगढ़	52377	78740	123321
23	उत्तर प्रदेश	810833	1042864	1405866
24	उत्तरांचल	42589	63232	93782
	मध्य क्षेत्र	1248734	1714180	2313365
25	दादरा नागर हवेली	0	76	158
26	दमन व दीव	0	5	40
27	गुजरात	479822	660930	1110647
28	गोवा	3938	8008	13134
29	महाराष्ट्र	528487	742083	1493814
	पश्चिमी क्षेत्र	1012247	1411102	2617793
30	आन्ध्र प्रदेश	1001424	1349050	2050124
31	कर्नाटक	532600	728127	1291353
32	केरल	377502	571229	1032413
33	लक्षद्वीप	78	62	115
34	पांडिचेरी	6970	12716	23521
35	तमिलनाडु	695166	1020670	1948810
	दक्षिणी क्षेत्र	2613740	3681854	6346336
	अन्य	1106755	1746835	411027
	कुल	8698079	12530937	18048557

[हिन्दी]

जीवन स्तर में सुधार के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग

136. प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोगों विशेषकर कमजोर वर्गों और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हेतु किसी तंत्र की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार के सामाजिक कार्यक्रमों

की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित निदर्शन परियोजनाओं की वित्त – व्यवस्था की जाती है जिनका लक्ष्य महिलाओं सहित समाज के कमजोर वर्गों तक प्रौद्योगिकी को पहुंचाना है। इन स्कीमों के उद्देश्यों में समयबद्ध परियोजनाओं को प्रायोजित करना शामिल है जो महिलाओं सहित कमजोर वर्गों के जीवन–स्तर में उनके द्वारा कठिन मेहनत मजदूरी में कमी, स्वास्थ्य और पर्यावरण में सुधार लाते हुए तथा आय सृजन हेतु अवसर मुहैया कराते हुए सुधार लाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को प्रदर्शित कर सकती हैं ताकि इससे समानता और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मदद मिले। ये परियोजनाएं गैर–सरकारी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों द्वारा प्रेरणा प्राप्त वैज्ञानिकों, तकनीकविदों और फील्ड स्तरीय कार्यकर्त्ताओं की सहयता से कार्यान्वित की जाती हैं।

नया आयकर कानून

137. **श्री सुभाष महरिया : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आयकर कानूनों संबंधी विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) संशोधित और सरलीकृत आयकर कानून का प्रारूप तैयार करने की कवायद चल रही है। जैसे ही यह कवायद पूरी हो जाएगी, नए आयकर कानून के लिए विधेयक संसद में पुरःस्थापित किया जाएगा।

[अनुवाद]

आयकर कानून से राज्य समुद्री बोर्ड को छूट

138. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य समुद्री बोर्ड को आयकर से छूट देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) राज्य समुद्री बोर्डों को आयकर से विशेष रूप से छूट देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, मुनाफा न कमाने के ध्येय से सामान्य सार्वजनिक उपयोग के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने वाली कोई संस्था जिसमें राज्य समुद्री बोर्ड शामिल हैं, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 और 12 के अंतर्गत छूट के पात्र हैं, बशर्ते कि उनमें विहित शर्तें पूरी होती हैं।

महिलाओं के लिए अल्पावधि आवास योजना

139. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान महिलाओं को अल्पावधि आवास प्रदान करने के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमत रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने सूचित किया है कि अल्पावास गृह प्रदान करने के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। बोर्ड द्वारा विगत पांच वर्षों में वित्त–पोषित अल्पावास गृहों की संख्या इस प्रकार है:

क्रम सं	वर्ष	अल्पावास गृहों की संख्या
1.	2002–03	354
2.	2003–04	341
3.	2004–05	342
4.	2005–06	339
5.	2006–07	352

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नई अफीम नीति

140. **श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई अफीम नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त नीति के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या उक्त नीति के कारण अफीम उत्पादक किसानों की संख्या घटी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) लाइसेंस प्रदान करने के लिए वार्षिक साधारण लाइसेंसिंग शर्तों को (जिन्हें साधारणतया अफीम नीति कहा जाता है) अधिसूचना सं सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 13.9.2007 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इसमें अफीम फसल वर्ष, जोकि 1 अक्टूबर, 2007 से प्रारंभ होता है और अधिसूचित किया गया है। इसमें अफीम फसल वर्ष, जोकि 1 अक्टूबर, 2007 से प्रारंभ होता है और 30 सितम्बर, 2008 को समाप्त होता है, के दौरान केन्द्रीय सरकार की ओर से अफीम पापी की खेती करने के लिए लाइसेंस जारी करने से संबंधित शर्तें विनिर्दिष्ट की गई हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त सामान्य शर्तों के विरोध में माननीय सांसदों, अन्य अति प्रमुख व्यक्तियों (वी आई पी) कृषकों और उनके प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों में न्यूनतम अर्हता उपज (माई क्यू वाई) को कम करने के लिए, उन किसानों को भी लाइसेंस प्रदान करने के लिए जिनकी अफीम को घटिया घोषित कर दिया गया है, ऐसे किसानों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए जो ऐसी जलमिश्रित अफीम उपलब्ध कराते हैं जिनकी सामन्जस्यता 55 डिग्री से कम होती है, ऐसे गांवों में लाइसेंस जारी करने के लिए जहां पात्र किसानों की संख्या 5 या इससे कम है और सभी किसानों के लिए 10 आरी के बजाय 20 आरी के लिए लाइसेंस जारी किये जाने के लिए अनुरोध जैसे मुद्दे शामिल हैं।

इस वर्ष से संबंधित नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। सामान्य शर्तों को सभी पहलुओं जैसे कि भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की मांग को पूरा करने के लिए कुल अफीम की आवश्यकता, गवर्नमेंट ओपियम एंड अल्कालायड वर्क्स (जी ओ ए डब्ल्यू एस) के पास उपलब्ध अफीम के कुल वर्तमान भण्डार पर विचार करने के पश्चात् तथा साथ ही साथ अफीम के उत्पादन का गैर कानूनी कार्यों के लिए प्रयोग न हो सके इस निमित्त नियंत्रण स्थापित करने पर ध्यान देते हुए, अंतिम रूप दिया जाता है। पिछले फसल वर्ष के आंकड़ों की समुचित जांच परख और विश्लेषण किये जाने के बाद ही ऐसी नीति को अंतिम रूप दिया जाता है। न्यूनतम अर्हता उपज को पहले ही पिछले वर्ष की नीति में पूर्वचेतावनी के रूप में दिए गए संकेत से भी कम निर्धारित किया गया है। जल के अपमिश्रण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सामान्जस्यता संबंधी उपवाक्य की जरूरत है और खेती को समेकित करने तथा नियंत्रण में सुधार लाने के लिए, ऐसे गांवों में लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता जहां पात्र किसानों की संख्या 5 से कम है। प्रति किसान क्षेत्र के बारे में निर्णय मांग और आपूर्ति की स्थिति पर विचार करने के पश्चात् ही लिया जाता है।

(च) और (छ) जी, हां। ऐसे किसानों को अफीम पापी की खेती के लिए लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है जिन्होंने फसल वर्ष 2007–08 के लिए लाइसेंस जारी करने संबंधी साधारण शर्तों (नीति) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा नहीं किया है। पिछले तीन फसल वर्षों के दौरान जिन किसानों को लाइसेंस जारी किया गया था उनकी संख्या इस प्रकार हैं:–

राज्य	2005–06	2006–07	2007–08
मध्य प्रदेश	36,352	34,151	28,283
राजस्थान	34,909	28,233	18,261
उत्तर प्रदेश	1,217	274	50
योग	72,478	62,658	46,594

राज्यों द्वारा ऋणों का उपयोग

141. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों द्वारा ऋणों के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

जब्त वस्तुएं

142. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान जब्त किए गए स्वर्ण, चांदी और अन्य विदेशी वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य कितना है;

(ख) प्रत्येक मामले में दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) इन मामलों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) जब्त की गई वस्तुओं का निपटान किस प्रकार किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली मेट्रो रेल कार्य में बाधा

143. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो के चालू, निर्माण के कुछ भागों पर विरासत स्थलों के अस्तित्व के परिणामस्वरूप संरक्षणविदों ने आपत्ति जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मुद्दों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने के और विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हड़तालें

144. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हुई हड़तालों की संख्या कितनी है;

(ख) इन हड़तालों का बैंकिंग क्षेत्र के व्यावसाय पर क्या प्रभाव पड़ा है और बैंकों को इनसे क्या नुकसान हुआ है; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी बैंकों के समान बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय बैंक संघ के अनुसार, नवम्बर, 2006 से अक्टूबर, 2007 तक की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी केवल एक बार हड़ताल पर गए थे।

(ख) बैंकिंग उद्योग में राष्ट्र-व्यापी हड़ताल के कारण बैंकों को हुई हानियों, यदि कोई हों, का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हड़ताल का बैंकों के साथ लेन-देन करने वाले व्यावसायिक समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऐसी किसी हड़ताल में समाशोधन गृहों का कार्यकरण तुरंत प्रभावित होता है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनके दैनिक कार्यकरण में पूर्ण प्रबंधकीय एवं परिचालनात्मक स्वायत्तता प्रदान की गई है, ताकि वे अच्छे गैर-सरकारी/विदेशी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।

आंगनवाड़ी केन्द्रों का स्थानांतरण

145. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंगनवाड़ी केन्द्रों को परिवर्तित जनसंख्या मानकों के अनुसार स्थानांतरित किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से परिवर्तित जनसंख्या मानकों के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या निर्णय लिया गया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) संशोधित जनसंख्या मानकों का विवरण इस प्रकार है:

आंगनवाड़ी केन्द्र

ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं हेतु

जनसंख्या

400-800 - 1 आंगनवाड़ी केन्द्र

800-1600 - 2 आंगनवाड़ी केन्द्र

1600-2400 - 3 आंगनवाड़ी केन्द्र

तत्पश्चात् 800 के गुणांक में - 1 आंगनवाड़ी केन्द्र

लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु

150-400 - 1 लघु आंगनवाड़ी केन्द्र

जनजातीय/तटीय/रेगिस्तानी, पर्वतीय तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों/परियोजनाओं हेतु

300–800 – 1 आंगनवाड़ी केन्द्र

लघु आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु

150–300 – 1 लघु आंगनवाड़ी केन्द्र

(ग) जी, हां।

(घ) कर्नाटक राज्य से 5786 आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा 2926 लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसे आई.सी.डी.एस. के विस्तार हेतु समग्र प्रस्ताव में शामिल किया गया है।

राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं की स्थिति

146. श्री मिलिन्द देवरा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की तैयारियों के पूरा होने की परियोजनावार समय–सीमा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं में देरी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या समन्वय समिति नियमित अंतरालों पर तैयारियों की निगरानी कर रही है और इस देरी से अवगत है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) राष्ट्रमण्डल खेलों हेतु खेल अवस्थापना कार्य पूरा करने के लिए परियोजनावार निर्धारित समय–सीमा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) राष्ट्रमण्डल खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक अवस्थापना समन्वय समिति नियमित रूप से कार्य की समीक्षा करती है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा सभी परियोजनाओं की वेब आधारित निगरानी प्रणाली बनाई गई है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि सभी परियोजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पूरा होने की आशा है।

विवरण

राष्ट्रमंडल खेल 2010 के प्रतियोगिता स्थलों से संबंधित परियोजनाओं के पूर्ण होने की तिथियां

क्र. सं.	परियोजना	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि
1	2	3
	क. दिल्ली विकास प्राधिकरण	
1.	खेल गांव	
	क) आवासीय	1.3.2010
	ख) अभ्यास स्थल	1.5.2010
	ग) अस्थायी आच्छादन	1.5.2010
2.	सिरी फोर्ट खेल परिसर (बैडमिंटन तथा स्कवैश)	31.12.2009
3.	यमुना खेल परिसर	
	क) टेबल टेनिस	31.12.2009
	ख) तीरंदाजी	15.12.2009
	ख. भारतीय खेल प्राधिकरण/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	
1.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम	
	क) मुख्य स्टेडियम	15.11.2009
	ख) वाडा प्रशासनिक खण्ड	21.9.2008

1	2	3
	ग) हॉस्टल	31.8.2009
	घ) भारोत्तोलन हॉल	15.11.2009
2.	मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम	30.9.2009
3.	इंदिरा गांधी स्टेडियम	
	क) कुश्ती हॉल	31.10.2009
	ख) जिमनास्टिक हॉल	31.10.2009
	ग) साइक्लिंग वेलोड्रॉम	30.10.2009
4.	डा. करनी सिंह शूटिंग रेंज	31.3.2009
5.	एसपीएम स्विमिंग पूल परिसर	31.10.2009
	ग. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	
1.	त्यागराज खेल परिसर	19.9.2008
	घ. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	
1.	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम	30.11.2009
	ङ. दिल्ली विश्वविद्यालय	
1.	मैन ग्राउंड रग्बी 2 एस	15.11.2009
	च. ऑल इंडिया टेनिस एशोसिएशन	
1.	आर के खन्ना टेनिस परिसर	31.12.2009

विद्युत परियोजनाओं के विस्थापितों का पुनर्वास

147. श्री उदय सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार देश की विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड ओ) को और अधिक सुचारु बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत परियोजनाओं के निकट बसे परिवारों को विद्युत उत्पादन के कारण उठने वाले धुंए की वजह से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) : (क) और (ख) भारत सरकार ने हाल ही में 31 अक्टूबर, 2007 को राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2007 अधिसूचित की है। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 के मुख्य लक्ष्य निम्नवत् हैं:–

(i) पर्याप्त पुनर्वास पैकेज तथा प्रभावित परिवारों की सक्रिय भागीदारी सहित पुनर्वास प्रक्रिया के तीव्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि समाज के कमजोर वर्गों विशेषतया अनुसूचित जाति तथा अनु. जन जाति के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु विशेष ध्यान रखा जाए और चिंता तथा संवेदनशीलता के साथ उनके उपचार हेतु राज्य पर दायित्व सौंपना।

(iii) अच्छा जीवन स्तर प्रदान करना। प्रभावित परिवारों को सतत् आय प्रदान करने के लिए सम्मिलित प्रयास करना।

(iv) विकास योजना तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया में पुनर्वास चिंताओं को शामिल करना।

(v) जहां विस्थापन भूमि अधिग्रहण के कारण है वहां आपसी सहयोग के माध्यम से अपेक्षित निकाय तथा प्रभावित परिवारों के बीच शांति प्रिय संबंध को सुगम बनाना।

(ग) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी लि.) ने सूचित किया है कि उनके विद्युत उत्पादन स्टेशनों से निकासी (धुंआ) के बाहर आने के कारण स्वास्थ्य समस्याओं की किसी भी घटना के बारे में एनटीपीसी स्टेशनों के निकट रहने वाले किसी भी परिवार द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त, ताप विद्युत उत्पादन स्टेशनों से निकासी स्तरों की निगरानी एवं देखरेख पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अनुसार संबंधित केंद्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर की जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

एनआरईजीएस का विस्तार

148. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के विस्तार के लिए बुनियादी कार्य को पूरा कर लिया गया है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) एनआरईजीएस के दायरे में कितने अतिरिक्त परिवारों के आने की संभावना है;

(ङ) क्या इस संबंध में राज्यों से कोई सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1.4.2008 से संघ राज्य क्षेत्रों सहित देश के सभी ग्रामीण जिलों में भी एनआरईजीएस का विस्तार किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ 28.9.2007 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। नए जिलों में आरंभिक व्यवस्थाओं जैसे आईईसी, सांविधिक दस्तावेजों की छपाई एवं प्रापण, अधिकारियों तथा गैर–अधिकारियों का प्रशिक्षण तथा संदर्श योजनाओं को तैयार करने के लिए राज्यों को निधियां रिलीज कर दी गई हैं।

(ग) एनआरईजीए एक मांग आधारित कार्यक्रम है न कि आबंटन आधारित। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निधियां प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष स्थापित किया गया है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 12,000 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया था। राज्यों द्वारा निधियों के प्रयोग तथा पिछले वर्ष में काम की मांग को आधार मानकर इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए बजट में प्रावधान किया जाता है।

(घ) एनआरईजीए एक मांग आधारित कार्यक्रम है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी ग्रामीण परिवार का वयस्क सदस्य रोजगार के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते यह एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को 100 दिनों के रोजगार की कुल सीमा के अध्यधीन हो। अतः इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(ङ) और (च) एनआरईजीए के अंतर्गत चुनिन्दा जिलों की कवरेज के लिए विभिन्न राज्यों से सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, सरकार ने एनआरईजीए का 1.4.2008 से संघ राज्यों सहित देश के शेष सभी जिलों में विस्तार करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

देश से निधियों का बहिर्गमन

149. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश से बाहर जाने वाली निधियों संबंधी आंकड़े तैयार किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत से निधियों के बहिर्वाह के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्रम सं.	वर्ष	चालू खाता बहिर्वाह	पूंजी खाता बहिर्वाह	कुल बहिर्वाह
1	2004–05	157,209	70,517	227,726
2	2005–06*	206,632	118,353	324,985
3	2006–07#	255,862	182,457	438,319

* आंशिक रूप से संशोधित

प्रारंभिक

[अनुवाद]

एस.ई.जेड. में कार्मिकों की तैनाती

150. **श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एस.ई.जेड. में सीमाशुल्क के कार्मिकों की तैनाती के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एस.ई.जेड. में औसतन कितने सीमाशुल्क कार्मिकों की आवश्यकता है और वर्तमान में सीमाशुल्क विभाग के कितने कार्मिक तैनात हैं; और

(घ) इस मुद्दे का समय रहते समाधान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए सीमाशुल्क कर्मचारियों सहित कर्मचारियों की आवश्यकता से संबंधित मानदंडों को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए नोडल मंत्रालय है, द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। जब कभी भी नए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिसूचित किए जाते हैं, मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त पद स्वीकृत किए जाते हैं। हाल ही में, 63 नए एस.ई.जेड़ के लिए 662 पदों (सीमाशुल्क के 392 पदों सहित) को मंजूरी दी गई है।

(ग) स्वीकृत मानदंडों के अनुसार, प्रत्येक एकल उत्पाद एस.ई.जेड़ के लिए 6 सीमाशुल्क पद स्वीकृत किए गए हैं और प्रत्येक बहु-उत्पाद एस.ई.जेड़ के लिए 13 सीमाशुल्क पद स्वीकृत किए गए हैं। एस.ई.जेड़ में तैनात सीमाशुल्क कार्मिकों की वर्तमान संख्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं।

(घ) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गई आवश्यकता के अनुसार एस.ई.जेड़ के लिए सीमाशुल्क कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत धनराशि के उपयोग संबंधी अध्ययन

151. **प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
प्रो. एम. रामदास :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित करोड़ों रुपए गांवों में रहने वाले लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इन धनराशियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया है; और

(घ) राज्यों द्वारा धनराशि के पूर्ण उपयोग और इन्हें प्राथमिकता दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययनों से यह पता नहीं चलता कि ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित करोड़ों रुपए गांवों में लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाते हैं। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार ग्रामीण विकास के मुख्य कार्यक्रमों के संबंध में वर्ष 2006-07 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग का स्तर उपलब्ध निधियों का 80.78 प्रतिशत था।

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध निधियों तथा उपयोग का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति बैठकों, क्षेत्र अधिकारी योजना, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं, जिला स्तर निगरानी तथा राज्य/जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली बनाई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को पांच आयामी कार्यनीति अपनाने की भी सलाह दी गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं – (i) योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, (ii) पारदर्शिता, (iii) जनभागीदारी और (iv) जवाबदेही तथा लेखा परीक्षा और (v) सभी स्तरों पर कड़ी सतर्कता और निगरानी। ये उपाय ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों के अधिकतम उपयोग में सहायता देने के लिए हैं।

विवरण

2006-07 के दौरान उपलब्ध निधियों के संबंध में ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों की वित्तीय प्रगति

वर्ष : 2006-07

(लाख रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल उपलब्ध निधियां	निधियों का उपयोग
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	231174.39	173634.32
अरुणाचल प्रदेश	24473.25	13405.34

1	2	3
असम	237070.10	208263.93
बिहार	471281.70	295252.75
छत्तीसगढ़	183616.78	153944.16
गोवा	1133.00	927.00
गुजरात	75867.74	59662.03
हरियाणा	47693.85	35048.67
हिमाचल प्रदेश	41615.20	43045.12
जम्मू एवं कश्मीर	52179.40	26484.44
झारखंड	136645.95	102439.13
कर्नाटक	120839.36	104496.70
केरल	39271.18	31265.73
मध्य प्रदेश	404486.36	340445.63
महाराष्ट्र	183274.66	140298.18
मणिपुर	11179.59	8149.50
मेघालय	13267.63	10146.85
मिजोरम	11773.21	8170.11
नागालैंड	9198.96	8686.62
उड़ीसा	219909.66	182551.62
पंजाब	30036.21	24493.21
राजस्थान	299865.30	276250.14
सिक्किम	7506.50	6671.89
तमिलनाडु	100287.92	90120.63
त्रिपुरा	29897.63	20653.68
उत्तर प्रदेश	356911.22	321871.46
उत्तराखंड	33141.31	28059.70
प. बंगाल	169428.42	151069.63
अंडमान व निकोबार	3882.00	38.00
दादरा व नगर हवेली	65.00	41.00
दमन व दीव	131.00	4.00
दिल्ली	0.00	0.00
लक्षद्वीप	254.00	61.00
पुडुचेरी	689.00	419.00
कुल	3548047.48	2866071.17

उपर्युक्त विवरण संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यू एसपी), जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) प्रशासन, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) नामक बड़ी योजनाओं की प्रगति रिपोर्टों के आधार पर हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव

152. श्री संतोष गंगवार : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबों, मलिन बस्ती निवासियों के लिए आवासों सहित शहरी आवास के लिए केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश के किन-किन शहरों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) उत्तर प्रदेश के शहरों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है, जिनसे जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) संबंधी उपमिशन के तहत परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) केन्द्रीय स्तर पर मंजूरी समिति द्वारा बीएसयूपी के तहत इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा, मेरठ और कानपुर से 8 परियोजनाएं तथा आई एच एस डी पी के तहत अफजलगढ़, नेहतौर, गाजियाबाद दादरी, दनकौर, रबुपुरा, रायबरेली और उझानी से 8 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अन्य शहरों के लिए परियोजनाएं मूल्यांकन एजेंसी/राज्य नोडल एजेंसी को लौटा दी गई हैं क्योंकि ये परियोजनाएं स्कीम दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं थी।

विवरण

उत्तर प्रदेश के शहर जिनसे शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बीएसयूपी) और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) संबंधी उपमिशन के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं

1. आगरा
2. इलाहाबाद
3. कानपुर

4. लखनऊ
5. मथुरा
6. मेरठ
7. वाराणसी

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम

1. बिजनोर
2. करनवाल
3. बुरहाना
4. रायबरेली
5. करोंदिया
6. कटरा और बदरिया
7. जसवंत नगर रेल मंडी
8. दालसीनगर
9. महाराज गंज
10. सम्भल
11. मुरादाबाद
12. प्रकक्षित गढ़
13. दनकोर
14. रबपुरा
15. घातमपुर
16. उझेनी
17. पाला साहबाद
18. रुलावत नवारियां
19. मोहम्दाबाद
20. कमालगंज
21. सिरसा (इलाहाबाद)
22. बागपत
23. जमालपुर
24. मंजनपुर
25. कन्नोज
26. एमजीनगर बीलहोर
27. जलोन
28. किदवई नगर, बिहोर
29. मारेय्या शिवनारायण
31. भारत गंज
32. जगन्नाथ पुरी, शिवपुरी
33. राहतपुरा
34. मुन्नी का अड्डा
35. भरथान
36. बृजराजनगर
37. सन्त रविदास नगर
38. पकरी टोला
39. मण्डावर
40. नैबाबाद
41. नेहतारू, छप्पाग्रान
42. नगीना
43. भाफाकी टोला
44. हरिजनटोला
45. अफजलगढ़
46. घिसाहिया
47. रुदायन
48. दतगंज
49. गाजियाबाद
50. दादरी
51. बिलरिया गंज
52. ईटावा
53. छाता
54. गोकुल
55. राया
56. नन्दगांव

[अनुवाद]

भूकम्प प्रवण क्षेत्रों का सर्वेक्षण

153. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :** क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान भूकम्प प्रवण क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न भूकंपीय सर्वेक्षण किए गए; इन सर्वेक्षणों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं	सर्वेक्षण का प्रकार	स्थल	राज्य	सर्वेक्षण की अवधि
1	2	3	4	5
1	दिसम्बर 2003 के दूसरे सप्ताह के दौरान जींद, हरियाणा में लगातार आए कई हल्के कंपनों के बाद हल्के भूकंप संबंधी सर्वेक्षण किया गया	जींद शहर क्षेत्र में 7 स्थल	हरियाणा	19 दिस. 2003 31 जन. 2004
2	जींद, हरियाणा का स्थल की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण	जींद शहरी क्षेत्र में 39 स्थल	हरियाणा	19 दिस. 2003– 31 जन. 2004
3	दिल्ली क्षेत्र की सूक्ष्म वर्गीकरण परियोजना के अंतर्गत स्थल की प्रतिक्रिया जानने के लिए सर्वेक्षण	दिल्ली में 800 स्थल	दिल्ली	2003–2005
4	अप्रैल, 2004 के दौरान दिल्ली में लगातार आए कई हल्के कंपनों के बाद सूक्ष्म भूकंप सर्वेक्षण किए गए ताकि छोटे परिमाण वाले भूकंपों का अच्छी तरह मॉनीटरन किया जा सके	दिल्ली में 5 स्थल	दिल्ली	अप्रैल 2004– अगस्त 2005
5	सुमात्रा क्षेत्र में 26 दिस. 2004 को आए भयंकर भूकंप के बाद के झटकों का सर्वेक्षण	पोर्टब्लेयर	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	जन. 2005–जन. 2007
		केम्पबेल वे		
		हट बे	–वही–	
		हेवलॉक	–वही–	
		बरतांग	–वही–	
6	मौजूदा स्थानीय दूरमिती नेटवर्क को बढ़ाने की योजना के तहत दिल्ली और उसके आस-पास नौ और भूकंपीय वेधशालाएं स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन करने हेतु भूकंपीय सर्वेक्षण	नजफगढ़	दिल्ली	जन. 2007
		गुड़गांव	हरियाणा	जन. 2007
		नरेला	दिल्ली	फर. 2007
		–एन. पी. एल., पूसा रोड.	–वही–	मार्च 2007
7	शिलांग भूकंपवैधानिक वेधशाला तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) मुख्यालय, नई दिल्ली में दो केंद्रीय रिसीविंग स्टेशनों सहित उत्तरपूर्वी भारत के विभिन्न राज्यों	गुवाहाटी	असम	(8 जन.– से 2 फरवरी) 2007
		तेजपुर	–वही–	
		जोरहाट	–वही–	
		दुबरी	–वही–	

1	2	3	4	5
	में फैले 20 फील्ड स्टेशनों का स्थानीय नेटवर्क स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन करने हेतु भूकंपीय सर्वेक्षण	ईटानगर	अरूणाचल प्रदेश	
		जेरो	–वही–	
		सिल्चर	असम	
		ऐजवाल	मिजोरम	
		सहिया	–वही–	(19 अप्रैल, – 10 मई 2007)
		अगरतला	त्रिपुरा	
		बेलोनिया	–वही–	
		लेखापानी	असम	(29 मई– 21 जून 2007)
		डिब्रूगढ़	–वही–	
		मोकोकचुंग	नागालैंड	
		कोहिमा	–वही–	
		इम्फाल	मणिपुर	
		पाशीघाट	अरुणाचल प्रदेश	
8	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भूकंप जोखिम वाले क्षेत्रों का सूक्ष्म वर्गीकरण करने संबधी परियोजना के लिए 1:10,000 पैमाने पर भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एस डी) के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर रहा है।			

मानसून का पूर्वानुमान

154. **श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा ने वहां के तटीय क्षेत्रों का अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका पूर्वानुमान लगाया था;

(ग) क्या विगत में कुछ पूर्वानुमान गलत सिद्ध हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। 27–31 अक्टूबर 2007 के दौरान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, नहीं। हाल ही में वर्ष 2007 की मानसून ऋतु के दौरान विकसित वैश्विक और मध्य मापक्रम विश्लेषण पूर्वानुमान प्रणालियों को चालू किए जाने के कारण अल्प अवधि (72 घंटों तक) और मध्यम अवधि (120 घंटों तक) मौसम पूर्वानुमानों में सुधार हुआ है। इन भारी वर्षा की स्थितियों का ठीक ढंग से पूर्वानुमान लगाया गया और सभी संबंधित राज्यों को सूचना उपलब्ध कराई गई है।

हालांकि, मौसम पूर्वानुमान सेवाओं में लगातार सुधार करना आईएमडी के लिए उच्च प्राथमिकता वाला कार्य है। ग्यारहवीं योजना के दौरान, आधुनिकीकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में, प्रेक्षणात्मक और पूर्वानुमान प्रणाली उन्नत करने का प्रस्ताव है।

श्री चित्रा तिरूनल इंस्टिच्यूट फॉर मेडिकल साईस एण्ड टैक्नोलॉजी का आधुनिकीकरण

155. **श्री पी.सी. थामस : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम स्थित श्री चित्रा तिरूनल इंस्टिच्यूट फॉर मेडिकल साईस एंड टैक्नोलॉजी के आधुनिकीकरण और उसकी अवसंरचना के विस्तार का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) त्रिवेन्द्रम में श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के आधुनिकीकरण और अवसंरचना विस्तार से संबंधित प्रस्ताव के ब्यौरों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) हॉस्टल विंग

(ii) अनुसंधान सुविधाएं

(iii) तकनीकी विंग

(iv) जैव–चिकित्सा प्रत्यारोपणों और यंत्रों तथा संस्थान के अन्य कार्य–कलापों के लिए परीक्षण तथा प्रमाणन प्रयोगशाला की स्थापना।

(ग) संस्थान की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर भारत सरकार द्वारा धनराशि मुहैया कराई जाएगी।

मुकदमा-पूर्व और मुकदमा-पश्चात्
विवाद निपटान केन्द्र

156. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (एन.एल.एस.ए.) द्वारा मुकदमा–पूर्व और मुकदमा–पश्चात् विवाद निपटान केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उपरोक्त प्राधिकरण द्वारा निपटाए गए मुकदमों का ब्यौरा क्या ह?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) देश के सभी राज्य स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकरणों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। जानकारी को प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

कापार्ट संबंधी हमीद समिति की रिपोर्ट
का क्रियान्वयन

157. श्रीमती निवेदिता माने :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लोक कार्यवाही उन्नति एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद (कापार्ट) के पुनर्गठन के लिए हमीद समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस रिपोर्ट के क्रियान्वयन की दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रगति की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) योजना आयोग ने सितम्बर, 2005 में "रिफार्मिंग कपार्ट/ एनजीओ–जीओ इन्टरफेस" के संबंध में योजना आयोग की सदस्य डा. (सुश्री) सईदा हमीद की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी।

(ख) जी, हां।

(ग) समिति ने विभिन्न सिफारिशें की हैं जो कपार्ट के अधिदेश; कपार्ट को वित्तीय सहायता; कपार्ट की पुनर्रचना; कपार्ट के महानिदेशक, उप महानिदेशकों की नियुक्ति; मुख्यालय एवं क्षेत्रीय समितियों में कर्पाट स्टॉक; पारदर्शिता तथा जवाबदेही; दिशानिर्देशों एवं प्रक्रियाओं; निगरानी तथा मूल्यांकन; कपार्ट द्वारा समर्थित कार्यक्रमों आदि से संबंधित है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) के परामर्श से समिति की सिफारिशों की समीक्षा की है। कर्पाट को समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक निदेश दिए गए है।

न्यायपालिका में जनता
का विश्वास

158. श्री अधीर चौधरी :

श्री निखिल कुमार :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी की वजह से लोगों ने यह सोचकर कानून को अपने हाथों में लेना प्रारंभ कर दिया है कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) मामलों का निपटान समय पर करके न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार ने जनता को शीघ्र तथा सस्ता न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनके अंतर्गत त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना, न्यायपालिका का कंप्यूटरीकरण तथा दरिद्र मुकदमेबाजी को विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। समय–समय पर उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पदसंख्या का पुनर्विलोकन किया गया है और हाल ही में हुए त्रैवार्षिक पुनर्विलोकन में, सरकार ने उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश पदसंख्या में 152 न्यायाधीशों की वृद्धि करने की अनुमति दे दी है। न्यायिक सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

डीडीए द्वारा एम आई जी और एच आई जी फ्लैटों की नीलामी

159. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित एमआईजी तथा एचआईजी फ्लैटों को लॉटरी के ड्रा के जरिए आबंटित करने के बजाय उनकी नीलामी करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे फ्लैटों के मूल्यों में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण उन सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य कर रहा है जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी और यह गरीब लोगों को आवास प्रदान करने के स्थान पर अमीरों को आवास प्रदान कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) सरकार ने दिनांक 30 जून, 2006 के अपने पत्र द्वारा एचआईजी तथा एमआईजी फ्लैटों को नीलामी द्वारा बेचने के दिनांक 26.06.2006 के निर्णय को वापस ले लिया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण को सूचित किया है कि वे ड्रॉ द्वारा फ्लैट आबंटित करने की पहले वाली व्यवस्था जारी रखें।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में मध्यम वर्गों तथा निर्धनों के लिए मकानों के निर्माण को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। पिछले छः वर्षों के दौरान प्राधिकरण द्वारा निर्मित कुल 30603 मकानों में से, 25760 मकान (मध्यम आय वर्ग – 4475, निम्न आय वर्ग – 13545 तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग – 7740) मध्यम व निम्न आय श्रेणियों से संबंधित हैं। इसके अलावा, एमआईजी के तहत 2250 मकान, एलआईजी के तहत 5100 तथा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत 215000 मकान वर्तमान में आयोजना व निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं। निम्न आय वर्ग तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए सस्ते मकानों के निर्माण हेतु दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में यह व्यवस्था है कि समूह आवास के विकासक यह सुनिश्चित करेंगे कि एफएआर का कम से कम 15 प्रतिशत भाग अथवा का 35 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, सामुदायिक सेवा कार्मिकों/ईडब्ल्यूएस तथा निम्न आय वर्गों के लिए रखा जाए। इसके अलावा, तेहखंड में डीडीए की प्रायोगिक परियोजना में पात्र स्लम निवासियों को उचित मूल्य का फ्लैट आबंटित करने की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों हेतु स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण

160. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) विशेषकर ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निकाय के कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) गैर–सरकारी संगठनों के स्वः विनियमन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गैर–सरकारी संगठनों के स्व–नियमन के लिए कोई दिशा–निर्देश जारी नहीं किए हैं?

[हिन्दी]

पी एम जी एस वाई के अंतर्गत कार्य की धीमी प्रगति

161. **श्री वी.के. ठुम्मर :**

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

श्री मुन्शी राम :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु क्या मानक निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के प्रत्येक राज्य में पी एम जी एस वाई के अंतर्गत चल रहे कार्यों की गति अत्यधिक धीमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में लक्ष्यों को प्राप्त न करने तथा अनुचित विलंब हेतु संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की है/निर्धारित करने का विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या नाबार्ड भी ग्रामीण सड़कों का वित्तपोषण कर रहा है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, बनाई गई ग्रामीण सड़कें भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) की ग्रामीण सड़क नियमावली (आईआरसी : एसपी 20 : 2002) में दिए गए तकनीकी विनिर्देशनों तथा ज्यामितीय डिजाइन मानकों तथा, जहां आवश्यक हो, पर्वतीय सड़क नियमावली (आईआरसी: एसपी : 48) के अनुरूप होनी चाहिए।

(ख) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्यों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इस विवरण में यह देखा जा सकता है कि परियोजनाओं के निष्पादन की गति प्रत्येक राज्य में अधिक धीमी नहीं है।

(ग) से (च) "ग्रामीण सड़कें" राज्य का विषय हैं, इसलिए राज्य स्तर पर निगरानी, वित्तीय प्रबंधन तथा समन्वय के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं का निष्पादन राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा अपनी एजेंसियों अर्थात् एसआरआरडीए (राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी) और जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों के माध्यम से किया जाता है। बिहार तथा त्रिपुरा के मामले में केंद्रीय एजेंसियों को भी पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है। कार्यक्रम के धीमे कार्यान्वयन के कुछ कारण इस प्रकार हैं:–

- पर्याप्त तकनीकी मैन–पावर की अनुपलब्धता संबंधी कठिनाई
- निविदा देने तथा कार्यों के आबंटन में प्रक्रियात्मक विलंब
- कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों की अपर्याप्त क्षमता
- प्रतिकूल जलवायु
- निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण सामग्री की अनुपलब्धता

निधियों के आबंटन में वृद्धि मानक बोली दस्तावेज में परिशोधन के माध्यम से ठेका क्षमता में वृद्धि, संयंत्र तथा मशीनरी की खरीद के लिए ठेकेदारों को ब्याज रहित अग्रिम का प्रावधान, ठेकेदार के कार्मिकों सहित क्षेत्र स्टाफ का प्रशिक्षण, कार्यक्रम की सतत् तथा नियमित निगरानी के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने हेतु उपाय किए गए हैं। राज्यों को, जहां कहीं आवश्यक हो, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों की संख्या बढ़ाने तथा परियोजनाओं की निविदा तथा उसे सौंपने की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने की सलाह भी दी गई है।

(छ) और (ज) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिनांक 27.9.2007 को एक त्रि–पक्षीय करार दिया है जिसके माध्यम से नाबार्ड भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक को वित्त–पोषित करने के लिए एनआरआरडीए को ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के तहत एक अलग विंडो से 16000/– करोड़ रु. तक की ऋण सहायता देने पर सहमत हो गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत प्रस्तावों का मूल्य	15.10.2007 तक रिलीज की गई राशि	स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या	(सितम्बर, 07 तक) पूरे किए गए सड़क कार्य	अनुमोदित सड़क कार्यों की संख्या	(सितम्बर, 07 तक) पूरे किए गए सड़क कार्यों की लम्बाई	(सितम्बर, 07 तक) व्यय	(सितम्बर, 07 तक) रिलीज की गई राशि का व्यय प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आन्ध्र प्रदेश	2189.94	1400.71	4968	4167	15495.73	11172.49	1275.13	91.03%
2	अरुणाचल प्रदेश	646.71	283.68	519	365	2285.38	1498.64	233.15	82.19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	असम	3719.82	1307.35	2062	903	8223.54	2981.05	1170.95	89.57%
4क	बिहार (आरईओ)	720.53	426.82	1130	741	2840.02	1704.27	361.66	84.73%
4ख	बिहार (एनईएएस)	4989.17	924.26	1966	168	12896.18	1517.63	754.69	81.65%
5	छत्तीसगढ़	3376.09	1949.63	3020	1690	14852.08	8663.80	1879.77	96.42%
6	गोवा	9.72	10.00	90	72	178.16	158.70	5.32	53.20%
7	गुजरात	662.36	434.62	2002	1504	4548.68	3116.24	405.39	93.27%
8	हरियाणा	904.54	456.32	284	133	3279.57	2009.15	422.84	92.66%
9	हिमाचल प्रदेश	1829.40	806.97	1764	721	10158.82	4991.37	735.54	91.15%
10	जम्मू व कश्मीर	844.80	217.55	420	90	2178.15	213.40	131.14	60.28%
11	झारखंड	633.03	563.45	629	498	3362.37	2638.37	492.29	87.37%
12	कर्नाटक	1118.33	658.10	2170	1692	8859.98	5655.96	662.59	100.68%
13	केरल	492.32	136.97	765	256	1570.31	461.82	114.57	83.65%
14	मध्य प्रदेश	7751.25	3843.98	8076	3360	36549.54	15426.16	3405.91	88.60%
15	महाराष्ट्र	1792.67	1213.59	3707	2190	11225.92	5769.12	908.18	74.83%
16	मणिपुर	273.04	180.50	849	528	1266.84	1044.05	131.64	72.93%
17	मेघालय	185.34	123.17	373	304	917.02	720.43	112.57	91.39%
18	मिजोरम	480.38	271.89	144	71	1926.32	1221.04	223.46	82.19%
19	नागालैंड	320.69	161.56	237	180	2463.67	1589.37	152.18	94.19%
20	उड़ीसा	3334.60	2351.48	3723	2236	12539.61	7432.36	1895.08	80.59%
21	पंजाब	787.16	506.93	627	499	2807.94	1761.82	410.43	80.96%
22	राजस्थान	6004.38	4173.54	10329	7584	38724.70	25905.69	3650.53	87.47%
23	सिक्किम	392.45	212.60	221	89	2119.21	1738.87	165.91	78.04%
24	तमिलनाडु	724.18	582.90	2604	2118	5040.68	3900.15	488.49	83.80%
25	त्रिपुरा	641.40	250.89	549	255	1561.96	613.48	143.71	57.28%
26	उत्तर प्रदेश	5206.06	2815.16	14366	9757	29321.72	17184.89	2560.19	90.94%
27	उत्तरांचल	561.58	306.86	394	172	2713.17	722.43	248.42	80.96%
28	प. बंगाल	3456.60	1845.31	1718	913	10685.94	4941.55	1555	84.27%
	कुल (राज्य)	54048.54	28416.79	69706	43256	250593.21	136754.30	24696.73	86.91%

आरईओ क्षेत्रीय इंजीनियरिंग संगठन

एनइए नामित कार्यान्वयन एजेंसी

[अनुवाद]

अंशकालिक सफाईकर्मियों की सेवाओं को नियमित करना

162. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने 19 मई, 2006 को राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश जारी किया है कि अंशकालिक सफाईकर्मियों की सेवाओं को नियमित कर उन्हें पूर्णकालिक सफाईकर्मियों का दर्जा दिया जाए तथा भविष्य में केवल नियमित आधार पर ही नियुक्तियां की जाएं;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने उपर्युक्त अनुदेशों को क्रियान्वित किया है; और

(ग) चूककर्त्ता बैंकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई अथवा की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां। यद्यपि दिनांक 19.05.2006 का पत्र बाद में वापस ले लिया गया था क्योंकि इसमें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के परिसंघ/संघों के प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार-विमर्श को पूरी तरह व्यक्त नहीं किया था, इसलिए 8 नवम्बर, 2006 को नए दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंशकालिक कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने और सभी भावी नियुक्तियां केवल नियमित आधार पर करने" के अनुदेश शामिल थे।

(ख) और (ग) अधिकतर बैंकों ने पुष्टि की है कि सरकार के उपर्युक्त अनुदेश कार्यान्वित किए गए हैं, शेष बैंक चरणबद्ध ढंग से अनुदेशों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं तथा अंतरिम अवधि में ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं मौजूदा द्विपक्षीय समझौते द्वारा नियमित की जा रही है।

स्काई बस मेट्रो प्रणाली

163. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्काई बस मेट्रो प्रणाली की तकनीकी-आर्थिक तथा वित्तीय व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी हां। स्काई बस सिस्टम का मूल्यांकन करने तथा इसकी व्यवहार्यता और तकनीकी-आर्थिक पहलुओं की जांच करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा डा. पी.वी. इन्द्रसेन, सेवानिवृत्त निदेशक, आई आई टी चेन्नई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। समिति ने अगस्त, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) समिति ने स्काई बस सिस्टम को परिष्कृत प्रौद्योगिकी के बजाए प्रौद्योगिकी विकास परियोजना के रूप में माना है। समिति ने न केवल इसकी नवीनता के लिए बल्कि सिस्टम की डिजाइनिंग और इसे तैयार करने में विकसित प्रक्रियाओं के जरिए राष्ट्र को प्राप्त हो सकने वाले अनुषंगिक प्रौद्यागिकीय लाभों की संभावनाओं के कारण भी प्रौद्योगिकी विकास परियोजना के रूप में इस परियोजना का विस्तार करने की सिफारिश है।

(घ) रेल मंत्रालय ने नए सिस्टम का मूल्यांकन करने तथा आगे प्रौद्योगिकी का और विकास करने के लिए मार्गनिर्देश देने हेतु दस विख्यात सदस्यों को शामिल करके एक तकनीकी परामर्श दल नियुक्त किया है। इस दल ने अब तक तीन बैठकें की हैं। रेल मंत्रालय ने तकनीकी परामर्श दल के मार्गदर्शन में प्रौद्योगिकी का प्रमाणन के लिए स्काई बस मेट्रो का और ट्रायल करने हेतु 25 करोड़ रुपए की राशि भी आबंटित की है।

दूसरे मकान पर ब्याज दर

164. **श्री असादुद्दीन ओवेसी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य व्यावसायिक बैंकों द्वारा दूसरे मकान के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर पहले मकान के निर्माण हेतु लिए गए ऋण की तुलना में ऊंची ब्याज दर पर पैसा दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या औचित्य है; और

(ग) आवास में निवेश पर अधिक ब्याज दर का क्या प्रभाव पड़ा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने सूचित किया है कि वे दूसरे घर के लिए गृह ऋणों पर उच्च ब्याज दर प्रभारित कर रहे हैं। इन बैंकों द्वारा यह सूचित किया गया है कि प्रथम आवासीय इकाई के लिए ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है, जो दूसरे घर के लिए लागू नहीं

है क्योंकि यह सामान्यतः किराये पर देने के लिए या निवेश के लिए खरीदा जाता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, आवास के लिए बकाया ऋणों में वर्ष 2005-06 (18 अगस्त, 2006 तक) की तुलना में वर्ष 2006-07 (17 अगस्त, 2007 तक) के दौरान 17 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

कृष्णापट्टनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट

165. श्री एस. अजय कुमार : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी क्षेत्र में कृष्णापट्टनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (4000 मेगावाट) की विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) जी हां, विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई पहल के एक भाग के रूप में आन्ध्रप्रदेश के नेल्लोर जनपद में कृष्णापट्टनम में लगभग 4000 मे.वा. क्षमता की कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। परियोजना को 'बिल्ड, ओन एवं ओपरेट' आधार पर विकसित किया जा रहा है और परियोजना विकासकर्त्ता का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया आधारित टैरिफ के जरिए किया जा रहा है। प्रस्तावित बोलियों के लिए अनुरोध दिनांक 24.10.2007 को प्राप्त हो गए हैं और मूल्यांकनाधीन है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, कृष्णापट्टनम यू एम पी पी से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं।

आदिम जनजातीय समूहों की स्थिति

166. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिम जनजातीय समूहों "ओंगस" तथा "जारवा" का जातीय विवरण तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) और (ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सभी आदिम जनजातीय समूहों के कल्याण के लिए एक मास्टर प्लान (1991-2021) तैयार किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ "ओंगस" और "जारवा" की भी जनसंख्या, निवास और भौतिक संस्कृति, निर्वाह और स्वास्थ्य आदि के ब्यौरे शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने "जारवा" पर एक विस्तृत अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जारवाओं का मानवजाति वर्णन प्रोफाइल शामिल है। यह जुलाई 2003 में प्रस्तुत द्वीपसमूह के जारवाओं से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का भाग है।

ऋणों की वसूली में उचित व्यवहार संहिता

167. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री एल. राजगोपाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की "ऋणदाताओं हेतु उचित व्यवहार संहिता" का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए किसी संस्थागत तंत्र की स्थापना की योजना बना रही है, जिससे कि बैंकों द्वारा बिना किसी चूक के उचित व्यवहार संहिता का पालन किया जा सके;

(ग) क्या इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बकायों की वसूली तथा दोबारा जमानत लेने हेतु आदर्श संहिता बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 5 मई, 2003 के अपने परिपत्र में ऋणकर्ताओं के लिए उपयुक्त व्यवहार संहिता से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को परिपत्र में निहित व्यापक दिशा-निर्देश अपनाने और अपने निदेशक बोर्ड द्वारा पूर्णतः अनुमोदित उपयुक्त व्यवहार संहिता तैयार करने की सलाह दी गई। कुछ विदेशी बैंकों (जिनका खास फुटकर ऋण देने का व्यवसाय नहीं है) को छोड़कर सभी बैंकों ने बाद में उपयुक्त व्यवहार संहिता तैयार करने की पुष्टि की है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च, 2007 के परिपत्र में उपयुक्त व्यवहार संहिता को संशोधित किया है और अधिकतर सरकारी क्षेत्र के बैंकों व निजी क्षेत्र के बैंकों ने भी अपनी उपयुक्त व्यवहार संहिता को संशोधित करने की पुष्टि की है।

इसके अलावा, अपने ग्राहकों के प्रति उचित व्यवहार करने के लिए बैंकों हेतु स्वैच्छिक व्यापक संहिता और मानदंडों की योजना बनाने, विकसित, तैयार, प्रोत्साहित और प्रकाशित करने के लिए भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की स्थापना की गई है। भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड द्वारा तैयार ग्राहकों के प्रति बैंक प्रतिबद्धता संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि बैंक की वसूली नीति शिष्टचार, सही व्यवहार और अनुनय पर आधारित होनी चाहिए तथा बैंक कानून के अनुरूप जमानत राशि कब्जा करने की नीति अपनाएगा।

(ग) और (घ) भारतीय बैंक संघ ने बकाया वसूली और जमानत राशि के कब्जे की मॉडल संहिता तैयार की है जिसमें इसे अपनाने व क्रियान्वित करने के लिए जनवरी, 2007 में बैंकों को संस्तुत कर दिया गया है। मॉडल संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया गया है कि बैंक ऋण वसूली नीति के मामले में ग्राहकों की गरिमा और सम्मान बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और उन्हें ऐसी नीतियां नहीं अपनानी चाहिएं जो बकाया वसूली के मामले में अनुचित रूप से जोर-जबरदस्ती वाली हों।

डीडीए से अनंतिम अधिभोगिता प्रमाण-पत्र, कार्य संपन्न प्रमाण-पत्र

168. श्री मोहन जेना : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैटों के आबंटन हेतु डीडीए से अनंतिम अधिभोगिता प्रमाण-पत्र (पीओसी) पूर्व शर्तें हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इसी तरह की पूर्व शर्तें हैं;

(ग) दिल्ली की ऐसी सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने पीओसी तथा कार्य संपन्न प्रमाण-पत्र (सीसी) के लिए आवेदन किया है;

(घ) जनवरी, 2004 तथा अक्टूबर, 2007 के बीच इन सोसाइटियों को प्रदान किए गए पीओसी तथा सी सी का तिथिवार, क्षेत्रवार तथा सोसाइटीवार ब्यौरा क्या है तथा उन सोसाइटियों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए फ्लैटों का पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटन किया गया;

(ङ) पीओसी/सीसी प्राप्त करने के बाद भी लॉटरी के ड्रा के लिए अब भी लंबित सोसाइटियों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें कितने सदस्य हैं; और

(च) उन सोसाइटियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, परंतु उन्होंने अभी तक पीओसी/सीसी के लिए आवेदन नहीं किया है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि सहकारी ग्रुप आवास सोसायटियों (सीजीएचएस) में फ्लैटों के आबंटन के लिए अनंतिम अधिभोगिता प्रमाण-पत्र (पीओसी)/कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र (सीसी) आवश्यक है।

(ख) चूंकि यह राज्य का विषय है इसलिए, सीजीएचएस के सदस्यों को फ्लैटों के आबंटन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के अपने नियम/निबंधन/शर्तें हो सकती हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि फ्लैटों का ड्रा निम्नलिखित अपेक्षाओं के पूरा होने पर निकाला जाता है (i) ऐसे ड्रा निकालने के लिए सोसाइटी का अनुरोध (ii) सोसाइटी के वास्तुकार से 90% तक निर्माण पूरा हो जाने का प्रमाण-पत्र (iii) सहकारी सोसायटियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) के कार्यालय से विधिवत मंजूर किए गए सदस्यों की सूची। डीडीए के पास ऐसे कोई मामले लंबित नहीं हैं, जिनमें सोसाइटी के फ्लैटों के आबंटन के लिए अनुरोध किया गया हो और सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार के नामों को मंजूरी होनी चाहिए।

(च) ऐसा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि पीओसी/सीसी के लिए निवेदन की जिम्मेदारी सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए स्टाफ की कमी

169. प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आबंटित धनराशि को स्टाफ की कमी की वजह से खर्च नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कार्यान्वयन एजेंसियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) कार्यक्रम दिशानिर्देशों में इस बात की अनुमति है कि वित्त वर्ष के अंत में कुल उपलब्ध निधियों के 10 प्रतिशत तक व्यय न की गई राशि को रखा जा सकता है ताकि ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुचारु रूप से चलाए जा सकें। कार्यान्वयन एजेंसियां ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत खर्च न की गई राशि का कारण केवल कर्मचारियों की कमी ही नहीं अपितु सीमित कार्य मौसम, प्राकृतिक आपदाएं, विभिन्न जिलों/गांवों की भौगोलिक स्थिति, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों तथा पहाड़ी राज्यों में, पंचायती राज संस्थाओं तथा विधान सभाओं के चुनाव भी हैं।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस संबंध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि कर्मचारियों की कमी के कारण निधियां खर्च न हो सकी हों।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने डीआरडीए प्रशासन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सुचारु रूप से चलाने के लिए स्टाफिंग पद्धति तथा समूह 'ग' में खाली पदों के लिए अनुबंध आधार पर अर्हक एवं अनुभवी कार्मिक रखने की

अनुमति भी शामिल है। डीआरडी एजेंसियां किसी विशेष कार्य के लिए आउटसोर्सिंग की आवश्यकता का आकलन भी कर सकती हैं।

क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत धन का दुर्विनियोग

170. **श्री सुभाष महरिया :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत विशेषरूप से राजस्थान सहित कई राज्यों में धनराशि जारी न किए जाने के कारण कई परियोजनाओं पर कार्य रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इन कार्यक्रमों के अंतर्गत करोड़ों रुपयों के दुरुपयोग की शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों का राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (ङ) जी, नहीं। भूमि संसाधन विभाग तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित करता है। ये मांग आधारित कार्यक्रम है और स्वीकृत की गई परियोजनाओं के संबंध में निधियां राज्यों द्वारा प्रस्तुत पूर्ण प्रस्तावों के आधार पर किस्तों में जारी की जाती हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान की राज्य सरकार को अभी तक 79.30 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। सरकार को इन कार्यक्रमों के अंतर्गत करोड़ों रुपयों के दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

त्वरित न्यायालय

171. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्वरित न्यायालयों की अपर्याप्त संख्या तथा इन न्यायालयों में बड़ी संख्या में रिक्तियों के चलते भी मामलों के समय पर निपटाए जाने में समस्याएं महसूस की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में त्वरित न्यायालयों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन न्यायालयों में रिक्त पद कब तक भर दिए जाएंगे?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) और (ख) 8 अप्रैल, 2007 को हुए मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में, राज्यों ने अधीनस्थ न्यायाधीशों की भारी कमी और पर्याप्त रूप से उनकी संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता को अभिस्वीकार किया जिससे कि वे बकाया मामलों की संख्या में कमी लाने तथा एक दक्ष, त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदाय प्रणाली उपलब्ध कराने में समर्थ हो सकें। राज्यों ने अधीनस्थ न्यायालयों और साथ ही उच्च न्यायालयों में विद्यमान रिक्तियों को अतिशीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया और उन्होंने यह महसूस किया कि यदि सभी विद्यमान रिक्तियों को अत्यावश्यकता के आधार पर भर दिया जाता है तो बकाया मामलों की संख्या में सारवान् रूप से कमी हो सकती है।

(ग) संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से इन न्यायालयों की स्थापना करना राज्य सरकारों का प्रमुख उत्तरदायित्व है। वर्तमान में, देश में त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या में वृद्धि करने का भारत सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से इन न्यायालयों में रिक्तियों को भरना राज्य सरकारों का प्रमुख उत्तरदायित्व है।

[अनुवाद]

लघु विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करना

172. **श्री एस. के. खारवेन्थन :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में लघु विद्युत परियोजनाओं को करों में और अधिक छूट देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में विद्युत सृजन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) वर्तमान में देश में लघु विद्युत परियोजनाओं को कर में और अधिक छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) विगत में, भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनसे कि निजी क्षेत्र के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश के जरिए देश में विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने की संभावना है।

उठाए गए कुछ कदम निम्नवत हैं:—

(i) थर्मल उत्पादन और कैप्टिव उत्पादन को लाइसेन्स मुक्त करना।

(ii) राज्य विद्युत बोर्डों के लिए ढांचागत सुधार।

(iii) केन्द्रीय और राज्य विनियामक आयोगों की स्थापना।

(iv) राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना।

(v) पारेषण एवं वितरण में खुली पहुंच।

(vi) विद्युत व्यवसाय को एक पृथक गतिविधि के रूप में मान्यता प्रदान करना।

(vii) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम।

इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राजस्व और वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा रहे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बहुत से सम्भाव्य राज्यों में ग्रिड विद्युत के लिए दिए जा रहे अधिमान टैरिफ के अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, उत्पाद शुल्क छूट और रियायती आयात शुल्क भी शामिल हैं।

किसानों/शिल्पकारों को ऋण

173. **श्री जी.एम. सिद्धेश्वर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों को स्वयं सहायता समूह सहित किसानों/शिल्पकारों को कम ब्याज दर पर ऋण देने का अधिकार प्राप्त है;

(ख) क्या कुछ बैंकों ने ऐसे एक भी ऋण नहीं दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बैंकों द्वारा कार तथा विलासिता की वस्तुओं पर ऋण किसानों/शिल्पकारों तथा अन्य गरीब ग्राहकों की तुलना में कम दर पर दिया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वर्तमान ब्याज दर नीति के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों (कृषि क्षेत्र को मंजूर किए गए ऋणों सहित) पर ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया गया है, सिवाय इसके कि 2 लाख रुपए तक के ऋणों पर ब्याज की दर संबंधित बैंकों की आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) से अधिक नहीं होनी चाहिए। अतः, वाणिज्यिक बैंक बीपीएलआर की घोषणा के अध्यधीन 2 लाख रुपए से अधिक के ऋणों पर अपनी उधार दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंक अपने बोर्डों के अनुमोदन से वस्तुपरक एवं पारदर्शी नीति के आधार पर पात्र उधारकर्ताओं को उप–बीपीएलआर दरों पर उधार देने के लिए भी स्वतंत्र हैं। बैंक अपने बीपीएलआर का निर्धारण, अन्य बातों के साथ–साथ, अपनी निधियों की लागत, लेन–देन की लागत और जोखिम लागत को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों का संबंध है, ऋणों की ब्याज दरें पूर्णरूपेण अविनियमित कर दी गई हैं।

ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र की गतिविधियों के संबंध में लघु व्यवसाय/उद्यमों के लिए सावधि ऋणों की तुलना में कृषि से संबंधित गतिविधियों को सावधि ऋणों पर ब्याज दर से संबंधित सूचना कुछ सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से नमूने के तौर पर एकत्र की गई है। इस सूचना का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सावधि कृषि ऋणों पर ब्याज की दर 10%–14.25% वार्षिक के बीच है, जबकि व्यवसाय ऋण के लिए 10% से 16.5% वार्षिक के बीच है। कुछ राज्यों में, सरकारें कृषि ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान कर रही हैं, इसलिए ये दरें अपेक्षाकृत कम हैं।

किसानों द्वारा खरीफ एवं रबी 2005–06 हेतु लिए गए फसल ऋणों पर ब्याज का बोझ कम करने के लिए 1,00,000 रुपए तक की मूल राशि पर ऋणकर्ता की देयता के 2 प्रतिशत बिन्दु के बराबर राशि उनके खाते में जमा कर दी गई थी। इसके बाद, खरीफ 2006 से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को मूल राशि पर 3 लाख रुपए की उच्चतर सीमा सहित 7% पर अल्पावधि उत्पादन ऋण प्राप्त हो, सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को उनके स्वयं के संसाधनों से दिए गए ऋण पर 2% वार्षिक की ब्याज सहायता तथा सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड से उनके ऋणों पर रियायती दरों पर पुनर्वित्त दे रही है।

राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन

174. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्धता

175. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग क्षेत्र द्वारा बेसल–II मापदंड के क्रियान्वयन से लघु उद्योगों के लिए उनकी लागत निधि को बढ़ाने के अलावा ऋण की उपलब्धता कम करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 'कैपिटल एडिक्वेसी रिजीम इन इंडिया – एनओवरव्यू' पर 'इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकानामिक रिलेशन्स' (आईसीआरआईईआर) पर हाल के पत्र की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) 'इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकानामिक रिलेशन्स (आईसीआरआईईआर)' ने जुलाई, 2007 में भारत में पूंजी पर्याप्तता प्रणाली – एक विहगावलोकन' पर एक लेख प्रकाशित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया है कि प्रस्तावित बेसल–II मानदंड के अंतर्गत, बैंकों को कोटि निर्धारित न किए गए लघु उद्योगों (एसएसआई) को ऋण देने के लिए मना किया जाएगा, क्योंकि कोटि निर्धारित न किए गए एएसआई को दिए गए ऋण 100% जोखिम के वर्ग में आते हैं। लेख कहता है कि चूंकि भारत में एसएसआई क्षेत्र अभी तक ऋण पात्रता मूल्यांकन उद्योग के पहुंच से बाहर है, अतः इस क्षेत्र में बैंक ऋण कम हो सकता है। लेख आगे कहता है कि ऋण पात्रता निर्धारण की अतिरिक्त लागत बहुत एसएसआई इकाईयों की अर्थक्षमता को प्रभावित करेगी। तुलन–पत्र और तुलन–पत्र बाह्य विभिन्न प्रकार की आस्तियों में ऋण जोखिम को ध्यान में रखते हुए और बैंक के पूंजीगत आधार को सुदृढ़ करने के लिए भी, बेसल–II मानदंड को स्वीकार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 27.04.2007 को "नई पूंजी पर्याप्तता प्रणाली के कार्यन्वयन के लिए मार्गनिर्देश" जारी किए हैं। आरबीआई के दिशानिर्देश देश के वित्तीय एवं बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने के साथ–साथ उधारकर्ताओं में वित्तीय अनुशासन की चेतना मन में बिठाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। ये दिशानिर्देश 'एएए' निर्धारित मामलों पर 20% जोखिम भार, 'एए' निर्धारित मामलों पर 30% जोखिम भार और 'ए' निर्धारित कॉरपोरेट क्लेम पर 50% जोखिम भार की व्यवस्था करते हैं। बैंकिंग क्षेत्र द्वारा बेसल–II मानदंड के कार्यान्वयन का किसी क्षेत्र विशेष में ऋण उपलब्धता से कोई सीधा संबंध नहीं है। बेसल–II मानदंड के अंतर्गत, किसी निवेश के लिए पूंजी का विनियोजन, उस निवेश पर लागू जोखिम भार पर आधारित होता है। इसके अलावा, बैंकों का ऋण देने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कई मानदंडों में जोखिम भार एक मानदंड है। इसके अतिरिक्त, चूंकि ज्यादातर बैंक पहले से ही किसी न किसी तरह के निर्धारण/ग्रेड का उपयोग एसएसआई उधारकर्ताओं सहित उधारकर्ताओं का मूल्यांकन करने के लिए करते हैं, अतः बेसल–II मानदंडों को लागू करने का एसएसआई उधारकर्ताओं के लिए निधि लागत में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं हो सकता है।

[हिन्दी]

थोक मूल्य सूचकांक तथा मुद्रास्फीति

176. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

श्री सुग्रीव सिंह :

श्री रामजीलाल सुमन :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान थोक मूल्य सूचकांक बढ़ता रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान थोक मूल्य सूचकांक की दर में औसत वार्षिक वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त वृद्धि दर भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंड की तुलना में तीन प्रतिशत से अधिक रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर सितंबर, 2007 में पांच वर्षों में सबसे कम हुई;

(च) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(छ) थोक मूल्य सूचकांक तथा मुद्रास्फीति की बढ़ती दर को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) महोदय, पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में औसत वार्षिक वृद्धि का ब्यौरा तथा मासिक विवरण सारणी–1 में दर्शाया गया है।

सारणी 1

माह	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6
अप्रैल	6.59	4.51	5.91	3.86	6.28
मई	6.51	5.02	5.55	4.73	5.46

1	2	3	4	5	6
जून	5.40	6.68	4.32	5.12	4.53
जुलाई	4.65	7.61	4.29	4.83	4.71
अगस्त	3.95	8.46	3.66	5.12	4.14
सितम्बर	4.90	7.92	4.06	5.38	3.32
अक्टूबर	5.13	7.27	4.71	5.51	3.02
नवंबर	5.42	7.52	4.21	5.50	
दिसंबर	5.80	6.73	4.45	5.68	
जनवरी	6.50	5.54	4.08	6.37	
फरवरी	6.14	5.01	4.03	6.36	
मार्च	4.78	5.39	3.85	6.61	
औसत	5.48	6.47	4.42	5.43	

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे कोई मानदंड नियत नहीं किए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) मुद्रास्फीति में गिरावट गेहूं तथा चीनी जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में सुधार होने, रुपए के मजबूत होने, जिससे आयातित वस्तुओं के रुपए मूल्य में कमी हुई, भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा किए गए मौद्रिक तथा राजकोषीय उपायों; तथा सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से गेहूं तथा दालों जैसी जिंसों के आयात सहित कई प्रशासनिक उपायों के कारण हुई है। पेट्रोलियम की कीमतों के फरवरी, 2007 के स्तर पर स्थिर होने के कारण भी मुख्य मुद्रास्फीति में कमी आई है।

[अनुवाद]

ऋणों की वसूली

177. **श्री सुग्रीव सिंह :**

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चूककर्ताओं के पास बकाया ऋणों की वसूली हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई अवैध तथा दंडात्मक तरीकों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो 2006-07 के दौरान, बैंक-वार सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(घ) बैंकों द्वारा अपने ऋणों के बकाया के लिए वसूली के लिए ऐसी प्रथा को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऋण चुकाने में चूक के मामले में कुछ बैंकों द्वारा वसूली के कथित जबरन तरीके अपनाने की घटनाएं उनके ध्यान में लायी गयी हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(ग) गुंडों के इस्तेमाल और चूककर्ता ग्राहकों के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को टिप्पणियों एवं उपयुक्त कार्रवाई हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित बैंकों के साथ उठाई जाती है। किसी बैंक द्वारा वर्तमान दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयुक्त विनियामक कार्रवाई की जाती है।

(घ) मई 2003 में जारी ऋणदाता हेतु उपयुक्त व्यवहार संहिता के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि ऋण की वसूली के मामले में ऋणदाता को अनुपयुक्त समय के दौरान उधारकर्ता को तंग करने, ऋण वसूली के लिए बल प्रयोग करने आदि जैसा अनुचित उत्पीड़न नहीं करना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड प्रचालन के संबंध में नवम्बर, 2005 में सभी वाणिज्यिक बैंकों/एनबीएफसी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से इतर) को अनुदेश जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि उनके एजेंट ऋण वसूली के कार्य में किसी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक किसी भी तरह की डांट-डपट या उत्पीड़न का कार्य नहीं करेंगे। इसमें क्रेडिट कार्ड धारकों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, उन्हें उनके परिवार के सदस्यों, रेफरियों और मित्रों की निजता में हस्तक्षेप करना, धमकी भरी और अज्ञात कॉलें करना या झूठे और गुमराह करने वाले अभ्यावेदन करने जैसे कार्य शामिल हैं।

भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) द्वारा तैयार ग्राहकों के प्रति बैंक प्रतिबद्धता संहिता में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया गया है कि बैंक की वसूली नीति शिष्टाचार, सही व्यवहार और अनुनय पर आधारित होनी चाहिए तथा बैंक कानून के अनुरूप जमानत राशि कब्जा करने की नीति अपनाएगा।

भारतीय बैंक संघ ने देयराशियों की वसूली और जमानत राशि के कब्जे की मॉडल संहिता तैयार की है जिसमें इसे अपनाने व क्रियान्वयन के लिए जनवरी, 2007 में बैंकों को संस्तुत कर दिया गया है। मॉडल संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि बैंकों

को ऋण वसूली नीति के मामले में ग्राहकों की गरिमा और सम्मान बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और उन्हें ऐसी नीतियां नहीं अपनानी चाहिए जो बकाया वसूली के मामले में अनुचित रूप से जोर जबरदस्ती वाली हों।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा (30 अक्टूबर, 2007) में यह पाया कि हाल ही में वसूली एजेंटों की मदद लेने पर बैंकों के विरुद्ध मुकदमेबाजी की संख्या में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप, यह महसूस किया गया है कि प्रतिकूल प्रचार से बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिष्ठा को समग्र रूप से गम्भीर जोखिम हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी पाया कि इसलिए भारत में बैंकों द्वारा वसूली एजेन्टों की मदद लेने से संबंधित नीति, प्रथा एवं कार्यपद्धति की समीक्षा करने की तात्कालिक आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को वसूली एजेंटों की मदद लेते समय निर्धारित विशिष्ट नीति अपनाने पर बल दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह उल्लेख किया है कि किसी बैंक के वसूली एजेंटों द्वारा अपनाई गई अनुचित पद्धतियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों को गम्भीरता से लिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक उन बैंकों पर वसूली एजेंटों की मदद लेने के लिए अस्थायी रोक (अथवा सतत् अनुचित पद्धतियों के मामले में स्थायी रोक भी) लगाने पर विचार करेगा जिनके मामले में उनके वसूली एजेन्टों द्वारा अपनाई गई अनुचित पद्धतियों के संबंध में उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा उनके अथवा उनके निदेशकों/अधिकारियों के विरुद्ध कटु आलोचना की गई है/दण्ड लगाया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

178. **प्रो. महादेवराव शिवनकर :**
प्रो. एम. रामदास :
श्री पुन्नूलाल मोहले :
श्री रामदास आठवले :
श्री मोहन जेना :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकटवर्ती विद्युत परियोजनाओं वाले गांवों का विद्युतीकरण पूरा करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के कितने गांव आज तक विद्युतीकरण से राज्यवार वंचित हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं तथा कब तक सरकार इन गांवों का विद्युतीकरण कर देगी?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत देश में एक लाख से अधिक गैर-विद्युतीकरण गांवों का तथा पहले से विद्युतीकृत गांवों का सघन विद्युतीकरण करने की योजना बनाई है ताकि वर्ष 2009 तक सभी ग्रामीण आवासों को विद्युत की सुविधा मुहैया कराई जा सके। स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- स्कीम के अंतर्गत लगभग एक लाख गांवों (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों को छोड़कर) का विद्युतीकरण एवं 2.34 करोड़ बीपीएल आवासों समेत 7.8 करोड़ ग्रामीण आवासों को विद्युत मुहैया कराने का उद्देश्य है।
- स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं की कुल लागत के लिए 90 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी दी जाती है।
- राज्यों को विद्युत आपूर्ति के लिए समुचित प्रबंध करना चाहिए और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के घंटों में भेदभाव नहीं होना चाहिए।
- स्कीम के अंतर्गत पूंजी सब्सिडी के लिए पात्र परियोजनाओं के लिए स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं की मंजूरी के पूर्व राज्यों की पूर्व प्रतिबद्धता निम्नलिखित के लिए प्राप्त की जाती है-
  - स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए फ्रेंचाइजियों की तैनाती।
  - विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राज्य यूटिलिटियों के लिए अपेक्षित राजस्व सब्सिडी का प्रावधान।
  - स्कीम के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) एक नोडल एजेंसी है।

(ग) दिनांक 9.11.2007 की स्थिति को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और आरईसी रिपोर्टों के अनुसार देश में 99,841 गैर-विद्युतीकृत गांव हैं। इसके राज्य वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(घ) कुछ राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण अपेक्षाकृत कम होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:-

- राज्य विद्युत यूटिलिटियों की कमजोर वित्तीय स्थिति।
- ग्रामीण विद्युतीकरण का लाभप्रद नहीं होना।
- कामगारों सहित संसाधनों की अनुपलब्धता।
- सुदूर इलाकों समेत शेष गांवों का भौगोलिक विस्तार।
- जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होना।

सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों को छोड़कर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2009 तक विद्युतीकृत किया जाना है।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण को संशोधित परिभाषा के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/यूटी	2001 की जनगणना के अनुसार कुल बसे हुए गांव	31.03.2006 के अनुसार विद्युतीकृत गांव		आरजीजीवाई एवं अन्य स्कीमों के अंतर्गत 2006–07 के दौरान विद्युतीकृत गांवों की संख्या	31.3.2007 के अनुसार विद्युतीकरण हेतु शेष गांव	वर्ष 2007–08, 9.11.2007 तक विद्युतीकृत गांव	9.11.2007 के अनुसार विद्युतीकरण हेतु शेष गांव
			संख्या	प्रतिशत				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	26613	26565	99.8	0	48	0	48
2	अरुणाचल प्रदेश	3863	2195*	56.8	0	1668	0	1668
3	असम	25124	19660*	78.3	81	5383	0	5383
4	बिहार	39015	20610$	52.8	8415	9990	1542	8448
5	दिल्ली	158	158	100.0		0	0	0
6	झारखंड	29354	8923*	30.4	196	20235	31	20204
7	गोवा	347	347	100.0		0	0	0
8	गुजरात	18066	17908*	99.1	0	158	0	158
9	हरियाणा	6764	6764	100.0		0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	17495	16915*	96.7	254	326	0	326
11	जम्मू व कश्मीर	6417	6304	98.2		113	0	113
12	कर्नाटक	27481	27125	98.7	0	356	0	356
13	केरल	1364	1364	100.0		0	0	0
14	मध्य प्रदेश	52117	50213	96.3		1904	15	1889
15	छत्तीसगढ़	19744	16456*	83.3	18	3270	29	3241
16	महाराष्ट्र	41095	35541	86.5		5554	0	5554
17	मणिपुर	2315	1930	83.4	12	373	0	373
18	मेघालय	5782	3428	59.3	0	2354	0	2354
19	मिजोरम	707	570	80.6	0	137	0	137
20	नागालैंड	1278	822*	64.3	1	455	0	455
21	उड़ीसा	47529	26235	55.2		21294	0	21294

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	पंजाब	2278	12278	100.0		0	0	0
23	राजस्थान	39753	25845*	65.0	765	13143	336	12807
24	सिक्किम	450	425	94.4		25	0	25
25	तमिलनाडु	15400	15400*	100.0		0	0	0
26	त्रिपुरा	858	491	57.2		367	0	367
27	उत्तर प्रदेश	97942	66879*	68.3	16620	14443	2152	12291
28	उत्तरांचल	15761	14737*	93.5	798	226	219	7
29	पश्चिम बंगाल	37945	32861	86.6	2108	2976	808	2168
	कुल	593015	458949*	77.4	29268	104798	5162	99666
	संघ शासित राज्य							
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	501	321	64.1	5	175	0	175
2	चंडीगढ़	23	23	100.0	0	0	0	0
3	दादरा व नगर हवेली	70	70	100.0	0	0	0	0
4	लक्षद्वीप	23	23	100.0	0	0	0	0
5	पांडिचेरी	8	8	100.0	0	0	0	0
6	अखिल भारत	92	92	100.0	0	0	0	0
	उप जोड़ (यूटी)	717	537	74.9	5	175	0	175
	कुल योग	593732	459486*	77.4	29273	104973	5162	99841

* आंकड़े राज्यों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर संशोधित हैं।

$ बिहार सरकार ने संशोधित परिभाषा के अनुसार गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या नहीं दी है।

स्रोतः केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण व आरईसी

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

179. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और ऊर्जा लेखांकन तथा लेखापरीक्षण प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में विश्व बैंक के ऋण से कुछ परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सुनामी चेतावनी प्रणाली

180. **श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुनामी से पूर्व तटीय क्षेत्रों को चेतावनी संकेत के लिए उपकरण की स्थापना की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में अन्य देशों की सहायता की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) हिंद महासागर के लिए सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (इंकाइस), हैदराबाद में स्थापित की गई है। पूर्व चेतावनी केन्द्र का 25 अक्तूबर, 2007 को उद्घाटन किया गया और यह सुनामी पैदा करने वाले भूकंपों को मॉनीटर करने के लिए लगभग वास्तविक समय से पहले भूकंपीय संकेतों को प्राप्त करता है। साथ ही यह केन्द्र समुद्र स्तर में वास्तविक समय के दौरान होने वाले परिवर्तनों का प्रेक्षण करता है और बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में समुद्र तल पर स्थित तल दाब संवेदकों के माध्यम से किसी सुनामी लहर के उत्पन्न होने पर उसके बढ़ने की पुष्टि करता है। यह प्रणाली, सुनामी के लिए सतर्क करने और सुनामी के लिए चेतावनी सूचनाएं देने में भी सक्षम है।

(ख) जी नहीं। भारत ने इस प्रणाली को किसी भी देश की सहायता के बिना स्वयं अपने बलबूते पर विकसित किया है। हालांकि, भूकंप-विज्ञान और समुद्री ज्वारभाटा संबंधी डेटा अन्य देशों से भी प्राप्त किए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नवीकरणीय ऊर्जा का विकास

181. **श्री बाड़िगा रामकृष्णा : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक और कुछ वित्तीय संस्थान देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) के माध्यम से ऋण उपलब्ध करा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उपलब्ध कराए गए ऋण का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या मानदंड अपनाया गया;

(ग) क्या आईआरईडीए के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ जारी की गई धनराशि की निगरानी के लिए कोई तंत्र मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी हां। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं/प्रणालियों को सहायता देने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) सरकारी इक्विटी, करमुक्त बॉडों के माध्यम से और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर संसाधन जुटा रही है।

(ख) अब तक इरेडा ने विभिन्न साख लाइनों के माध्यम से 2910 करोड़ रु. की राशि जुटाई है। मानदंडों में साख योग्यता, विगत में कार्य-निष्पादन और उधारकर्त्ता की भावी योजनाएं शामिल हैं।

(ग) और (घ) प्रतिभूत और संवितरित ऋणों की मानीटरिंग आवधिक रूप से इरेडा के निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की मॉनीटरिंग करने के लिए इरेडा द्वारा नामित निदेशकों और समवर्ती इंजीनियरों/लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

देश में विदेशी लॉ फर्मों का प्रचालन

182. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में विदेशी सॉलिसिटर फर्मों को शिरकत करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में इंडियन बार काउंसिल से विचार-विमर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इंडियन बार काउंसिल द्वारा क्या सुझाव दिया गया है;

(ङ) बार काउंसिल के सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) न्यायिक प्रक्रिया में भागीदारी करने के लिए विदेशी सालिसिटरों को अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विदेशी विधियों के संबंध में विधिक सलाह और सहायता देने के लिए विदेशी विधि फर्मों को उनके कार्यालय स्थापित करने की अनुमति देने के मुद्दे पर भारतीय विधिज्ञ परिषद् सहित सभी पणधारियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(घ) भारतीय विधिज्ञ परिषद् के मतों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) और (च) सरकार भारतीय विधिज्ञ परिषद् के मतों पर विचार करने के पश्चात् विधिक वृत्ति के सर्वोत्तम हित में विनिश्चय करेगी।

विदेशी ऋण

183. **श्री अधीर चौधरी :**

श्री निखिल कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान देश का विदेशी ऋण लगभग 23% बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि के अनुसार कुल विदेशी ऋण कितना है; और

(घ) देश के विदेशी ऋण भार को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारत का विदेशी ऋण 2006-07 के दौरान 29.0 बिलियन अमरीकी डालर अर्थात 22.7 प्रतिशत बढ़कर मार्चान्त 2007 में 156.6 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया।

(ख) इस वर्ष के दौरान बढ़ने वाले विदेशी ऋण के प्रमुख संघटक इस प्रकार थे – विदेशी वाणिज्यिक उधार (59%), अनिवासी भारतीय जमाराशियां (14%) और अल्पावधिक ऋण (38%)। विदेशी वाणिज्यिक उधार के स्टाक में वृद्धि मुख्यतया विदेशों में अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों के कारण भारतीय कारपोरेटों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में अधिक ऋण जुटाने के कारण हुई थी। वर्ष 2006-07 के दौरान अनिवासी भारतीय जमाराशियों में उछाल अंशतः अनिवासी भारतीयों द्वारा अपनी बचतों को भारतीय बैंकिंग प्रणाली में जमा करने को तरजीह देने और अंशतः रुपये के बढ़ते मूल्य के कारण आया, जिसने न कवेल अंतर्वाह को गति प्रदान की बल्कि अनिवासी रुपया खाते के अंतर्गत बकाया शेष को भी प्रभावित किया। अल्पावधिक ऋण में वृद्धि आयात, खासकर तेल आयात के बढ़ते स्तर के कारण हुई थी।

(ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान भारत के कुल विदेशी ऋण का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :

सारणीः भारत का विदेशी ऋण

(बिलियन अमरीकी डालर)

क्र.सं.	संघटक	निम्न अवधि के अंत में			
		मार्च 2005	मार्च 2006	मार्च 2007	जून 2007
1	2	3	4	5	6
क	दीर्घावधिक	116.7	118.9	144.6	152.4
ख	अल्पावधिक	7.5	8.7	12.0	13.0
ग	जोड़ (क+ख)	124.2	127.6	156.6	165.4

(घ) विदेशी ऋण को नियंत्रणीय सीमाओं में रखने के लिए सरकार द्वारा विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन नीतियों का अनुपालन किया जाता है। इनमें रियायती शर्तों पर लंबी परिपक्वता वाले सरकारी ऋण जुटाने पर बल देना, ऊंची लागत के ऋणों की समय-पूर्व अदायगी करना, अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर ब्याज दरों का यौक्तिकीकरण, विदेशी वाणिज्यिक उधारों के अंतिम प्रयोग पर रोक लगाना, अल्पावधिक ऋण की मानीटरिंग और ऋण-सृजित न करने वाले पूंजी प्रवाहों को प्रोत्साहित करना शामिल हैं।

बीपीएल सूची प्रदर्शित किया जाना

184. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में सार्वजनिक स्थलों पर बीपीएल परिवारों की सूची प्रदर्शित नहीं की जा रही है, जबकि इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में सार्वजनिक स्थलों पर बीपीएल परिवारों की सूची प्रदर्शित नहीं की जा रही है;

(ग) क्या सरकार को उक्त सूची को सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित करने हेतु ऐसे राज्यों के लिए अंतिम समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चूककर्ता राज्यों के खिलाफ केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बीपीएल परिवारों के निर्धारण के लिए बीपीएल जनगणना, 2002 कराने की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया जा सके। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बीपीएल सूची को ग्राम सभा से अनुमोदित कराने से पहले गांव के प्रमुख स्थानों में बीपीएल सूची के मसौदे को प्रदर्शित करने का प्रावधान किया गया था। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भी बीपीएल सूची वेबसाइट में डालने तथा उसकी मुद्रित प्रतियां पंचायतों में रखने को कहा गया है। संकल्पना के अनुरूप नई बीपीएल सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि मामला न्यायाधीन था। दिनांक 14.02.2006 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश रद्द किए जाने के पश्चात नई बीपीएल सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की गई। तत्पश्चात्, लोक शिकायतें दूर करने के लिए द्विस्तरीय अपील तंत्र का प्रावधान किया गया। कई राज्यों में पर्याप्त मात्रा में शिकायतें मिलने की सूचना प्राप्त हुई हैं और इसके परिणामस्वरूप बीपीएल सूची को अंतिम रूप देने में बहुत समय लगा। कुछ मामलों में, जहां शिकायतों की संख्या बहुत अधिक थी, राज्य सरकारों ने उन विशिष्ट क्षेत्रों में फिर से सर्वेक्षण कराया जिसकी वजह से बीपीएल सूची को अंतिम रूप देने में और अधिक विलंब हुआ।

नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने बीपीएल जनगणना, 2002 के आधार पर बीपीएल सूची को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में बीपीएल सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा सरकार ने कई शिकायतें मिलने पर फिर से सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल में 19 जिलों में से 12 जिलों में में बीपीएल सूची को अंतिम रूप दिया गया है एवं अपनी वेबसाइट में प्रविष्टि कर दी है। अधिकांश राज्यों, जिन्होंने नई बीपीएल सूची को अंतिम रूप दे दिया है, ने भी इसकी अपनी वेबसाइट में प्रविष्टि कर दी है। नई बीपीएल सूची को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिए जाने के लिए शेष राज्यों के संबंधित मुख्य मंत्रियों के साथ इस मामले को उठाया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से गैर-आधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति

185. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपने बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के गैर–आधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा अपने बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के नियुक्त किए गए गैर–आधिकारिक निदेशकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चूककर्ता बैंकों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जी, नहीं। ऐसे कोई निदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है न कि बैंकों द्वारा। अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों के चयन संबंधी अनुमोदित दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह व्यवस्था है कि जहां तक संभव हो, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। गत तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में, सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशकों सहित, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के नौ निदेशकों की नियुक्ति की है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को घाटा

186. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को कितना–कितना घाटा हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के घाटे को कम करने के लिए एक योजना बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार 96 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वर्ष 2006–07 के दौरान 301.25 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(ख) और (ग) भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कामकाज सुधारने तथा उनकी हानि कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जो इस प्रकार हैं :–

(1) व्यवसाय समेकन, विस्तार आदि के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन। समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से बेहतर बुनियादी सुविधाओं, शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण, अनुभवी कार्यबल के एकत्रण, सामान्य प्रचार व विपणन प्रयास आदि से बेहतर ग्राहक

सेवा प्राप्त होगी। वे विशाल प्रचालन क्षेत्र, संबंधित ऋण निवेश सीमा के लाभ भी हासिल करेंगे तथा इससे वे विविध बैंक संबंधी कार्यकलाप आरंभ कर सकेंगे।

(2) सरकार ने वर्ष 2007–08 के बजट प्रस्ताव में घोषणा की है कि ऋणात्मक शुद्ध सम्पत्ति वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए शेयरधारकों द्वारा उनमें पुनर्पूंजीकरण किया जाएगा।

(3) गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण बढ़ोतरी।

(4) आय अर्जन बढ़ाने के लिए बीमा पॉलिसियों की बिक्री, वेतन का संवितरण आदि तथा सरकारी व्यवसाय का प्रबंधन जैसे गैर कोष आधारित व्यावसायिक कार्यों का विस्तार।

(5) कम या न्यूनतम शेष से 'न्यूनतम शेष खाता' खोलना।

(6) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वूसली बढ़ाने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम उन पर भी लागू करना।

(7) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाएं स्वीकार करने की अनुमति देना।

(8) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संघीय उधार देने की अनुमति देना।

कायमकुलम विद्युत परियोजना

187. श्री एस. अजय कुमार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कायमकुलम स्थित एनटीपीसी तापीय विद्युत स्टेशन एलएनजी की अनुपलब्धता के कारण प्रत्याशित प्रगति नहीं कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) एनटीपीसी लि. कायमकुलम में राजीव गांधी संयुक्त साइकल विद्युत परियोजना (आरजीसीसीपीपी) की नेफ्था दहन वाले विद्यमान विद्युत संयंत्र की क्षमता को एल एन जी/प्राकृतिक गैस ईंधन आधारित चरण–II में 1950 मे.वा. (सांकेतिक) क्षमता जोड़कर बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है। 1950 मे.वा. क्षमता विस्तार हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई थी जिसके तहत रि–गैसीफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (आर एल एन जी)/प्राकृतिक गैस (एनजी) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली माध्यम से प्राप्त किये जाने पर विचार किया गया था। एनटीपीसी लि. ने आरएलएनजी/एनजी की आपूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय बोलियां आमंत्रित की है। अपर्याप्त/अपूर्ण प्रतिक्रिया के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

(ग) बाद में यह निर्णय लिया गया था कि पेट्रोनेट एलएनजी लि. द्वारा अपने प्रस्तावित कोचिटर्मिनल में प्राप्त किये जाने वाली एनएनजी की प्रत्याशित मात्रा में से 2.1 एमएमटीपीए (मिलियन मिट्रिक टन प्रति वर्ष) मात्रा एनटीपीसी लि. की कायमकूलम में विद्यमान आरजीसीसीपीपी चरण–I और 1950 मे.वा के इसके प्रस्तावित चरण–II विस्तार के लिए उद्दिष्ट की जायेगी। एलएनजी आपूर्तियां वर्ष 2013 में प्रत्याशित है।

विद्युत एक्सचेंजों की स्थापना

188. श्री मनोरंजन भक्त : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत एक्सचेंजों की स्थापना करने तथा इनके संचालन के लिए कोई नीति/योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 66 और राष्ट्रीय विद्युत नीति के अंतर्गत सौंपे गए उत्तरदायित्व के अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए विद्युत व्यापार हेतु एक संयुक्त प्लेटफार्म विकसित करने संबंधी एक स्टाफ परामर्श दस्तावेज़ जारी किया है। बाद में, नई दिल्ली में 19 दिसंबर, 2006 को मामले पर सार्वजनिक सुनवाई हुई थी। परामर्श दस्तावेज़ संबंधी प्राप्त टिप्पणियों और 19 दिसंबर, 2006 को हुई सुनवाई में हुए विचार–विमर्शों को ध्यान में रखते हुए सीईआरसी ने इन एक्सचेंजों को स्थापित करने के लिए दिशानिर्देशों निर्धारित करते हुए दिनांक 6.2.2007 को अपना आदेश जारी किया।

विवाहों का पंजीकरण

189. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल के निर्णय में सभी व्यक्तियों के लिए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कितने राज्यों ने अभी तक विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है;

(घ) क्या सरकार विवाह के अनिवार्य पंजीकरण के लिए एक केन्द्रीय कानून लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। सरकार निर्णय के विभिन्न पहलुओं/विवक्षाओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर रही है।

(घ) अभी तक इस निमित्त किसी केन्द्रीय विधि को अधिनियमित करने का कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पक्की सड़कों के माध्यम से गांवों को जोड़ना

190. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूर्णतया केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में 2000–01 से कार्यान्वित की जा रही है। पीएमजीएसवाई का मुख्य उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 अथवा अधिक की जनसंख्या तथा पहाड़ी राज्यों, मरूभूमि क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों में 250 अथवा अधिक की जनसंख्या वाली सभी संपर्करहित बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। नवीनतम अनुमान के अनुसार 1.79 लाख बसावटें इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाने की पात्र हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण लोगों के बारे में सर्वेक्षण

191. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन, वस्त्र तथा प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) अपने "दौर" के हिस्से के रूप में नियमित रूप से उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण करता है तथा प्रत्येक दौर सामान्यतया एक वर्ष का होता है जिसमें अध्ययन के एक से अधिक विषय को कवर किया जाता है। पारिवारिक उपभोक्ता व्यय से संबंधित नवीनतम नमूना सर्वेक्षण एनएसएस के 61वें दौर के माध्यम से किया गया था और इसमें जुलाई, 2004 से जून, 2005 तक की अवधि को कवर किया गया था। उपभोक्ता व्यय नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों में भोजन तथा कपड़े से संबंधित व्यय भी शामिल हैं। उपभोक्ता व्यय संबंधी नमूना सर्वेक्षण का ब्यौरा एनएसएस रिपोर्ट सं. 508–उपभोक्ता व्यय का स्तर और पद्धति, 2004–05 में उपलब्ध है। एनएसएसओ द्वारा 59वें दौर (जनवरी से दिसम्बर, 2003) के माध्यम से किए गए सर्वेक्षण में प्रति किसान परिवार मासिक आय (किराया, ब्याज, लाभांश इत्यादि को छोड़कर) संबंधी जानकारी शामिल है जिसे एनएसएस की रिपोर्ट सं. 497 में प्रकाशित किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल आंकड़ों का उपयोग देश में गरीबी का आकलन करने तथा सरकार की अन्य नीतियां बनाने में किया जाता है।

[हिन्दी

अनुसूचित जनजाति की सूची में लवणा जाति को शामिल किया जाना

192. **श्री प्रेम कुमार धूमल** : क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गाय पालन व्यवसाय करने वाली लवणा जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया) : (क) हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में "लवणा" जाति के समावेशन के लिए मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में "लबाना" समुदाय के समावेशन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) इस प्रस्ताव पर अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

दहेज हत्या के झूठे मामलों में फंसाया जाना

193. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने दहेज हत्या के आरोपी को सारहीन आधार पर नहीं छोड़ने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को दहेज मामलों में गलत रूप से अथवा जान-बूझकर फंसाए जाने की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) : (क) और (ख) भारतीय विधि आयोग ने "भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख में संशोधन हेतु प्रस्ताव" विषय पर अपनी 202 वीं रिपोर्ट अक्तूबर, 2007 में प्रस्तुत की है, जिसमें दहेज मृत्यु के मामलों के संबंध में सिफारिशें की गई हैं। यह रिपोर्ट विधि और न्याय मंत्रालय, भारतीय विधि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विधि कार्य विभाग ने इस रिपोर्ट की एक प्रति जांच/कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय को भेज दी है।

(ग) वर्ष 2004-06 की अवधि के दौरान देश भर में दर्ज किए गए ऐसे मामलों के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय से प्राप्त आंकड़े इस प्रकार हैं :

भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अंतर्गत (दहेज मृत्यु)

दर्ज किए गए मामलों की संख्या	21,431
तथ्यों अथवा विधि संबंधी भूल के कारण झूठे सिद्ध हुए मामलों की संख्या	974

भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क
(पति अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता)

दर्ज किए गए मामलों की संख्या	179568
तथ्यों अथवा विधि संबंधी भूल के कारण झूठे सिद्ध हुए मामलों की संख्या	19013

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत

दर्ज किए गए मामलों की संख्या	11300
तथ्यों अथवा विधि संबंधी भूल के कारण झूठे सिद्ध हुए मामलों की संख्या	615

(घ) दहेज संबंधी झूठी शिकायतों पर कार्रवाई राज्यों के अन्वेषण तथा अभियोजन प्राधिकारियों को करनी होती है।

[अनुवाद]

सनदी लेखाकार पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी

194. **श्री एस.के. खारवेनथन** : क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में सनदी लेखाकार पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास सनदी लेखाकार विद्यार्थियों को गैर-लेखा परीक्षा कंपनियों के साथ आर्टिकलशिप करने की स्वीकृति देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सनदी लेखाकार विद्यार्थियों को वर्तमान में कितना वजीफा दिया जा रहा है;

(ङ) क्या सनदी लेखाकार विद्यार्थियों के वर्तमान वजीफे में वृद्धि किए जाने का भी कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) देश में वर्तमान में भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान से सनदी लेखाकार पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5,04,962 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) किसी आबद्ध सहायक को दिये जाने वाले न्यूनतम मासिक वजीफे की दर निम्नानुसार है :

आबद्ध सहायक की सेवा के सामान्य स्थान का वर्गीकरण	प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान	प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के दौरान	प्रशिक्षण की शेष अवधि के दौरान
1	2	3	4
(i) शहर/कस्बे जिनकी आबादी बीस लाख या इससे अधिक है।	1000/-रु.	1250/-रु.	1500/-रु.
(ii) शहर/कस्बे जिनकी आबादी चार लाख या इससे अधिक परन्तु बीस लाख से कम है।	750/-रु.	1000/-रु.	1250/-रु.
(iii) शहर/कस्बे जिनकी आबादी चार लाख से कम है।	500/-रु.	750/-रु.	1000/-रु.

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) वर्तमान वजीफे की दर 17 अगस्त, 2007 से लागू की गई है।

बायोमीट्रिक एटीएम का वापस लिया जाना

195. **श्री जी.एम. सिद्धेश्वर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायोमीट्रिक विशेषताओं वाली स्वचालित गणक मशीनें (एटीएम) ग्रामीण क्षेत्रों से वापस ली जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अनुसार बैंको से अपेक्षा की जाती है वे नए स्थान पर व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करें। ऐसे अनुमोदन शाखा प्राधिकार नीति और इस संबंध में जारी निर्देशों पर बल देते हुए विवेकाधिकार के आधार पर दिए जाते हैं। तथापि, शाखा/स्थलेतर एटीएम के स्थान तथा दी जाने वाली सेवाओं की प्रकृति का चयन बैंकों के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लगाए गये बायोमीट्रिक विशेषताओं वाले एटीएम संतोषजनक तरीके से कार्य कर रहे हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों से एटीएम हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास योजनाएं

196. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास "ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास" नामक कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि आबंटित तथा वास्तव में खर्च की गई; और

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के लिए कितनी धनराशि का प्रस्ताव किया गया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा "भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों के लिए आवास" नामक कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं की जा रही है। तथापि, इन्दिरा आवास योजना (आई ए वाई) के अंतर्गत रिहायशी इकाइयों के निर्माण के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे (बीपीएल) ग्रामीण परिवारों को मैदानी क्षेत्रों में 25,000 रुपए प्रति इकाई तथा पर्वतीय/दुःसाध्य क्षेत्रों में 27,500 रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत जारी करने हेतु 11627.5 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे जिसकी तुलना में राज्यों द्वारा राज्य अंश सहित 16544.66 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इन्दिरा आवास योजना हेतु 51226.9 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अनियमितताएं

197. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार के ध्यान में आई अनियमितताओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहु) : (क) विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत अगस्त, 2007 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की जानकारी में आईं अनियमितताओं के मामलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत अनियमितताओं के कुल मिलाकर 142 मामले ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्राप्त हुए हैं। इन सभी मामलों को जांच और आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकार/राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआरडीए) को भेज दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनियमितताओं के मामलों की संख्या
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	4
2.	असम	7
3.	बिहार	49
4.	छत्तीसगढ़	5
5.	गुजरात	1
6.	हरियाणा	1
7.	हिमाचल प्रदेश	2
8.	कर्नाटक	2
9.	मध्य प्रदेश	19
10.	महाराष्ट्र	4
11.	मिजोरम	1
12.	नागालैण्ड	1

1	2	3
13.	उड़ीसा	5
14.	राजस्थान	14
15.	तमिलनाडु	1
16.	उत्तर प्रदेश	25
17.	उत्तराखंड	1
	कुल	142

मेट्रो परियोजना के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग

198. **श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मेट्रो रेल परियोजनाएं शुरू करने के लिए राज्यों हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग में वृद्धि करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें आंध्र प्रदेश सरकार का हिस्सा कितना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी हां।

(ख) वित्त मंत्रालय की 'अवस्थापना में सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) को वित्तीय सहायता देने की मौजूदा स्कीम' के अंतर्गत पीपीपी मोड में निष्पादित की जा रही परियोजना की 20% लागत वित्त मंत्रालय से व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण (वीजीएफ) के रूप में परियोजना निर्माण के स्तर पर पूंजीगत अनुदान के रूप में अनुमय है तथा शेष वी जी एफ, जो कि परियोजना लागत का 20% है, परियोजना से संबंधित प्रायोजक मंत्रालय/राज्य सरकार/सांविधिक प्राधिकरण द्वारा उसके अपने बजट से उपलब्ध कराया जा सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे 20% के अलावा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त 10% व्यवहार्यता अंतराल सहायता मुहैया कराने के लिए प्रस्ताव पर अंतःमंत्रालय स्तर पर विचार किया जा रहा है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा अनुमानित परियोजना लागत 8760 करोड़ रु. है। राज्य सरकार ने अपेक्षित केन्द्रीय सहायता की सही राशि नहीं बताई है। यह राशि चयनित बोली लगाने वाले द्वारा मांगी गई वी जी एफ की राशि पर निर्भर होगी।

त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम

199. **श्रीमती निवेदिता माने :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में सुधार की महत्वाकांक्षी परियोजना धन की कमी के कारण ठप पड़ गई है और जिसके परिणामस्वरूप ग्याहरवीं योजना (2007–12) के लिए एक ट्रीलियन रुपये की धनराशि वाले त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) का अनुमोदन रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) जी, नहीं। एपीडीआरपी को संशोधित सेवा शर्तों के साथ केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के रूप में 11वीं योजना में भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सौर ऊर्जा

200. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री प्रेम कुमार धूमल :

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में उत्पादित सौर ऊर्जा की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार जल विद्युत और ताप विद्युत पर सौर ऊर्जा को वरीयता देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सौर ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में आज की तिथि के अनुसार सौर ऊर्जा प्रणालियों के विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्त्ताओं का ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग) भारत, प्रतिवर्ष 5,000 ट्रिलियन कि. वा.घं. से भी अधिक के बराबर सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। भारत में दैनिक औसत सौर ऊर्जा आपतन, स्थान विशेष पर निर्भर करते हुए, 4–7 कि. वा.घं. प्रति वर्गमीटर के बीच है। सौर ऊर्जा का दो विधियों से दोहन किया जा सकता है वे हैं – सीधे ही बिजली में रूपांतरण और ताप ऊर्जा के रूप में क्रमशः सौर प्रकाशवोल्टीय एवं सौर तापीय।

देश में सौर ऊर्जा का उपयोग नियमित रूप से बढ़ रहा है, तथापि सौर ऊर्जा प्रणालियों की उच्च आरंभिक लागत इसके बड़े पैमाने पर उपयोग में बाधक है। ग्रिड सम्बद्ध सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली की अनुमानित यूनिट लागत लगभग 12–15 रुपये प्रति यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है जो तापीय विद्युत सहित पारंपरिक स्रोतों और पवन, लघु पन बिजली एवं बायोमास जैसे अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली की तुलना में बहुत अधिक है।

मंत्रालय की वित्तीय सहायता से देश में कुल 33 ग्रिड–इंटरएक्टिव सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र संस्थापित किए गए हैं। 2.125

मेगावाट पीक की समग्र क्षमता वाले इन संयंत्रों से एक वर्ष में लगभग 2.5 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है।

वर्तमान में उच्च आरंभिक लागत को देखते हुए, सौर ऊर्जा प्रणालियों का उपयोग मुख्य रूप से रोशनी, दूर संचार, छोटी विद्युत जरूरतों, बैटरी चार्जिंग, जल तापन एवं कुकिंग आदि में स्टैंड एलोन अनुप्रयोगों में हो रहा है। अब तक देश में समग्र रूप से लगभग 110 मेगावाट पीक सौर प्रकाशवोल्टीय मॉड्यूल क्षमता की लगभग 14 लाख सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां संस्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त सौर जल तापन अनुप्रयोगों हेतु लगभग 6 लाख सौर कुकर एवं लगभग 20 लाख वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र संस्थापित किया गया है जो लगभग 1400 मेगावाट तापीय क्षमता के बराबर है।

(घ) विभिन्न सौर ऊर्जा कार्यक्रमों हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियों की राज्यवार रिलीज के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) सौर प्रकाशवोल्टीय सैल/मॉड्यूल, सौर कुकर, फ्लैट प्लेट और तापीय संग्राहक आधारित जल तापन प्रणालियों के विनिर्माताओं एवं इवैक्यूएटेड ट्यूब कलैक्टर आधारित जल तापन प्रणालियों के आपूर्तिकर्त्ताओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

सौर ऊर्जा कार्यक्रमों हेतु निधियों की राज्यवार रिलीज

(लाख रु. में)

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष		
	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	21.94	49.8	44.2
अरूणाचल प्रदेश	0	34.81	280.6
असम	20.22	50	0
बिहार	0	9.12	22.95
चंडीगढ़	0	0.08	0
छत्तीसगढ़	71.54	14.16	47.7
दिल्ली	6.4	17.5	8.5
गोवा	0	0	13.25
गुजरात	37.2	36.97	280.59
हिमाचल प्रदेश	88.3	1.77	505.62
हरियाणा	20.3	165.78	355.32
जम्मू एवं कश्मीर	173.34	3.2	210.33
झारखंड	0	5.91	0
कर्नाटक	143.27	326.35	312.23
केरल	0.08	74.54	0
मध्य प्रदेश	27.38	3	129.01
महाराष्ट्र	45.36	107.97	270.88
मणिपुर	0	24.98	15.95
मेघालय	0.08	154.76	424.78
मिजोरम	43.58	110.71	100.9
नागालैंड	0	6.98	94.9
उड़ीसा	2.8	2.26	76.48
पांडीचेरी	1.73	5.09	2
पंजाब	4	11.8	62.9
राजस्थान	4.95	246.16	396.82
सिक्किम	26	0	110.14
तमिलनाडु	4.15	107.23	253.27
त्रिपुरा	0	1.71	0
उत्तर प्रदेश	175.7	174.99	171.85
उत्तराखंड	2.78	273.23	1246.33
पश्चिम बंगाल	41.17	325.81	341.78
इरेडा/बैंक/अन्य	776.6	3465.76	1706.03
कुल	1738.87	5812.43	7485.31

विवरण-II

सौर प्रकाश वोल्टीय सैलों/मॉड्यूलों, सौर जल तापकों और सौर कुकरों के राज्य वार विनिर्माता

राज्य	एसपीवी मॉड्यूल	सौर जल तापक (फ्लैट प्लेट)	सौर जल तापक (इवैक्यूएटेड ट्यूब)*	सौर कुकर
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	6	4	2	1
चंडीगढ़	–	2	–	–
दिल्ली	–	1	6	5
गुजरात	–	4	2	7
हरियाणा	–	–	1	–
हिमाचल प्रदेश	–	1	–	–
कर्नाटक	5	26	5	4
केरल	1	–	1	1
मध्य प्रदेश	–	–	–	1

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	–	16	7	4
पंजाब	1	–	–	1
राजस्थान	1	–	–	1
तमिलनाडु	2	2	2	1
उत्तर प्रदेश	2	–	–	3
उत्तराखंड	–	–	1	–
प. बंगाल	1	–	1	1
कुल	19	57	29	31

* इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर आधारित जल तापकों के आपूर्तिकर्त्ता

संविधान की समीक्षा

201. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने संविधान की समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार रिपोर्ट की क्रियान्वयन स्थिति क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग की स्थापना 22 फरवरी, 2000 को की गई थी। आयोग ने 31 मार्च, 2002 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आयोग ने, (i) मूल अधिकारों, निदेशक तत्वों और मूल कर्तव्यों, (ii) निर्वाचक प्रक्रियाओं और राजनीतिक दलों; (iii) संसद और राज्य विधान मंडलों; (i) कार्यपालिका और लोक प्रशासन; (v) न्यायपालिका; (vi) संघ–राज्य संबंधों; (vii) विकेन्द्रीकरण और न्यागमन; और (viii) सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन और विकास की गति के संबंध में विभिन्न सिफारिशें की है। सिफारिशो में संविधान के संशोधन, विधायी उपाय और कार्यपालक कार्रवाई सम्मिलित है। आयोग की रिपोर्ट के पूर्ण पाठ को इंटरनेट [www.lawmin.nic.in] पर रखा गया है।

(ग) सिफारिशों पर भारत सरकार के उन मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्रवाई की जानी है, जो सिफारिशों की विषय–वस्तु से प्रशासनिक रूप से संबद्ध हैं। रिपोर्ट की प्रतियों को पहले ही मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित कर दिया गया है।

नवीकरणीय ऊर्जा का विकास

202. श्री मनोरंजन भक्त : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कराधान नीतियों सहित विनियमों तथा प्रोत्साहन ढांचे में एकरूपता से ऊर्जा नीति/क्षेत्र विनियमों का एकीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) एकीकृत ऊर्जा नीति रिपोर्ट के विनियमों व प्रोत्साहन ढांचे संबंधी खंड के अंतर्गत सिफारिश की गई है कि समूचे ऊर्जा उप–क्षेप में कर संरचना तथा विनियम एक समान होने चाहिए व संस्थागत व्यवस्थाएं सभी के लिए समान स्तर पर मुहैया कराई जानी चाहिए। तथापि, ये सिफारिशें सरकार द्वारा अभी स्वीकार की जानी शेष है।

समेकित बाल संरक्षण योजना

203. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित बाल संरक्षण योजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महिलाओं का यौन उत्पीड़न

204. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार और राज्य–वार यौन उत्पीड़न के कुल कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ख) अब तक कितने मामले निपटाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अंतर्गत वर्ष 2004, 2005 तथा 2006 के दौरान यौन उत्पीड़न (छेड़छाड़) से संबंधित दर्ज किए गए, आरोप पत्र दाखिल किए गए तथा दोषसिद्ध किए गए मामलों की राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2004–06 के दौरान भारतीय दंड संहिता की यौन उत्पीड़न (छेड़छाड़) से संबंधित धारा 509 के अंतर्गत दर्ज मामलों (द.मा.), आरोप पत्र दाखिल मामलों (आ.प.मा.) एवं दोष सिद्ध मामलों (दो.मा.) तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (गि.व्य.), आरोप पत्र दाखिल व्यक्तियों (आ.प.व्य.) एवं दोष सिद्ध व्यक्तियों (दो. व्य.) की राज्य–वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004						2005						2006					
		द.मा.	आ.प.मा.	दो.मा.	गि.व्य.	आ.प.व्य.	दो.व्य.	द.मा.	आ.प.मा.	दो.मा.	गि.व्य.	आ.प.व्य.	दो.व्य.	द.मा.	आ.प.मा.	दो.मा.	गि.व्य.	आ.प.व्य.	दो.व्य.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	आन्ध्र प्रदेश	2310	2043	739	2528	2345	1135	2508	2410	1030	2963	2856	1214	2411	2090	655	2816	2790	759
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	0
3	असम	11	7	2	19	15	2	19	14	1	9	6	1	10	8	1	10	8	0
4	बिहार	13	13	3	18	21	4	13	12	1	27	18	1	53	43	5	55	47	10
5	छत्तीसगढ़	131	129	80	155	156	93	132	128	40	173	175	50	143	135	27	179	178	41
6	गोवा	15	8	0	17	10	0	8	9	0	9	10	0	7	4	0	6	6	0
7	गुजरात	164	154	13	251	253	16	104	89	12	125	125	13	138	118	15	143	139	19
8	हरियाणा	850	829	833	959	938	904	597	587	343	755	768	392	491	475	342	584	581	384
9	हिमाचल प्रदेश	16	14	1	17	16	4	29	27	3	34	35	4	31	26	5	34	35	5
10	जम्मू एवं कश्मीर	264	251	80	319	319	107	371	343	74	442	400	92	347	350	82	469	469	119
11	झारखंड	3	2	0	29	27	4	36	24	7	88	21	11	44	28	5	33	66	5
12	कर्नाटक	57	62	70	63	69	47	71	39	3	53	51	2	38	33	9	42	40	7
13	केरल	133	115	20	148	92	18	175	165	21	198	282	45	222	178	16	230	220	19
14	मध्य प्रदेश	804	785	205	1032	1031	273	792	680	189	878	876	254	762	759	259	970	973	467
15	महाराष्ट्र	862	775	13	1092	1060	14	919	901	35	1256	1229	39	984	914	41	1195	1188	43
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	4	1	0	6	3	2	0	2	3	0	3	3
19	नागालैंड	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2	2
20	उड़ीसा	170	161	24	255	248	31	184	166	11	293	293	12	247	214	20	311	306	20
21	पंजाब	38	32	61	43	64	66	43	18	6	42	27	7	60	43	19	75	63	29
22	राजस्थान	41	35	28	51	51	31	28	22	17	38	38	19	31	26	16	33	33	16
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	1081	943	704	1037	1071	696	665	749	419	787	809	446	852	745	203	857	838	348
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	2682	2644	1849	4176	4159	2351	2881	2841	1834	4469	4373	2908	2714	2715	1716	3852	3825	2312
27	उत्तरांचल	110	109	48	267	258	60	89	88	30	179	184	41	113	113	35	186	185	94
28	प. बंगाल	64	42	3	90	64	3	54	52	3	66	65	3	63	51	16	76	55	20
	कुल राज्य	9820	9153	4776	12566	12271	5859	9723	9366	4079	12891	12645	5556	9765	9072	3491	12160	12051	4722
29	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3	2	0	3	2	0	1	1	0	3	2	0	4	4	0	6	8	0
30	चंडीगढ़	18	15	4	24	15	4	9	10	1	13	21	2	13	12	3	20	20	3
31	दादरा व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
32	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली	130	129	40	137	129	40	225	219	18	255	221	35	144	114	19	163	41	33
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	पांडिचेरी	30	30	8	41	42	10	26	27	14	30	30	14	39	38	9	70	70	9
कुल संघ राज्य क्षेत्र		181	176	52	205	188	54	261	257	33	301	274	51	201	169	31	260	140	45
कुल अखिल भारत		10001	9329	4828	12771	12459	5913	9984	9623	4112	13192	12919	5607	9966	9241	3522	12420	12191	4767

स्रोत : भारत में अपराध * (अनंतिम आंकड़े)

नोट : पुलिस एवं न्यायालय द्वारा निवारण संबंधी सूचना में पिछले वर्षों के लंबित मामले भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

महानगरों में सुविधाएं

205. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महानगरों में विकास हेतु कोई योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने दिनांक 3 दिसंबर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया ताकि सभी महानगरों सहित 63 चुनिंदा शहरों में शहरी अवस्थापना सेवाओं के समेकित विकास पर ध्यान दिया जा सके और शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं के प्रावधान सहित आवास, जलापूर्ति, सफाई, सड़क तंत्र, शहरी परिवहन, भीतरी (पुराने) शहरी क्षेत्रों आदि के विकास पर जोर दिया जा सके। वर्ष 2005–06 से आरंभ होने वाली 7 वर्षों की मिशन अवधि के लिए सुधार आधारित केन्द्रीय सहायता के रूप में 50,000 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपए की राशि राज्य तथा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) से प्राप्त होगी।

जेएनएनयूआरएम का कार्यान्वयन

206. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के कार्यान्वयन में पीछे चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी हां। स्कीम के कार्यान्वयन में पिछड़ने वाले राज्यों/शहरों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) अभी तक पिछड़ रहे राज्यों में शहरी परियोजनाओं सहित मिशन के कार्यान्वयन में तेजी की जानकारी लेने के लिए केन्द्र द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

स्कीम के कार्यान्वयन में पिछड़ने वाले राज्यों/शहरों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है :–

i. ऐसे राज्य, जिन्होंने अभी तक जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथानिर्धारित सुधारों को कार्यान्वयन के लिए इस मंत्रालय के साथ करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इसीलिए मिशन के अंतर्गत कोई प्रगति नहीं की है :–

(क) झारखंड

(ख) गोवा

(ग) पुद्दुचेरी

ii. ऐसे राज्य, जिन्होंने करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन मिशन के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु समुचित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया अभी चल रही है।

(क) मेघालय (शिलांग)

(ख) मिजोरम (आइजवाल)

(ग) उड़ीसा (पुरी)

(घ) त्रिपुरा (अगरतला)

(ङ) उत्तरांचल (नैनीताल, हरिद्वार तथा देहरादून)

(च) सिक्किम (गंगटोक)

(छ) पंजाब (लुधियाना)

(ज) मध्य प्रदेश (उज्जैन)

(झ) दिल्ली

(ञ) बिहार (बोध गया)

iii. ऐसे राज्य/शहर, जिनके लिए परियोजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं लेकिन कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ है :–

(i) कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

(ii) अरुणाचल प्रदेश

(iii) चंडीगढ़ (यूटी)

(iv) अमृतसर (पंजाब)

(v) जम्मू व कश्मीर

(vi) तिरूवनंतपुरम (केरल)

(vii) मणिपुर

(viii) पुदुचेरी

(ix) भुवनेश्वर (उड़ीसा)

(x) असम

(xi) पटना (बिहार)

(xii) छत्तीसगढ़

(xiii) हिमाचल प्रदेश

(xiv) जबलपुर (मध्य प्रदेश)

(xv) उत्तर प्रदेश

विवरण-II

पिछड़ रहे राज्यों के लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत परियोजनाओं/सुधारों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए केन्द्र द्वारा उठाए जा रहे प्रयासों में ये शामिल हैं :–

(i) केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा आवधिक समीक्षा।

(ii) क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें।

(iii) सचिव (शहरी विकास) से राज्यों के मुख्य सचिवों को मासिक अ.शा.पत्र।

(iv) राज्य के साथ नियमित चर्चा।

(v) सुधार मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा राज्य और नगर स्तरों पर सुधारों के कार्यान्वयन की पूर्ण समीक्षा।

(vi) सुधारों के कार्यान्वयन में तेजी लाने, वास्तविक कार्यों की क्वालिटी सुधारने और सेवा प्रदान करने में कौशल को सुधारने के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित करने में सहयोग।

(vii) जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत परियोजनाओं और सुधारों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापित करने हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता देना।

(viii) स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियां (आईआरएमए) नियुक्त करके जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की त्रिपक्षीय निगरानी और समीक्षा।

(ix) संबंधित तकनीकी पैरामीटरों के आधार पर संगठनों की एक सूचनात्मक सूची संकलित की गई है तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को भेजी गई।

(x) नगरों और संस्थानों के बीच आदान–प्रदान के लिए तीव्र प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरटीपी), पीयर एक्सपीरियन्स एंड लर्निंग (पर्ल) के जरिए क्षमता निर्माण और संचार गतिविधियां।

(xi) मिशन का कार्यान्वयन अच्छी प्रकार करने वाले नगरों और राज्यों को पुरस्कार देना।

(xii) संचार अभियान।

(xiii) सिविल सोसाइटियों को नियोजित करना।

(xiv) सामुदायिक भागीदारी कोष (सीपीएफ)।

(xv) शहरी भूमि निकायों की साख निर्धार।

(xvi) नगर वित्त सुधार कार्यक्रम (एमएफआईपी)।

(xvii) साझा वित्त विकास कोष।

कार्य दिवसों की घटती संख्या

207. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993–94 और 1999–2000 के बीच कार्य दिवसों की संख्या के संदर्भ में ग्रामीण परिवारों में रोजगार कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कार्य दिवसों को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) रोजगार और बेरोजगारी के अनुमान, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा अपने स्वयं के सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। रोजगार तथा बेरोजगारी के संबंध में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के पंचवर्षीय अनुमानों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान दैनिक स्थिति (सीडीएस) आधार पर रोजगार के अवसर 1993–94 (50वां अनुमान) में 238.75 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था जो कि 1999–2000 (55वां अनुमान) में बढ़कर 251.22 मिलियन हो गया था।

करों की वसूली

208. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की वसूली में केन्द्र सरकार के समक्ष कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान प्रणाली की समीक्षा की है तथा बकाया करों की समयबद्ध वसूली के लिए जवाबदेही तय करने हेतु कोई लक्षित योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) संघ सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की वसूली में आने वाली कठिनाइयां निम्नानुसार है :–

बकाया मांगों को बट्टे खाते में डालना; निर्धारितियों का पता न चलना (कुछ सीमा तक इसका प्रभाव वसूली पर पड़ने की संभावना रहती है); वसूली के लिए परिसम्पत्ति का न होना/अपर्याप्त परिसम्पत्ति का होना (अपर्याप्तता की सीमा तक) संरक्षात्मक मांग; ऐसे मामले जहां विभाग अपील में हार गया है परन्तु अन्य सालों की भी मांग बकाया है या मांग बढ़ती रहती है जिससे कि मामले को बनाए रखा जाए क्योंकि विभाग आगे अपील कर रहा होता है; विशेष न्यायालय (प्रतिभूतियों से संबंधित अपराधों का अभियोजन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचित व्यक्ति; बी आई एफ आर के समक्ष दाखिल मामले; परिसमापन वाली कंपनियां; समझौता आयोग के समक्ष मामले; विभिन्न न्यायलयों/अधिकरणों द्वारा स्थापित मांग; किस्तों के अंतर्गत आने वाली मांग (जो माह के दौरान वसूली योग्य नहीं है उस सीमा तक); मांग, जिसकी वसूली, निर्धारित की स्थगन याचिका आयकर अधिकारियों के समक्ष विचारार्थ लंबित होने के कारण नहीं की जा रही है; सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से संबंधित मामले जो वाद/ऋण वसूली अधिकरण की समिति आदि के समक्ष लंबित हैं।

(ख) और (ग) जी हां, सरकार ने देय करों की समयबद्ध वसूली के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है आयकर के प्रत्येक मुख्य आयुक्त/महानिदेशक को लक्ष्य आबंटित किए गए हैं। सरकार ने विशेष रूप से ऐसी मांगे जिनकी वसूली कठिन है उनकी निगरानी के लिए तथा उचित कार्रवाई के लिए प्रत्येक मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक के अंतर्गत कार्यबल भी गठित किया है। जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है विभाग ने राजस्व बकाया की प्रभावी तरीके से वसूली के लिए कार्यबल आधारित प्रणाली अपनाई है। कार्यबल के अध्यक्ष मुख्य आयुक्त स्तर के अधिकारी होते हैं जिन्हें आयुक्त के रैंक के छह केन्द्रीय अधिकारी सहायता करते हैं। बकाया की वसूली के लिए अपनाई गई प्रभावी कार्रवाई के लिए अपनायी गई कार्य प्रणाली को संक्षेप में नीचे इंगित किया गया है :

अविवादित बकाया की तत्काल वसूली; न्यायालयों/सीस्टेट में स्थगन आदेशों को हटवाने के लिए/शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन दायर करना; बी आई एफ आर/डी आर टी/ओ एल/सी ओ डी के समक्ष लंबित मामलों का अनुगमन करना; आयुक्त स्तर पर लंबित सभी न्याय निर्णयन मामलों का समय पर निपटान; सीस्टेट/न्यायालयों के सकारात्मक आदेशों का शीघ्र कार्यान्वयन; के.उ.शु.सी.शु. बोर्ड की वेबसाइट पर चूककर्ताओं की सूची को रखना ताकि सभी क्षेत्रीय अधिकारी अपने स्तर पर वसूली कार्रवाई के संबंध में वेबसाइट को देख सकें; बकाया के अवसूली योग्य मामलेां को बट्टे खाते में डालना।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में बकाया से वसूली के लिए सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में क्रमशः 13,501 करोड़ रुपये के लक्ष्य निर्धारित किए है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बाहरी रिंग रोड का विकास

209. श्री रायापति साबांसिवा राव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा), हैदराबाद ने मंत्रालय से आउटर रिंग रोड और 33 रेडियल सड़कों का विकास करने संबंधी परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत खर्च/वहन करने हेतु सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) घटक के अंतर्गत हैदराबाद शहर श्रेणी–क के अंतर्गत आता है। जेएनएनयूआरएम के मौजूदा दिशानिर्देशों में दी गई वित्तीय पद्धति के अनुसार हैदराबाद अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के तौर पर परियोजना की अनुमोदित लागत का 35% पाने का पात्र है। अब तक आंध्र प्रदेश सरकार ने बाहरी रिंग रोड और रेडियल रोड विकसित करने के लिए चार परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं। जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	स्थिति
1.	आईआरआर पर इंद्रा रेड्डी स्टेचू और ओआरआर के निकट हिमायत सागर के बीच में रेडियल रोड सं. 2 के सुदृढ़ीकरण और चौड़ा करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	2000.00	मंजूरी प्राधिकरण द्वारा आस्थगित
2.	आईआरआर पर रेथीबौली जंक्शन और ओआरआर पर एपीपीए जंक्शन के बीच रेडियल रोड सं. 2 के सुदृढ़ीकरण और चौड़ा करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	2150.00	मंजूरी प्राधिकरण द्वारा आस्थगित
3.	चन्द्रयांगोट्टा से श्रीनगर तक रेडियल रोड सं. 28 का सुदृढ़ीकरण और चौड़ा करना	5191.00	संशोधन करने के लिए लौटाया गया
4.	चारमीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन परियोजना के अंतर्गत बाहरी रिंग रोड और भीतरी रिंग रोड पर सड़क को चौड़ा करना	3510.00	मंजूरी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित

जल विद्युत नीति

210. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत मंत्रालय बार–बार घोषणा करने के बावजूद एक नई जल विद्युत नीति नहीं बना पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मई, 2007 में मुख्यमंत्री सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णय को लागू नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) सरकार ने अगस्त, 1998 में जल विद्युत विकास पर एक हाइड्रो नीति घोषित की थी, जिसमें जल विद्युत के तीव्र विकास के लिए अनेक उपाय वर्णित हैं। इसके साथ–साथ यह नीति स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) तथा संयुक्त उद्यमों के जरिए विद्युत क्षेत्र में अधिकाधिक निजी निवेश पर बल देता है। किंतु मेजबान राज्य सरकारों समेत विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त सुझाव एवं उनके अनुभव के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को राज्य सरकारों तथा स्टेकहोल्डरों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों को शामिल करते हुए अंतःमंत्रालीयन परामर्श के लिए एक संशोधित प्रस्ताव परिचालित किया गया है।

(ग) से (ङ) मई, 2007 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए एक निर्णय के तहत केन्द्रीय विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में विद्युत मंत्रियों का एक स्थायी समूह गठित करने का फैसला किया गया था, जो सम्मेलन में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन की आवधिक रूप से समीक्षा करेगा। संकल्पों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा हेतु मंत्रियों के स्थायी समूह की पहली बैठक 24 सितंबर, 2007 को आयोजित की गई।

3 सितंबर, 2007 को परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास एवं पनुर्स्थापन मामले समेत जल विद्युत विकास से संबद्ध सभी मामलों की जांच करने के लिए विद्युत मंत्रियों के स्थायी समूह के उप समूह के रूप में जल विद्युत परियोजना विकास पर एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है।

मौसम की भविष्यवाणी के लिए सुपर कम्प्यूटर खरीदना

211. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मौसम की भविष्यवाणी, महासागर संबंधी सूचना, उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान की जानकारी हेतु उपलब्ध उपकरण/कम्प्यूटर पुराने हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में जलवायु में बदलाव का पता लगाने हेतु सुपर कम्प्यूटर खरीदने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) पूरी तरह नहीं। यद्यपि, भारत मौसम–विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) समय–समय पर अपने उपकरणों/कम्प्यूटरों को अपग्रेड कर रहा है, फिर भी प्रेक्षणात्मक नेटवर्क को शीघ्रता अपग्रेड करने और उसकी सघनता का विस्तार करने तथा अत्याधुनिक पूर्वानुमान मॉडलों/यंत्रों का प्रयोग कर पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाना तात्कालिक आवश्यकता है।

(ख) और (ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने विभिन्न केन्द्रों – भारत मौसम – विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.), नोएडा (उ.प्र.), भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आई.आई.टी.एम.), पुणे तथा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (इंकाइस) हैदराबाद में प्रयोग के लिए सुपर कम्प्यूटर/उच्च कार्य निष्पादन वाले कम्प्यूटर (एच.पी.सी.एस.) प्राप्त करने के लिए प्रमुख पहल की है। एच.पी.सी. अवसरंचना का प्रयोग मौसम, समुद्री स्थिति और जलवायु पूर्वानुमान के लिए उन्नत संख्यात्मक मॉडलों को चलाने के लिए किया जाएगा। एच.पी.सी. प्राप्त करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मौजूदा कम्प्यूटरों को अपग्रेड करने के लिए 29 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। ग्यारहवीं योजना के पहले दो–वर्षों के दौरान एच.पी.सी. प्राप्त करने के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। ग्यारहवीं योजना के प्रथम 2–3 वर्षों के दौरान प्रेक्षणात्मक नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए 700 करोड़ रुपये का आबंटन रखा गया है।

मौसम विज्ञान सेवा प्रणाली

212. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी** : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मौसम विज्ञान सेवा प्रणाली को उन्नत बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी हां।

(ख) आवश्यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर प्रेक्षणात्मक अवसंरचना (भूमि और समुद्री प्लेटफार्मों) तथा पूर्वानुमान क्षमताओं, दोनों के संबंध में आधुनिकीकरण योजनाएं तैयार की गई हैं। भारत मौसम–विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.) का व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के निम्नलिखित भाग हैं :

(i) अत्याधुनिक पूर्वानुमान मॉडलों के प्रचालन के लिए उच्च क्षमता वाले कम्प्यूटर प्राप्त करना;

(ii) निम्नलिखित ब्यौरे क अनुसार स्वचालित वर्षा मापियों (ए.आर.जी.), स्वचालित मौसम केन्द्रों (ए.डब्ल्यू.एस.), उपरि स्तर वायु डेटा हेतु उन्नत रेडियो सौंदे प्रणालियों सहित प्रेक्षण प्रणालियों में वृद्धि करना, डोप्लर मौसम रेडार (डी.डब्ल्यू.आर.) प्राप्त करना आदि।

प्रेक्षण उपकरण	अनुकूलतम संख्या	विद्यमान/*योजना में शामिल (आई.एम.डी. और * अन्य संगठन)	अपेक्षित	चरण 2 व 3	
				2007–09	2009–12
स्वचालित वर्षा–मापी	3600	250	3350	1350	2000
स्वचालित मौसम स्टेशन	1150	200	950	550	400
डॉप्लर मौसम रेडार*	68	13	55	13	42
विंड प्रोफाइलर	15	10	5	4	1
वैमानिक यंत्रीकरण	50	0	50	26	24
आरएस/आरडब्ल्यू को अपग्रेड करना	44	16	28	25	3
पॉयलट बैलून को अपग्रेड करना	70	0	70	70	0

* इन्हें प्राप्त करने का कार्य XII वीं योजना में किया जाएगा।

[हिन्दी]

शिशु परिचर्या गृहों की उपलब्धता

213. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख** : क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'आंगनवाड़ी' केन्द्रों को 'डे केयर कम क्रैच' में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या असंगठित क्षेत्रों की महिलाओं के लिए कार्यस्थलों पर शिशु परिचर्या सुविधा उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्कीम "कामकाजी माताओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह" असंगठित क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं के 0–6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को बाल देखभाल की सुविधा प्रदान करती है। इस समय इस स्कीम के अंतर्गत देश भर में 30902 शिशु गृह कार्य कर रहे हैं। 31.3.2007 तक संस्वीकृत शिशु गृहों का राज्य-वार विवरण ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31.3.2007 तक संस्वीकृत शिशुगृहों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	संस्वीकृत शिशुगृहों की संख्या
1	2	3
1	आन्ध्र प्रदेश	3902
2	अरुणाचल प्रदेश	253
3	असम	937
4	बिहार	1180
5	छत्तीसगढ़	766
6	दिल्ली	466
7	गोवा	68
8	गुजरात	1213
9	हरियाणा	894
10	हिमाचल प्रदेश	771
11	जम्मू एवं कश्मीर	593
12	झारखंड	551
13	कर्नाटक	1564
14	केरल	1035
15	मध्य प्रदेश	2740
16	महाराष्ट्र	2292
17	मणिपुर	464
18	मेघालय	199
19	मिजोरम	257
20	नागालैंड	132
21	उड़ीसा	1287
22	पंजाब	419
23	राजस्थान	1032
24	सिक्किम	200
25	तमिलनाडु	1928
26	त्रिपुरा	340
27	उत्तर प्रदेश	1868
28	उत्तरांचल	738
29	पश्चिम बंगाल	2003
30	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	103
31	चंडीगढ़	80
32	दादरा व नगर हवेली	13
33	दमन व दीव	4
34	लक्षद्वीप	64
35	पांडिचेरी	246
36	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ*	300
	कुल	30902

* शिविरों, विस्थापित, स्थापित वर्गों, डीनोटीफाइड संघ राज्य क्षेत्रों, एच.आई.वी/यौन कर्मियों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि के लिए भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली को 300 शिशुगृह संस्वीकृत किए गए।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम के आयात पर शुल्क

214. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पेट्रोलियम के आयात के माध्यम से वसूल किए गए सीमा-शुल्क और नियत लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा भविष्य में लक्ष्य के अनुसार वसूली करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) अलग-अलग वस्तुओं के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सीमा शुल्क वसूल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है किन्तु कुल वसूली के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पेट्रोलियम क्रूड और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात से वसूल किया गया शुल्क नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	पेट्रोलियम आयात से वसूल किया गया सीमा शुल्क (अंनतिम)
2004-05	13250
2005-06	11394
2006-07	14009

पीजीसीआईएल द्वारा इक्विटी निवेश

215. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसी आईएल) अगले पांच वर्षों में पारेषण परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु 16,500 करोडरुपये का इक्विटी निवेश करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ग्यारहवीं योजना के दौरान 37,000 से अधिक की अंतरक्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता वाला एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या पीजीसीआईएल ने अगले पांच वर्ष की अवधि के दौरान पारेषण अवसंरचना पर 55,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इससे विद्युत पारेषण हानि को रोकने में कितनी मदद मिलेगी?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे) : (क) और (ख) जी, हां। पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) पारेषण परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए 11वीं योजना (अर्थात् 2012 तक) के दौरान लगभग 16,500 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश की योजना बना रहा है। इसे कंपनी के प्रचालनों, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) से प्राप्तियों, परामर्शी एवं दूरसंचार में बढ़ी हुई व्यापारिक गतिविधियों, कार्यशील पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लघु अवधि ऋणों, प्रतिभूतिकृत बांडों के विक्रय आदि से उत्पादित किए जाने वाले आंतरिक संसाधनों के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रिड के विकास का लक्ष्य उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि तथा बिजली की मांग में बढ़ोत्तरी के अनुरूप चरणबद्ध रूप से पांचों क्षेत्रों के एकीकरण द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना है। वर्तमान में, राष्ट्रीय ग्रिड के पास 16,000 मेगावाट से अधिक की अंतःक्षेत्रीय विद्युत पारेषण क्षमता है। इसे 11वीं योजना के दौरान अर्थात् 2012 तक बढ़ाकर 37,700 मेगावाट से अधिक करने की आयोजना है।

(घ) संभावित उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के आधार पर 11वीं योजना के दौरान पीजीसीआईएल द्वारा लगभग 55,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई गई है।

(ङ) 220 केवी और उससे अधिक के एक्सट्रा हाईवोल्टेज (ईएचवी) पारेषण नेटवर्क में ऊर्जा हानियों का वर्तमान स्तर लगभग 3 से 4% तक है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समानांतर है।

शहरी मलिन बस्ती क्षेत्रों के लिए धनराशि

216. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर** : क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों के दौरान देश के शहरी मलिन बस्ती क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए आबंटित धनराशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) और (ख) विभिन्न गरीबी उपशमन/स्लम विकास स्कीमों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित तथा जारी की गई राशियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा (बीएसयूपी) के अंतर्गत राज्यवार आबंटित और जारी की गई राशियां

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	योजना आयोग नियतन			वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता		
		2004-2005	2005-2006	2006-2007	2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	0.00		57.84	0.00	62.89	81.85
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00		0.00	0.00	0.00	
3	असम	0.00		7.46	0.00	0.00	
4	बिहार	0.00		33.07	0.00	0.00	
5	छत्तीसगढ़	0.00		2.96	0.00	0.00	78.05
6	गोवा	0.00		0.10	0.00	0.00	
7	गुजरात	0.00		57.65	0.00	0.00	98.68
8	हरियाणा	0.00		2.15	0.00	0.00	4.58
9	हिमाचल प्रदेश	0.00		1.42	0.00	0.00	1.76
10	जम्मू एवं कश्मीर	0.00		6.39	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	0.00		19.39	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	0.00		24.13	0.00	0.00	27.71
13	केरल	0.00		14.32	0.00	0.00	11.84
14	मध्य प्रदेश	0.00		17.72	0.00	9.25	39.54
15	महाराष्ट्र	0.00		217.98	0.00	0.00	287.58
16	मणिपुर	0.00		0.79	0.00	0.00	
17	मेघालय	0.00		1.58	0.00	0.00	
18	मिजोरम	0.00		1.84	0.00	0.00	
19	नागालैंड	0.00		0.39	0.00	0.00	15.51
20	उड़ीसा	0.00		3.91	0.00	0.00	
21	पंजाब	0.00		26.27	0.00	0.00	
22	राजस्थान	0.00		23.21	0.00	0.00	24.85
23	सिक्किम	0.00		0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8
24	तमिलनाडु	0.00		68.79	0.00	0.00	83.00
25	त्रिपुरा	0.00		0.91	0.00	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	0.00		66.95	0.00	0.00	9.64
27	उत्तरांचल	0.00		4.52	0.00	0.00	
28	पश्चिम बंगाल	0.00		138.86	0.00	0.00	137.17
29	दिल्ली	0.00		96.99	0.00	0.00	
30	पांडिचेरी	0.00		4.88	0.00	0.00	
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00		0.00	0.00	0.00	
32	चंडीगढ़	0.00		6.34	0.00	0.00	
33	दादरा एवं नगर हवेली	0.00		0.00	0.00	0.00	
34	लक्षद्वीप	0.00		0.00	0.00	0.00	
35	दमन एवं दीव	0.00		0.00	0.00	0.00	
	कुल	0.00		908.78	0.00	72.14	901.77

1. बीएसयूपी अभी हाल में शुरू किया गया है। राज्यों/संघशासित प्रदेशों गरीबों को आवास तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं।

2. वर्ष 2005-06, में बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए 334 करोड़ रुपए की राशि मिश्रित रूप से आबंटित की गई।

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आरईएचएम्सडीपी) के अंतर्गत राज्यवार आबंटित और जारी की गई राशियां

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	योजना आयोग नियतन			जारी कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता		
		2004-2005	2005-2006	2006-2007	2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	0.00		65.38	0.00	0.00	83.33
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3	असम	0.00		5.33	0.00	0.00	5.09
4	बिहार	0.00		16.91	0.00	0.00	8.96
5	छत्तीसगढ़	0.00		7.00	0.00	0.00	31.26
6	गोवा	0.00		1.78	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	0.00		24.08	0.00	0.00	18.00
8	हरियाणा	0.00		15.01	0.00	0.00	49.61

1	2	3	4	5	6	7	8
9	हिमाचल प्रदेश	0.00		1.83	0.00	0.00	0.00
10	जम्मू एवं कश्मीर	0.00		9.05	0.00	0.00	0.00
11	झारखंड	0.00		11.67	0.00	0.00	0.00
12	कर्नाटक	0.00		15.49	0.00	0.00	14.93
13	केरल	0.00		18.69	0.00	0.00	21.46
14	मध्य प्रदेश	0.00		26.72	0.00	0.00	45.77
15	महाराष्ट्र	0.00		54.66	0.00	0.00	55.80
16	मणिपुर	0.00		1.38	0.00	0.00	0.00
17	मेघालय	0.00		1.01	0.00	0.00	0.00
18	मिजोरम	0.00		0.86	0.00	0.00	0.00
19	नागालैंड	0.00		0.77	0.00	0.00	9.63
20	उड़ीसा	0.00		15.89	0.00	0.00	0.00
21	पंजाब	0.00		16.22	0.00	0.00	0.00
22	राजस्थान	0.00		39.90	0.00	0.00	39.26
23	सिक्किम	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
24	तमिलनाडु	0.00		32.83	0.00	0.00	43.37
25	त्रिपुरा	0.00		0.94	0.00	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश	0.00		80.15	0.00	0.00	11.05
27	उत्तरांचल	0.00		5.06	0.00	0.00	0.00
28	पश्चिम बंगाल	0.00		30.62	0.00	0.00	55.08
29	दिल्ली	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
30	पांडिचेरी	0.00		0.78	0.00	0.00	0.00
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
32	चंडीगढ़	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
33	दादरा एवं नगर हवेली	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
34	लक्षद्वीप	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
35	दमन एवं दीव	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	0.00		499.99	0.00	0.00	492.61

1. आईएचएसडीपी अभी हाल में शुरू किया गया है। राज्यों/संघशासित प्रदेशों गरीबों को आवास तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं।

2. वर्ष 2005–06, में बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए 334 करोड़ रुपए की राशि मिश्रित रूप से आबंटित की गई।

एसजेएसआरवाई के अंतर्गत राज्यवार संचयी आबंटित/जारी की गई राशियां

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2006-07 आबंटित संचयी राशि	2006-07 तक जारी संचयी राशि	सूचित व्यय
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	22262.9	17576.84	19248.09
2	अरुणाचल प्रदेश	797.61	293.57	766
3	असम	3817.27	2987.62	2811.46
4	बिहार	6524.43	3438.7	5226.62
5	छत्तीसगढ़	2413.63	2413.63	1552.9
6	गोवा	341.49	119.59	226.48
7	गुजरात	9132.86	6852.93	6903.69
8	हरियाणा	4229.02	3764.26	3830.58
9	हिमाचल प्रदेश	1313.34	615.31	1249.09
10	जम्मू एवं कश्मीर	2594.77	1655.56	2504.06
11	झारखंड	2311.18	886.71	0
12	कर्नाटक	14914.69	10025.94	13467.99
13	केरल	6060.11	5196.41	5181.16
14	मध्य प्रदेश	16662.49	13608.54	14545.74
15	महाराष्ट्र	21338.67	14738.06	17221.11
16	मणिपुर	1120.71	764.67	1009.31
17	मेघालय	677.03	352.17	478.19
18	मिजोरम	2976.08	2885.5	2859.38
19	नागालैंड	1407.91	1177.29	1299.99
20	उड़ीसा	4704.49	3588.15	4173.5
21	पंजाब	2280.4	910.25	2323.21
22	राजस्थान	7470.25	4310.08	6043.73
23	सिक्किम	501.57	395.41	539.38
24	तमिलनाडु	17375.28	9860.63	15792.81
25	त्रिपुरा	2050.29	1952.09	1866.89

1	2	3	4	5
26	उत्तरांचल	780.8	780.8	267.27
27	उत्तर प्रदेश	31963.35	24199.92	29214.32
28	पश्चिम बंगाल	9576.56	6897.42	9251.77
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	361.49	261.06	333.8
30	चंडीगढ़	783.2	705.5	234.62
31	दादर एवं नगर हवेली	369.11	287.77	305.56
32	दमन एवं दीव	243.28	161.63	42.1
33	दिल्ली	877.73	615.2	463.95
34	पांडिचेरी	1403.89	1144.76	1319.65
	कुल	201637.88	145423.98	172554.4

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन

217. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रमों के समग्र प्रभाव के आकलन हेतु कोई गांव आधारित प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अध्ययनों के क्या परिणाम निकले हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू) : (क) से (ग) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय विकास कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए समय–समय पर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराता रहता है। जिले को एक इकाई मानकर लघुस्तरीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा बनाई गई व्यापक क्रियाविधि में ग्राम स्तर पर प्राथमिक नमूना आंकड़े एकत्र करना भी शामिल है। 1999 से अब तक स्वतंत्रता अनुसंधान संस्थाओं द्वारा कुल मिलाकर 238 अध्ययन कराए गए हैं।

प्रभाव अध्ययनों के निष्कर्षों से पता चला है कि प्रत्येक राज्य में कार्यक्रमों के प्रभाव में अन्तर होता है तथापि, कुल मिलाकर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से लोगों की आय स्तरों को बढ़ाने तथा जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद मिली है। वास्तविक, आर्थिक तथा सामाजिक आधारभूत सुविधाओं जैसे कि प्राइमरी स्कूल भवनों, सामुदायिक हॉलों, गरीबों के लिए मकान, ग्रामीण सड़कों, शौचालय-सुविधाओं, पेयजल आपूर्ति इत्यादि के सृजन से ग्रामीण लोगों को बाजारों तक सड़क संपर्क मुहैया कराने तथा ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के अलावा मूलभूत सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाएं मुहैया कराने में मदद मिलती है। इन अध्ययनों के निष्कर्षों की जानकारी राज्य सरकारों, नीति–निर्धारकों तथा अन्य स्टेक होल्डरों को दी जाती है।

पवन ऊर्जा

218. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें अपने–अपने राज्यों में विद्युत संकट से निपटने के लिए पवन ऊर्जा का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख के अनुसार देश में राज्यवार कितनी पवन चक्कियां काम कर रही हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार देश में पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इन राज्यों को कोई प्रोत्साहन देती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2006–07 के दौरान इन राज्यों में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में किस सीमा तक वृद्धि हुई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) पवन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित बिजली से पारंपरिक स्रोतों से उत्पन्न बिजली का अनुपूरण किया जा सकता है। दिनांक 30.9.2007 की स्थिति के अनुसार संभाव्यता वाले विभिन्न राज्यों में 7660 मेगावाट की समग्र ग्रिड–इंटरएक्टिव पवन विद्युत संस्थापित क्षमता स्थापित कर ली गई है। राज्यवार सूचना नीचे दी गई है :–

राज्य	क्षमता (मेगावाट)
आंध्र प्रदेश	122.4
गुजरात	806.0
कर्नाटक	853.2
केरल	2.0
मध्य प्रदेश	57.3
महाराष्ट्र	1622.2
राजस्थान	493.9
तमिलनाडु	3698.9
पश्चिम बंगाल	1.1
उड़ीसा	3.2
कुल	7660.2

(ग) और (घ) जी हां। ग्रिड–इंटरएक्टिव पवन विद्युत कार्यक्रम मूलतः निजी क्षेत्र जनित है। पवन विद्युत को संबंधित राज्यों में अधिमान्य शुल्क दर दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा पवन विद्युत जनरेटर के कुछ घटकों पर रियायती आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क से छूट, पवन विद्युत परियोजनाओं से अर्जित आय पर दस वर्षों का कर–अवकाश, त्वरित अवमूल्यन का लाभ कैसे राजकोषीय प्रोत्साहन और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। संभाव्यता वाले स्थलों की पहचान करने के लिए विस्तृत पवन संसाधन मूल्यांकन सहित तकनीकी सहायता पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी–वैट), चेन्नई द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

(ङ) वर्ष 2006–07 के दौरान 1742 मेगावाट की कुल पवन विद्युत क्षमता जोड़ी गई। राज्यवार सूचना नीचे दी गई है :–

राज्य	जोड़ी गई क्षमता (मेगावाट)
आंध्र प्रदेश	0.8
गुजरात	284.0
कर्नाटक	266.0
मध्य प्रदेश	16.4
महाराष्ट्र	485.3
राजस्थान	111.8
तमिलनाडु	577.9
कुल	1742.2

आवासों के निर्माण की समय-सीमा

219. श्री अधीर चौधरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में इसके द्वारा आबंटित प्लाटों की विभिन्न श्रेणियों के निर्माण के लिए अधिकतम स्वीकार्य अवधि को 25 वर्ष से कम करके 10 वर्ष कर दिया है और उन प्लाट धारकों से 31 दिसंबर 2007 तक अपना निर्माण पूरा करने को कहा है जिनकी 10 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है अन्यथा उनके प्लाट का आबंटन रद्द कर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या डीडीए ने ऐसे प्लाट धारकों को वैयक्तिक रूप से तथा अलग–अलग समय पर राष्ट्रीय समाचार–पत्रों के माध्यम से और डीडीए की प्लॉट की आवासीय योजनाओं में होर्डिंग के माध्यम से इस नीति में परिवर्तन की जानकारी दी है;

(ग) क्या डीडीए का विचार इसके द्वारा जारी प्लाटों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और एक वर्ष की छूट देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्लॉट मालिकों को प्लाटेड आवासीय स्कीमों में व्यक्तिगत या होर्डिंग के द्वारा सूचित नहीं किया गया है; लेकिन जून, 2006 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आगे यह सूचित किया है कि निर्माण अविध में रियायत का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरों को शामिल करना

220. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत राज्य–वार कितने शहरों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत कुछ और शहरों को शामिल करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना और शासन संबंधी उपमिशन–I के अंतर्गत 63 चुनिंदा शहरों को शामिल किया गया है। शहरों की राज्य–वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) जी, हां। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शामिल शहरों की संख्या लगभग 60 रखने का निर्णय सरकार के अनुमोदन से लिया गया था। तथापि जो शहर जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं वे मंत्रालय की दूसरी स्कीम नामतः छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

विवरण

जेएनएनयूआरएम में शामिल शहरों की सूची

क्र.सं.	शहर/शहरी बस्तियां	राज्य का नाम	2001 की जनगणना के अनुसार आबादी (लाख में)
1	2	3	4
क.	**मेगा शहर**		
1.	दिल्ली	दिल्ली	128.77
2.	ग्रेटर मुम्बई	महाराष्ट्र	164.34
3.	अहमदाबाद	गुजरात	45.25
4.	बंगलौर	कर्नाटक	57.01
5.	चेन्नई	तमिलनाडु	65.60
6.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	132.06
7.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	57.42
ख.	**दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर**		
1.	पटना	बिहार	16.98
2.	फरीदाबाद	हरियाणा	10.56
3.	भोपाल	मध्य प्रदेश	14.58
4.	लुधियाना	पंजाब	13.98
5.	जयपुर	राजस्थान	23.27
6.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	22.46
7.	मदुरै	तमिलनाडु	12.03
8.	नासिक	महाराष्ट्र	11.52
9.	पुणे	महाराष्ट्र	37.60
10.	कोचीन	केरल	13.55
11.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	12.04
12.	आगरा	उत्तर प्रदेश	13.31

1	2	3	4
13.	अमृतसर	पंजाब	10.03
14	विशाखापटनम	आंध्र प्रदेश	13.45
15.	वडोदरा	गुजरात	14.91
16.	सूरत	गुजरात	28.11
17.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	27.15
18.	नागपुर	महाराष्ट्र	21.29
19.	कोयमबतूर	तमिलनाडु	14.61
20.	मेरठ	उत्तर प्रदेश	11.61
21.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	10.98
22.	जमशेदपुर	झारखण्ड	11.04
23.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	10.67
24.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	10.42
25.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	10.39
26.	राजकोट	गुजरात	10.03
27.	धनबाद	झारखण्ड	10.65
28.	इंदौर	मध्य प्रदेश	16.40
ग	**चुनिंदा शहर/शहरी बस्तियां (यूए) (राज्य की राजधानियां और धार्मिक/ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य शहर/शहरी बस्तियां)**		
1.	गुवाहाटी	असम	8.19
2.	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश	0.35
3.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	6.12
4.	रायपुर	छत्तीसगढ़	7.00
5.	पणजी	गोवा	0.99
6.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	1.45
7.	रांची	झारखण्ड	8.63
8.	तिरुवनंतपुरम	केरल	8.90
9.	इम्फाल	मणिपुर	2.50
10.	शिलांग	मेघालय	2.68
11.	आईजोल	मिजोरम	2.28
12.	कोहिमा	नागालैंड	0.77

1	2	3	4
13.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	6.58
14.	गंगटोक	सिक्किम	0.29
15.	अगरतला	त्रिपुरा	1.90
16.	देहरादून	उत्तरांचल	5.30
17.	बोध गया	बिहार	3.94
18.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	4,31
19.	पुरी	उड़ीसा	1.57
20.	अजमेर–पुष्कर	राजस्थान	5.04
21.	नैनीताल	उत्तरांचल	2.20
22.	मैसूर	कर्नाटक	7.99
23.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	5.05
24.	चंडीगढ़	पंजाब और हरियाणा	8.08
25.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	9.88
26.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	3.23
27.	हरिद्वार	उत्तरांचल	2.21
28.	नांदेड़	महाराष्ट्र	4.31

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के कामगारों की मांग

221. **श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य **और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय खाद्य निगम (संभलाई) के सदस्य कामगारों द्वारा प्रस्तुत निगम के कामगारों की लंबे समय से लंबित मागों के संबंध में ज्ञापन प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य मांगों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) कामगारों की लंबित मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। एफ.सी.आई. (हैंडलिंग) वर्क्स यूनियन ने भारतीय खाद्य निगम प्रबंधन को 23 अक्तूबर, 2007 को अपनी 10 मांगे उठाते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

(ख) और (ग) ज्ञापन में उठाई गई मांगें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम ने एफ.सी.आई. (हैंडलिंग) वर्क्स यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए 31.10.2007 को बैठक की थी। यूनियन के प्रतिनिधियों ने बातचीत को सार्थक बनाने के लिए चर्चा के दौरान पूरा सहयोग नहीं दिया। उन्हांने कुछ वर्करों को हिंसा करने के लिए भी उकसाया। तथापि, पुलिस की सहायता से स्थिति पर नियंत्रण किया गया था।

भारतीय खाद्य निगम प्रबंधन ने यूनियन द्वारा उठाई गई मांगों की जांच करने के लिए 3 अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है जो 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

विवरण

एफ.सी.आई. (हैंडलिंग) वर्कर्स यूनियन द्वारा 23 अक्तूबर, 2007 के अपने ज्ञापन में उठाई गई मांगें।

क्र.सं.	मांग
1.	"काम नहीं वेतन नहीं" प्रणाली के वर्करों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जाए।
2.	सीधे भुगतान की प्रणाली के वर्करों के लिए न्यूनतम गारंटीयुक्त मजदूरी और नग दर के संशोधन के लाभ के अलावा प्रत्येक चार वर्ष बाद मजदूरी में वृद्धि।
3.	सीधे भुगतान की प्रणाली और "काम नहीं वेतन नहीं" प्रणाली के वर्करों के लिए भी चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान करना।
4.	निगम के अपने अधिशेष गोदामों अथवा शेडों को किराए पर न देना और प्राइवेट पार्टियों अथवा राज्य एजेंसियों को पहले से ही किराए पर दिए गए निगम के शेडों अथवा गोदामों को किराए से खाली करवाना।
5.	दिनांक 13 मार्च, 1999 के द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघन में विभागीय श्रमिकों के लिए 135 बोरियों के मानदण्ड के एकतरफा निर्धारण के क्रियान्वयन को रोकना।
6.	सरकार और मण्डल की गलत तथा अवैध नियुक्तियों को रद्द करना।
7.	उन डिपुओं में संविदा श्रम प्रणाली को समाप्त करना जहां संविदा वर्कर कार्यरत हैं और ऐसे डिपुओं में सीधे भुगतान की प्रणाली लागू करना।
8.	मै. मैकेंजे एण्ड कम्पनी की सिफारिशों को लागू न करना।
9.	भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय के दिनांक 8 मई, 2001 के पत्र सं. आईआर(एल)/4(31)/98–वाल्यूम–2/पीएफ–1 द्वारा लिखित में दिया गया आश्वासन।
10.	सीबी गंज और पिरसाखेड़ा, बरेली(उ.प्र.) में दिहाड़ी के वर्करों के लिए सीधे भुगतान की प्रणाली के वर्करों के बराबर वेतन का प्रावधान करना।

[हिन्दी]

सियाचिन को पर्यटकों के लिए खोला जाना

222. श्री कीरेन रिजीजू :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सियाचिन को पर्यटकों के लिए खोलने की एक योजना पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पड़ोसी देशों ने उक्त योजना का यह कहते हुए विरोध किया है कि इससे चल रही शांति वार्ताएं प्रभावित होंगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) क्या विदेशी पर्यटकों को भी सियाचिन जाने की अनुमति होगी?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (ङ) प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत आता है जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है। उपयुक्त अनुमति के अधीन इस क्षेत्र में लंबी यात्रा के अभियान होते रहते हैं।

पाकिस्तान की सरकार ने सितंबर, 2007 में मीडिया की खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए यह कहते हुए कि सियाचिन में मामले पर मिश्रित वार्ता के ढांचे के भीतर चर्चा चल रही लंबी यात्रा के अभियानों का विरोध किया।

पाकिस्तान की सरकार को यह स्पष्ट करते हुए उत्तर दिया गया था कि लंबी यात्रा के अभियान पहले से चल रहे हैं तथा भारत यह नहीं मानता है कि इन अभियानों का वार्ता प्रक्रिया पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

नई मोबाइल कंपनियों को निर्देश

223. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री संजय धोत्रे :
श्री बापू हरी चौरे :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार के क्षेत्र में उदीयमान कंपनियों के लिए दिशानिर्देश जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सरकार ने मौजूदा नीति के अनुसार आवेदक कंपनियों को नए एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में मोबाइल टावर

224. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मोबाइल टावरों की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, भारत संचार निगम लिमिटेड ने विस्तार के अपने अगले चरण में (जीएसएम मोबाइल परियोजना चरण–V.1 के अंतर्गत) कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिला में 23 जीएसएम मोबाइल टावर स्थापित करने की योजना बनाई है।

[हिन्दी]

बीएसएनएल सिम कार्ड हेतु
प्रतीक्षा सूची

225. **श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषतः उत्तर प्रदेश में स्थानवार प्री–पेड सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए कितने आवेदन पत्र बीएसएनएल के पास लंबित हैं;

(ख) उपभोक्ताओं को कब तक सिम कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा;

(ग) उन्हें सिम कार्ड उपलब्ध कराने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) मांग पर सिम कार्ड उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड के पास प्री–पेड सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए देश भर में 3608 आवेदन लंबित हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश में कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(ख) क्षमता संबंधी बाध्यता के कारण पूर्वोत्तर–II सर्किल के मणिपुर और नागालैंड राज्यों, जहां जनवरी, 2008 तक इनके उपलब्ध होने की संभावना है, को छोड़कर सभी सर्किलों में सिम कार्ड मांग पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) हालांकि मणिपुर और नागालैंड राज्यों में सिम कार्ड उपलब्ध हैं, तथापि, इन राज्यों में नेटवर्क क्षमता पूर्ण होने के कारण इन्हें वितरित नहीं किया जा रहा है। इन राज्यों में नेटवर्क विस्तार का कार्य चल रहा है और जनवरी, 2008 तक इनके उपलब्ध होने की संभावना है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में चारा विकास

226. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने चारा विकास, चारा ब्लाक विनिर्माण इकाइयों को सहायता, चारागाह विकास तथा चारा विकास के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन्हें स्वीकृति प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) कर्नाटक सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे हैं :–

(1) गोपशु आहार संयंत्र की स्थापना

(2) चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम

(3) चारागाह विकास

(ख) से (घ) चारा आहार संयंत्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष पैकेज के तहत प्राप्त हुआ था जिसमें उसके लिए प्रावधान नहीं है। कर्नाटक को चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए 2006–07 में 100.00 लाख रुपए की राशि जारी कि गई थी। और धनराशि जारी करने के बारे में तब विचार किया जाएगा जब राज्य को पहले ही उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग हो जाएगा। चारागाह विकास के लिए प्रस्ताव 15 अक्तूबर, 2007 को प्राप्त हुआ था और उसके लिए धनराशि मूल्यांकन के बाद जारी की जाएगी।

[हिन्दी]

टेलीफोन उन्नयन कार्य

227. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में ग्रामीण टेलीफोन क्षेत्र में उन्नयन का कार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण टेलीफोन क्षेत्र में उन्नयन कार्य के अंतर्गत अपनाई गई प्रणालियों से ग्रामीण क्षेत्रों को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। बीएसएनएल द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में ग्रामीण टेलीफोन क्षेत्र और महाराष्ट्र में किए गए उन्नयन कार्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों को प्राप्त होने वाले संभावित लाभ निम्नानुसार हैं :–

(i) शहरी क्षेत्रों के समान स्तरीय नई विशेषताएं/सेवाएं/सुविधाएं उपलब्ध होना

(ii) अनुरक्षण और सुविधा सर्जन के लिए बेहतर निगरानी

(iii) बेहतर कवरेज और मजबूत सिग्नल के साथ मोबाइल नेटवर्कों में अभिगम्यता

(iv) इंटरनेट की अभिगम्यता

(v) बुनियादी टेलीफोनी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की अधिक कवरेज

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तथा महाराष्ट्र में किए गए उन्नयन कार्य का ब्यौरा

क्र.सं.	मद	अखिल भारत	महाराष्ट्र
1.	सी–डीओटी आरएएक्स का सी–डीओटी एएन–आरएएक्स में परिवर्तन (फिक्सड लाइन एक्सचेंज)	13,487	2,510
2.	पीएसटीएन सी–डीओटी एसबीएम का सी–डीओटी (फिक्सड लाइन एक्सचेंज) में परिवर्तन	4,093	24
3.	मोबाइल सेवाओं के लिए कवर किए गए गांवों की संख्या	1,81,700	11,300
4.	चालू किए गए मोबाइल बीटीएस की संख्या	14,283	1,322
5.	सर्जित डब्ल्यूएलएल प्रणालियों की क्षमता (सीमित मोबिलिटी)	23.62 लाख	2.76 लाख

[अनुवाद]

पशुपालन से उत्पादन

228. श्री हितेन बर्मन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पशुपालन उत्पादों विशेषकर मांस, अंडे और ऊन के संबंध में कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त उत्पादों के संबंध में कितनी वृद्धि दर दर्ज की गई;

(ग) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में उक्त उत्पादों का प्रतिशत कितना है; और

(घ) उक्त उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क)

वर्ष	उत्पादन		
	मीट (मिलियन टन)	अंडा (बिलियन संख्या)	ऊन (मिलियन किलोग्राम)
1	2	3	4
2003–04	2.1	40.4	48.5
2004–05	2.2	45.2	44.6

1	2	3	4
2005–06	2.3	46.2	44.9
2006–07* अनंतिम	2.3	50.7	45.1

(ख) वृद्धि दर (प्रतिशत में)

वर्ष	मीट	अंडा	ऊन
2004–05	4.8	11.9	–8.0
2005–06	4.5	2.2	0.7
2006–07 अनंतिम	0.0	9.7	0.4

(ग) वर्ष 2005–06 के लिए चालू मूल्यों पर समग्र जी डी पी में मीट, अंडा और ऊन के उत्पादन मूल्य का प्रतिशत हिस्सा क्रमशः 0.92, 0.18 और 0.01 है।

(घ) सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप गुणवत्ता में सुधार हुआ है :–

1. राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता
2. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन
3. डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष
4. समेकित ऊन सुधार और विकास कार्यक्रमः (क) ऊन रेशे का सुधार; (ख) मानव संसाधन विकास और सवंर्धक गतिविधियां।

दिल्ली और भिवानी के बीच स्थानीय कॉल

229. श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश के लगभग सभी शहरों में लगभग 100 किलोमीटर तक स्थानीय कॉल की सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और भिवानी के बीच स्थानीय कॉल की सुविधा प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं जबकि इन दोनों के बीच हवाई दूरी 100 किलोमीटर से अधिक नहीं है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली और भिवानी के लोगों के लाभ के लिए दोनों शहरों के बीच स्थानीय कॉल की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) समूचे देश में पहले "0" लगाए बिना लोकल काल करने की सुविधा निम्नलिखित में से कोई शर्त पूरी होने पर उपलब्ध कराई जाती है :

– एक ही अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) के भीतर स्टेशनों के बीच

– अलग–अलग अल्प पूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) के स्टेशनों के बीच "95" डायल करके, यदि स्टेशन एक ही दूरसंचार सर्किल के भीतर आते हैं।

– दो अलग–अलग दूरसंचार सर्किलों के स्टेशनों के बीच "95" डायल करके, यदि अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों के दोनों स्टेशन समीपवर्ती हों और दोनों अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र 50 किमी. की दूरी के भीतर हों।

– दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों से दिल्ली के बीच "95" डायल करके।

(ख) लोकल काल की सुविधा उपर्युक्त भाग (क) के मार्ग–निर्देशों के अनुसार प्रदान की जाती है और भिवानी को यह सुविधा प्रदान करना इन मार्ग–निर्देशों के अधीन कवर नहीं हो पाता है।

(ग) फिलहाल दिल्ली और भिवानी के बीच लोकल काल की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम

230. श्री महावीर भगोरा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम (सीएडीडब्लयूएम) के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(ग) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों को कब तक प्राप्त किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त योजनाओं की समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत राज्यवार लक्ष्य स्वयं राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के तहत शामिल मुख्य घटकों अर्थात राज्य सरकारों द्वारा

सूचित किए गए अनुसार पिछले तीन वर्षों के लिए खेत चैनलों के निर्माण तथा खेल, मध्यवर्ती और संपर्क नालियों के निर्माण के लक्ष्य एवं उपलब्धियों के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण–I और II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं। लक्ष्यों की उपलब्धि मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा निधि के बराबर–बराबर हिस्से के आबंटन पर निर्भर करती है।

(घ) जी, हां। XIवीं योजना तैयार करने के लिए जल संसाधन संबंधी योजना आयोग के कार्यदल के उपदल द्वारा कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम की समीक्षा 2006–07 के दौरान की गई थी।

(ङ) इस उपदल ने अन्य बातों के साथ–साथ केन्द्रीय हिस्से को बढ़ाकर तथा 10% के अनिवार्य लाभग्राही अंशदान की निकासी कर के इस कार्यक्रम को उन्नत बनाए जाने की सिफारिश की है।

विवरण-I

सभी आंकड़े हजार हेक्टेयर में हैं

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004–05		2005–06		2006–07	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	6.000	3.064	43.248	21.463	62.040	26.904
2	अरुणाचल प्रदेश	0.895	0.895	1.024	1.024	1.496	1.496
3	असम	0.980	0.000	1.200	0.017	1.000	0.000
4	बिहार	11.400	2.292	20.100	10.173	22.000	28.458
5	छत्तीसगढ़	19.230	20.379	10.506	11.725	5.715	4.680
6	गोवा*	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	गुजरात	125.000	38.414	155.000	88.984	200.000	90.300
8	हरियाणा	47.000	54.296	39.900	37.732	39.900	37.893
9	हिमाचल प्रदेश	1.000	1.534	1.000	1.498	1.000	0.675
10	जम्मू और कश्मीर	5.496	4.820	3.348	4.136	3.440	4.564
11	झारखंड**	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12	कर्नाटक	102.115	70.048	112.823	69.057	107.880	79.022
13	केरल	11.000	1.999	11.500	1.614	7.500	1.344
14	मध्य प्रदेश	10.279	10.357	8.224	8.172	11.109	8.854
15	महाराष्ट्र	4.980	2.894	5.230	3.020	24.500	12.172
16	मणिपुर	3.891	2.057	4.350	3.712	1.738	1.738
17	मेघालय	0.273	0.098	0.175	0.092	0.083	0.062
18	मिजोरम	0.140	0.140	0.117	0.114	0.122	0.122

1	2	3	4	5	6	7	8
19	नागालैंड	0.400	0.435	0.502	0.502	0.000	0.000
20	उड़ीसा	11.300	2.889	6.100	3.506	11.000	9.463
21	पंजाब	23.500	18.038	49.000	34.853	46.200	40.734
22	राजस्थान	71.500	71.558	71.450	60.741	57.150	42.215
23	सिक्किम**	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	तमिलनाडु	25.695	25.857	20.372	19.792	35.120	32.851
25	त्रिपुरा	0.070	0.000	0.079	0.023	0.163	0.068
26	उत्तराखंड	3.072	1.010	2.459	2.459	4.780	सूचित नहीं
27	उत्तर प्रदेश	120.000	82.143	111.000	77.938	111.000	78.173
28	पश्चिम बंगाल	5.144	2.637	6.000	4.066	6.600	3.599
	कुल	610.360	417.854	684.707	466.413	761.536	505.387

* 2004-05 से पहले कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

** कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया।

विवरण-II

सभी आंकड़े हजार हेक्टेयर में हैं

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05		2005-06		2006-07	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	अरुणाचल प्रदेश	0.510	0.510	0.686	0.686	1.413	1.413
3	असम	1.150	0.015	0.000	0.000	0.500	0.000
4	बिहार	2.500	0.000	22.850	0.997	17.000	17.755
5	छत्तीसगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	गोवा*	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	गुजरात	125.000	5.200	155.000	8.260	200.000	17.340
8	हरियाणा	11.000	11.000	14.350	7.613	14.350	5.670
9	हिमाचल प्रदेश	1.658	1.355	1.250	0.000	1.496	0.000
10	जम्मू व कश्मीर	4.590	4.128	2.392	2.752	2.940	2.849
11	झारखंड**	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12	कर्नाटक	1.250	3.600	8.063	7.277	12.987	13.000
13	केरल	30.000	6.156	16.000	3.275	6.700	1.652
14	मध्य प्रदेश	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
15	महाराष्ट्र	3.500	2.894	3.500	2.376	3.500	0.848
16	मणिपुर	0.750	0.230	1.351	1.012	0.731	0.731
17	मेघालय	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18	मिजोरम	0.172	0.172	0.174	0.159	0.156	0.156
19	नागालैंड	0.468	0.407	1.127	0.833	0.196	0.196
20	उड़ीसा	9.500	2.270	10.000	1.120	8.690	6.226
21	पंजाब	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22	राजस्थान	2.500	2.109	0.850	0.910	1.500	0.962
23	सिक्किम**	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24	तमिलनाडु	15.150	57.517	25.700	27.806	40.000	44.737
25	त्रिपुरा	0.070	0.000	0.079	0.020	0.005	0.000
26	उत्तराखंड	0.000	0.000	0.535	0.535	0.680	सूचित नहीं
27	उत्तर प्रदेश	90.080	61.717	11.800	21.711	20.026	19.908
28	पश्चिम बंगाल	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	कुल	299.848	159.280	275.707	87.342	332.870	133.443

* 2004-05 से पहले कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

** कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया।

जल का शुद्धिकरण

231. **श्री सुभाष महरिया :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों में जल के शुद्धिकरण हेतु कोई योजना क्रियान्वित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उक्त योजना पर विभिन्न राज्यों में विशेषकर राजस्थान में कितनी लागत आने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) जल संसाधन मंत्रालय में "गांवों में जल के शुद्धिकरण" की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेना के कमाण्डरों की बैठक

232. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों की एक बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बैठक के विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस बैठक में विचारित विषयों को कार्यान्वयन हेतु स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) तीनों सेनाओं के कमांडरों का वार्षिक संयुक्त सम्मेलन एक नियमित रूप से किया जाने वाला आयोजन है। पिछला वार्षिक संयुक्त कमांडर सम्मेलन 24 अक्तूबर, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अन्य के साथ-साथ प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में रक्षा और सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मामलों के साथ-साथ सेनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। इस सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों की सेनाओं द्वारा आवश्यकता पड़ने पर रक्षा मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है।

रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र

233. **श्री मुन्शी राम :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग में लाये जाने के लिए हथियार, गोलाबारूद, मिसाइल आदि बनाने वाली फैक्ट्रियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या आयुध निर्माणियों द्वारा निर्मित हथियार, गोला बारूद इत्यादि अच्छी गुणवत्ता के नहीं हैं तथा इनकी निर्माण लागत भी काफी अधिक होती है;

(ग) यदि हां, तो रक्षा उत्पादन को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या रक्षा उत्पादन को निजी कंपनियों को सौंपने से देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) सशस्त्र सेनाओं के लिए हथियार, गोला बारूद आदि का विनिर्माण 17 आयुध निर्माणियों में तथा प्रक्षेपास्त्रों का विनिर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद में किया जा रहा है।

(ख) आयुध निर्माणियों में उत्पादित शस्त्रों, गोला बारूद की गुणवत्ता अपेक्षित स्तर की है तथा इनकी विनिर्माण लागत यथोचित है।

(ग) और अधिक आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु निजी क्षेत्र की क्षमताओं का इस्तेमाल करने के लिए रक्षा उत्पादन को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया था।

(घ) निजी क्षेत्र में रक्षा मदों के लाइसेंस के तहत उत्पादन के लिए दिशा-निर्देशों में समुचित प्रावधान शामिल करके सुरक्षा संबंधी चिंताओं का ध्यान रखा गया है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर में हवाई क्षेत्रों का उन्नयन

234. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेजपुर हवाई क्षेत्र सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के हवाई क्षेत्रों को उन्नत बनाने तथा उनका विस्तार और विकास करने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें सुखोई जैसे मल्टी-काम्बेट विमान के प्रचालन हेतु उपयुक्त बनाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है और इस प्रकार किन-किन हवाई क्षेत्रों का उन्नयन किया जाना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हवाई क्षेत्रों सहित अन्य हवाई क्षेत्रों का आधुनिकीकरण और उन्नयन भारतीय वायुसेना की संक्रियात्मक आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। यह एक निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। तदनुसार तेजपुर हवाई क्षेत्र का भी उन्नयन, विस्तारण और विकास किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आधुनिक तथा प्रसंस्कृत कपड़ों का निर्यात

235. प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग उत्पादन, रोजगार सृजन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन के मामले में देश के सबसे बड़े तथा सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो क्या आधुनिकीकरण के अभाव में बुनाई एवं प्रसंस्करण क्षेत्र में संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो बुनाई एवं प्रसंस्करण क्षेत्र के आधुनिक तथा प्रसंस्कृत कपड़ों तथा अन्य मूल्य संवर्धित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) बुनाई एवं प्रसंस्करण क्षेत्र के आधुनिक तथा प्रसंस्कृत कपड़ों के निर्यात को अन्य मूल्य संवर्धित मद के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत पूर्व में वस्त्र क्षेत्र की सहायता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

(1) प्रतिस्पर्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया है। इस मिशन में कपास बाजार यार्डों के उन्नयन और जिनिंग एवं प्रैसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करने और प्रदूषण कम करने में सफलता हासिल की है।

(2) संगठित एवं असंगठित दोनों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की गई थी। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप-क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए इस योजना को और अधिक अच्छा बनाया गया है। आयात पर सीमा शुल्क कम करके मशीनों की लागत और भी कम कर दी गई है।

(3) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के तहत 20.4.2005 से 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की है।

(4) वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने वाले अपने वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगस्त, 2005 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" (एसआईटीपी) नामक एक योजना शुरू की गई है।

(5) बजट 2004-05 में, 'मानव निर्मित फाइबर एवं फिलामेंट यार्न' को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी। बजट 2005-06 में, 'पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न' पर केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर (सेनवेट) 24% से घटाकर

16% कर दिया है। वित्तीय प्रभारों में इन संशोधनों का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करना है।

(6) कोटा पश्चात् व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी का आयात सुकर बनाने के लिए बजट, 2005-06 में वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क कम कर 10% कर दिया गया है जिसमें सूची 49 दर्शायी गई 23 मशीनें शामिल नहीं हैं, जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बी सी डी) है। 5% का रियायती शुल्क अधिकतर मशीनरी मदों पर 5% ही है।

(7) बजट 2005-06 में निटिंग एवं निटवियर की 30 मदें अनारक्षित कर दी गई हैं इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बड़े आकार की आधुनिकीकृत एककों की स्थापना करना सुकर होगा।

(8) बजट 2006-07 में वस्त्र क्षेत्र के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई थीं-

- सभी मानवनिर्मित फाइबर यार्न और फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 8% करना।
- सभी मानवनिर्मित फाइबर और यार्न पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% करना।
- डीएमटी, पीटीए तथा एमईजी जैसी कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% करना।
- एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के लिए 2006-07 के दौरान 189 करोड़ रुपये का प्रावधान।

(9) बजट 2007-08 में वस्त्र क्षेत्र के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:

- एकीकृत वस्त्र पार्क योजना के तहत प्रावधान 2006-07 में 189 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 425 करोड़ रुपए करना।
- 11वीं योजना में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को वर्ष 2006-07 में 535 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2007-08 में 911 करोड़ रुपए के आबंटन से जारी रखना।
- हथकरघा क्षेत्र के लिए 2006-07 में 241 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 के लिए 321 करोड़ रुपए का आबंटन करना।
- पोलिएस्टर फाइबर एवं यार्न पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 7.5% करना।

(10) सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8-9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है।

(11) निचले स्तर पर बढ़ती हुई कुशल कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार मौजूदा अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्रों (एटीडीसी) को सुदृढ़ बनाने तथा नए एटीडीसी खोलने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

(12) सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

(13) सरकार ने सिले-सिलाये परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया जा सके।

(14) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना उद्योग के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों को शामिल करके मूल्य वर्द्धन की संकल्पना के प्रति उद्योग को संवेदनशील बनाने के लिए अग्रणी भूमिका प्रदान करने के लिए की गई है। इसके फलस्वरूप, उद्योग की सेवा में लगे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों की मांग बढ़ी है।

(15) विश्व अर्थव्यवस्थाओं के खुल जाने से बदलते हुए व्यापार परिवेश में फैशन शिक्षा पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए सरकार निम्नलिखित के लिए कदम उठा रही है:-

- अंतर्राष्ट्रीय निर्धारणों से युक्त फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता के संस्थान की स्थापना।
- देश में फैशन व्यापार शिक्षा के मानकीकरण और निर्धारण के लिए एक प्रमुख एजेंसी की नियुक्ति।
- देश में फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक शीर्ष इकाई की स्थापना।

राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद

236. डा. राजेश मिश्रा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद की स्थापना कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद के गठन का निर्णय लिया है। तदनुसार, परिषद की संरचना, विचारार्थ विषय इत्यादि को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

खाद्य भंडार पर ऋण

237. डा. रामेश्वर उरांव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ राज्यों में किसानों के पास बचे खाद्यान्न भंडार पर ऋण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बैंकों को कृषि उत्पादों को गिरवी रखने/मालबंधन (भाण्डागार रसीद सहित) पर किसानों को ऋण देने की अनुमति प्रदान कर दी है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) फसलों के विपणन के लिए सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) को ऋण की अलग से व्यवस्था करता है। स्कीम के अनुसार, किसानों को बैंक के पास गिरवी रखे गए उत्पाद के 75% के बराबर विपणन ऋण दिया जा सकता है। स्वयं के/किराए पर/निजी गोदामों अथवा सहकारी/अन्य संस्थाओं के स्वामित्व वाले पी.ए.सी.एस. गोदामों/सहकारी समितियों, भण्डागारों, शीत भण्डारण इकाइयों में रखे हुए माल को गिरवी रखने पर अग्रिम राशि दी जाती है। गिरवी रखा हुआ उत्पाद वित्तदाता बैंक/सहाकारी समिति/विपणन समिति की प्रभावी परिरक्षा में होना चाहिए।

रक्षा स्थापनाओं में भर्ती

238. श्री राकेश सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा स्थापनाओं में भर्ती पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन स्थापनाओं में रिक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्थापनाओं में रिक्तियों के मामले में भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) रक्षा स्थापनाओं में भर्ती पर कोई रोक नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कुएं खोदने के लिए विशेष पैकेज

239. श्री प्रकाश वी. जाधव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ क्षेत्र के किसानों को कुएं खोदने के लिए कोई विशेष पैकेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने कुएं खोदे गए हैं तथा इन कुओं के माध्यम से सिंचाई हेतु उक्त योजना से कितने किसानों को लाभ प्राप्त हो रहा है; और

(ग) 70 प्रतिशत तक वनों से ढके महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के विकास के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि विदर्भ क्षेत्र के किसानों के लिए कुओं की खुदाई का कोई विशेष पैकेज नहीं है। तथापि, प्रधान मंत्री ने विदर्भ क्षेत्र के लिए एक पुनर्वास पैकेज की उद्घोषणा की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विदर्भ के कृषि की समस्या वाले 6 जिलों के लिए 492 लघु सिंचाई स्कीमें शामिल हैं।

स्पीड पोस्ट सेवा में विलंब

240. श्री रेवती रमन सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पीड पोस्ट जैसी योजनाओं के चलते साधारण डाक से एक शहर से दूसरे शहर भेजे जाने वाले पत्रों की सुपुर्दगी में काफी समय लग रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मुंबई से रामेश्वरम, दिल्ली से चैन्नई में कितना समय लग रहा है;

(ग) क्या पहले ये पत्र एक या दो दिन में पहुंच जाते थे;

(घ) यदि हां, तो डाकघरों की कार्य कुशलता में कमी के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी नहीं। तथापि, डाक वितरण में कमी-कमार देरी की घटनाएं, डाक वाहक रेलगाड़ियों एवं राज्य परिवहन बसों का रद्द होना/देरी से चलना, डाक का गलत भेजना, प्राप्तकर्ता का अपूर्ण एवं अपठनीय पता, पिन कोड का प्रयोग न करना, प्राप्तकर्ता का न मिलना तथा संबंधित पोस्टमास्टर को सूचित किए बिना प्राप्तकर्ता के आवास में परिवर्तन आदि के कारण हो सकती हैं।

(ख) और (ग) डाक विभाग ने देशभर में डाक वितरण के लिए मानक निर्धारित किये तथा उन्हें जनता की सूचना हेतु व्यापक तौर पर परिचालित किया गया। मेट्रो शहरों के बीच प्रथम श्रेणी साधारण डाक के लिए पोस्ट करने के दिन से 48 से 72 घंटों के अंदर वितरण करने का मानक है। पोस्ट किए गए राज्य से अन्य राज्यों की डाक के लिए परिवहन माध्यम एवं निहित दूरी के आधार पर 3 से 5 दिनों के अंदर वितरण करने का मानक है।

(घ) उपरोक्त (ख) और (ग) के अनुसार डाकघरों की क्षमता में कमी की कोई घटना सामने नहीं आई है।

(ङ) विभाग ने डाक के संवहन और वितरण में सुधार लाने के लिए समय समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं। डाक-विभाग ने उत्तर-पूर्व राज्यों में डाक, स्पीड पोस्ट, पार्सल एवं लॉजिस्टिक वस्तुओं के संवहन के लिए विशेष हवाई जहाज शुरू किया है। किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं:-

(i) परीक्षण पत्र एवं ट्रायल कार्ड पोस्ट करके मेल रुटिंग एवं डाक वितरण की नियमित निगरानी।

(ii) बड़े शहरों के बाहरी क्षेत्रों में डाक वितरण हेतु डाकियों को मोपेड उपलब्ध करवा कर वितरण का प्रगामी यांत्रिकीकरण।

(iii) बढ़ते शहरीकरण में पर्याप्त जनशक्ति तैनात करने को ध्यान में रखते हुए डाक वितरण को तर्कसंगत बनाना/सुधारना।

(iv) पर्यवेक्षण स्टाफ एवं अधिकारियों द्वारा डाक वितरण का औचक निरीक्षण।

(v) कमज़ोर कड़ियों की पहचान करने एवं मेल पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने हेतु ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर लाइव मेल सर्वे।

(vi) डाक पारेषण से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए एयरलाइन्स, रेलवे एवं राज्य सड़क परिवहन प्राधिकरणों के साथ नियमित समन्वय बैठकें।

(vii) बहुमंजिली भवनों के भूतल पर डाक पेटिका लगाने हेतु ग्राहकों को जानकारी देना।

(viii) डाक वितरण डाकघरों पर कार्यभार को कम करने एवं ऐसी डाक की तीव्र डिलीवरी हेतु थोक मेलकर्ताओं के लिए प्राप्तकर्ता डाकघर में तीव्र डिलीवरी हेतु थोक मेलकर्ताओं के लिए प्राप्तकर्ता डाकघर में तीन प्रतियों में पंजीकृत सूची तैयार करना।

(ix) त्यौहार आदि अवसरों पर डाक के निपटान के लिए पर्याप्त जनशक्ति वाले अलग केन्द्र खोले गए हैं, ताकि ऐसी डाक का निपटान तीव्रता से हो सके।

(x) विभाग में 1971 से प्रयोग किए जा रहे पिन कोडों का डाक की छंटाई एवं वितरण को सरल बनाने के लिए नवीनतम उपयोग।

(xi) स्पीड पोस्ट के वितरण के लिए पूरी तरह समर्पित स्टाफ को लगाया जाता है।

(xii) स्पीड पोस्ट मदों के वितरण में तेजी लाने के लिए कुछ शहरों में वितरण स्टाफ को मोपेड दी गई है।

(xiii) स्पीडनेट की मार्फत ट्रैक एवं ट्रेस सुविधा प्रदान की जा रही है ताकि ग्राहक स्पीड पोस्ट मदों के वितरण की स्थिति जान सके।

(xiv) सभी महत्वपूर्ण कस्बों में स्पीड पोस्ट मदों का उसी दिन वितरण।

(xv) जहां औचित्यसम्मत हो, वहां नोडल वितरण कार्यालयों में वृद्धि।

(xvi) मैट्रो शहरों में विशेष वाहनों के माध्यम से केन्द्रीकृत रूप से स्पीड पोस्ट केन्द्रों से कारपोरेट ग्राहकों हेतु बल्क वितरण किया जा रहा है।

(xvii) मैट्रो शहरों में विशेष वाहनों के माध्यम से केन्द्रीकृत रूप से स्पीड पोस्ट केन्द्रों से कारपोरेट ग्राहकों हेतु बल्क वितरण किया जा रहा है।

(xviii) स्पीड पोस्ट मदों का सक्षम रूप से वितरण सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर निश्चित एवं निरंतर निगरानी।

चीनी का आयात

241. **श्री मिलिन्द देवरा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत से कितनी मात्रा में चीनी का आयात किया गया है;

(ख) क्या पाकिस्तान स्टैन्डर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी (पीएसक्यूसीए) ने यह घोषणा की है कि भारत से आयातित चीनी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उपभोग के योग्य नहीं है तथा उसने भारतीय चीनी के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पाकिस्तान सरकार के साथ इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत से आयात की गई चीनी की मात्रा निम्नानुसार थी :-

(मीटरी टन में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च)	मात्रा
1.	2004-05	1,938
2.	2005-06	72,285
3.	2006-07	7,46,929
	जोड़	8,21,152

(ख) सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रिफाइनरी उत्पादों का वायदा कारोबार

242. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरीवेटिव्ज एक्सचेंज लिमिटेड ने सरकार को पेट्रोल तथा डीजल सहित रिफाइनरी उत्पादों के वायदा कारोबार पर एक प्रस्तुतीकरण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मूल्य वृद्धि पर रिपोर्ट

243. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ ने हाल ही में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी के संबंध में एक रिपोर्ट भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस रिपोर्ट में दी गई वस्तुओं के नाम क्या हैं तथा उनके वर्तमान मूल्य तथा पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान प्रचलित मूल्यों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं। मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ केवल सचिवों की समिति, मूल्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति, मंत्रिमण्डल आदि जैसी उच्च स्तरीय बैठकों के लिए नोट तैयार और परिचालित करता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

244. श्री एन. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2008–09 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कितने परिवारों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना के असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले सभी परिवारों को उक्त योजना में शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) वर्ष 2008–09 के दौरान 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले 1.2 करोड़ परिवारों को लाए जाने की संभावना है तथा वर्ष 2012–13 तक सभी अनुमानित 6 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को इसके दायरे में लाए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

डाकघर को बंद किया जाना

245. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेष रूप से राजस्थान में कई डाकघर बंद कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन डाकघरों को बंद किए जाने के कारण लोगों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए क्या प्रणाली विकसित की गई है;

(घ) इन डाकघरों को बंद करने का निर्णय लेने से पहले जन प्रतिनिधियों को विश्वास में न लेने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी राज्यों में सीपीएमजी स्तर पर जन प्रतिनिधियों के साथ हर वर्ष की जाने वाली बैठक को जारी न रखने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी हां। देश में वर्ष 2004–05, 2005–06 और 2006–07 के दौरान कुछ डाकघर बंद किए गए हैं। तथापि, उपरोक्त

तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सर्किल में कोई डाकघर बंद नहीं किया गया है।

(ख) ये डाकघर अपरिहार्य परिस्थितियों, जैसे किसी बांध का निर्माण कार्य पूरा होना, टूटा-फूटा भवन, भवन को खाली करने के संबंध में न्यायालय के आदेश एवं नजदीकी स्थान में डाकघर की उपलब्धता के कारण बंद कर दिये गये हैं।

(ग) किसी डाकघर को बंद करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि आस-पास अन्य डाकघर उपलब्ध हों तथा डाक नेटवर्क की पहुंच का स्तर प्रभावित न हो और ग्राहकों को असुविधा न हो। इन डाकघरों को बंद करने से पहले ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) डाकघरों को अपरिहार्य परिस्थितियों में बंद किया जाता है जिनका उल्लेख उपरोक्त भाग (ख) में किया गया है। इसके अलावा, निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए डाक नेटवर्क को सही आकार देने के उद्देश्य से प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार डाकघरों को बंद किया जाता है।

(ङ) जन प्रतिनिधियों के साथ ऐसी कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है।

श्रम कानूनों में संशोधन

246. श्री संजय धोत्रे :
श्री बापू हरी चौरे :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रम संगठनों और उद्योग क्षेत्र के परामर्श से राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रम कानूनों में बदलाव करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रम कानूनों में संशोधन के लिए कोई नया तरीका या मसौदा तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए आश्वासन के अनुसार, कारखाना अधिनियम, 1948; श्रम कानून (कतिपय प्रतिष्ठानों को विवरण देने और पंजियों के रखरखाव से छूट) अधिनियम, 1988 तथा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव सभी पणधारियों के परामर्श से तैयार किए गए हैं और संशोधित विधेयकों को संसद में पुरःस्थापित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् की स्थापना संबंधी प्रस्ताव

247. श्री अनन्त नायक : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) की तर्ज पर भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) संसद के दोनों सदनों द्वारा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) को पारित करने के परिणामस्वरूप तथा दिनांक 18 अगस्त, 1984 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, उक्त अधिनियम को भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 21 अगस्त, 1984 की अधिसूचना संख्या 66 के तहत प्रकाशित किया गया था। इसके बाद, केन्द्र सरकार ने दिनांक 2 अगस्त, 1989 की राजपत्र अधिसूचना सा.का. संख्या 2051 के तहत, अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 के प्रावधानों तथा भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् नियमावली, 1985 के नियम 23 के अनुसार सदस्यों को नामित करके पहली बार भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् का गठन किया। इसके पश्चात, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर परिषद् के लिए सदस्यों के चुनाव तथा नामांकन किए गए हैं जैसा कि उक्त अधिनियम में व्यवस्था है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बीजों की आपूर्ति

248. श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के किसानों को बीजों की आपूर्ति संतोषजनक रूप से नहीं हो रही है और उन्हें अन्य स्रोतों से बीज खरीदने पड़ते हैं जो घटिया एवं फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बीजों की कुल मांग और सरकारी एजेंसियों द्वारा आपूरित बीजों की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बीजों के उत्पादन और उसकी आपूर्ति की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो समीक्षा कब की गई और उसके क्या परिणाम निकले;

(च) क्या किसानों में बीजों का प्रयोग करने और उसे खरीदने के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु कोई प्रयास किया गया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जोनल आदान सम्मेलनों में राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2007-08 से 179.84 लाख क्विंटल की आवश्यकता की तुलना में विभिन्न फसलों के 194.31 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध हैं। 2006-07 के दौरान देश में गुणवत्ता बीजों का उत्पादन लगभग 46.13 लाख क्विंटल बढ़ गया है।

(ग) से (ङ) प्रत्येक बुआई मौसम जैसे खरीफ (फरवरी-मार्च) एवं रबी (अगस्त-सितम्बर) से पहले सरकार जोनल आदान सम्मेलन में नियमित रूप से बीजों के उत्पादन एवं आपूर्ति की समीक्षा करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कुल मांग एवं सरकारी एजेंसियों द्वारा आपूर्ति के लिए उपलब्ध कराए गए बीजों की मात्रा का राज्यवार विवरण, विवरण-1 में दिया गया है।

(च) से (ज) बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक 645350 किसान बीज उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, विभिन्न फसल विकास कार्यक्रमों की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम/केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के अंतरण, सूचना प्रसार, जिसमें अग्रणी प्रदर्शन द्वारा नए बीजों का प्रयोग शामिल है, खेतों में प्रदर्शन, बीज मिनिकिट, कृषक फील्ड स्कूल, बीज उत्पादन, बीजों का वितरण एवं किसानों को प्रशिक्षण के लिए राज्यों को सहायता मुहैया करवाई जाती है।

विवरण

सरकारी एजेंसियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीज उपलब्ध कराने/उनकी आपूर्ति संबंधी ब्यौरे

(मात्रा, लाख क्विंटल में)

राज्य	2005-06			2006-07			2007-08		
	मांग	उपलब्धता		मांग	उपलब्धता		मांग	उपलब्धता	
		सरकारी एजेंसी	कुल		सरकारी एजेंसी	कुल		सरकारी एजेंसी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	15.10	6.97	35.73	23.82	12.99	35.82	32.27	14.84	38.93
अरुणाचल प्रदेश	0.09	0.09	0.09	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03
असम	1.96	1.44	1.91	2.34	2.04	2.34	2.17	1.82	2.17
बिहार	5.41	2.44	3.73	6.31	3.89	6.10	7.19	4.21	5.58
छत्तीसगढ़	0.93	1.01	1.01	1.27	0.75	0.75	1.85	1.28	1.28
गोवा	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.05
गुजरात	4.60	1.66	6.02	4.72	2.24	5.98	6.04	2.06	6.57
हरियाणा	3.68	2.95	8.51	5.03	3.46	13.45	7.25	2.90	11.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हिमाचल प्रदेश	0.81	0.68	0.81	0.76	0.63	0.76	0.86	0.70	0.86
झारखंड	0.39	0.25	0.39	0.54	0.50	0.54	1.17	1.09	1.27
जम्मू और कश्मीर	0.50	0.50	0.50	0.58	0.58	0.58	0.56	0.56	0.56
कर्नाटक	7.56	4.51	8.10	8.33	4.95	9.14	8.84	5.56	9.49
केरल	0.89	1.42	1.42	0.76	0.82	0.82	0.73	0.61	0.61
मध्य प्रदेश	7.94	6.42	10.27	8.67	4.86	10.86	12.06	6.73	14.02
मेघालय	0.12	0.09	0.12	0.08	0.02	0.05	0.09	0.07	0.10
महाराष्ट्र	14.67	9.98	17.00	14.79	9.58	15.88	17.02	9.85	18.60
मणिपुर	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08	0.08
मिजोरम	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06
नागालैंड	0.18	0.18	0.18	0.46	0.36	0.46	0.40	0.23	0.44
उड़ीसा	3.00	3.20	3.27	2.99	2.91	2.91	3.48	3.93	3.93
पांडिचेरी	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13
पंजाब	4.02	3.82	5.08	8.91	4.85	6.18	9.34	6.09	7.50
राजस्थान	8.20	3.52	8.75	10.07	4.58	10.41	13.68	5.31	14.83
सिक्किम	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08	0.08
तमिलनाडु	2.73	2.92	2.92	2.44	2.44	2.46	10.02	7.76	10.39
त्रिपुरा	0.51	0.51	0.51	0.40	0.40	0.40	0.26	0.26	0.26
उत्तरांचल	0.73	3.01	3.01	1.09	2.37	2.37	1.25	2.98	2.98
उत्तर प्रदेश	11.91	9.90	9.90	12.73	8.18	8.18	32.32	30.21	30.21
पश्चिम बंगाल	10.89	5.93	11.01	11.36	5.89	11.41	11.48	2.14	11.49
कुल	107.08	73.67	140.51	128.76	79.62	148.18	180.74	111.59	194.31

[अनुवाद]

श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन

249. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों के सामने आ रही समस्याओं पर ध्यान देने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने श्रम संबंधी विभिन्न विषयों अर्थात् श्रम कानूनों की समीक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल श्रम, कौशल विकास, श्रम प्रशासन, असंगठित क्षेत्र आदि का अध्ययन किया है एवं उन पर अपनी संस्तुति की है तथा उसके बारे में विभिन्न मंचों पर पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) से परामर्श एवं पारस्परिक कार्यवाई की है। श्रम कानूनों में संशोधन करते समय द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा

250. **श्री चन्द्रभान सिंह :** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी टेलीफोन कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी टेलीफोन कंपनियां उक्त निदेशों का पालन कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देश में गांवों तक दूरसंचार क्रांति पहुंचाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 18,000 गांवों में अभी भी दूरसंचार सुविधाओं का अभाव है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) ऐसे बुनियादी निजी सेवा प्रचालक (बीपीएसओ), जिन्हें 1997 में लाइसेंस जारी किए गए थे, नवम्बर, 2003 में एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यूएएसएल) में अंतरित हो गए हैं। यूएएसएल के मार्ग-निर्देशों के अनुसार अंतरित यूएएसएल लाइसेंस के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को अनिवार्यतः कवर करना अपेक्षित नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में दूरसंचार क्रांति को गांवों तक ले जाने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ किए जा रहे प्रयास निम्नलिखित हैं :-

(i) लाभ की दृष्टि से अव्यवहार्य सभी 1685 अल्पदूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) में ग्रामीण सीधी एक्सचेंज लाइनें (आरडीईएल) प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से सहायता।

(ii) जून, 2008 तक 66,822 विवादरहित अभिगम्य और 100 से अधिक आबादी वाले आबाद गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से सहायता।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डब्ल्यूएलएल नेटवर्क की स्थापना।

(iv) देश के 500 जिलों में फैले 7871 अवसंरचना स्थलों (टॉवरों) की स्थापना के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा अवसंरचना की अभिनव स्कीम के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से सहायता।

(ङ) और (च) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ किए गए करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार नवम्बर, 2007 तक देश के शेष 66,822 टेलीफोन सुविधा रहित गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) सुविधा प्रदान की जानी है। इसमें घने वन क्षेत्रों/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पड़ने वाले तथा 100 से कम की आबादी वाले गांव शामिल नहीं हैं। 31.08.2006 की स्थिति के अनुसार 30,251 गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जा चुके हैं और 30.09.2007 की स्थिति के अनुसार कुल 50,520 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं। शेष 16,302 गांवों, जिनके संबंध में मुख्यतः पूर्व में भारतीय उपग्रह, इनसैट-4सी पर आबंटित उपग्रह ट्रांसपोंडरों की अनुपलब्धता के कारण विलंब हुआ था, में जून, 2008 तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

चाय बागानों का बंद होना

251. **डा. अरुण कुमार शर्मा :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ चाय बागानों के बंद हो जाने के कारण चाय बागान श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार कितने बागान बंद हुए हैं और श्रमिक प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने मुआवजा देकर या वैकल्पिक रोजगार के माध्यम से इन श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु कोई योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी, हां। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना के अनुसार, 1 अप्रैल, 2007 तक 33 बागानों के बंद होने के कारण तीस हजार से अधिक कामगार प्रभावित हुए थे। इस 33 बागानों में से, 17 पश्चिम बंगाल में, 14 केरल में तथा 2 असम में हैं।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने बंद चाय बागानों के लिए 38.65 करोड़ रुपये की सीमा तक वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए 29 जून, 2007 को एक पुनर्वास पैकेज की घोषणा की थी। पैकेज में बकाया बैंक देयों की पुनर्संरचना, सरकार से ब्याज सब्सिडी के साथ कार्यशील पूंजी

के नए सिरे प्रावधान, चाय बोर्ड पर शेष ऋण देयों को माफ किए जानें तथा भविष्य निधि देयों के किश्तों में निपटान की व्यवस्था है। यह माना जाता है कि बागानों का खाता नियमित होने के पश्चात् वे विशेष प्रयोजनार्थ चाय निधि के अंतर्गत पुनःबागान लगाने के लिए सावधि ऋण तथा चाय बोर्ड की गुणवत्ता उन्नयन योजना के अंतर्गत यंत्रों के लिए अपफ्रन्ट सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। सरकार ने चाय अधिनियम, 1953 के उपबंधों के अंतर्गत बंद चाय बागानों के प्रबंधन में परिवर्तन के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति भी गठित की है।

कुछ राज्य सरकारों जैसे केरल, पश्चिम बंगाल सरकार, जहां बंद बागानों की संख्या अधिक है, ने बेरोजगार कामगारों और उनके परिवारों की त्रासदी के उपशमन के उद्देश्य से कतिपय राहत उपायों का प्रावधान किया है। राहत उपायों में मुख्य रूप से विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के द्वारा भोजन सुरक्षा तथा मजदूरी नियोजन सुनिश्चित करना शामिल है। अंतरिम राहत के उपाय के रूप में, भारत सरकार ने 15 अक्तूबर, 2007 को आदिनांक बंद रहे चाय बागानों के बागान कामगारों को 1000/–रुपये प्रतिवार्ड की एकमुश्त धनराशि के भुगतान का अनुमोदन किया है। आदिनांक इन 33 बंद चाय बागानों में से 10 को पुनः खोल दिया गया है। इन खोले गए बागानों में से 9 केरल में तथा एक पश्चिम बंगाल में है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग

252. श्री बापू हरी चौरे :
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री संजय धोत्रे :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग के कब तक गठित होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। 11वीं योजना के प्रस्ताव में प्राकृतिक बाढ़ प्रबंधन आयोग (एनएफएमसी) की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

गन्ने का सतत् विकास

253. श्री एन अप्पादुरई : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सतत् गन्ना विकास आधारित फसल प्रणाली नामक एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु में उक्त योजना लागू की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त योजना को तमिलनाडु में कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) जी, हां। केन्द्र सरकार कृषि में वृहत प्रबंधन प्रणाली के तहत 23 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी में गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत् विकास से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है ताकि गन्ना के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। स्कीम के तहत क्षेत्रीय प्रदर्शन, किसानों व विस्तार कार्मिकों के प्रशिक्षण, फार्म उपकरण/मशीनरी, उष्मा उपचार संयंत्र, रोपण सामग्री के उत्पादन तथा ड्रिप सिंचाई के लिये सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

एफसीआई अधिकारियों पर छापे

254. श्री हरिसिंह चावड़ा :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के कुछ अधिकारियों के आवासीय परिसरों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान कितने छापे मारे गए तथा कितने अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए;

(ग) उक्त छापों के दौरान दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध की जा रही जांच की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) जिन अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है उनमें से कितने अधिकारी अभी भी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में कार्यरत हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पालियों की संख्या में बढ़ोत्तरी

255. श्री हितेन बर्मन : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में बेरोजगारी की समस्या को कम करने हेतु फैक्ट्रियों में तीन पालियों की संख्या को बढ़ाकर चार पाली करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दुर्लभ इलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्ट्रम का आबंटन

256. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोबाइल कंपनियों को दुर्लभ इलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्ट्रम आबंटित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त के आबंटन हेतु वर्तमान नियम में कोई बदलाव किया गया तो सरकारी खजाने को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) मोबाइल दूरसंचार प्रचालकों को उनके सेवा लाइसेंस करार के संबंधित उपबंधों के अनुसार आरंभिक स्पेक्ट्रम आबंटित किया जाता है। सेवा के विस्तार और उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या तथा उपभोक्त आधारित पात्रता संबंधी मापदंड, औचित्य को ध्यान में रखते हुए और दूरसंचार सेवा क्षेत्र में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आबंटित किया जाता है।

(ग) और (घ) 2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन हेतु, संशोधित उपभोक्ता आधारित स्पेक्ट्रम आबंटन मापदंड की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तथापि, मामला दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) में विचाराधीन है।

कृषि ऋण का पुनर्गठन

257. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री हंसराज गं. अहीर :

श्री अजीत जोगी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसानों पर एक लाख पिचहत्तर हजार करोड़ रुपये का ऋण बकाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों की असहाय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके ऋण माफ करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ग) क्या अन्य कारोबार की तरफ कृषि ऋण का इस तरीके से गठन किया जाए कि किसानों को लाभ मिल सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार कृषि ऋण के पुनर्गठन पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ङ) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 2006–07 के दौरान किसानों को अभी तक कुल कितनी ऋण राशि का वितरण किया गया है;

(च) इससे किसानों को किस सीमा तक सहायता मिली है;

(छ) किसानों को और उदारीकृत ऋण देने हेतु क्या अन्य कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है; और

(ज) क्या सरकार का विचार ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण खरीदने हेतु ऋण ब्याज दर को घटाकर चार प्रतिशत या उससे भी कम करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जून, 2006 की स्थिति के अनुसार अनुमानित बकाया कृषि ऋण 232343 करोड़ रु. है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने जून, 2004 में फार्म ऋण पैकेज की घोषणा की है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बकायेदार और संकटापन्न किसानों के बकाया ऋणों के पुनः निर्धारण/पुनर्व्यवस्था तथा छोटे एवं सीमान्त किसानों के पुराने तथा दीर्घकालीन ऋणों के लिए एक विशेष एकमुश्त निपटान स्कीम का प्रावधान है ताकि वे नये ऋणों के लिये पात्र बन सकें।

(ङ) और (च) वर्ष 2006–07 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने विशेष कृषि ऋण योजना के तहत कृषि क्षेत्र को 1,22,442.50 करोड़

रु. के ऋणों का वितरण किया है। ऋण की बढ़ी हुई राशि से फार्म क्षेत्र में उच्च स्तर का पूंजी निर्माण हुआ है और फार्म आदानों व उपकरणों के लिए किसानों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है।

(छ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ज) जी, नहीं।

विवरण

भारत सरकार ने हाल ही के वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड से परामर्श करते हुए किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए बहुत से उपाय शुरू किये हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :–

1. बैंकों को कृषि ऋणों के प्रलेखन के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने की सलाह दी गई है।

2. खरीफ 2006–07 से सरकार ने अधिकतम 3 लाख रु. मूलधन तक के फसल ऋणों पर ब्याज दर को घटाकर 7% कर दिया है। इस नीति को 2007–08 में भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

3. 50,000 रु. के ऋणों को सह पार्श्वीय और मार्जिनमुक्त बना दिया गया है।

4. बैंकों को सभी योग्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की सलाह दी गई है ताकि वे अड़चनों से मुक्त तरीके से ऋण प्राप्त कर सकें।

5. कृषि क्लिनिक एवं कृषि–व्यापार केन्द्र स्कीम के तहत बैंकों के जरिये परियोजना की पूंजी लागत के 25% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई पूंजी सब्सिडी वित्तपोषित की जाती है। किसानों को भुगतान आधार पर विस्तार एवं अन्य सेवायें देने की दृष्टि से इस स्कीम की परिकल्पना की गई है। एस सी/एसटी, महिला तथा अन्य दुर्बल तबके के उम्मीदवारों और पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों के उम्मीदवारों के मामले में यह सब्सिडी 33.33% होगी।

6. निर्धन एवं अनौपचारिक क्षेत्र की पहुंच को आसान बनाने के लिए एस एच जी–बैंक सम्पर्क कार्यक्रम में, विशेष रूप से प्राथमिकता वाले 13 राज्यों नामतः असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, और पश्चिम बंगाल में जहां अधिकांश आबादी ग्रामीण एवं निर्धन है, तेजी लाई गई। बैंकों को संयुक्त उत्तरदायित्व समूहों और काश्तकार किसान समूहों को वित्तपोषित करने की भी सलाह दी गई है।

7. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए घोषित उपाय के एक अंग के रूप में बैंकों को "नो फ्रिल्स" अकाउन्ट खोलने तथा ऐसे खातों के लिये साधारण ओवरड्राफ्ट सुविधा देने की सलाह दी गई है। बैंकों को सुरक्षा (सिक्यूरिटी) तथा कोष के अंतिम उपयोग पर बल दिए बगैर 25000 रु. तक के साधारण क्रेडिट कार्ड जारी करने की भी सलाह दी गई है।

8. बैंकों को प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले में मार्गदर्शी आधार पर 100% वित्तीय समावेशन संचालित करने की सलाह दी गई है। इसकी सफलता के आधार पर राज्यों में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति राज्य के अन्य जिलों में 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार करेगी।

9. वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए बैंकिंग करेसपांडेन्ट/बैंकिंग फेसिलिटेटर के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश बैंकों को दिये गये हैं।

10. वित्तीय एक्सक्यूजन के मुद्दे की गहराई से जांच करने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाने हेतु भारत सरकार ने डा.सी. रंगराजन की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन समिति की नियुक्ति की थी। समिति की अंतरिम सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 2007–08 के केन्द्रीय बजट में दो कोषों, यथा–वित्तीय समावेशन कोष, और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी कोष, के गठन की घोषणा की है।

[हिन्दी]

एम.टी.एन.एल. द्वारा निवेश

258. श्री वी.के. ठुम्मर :

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में 100 करोड़ रुपये का निवेश किया है और सरकार को इस निवेश से कोई लाभ नहीं मिला है क्योंकि कंपनी को कोई लाभ नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त निर्णय लेने हेतु जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। एमटीएनएल ने मैसर्स आईटीआई लिमिटेड द्वारा जारी किए गए अधिमानी शेयरों में 100 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। मैसर्स आईटीआई लिमिटेड को घाटा होने के कारण इन

अधिमानी शेयरों पर कोई लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अधिमानी शेयर संचयी प्रकृति के होते हैं। जब कभी भी आईटीआई लिमिटेड को पर्याप्त लाभ होगा, लाभांश के बकायों का भुगतान किया जाएगा।

सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों की हिस्सेदारी

259. श्री धर्मेन्द्र प्रधान :

श्री कीरेन रिजीजू :

श्री राकेश सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बुनियादी और मोबाइल टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने में सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों की हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) क्या निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की हिस्सेदारी में गिरावट आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार की इस सेवा को प्रदान करने में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) 30.09.2007 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी निम्नानुसार है :–

टेलीफोन	सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी	निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी
बेसिक	90.58%	9.42%
मोबाइल	17.76%	82.24%
कुल	29.35%	70.65%

(ख) जी, हां। तथापि, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के उपभोक्ताओं की संख्या जो 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार 61.08 मिलियन थी, अब बढ़कर 30.09.2007 की स्थिति के अनुसार 72.98 मिलियन हो गई है।

(ग) सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की हिस्सेदारी में गिरावट निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की वृहत्त भागीदारी और बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के कारण है।

(घ) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अपने नेटवर्क में बहुत सी नई और मूल्यवर्धित सेवाएं शुरू की हैं, जैसे :–

(1) सभी उपभोक्ताओं को लैंडलाइन टेलीफोन में कालिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन सुविधा निःशुल्क दी जाती है और टेलीफोन के अत्यधिक प्रयोक्ताओं को अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(2) कई क्षेत्रों में निजी सेवा प्रदाताओं से प्रतिस्पर्धा के लिए उनके प्रशुल्क के समान प्रशुल्क दिए जाते हैं।

(3) फ्रेंचाइजी नेटवर्क का भी विस्तार किया जा रहा है और सार्वजनिक टेलीफान केन्द्रों (पीसीओ) को भी विविध उपयोग दूरसंचार केन्द्रों में बदला जा रहा है, जिनमें उपभोक्ता कंपनी की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) भारत संचार निगम लिमिटेड की आगामी तीन वर्षों के दौरान लगभग 100 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है।

[अनुवाद]

पी.डी.एस. संबंधी वधवा समिति

260. श्री के.एस. राव :

श्री रघुनाथ झा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) को कमजोर करने वाली समस्याओं पर ध्यान देने के लिए उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति वधवा समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों में पी.डी.एस. लाभार्थियों ने पी.डी.एस. में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिवेदन दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) विभिन्न राज्यों विशेषकर दिल्ली में पी.डी.एस. लाभार्थियों को खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) समिति ने दिल्ली में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं – गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी को समाप्त करना, छूट जाने की बात को रोकने के लिए गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की पहचान करना, जाली राशन कार्ड समाप्त करना, सतर्कता/प्रवर्तन स्कंध और जमाखोरी निरोधक सैल को मजबूत करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण करना, हैल्प लाइन स्थापित करना, ई–बैंकिंग लागू करना, विकल्प देने पर गेहूं के आटे का वितरण करना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मानीटर करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी बनाना, फूड कूपन लागू करना, उचित दर दुकानों के लाइसेंसों को सुप्रवाही बनाना और उन्हें उचित कमीशन का भुगतान करना, स्कीम के बारे में लाभार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ाना, खाद्यान्नों की खेपों के संचलन के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी. पी.एस.) लागू करना आदि हैं। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को टिप्पणियों हेतु भेज दी गई है।

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कदाचारों के खिलाफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लाभार्थियों के अभ्यावेदनों के बारे में रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ङ) प्राप्त रिपोर्टें जांच और उचित कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को भेज दी गई हैं।

(च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कदाचारों को समाप्त करने के लिए सभी राज्यों और राज्य क्षेत्रों में एक 9 सूत्रीय कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार के प्रावधानों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करने हेतु जुलाई, 2007 में एक संशोधित नागरिक अधिकार–पत्र जारी किया गया है।

खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियां

261. **श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूर संवेदी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सिमुलेशन माडलिंग ने देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि में किस प्रकार सहायता की है;

(ख) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने वाणिज्यिक खेती के लिए फसलों की कुछ उन्नत किस्में विकसित की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में सुधार करने के लिए बायोसेंसर, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी आदि के अनुप्रयोग का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनसे क्या लाभ अर्जित होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) इन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग संसाधन विशेषता वर्णन, भूमि उपयोग नियोजन, प्रिसिजन फार्मिंग, फसल पूर्वानुमान, बाढ़ और सूखा निगरानी आदि के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। इन्होंने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता की है।

(ख) और (ग) जी, हां। रेडिएशन उत्प्रेरित म्यूटेशन और संकर–प्रजनन का प्रयोग करके भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने 29 उन्नत किस्में विकसित की हैं और उन्हें व्यावसायिक खेती के लिए जारी किया है। इनमें 16 तिलहन (12 मूंगफली, 2 सोयाबीन और 2 सरसों), 11 दलहन (4 चना, 5 मूंग और 2 अरहर) तथा चावल व जूट की एक–एक किस्म शामिल है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से अधिक पैदावार देने की क्षमता वाली, जैविक और अजैविक दबावों के प्रति सहिष्णु और बेहतर क्वालिटी के गुण वाले उन्नत कल्टीवर/किस्में विकसित कर रही हैं। 11वीं योजना के दौरान कृषि जैव–प्रौद्योगिकी, जैविक और अजैविक दबाव प्रबंधन पर संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव है।

नैनो–टैक्नालॉजी में मृदा–जल–पोषक, तत्व, कीटनाशक रसायनों की संसाधन उपयोग क्षमता को उपयुक्त नैनो–उत्पादों और बायोसेन्सर्स के विकास द्वारा बढ़ाने की क्षमता है। तथापि, क्षमता का अभी पता लगाया जाना है।

स्पेक्ट्रम का आबंटन

262. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू और विदेशी क्षेत्र के लिए 3 जी सेवाओं हेतु स्पेक्ट्रम आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लाइसेंसों के आबंटन हेतु कार्यविधियों और मापदंड को अंतिम रूप दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2007–08 के दौरान लाइसेंसों के आबंटन के लिए कितने आवेदनों पर विचार किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ङ) सरकार ने 3–जी सेवाओं के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं, जो निम्नवत् हैं और यह नीलामी सभी पात्र पक्षों के लिए खुली होगी।

- 3–जी (तीसरी पीढ़ी) मोबाइल दूरसंचार अगली पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्कों का जेनेरिक नाम है जिसमें उच्च डेटा रेट पारेषण क्षमताओं के साथ बेतार मोबाइल प्रौद्योगिकी संयोजित होगी। 3–जी नेटवर्क उच्च डेटा दर उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे और इनमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसेकि हाई रिसोल्यूशन क्षमतायुक्त वीडियो और मल्टीमीडिया सेवाएं तथा साथ ही वॉयस, फैक्स और परंपरागत डेटा सेवाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं।
- 3–जी स्पेक्ट्रम 2.1 गीगाहर्ट्ज बैंड पर उपलब्ध होगा।
- 3–जी लाइसेंस एक नियंत्रित, एक साथ आरोही ई–नीलामी प्रक्रिया के जरिए एक विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा ताकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
- आरंभिक एकबारगी स्पेक्ट्रम शुल्क के अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया है कि सफल सेवा प्रदाता आवर्ती वार्षिक स्पेक्ट्रम प्रभार के रूप में अपने कुल समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 0.5% अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्रभार का भुगतान करेगा। स्पेक्ट्रम सौंपने की तारीख से 3 वर्ष के बाद एजीआर के 1% अतिरिक्त राजस्व हिस्सेदारी का प्रस्ताव है
- ग्रामीण रॉल आउट सहित रॉल आउट अपेक्षाओं और इनका भुगतान न करने की स्थिति में कठोर दंड का भी प्रावधान किया गया है।
- आरंभिक पांच वर्षों के दौरान विलय की अनुमति नहीं होगी। स्पेक्ट्रम का सौदा करने/दोबारा बेच देने की अनुमति नहीं है।
- ईवी–डीओ आवेदकों के लिए 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में सीडीएमए स्पेक्ट्रम को 2.1 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम से अलग माना जाएगा। यदि सीडीएमए आधारित सेवा प्रदाता 2x1.25 मेगाहर्ट्ज के ईवी–डीओ वाहक की मांग करते हैं तो उन्हें 2.1 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए लगाई गई उच्चतम बोली की समानुपातिक राशि का भुगतान करना होगा।

सूती वस्त्रों का उत्पादन

263. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् उत्पादित सूती वस्त्रों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान सूती वस्त्रों के उत्पादन में क्रमिक गिरावट देखी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में सूती वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) यद्यपि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वार सूती कपड़े के उत्पादन का ब्यौरा सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है, फिर भी देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती कपड़े का संचयी उत्पादन नीचे दिया गया है:–

(मिलियन वर्ग मीटर)

2004–05	2005–06	2006–07
20655	23873	26225

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में सूती कपड़ों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत पूर्व में वस्त्र क्षेत्र की सहायता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

(1) प्रतिस्पर्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने **कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी)** शुरू किया है। इस मिशन में कपास बाजार यार्डों के उन्नयन और जिनिंग

एवं प्रैसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करने और प्रदूषण कम करने में सफलता हासिल की है।

(2) संगठित एवं असंगठित दोनों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)** शुरू की गई थी। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप-क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए इस योजना को और अधिक अच्छा बनाया गया है। आयात पर सीमा शुल्क कम करके मशीनों की लागत और भी कम कर दी गई है।

(3) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के तहत 20.4.2005 से 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की है।

(4) वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने वाले अपने वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगस्त, 2005 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित **"एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" (एसआईटीपी)** नामक एक योजना शुरू की गई है।

(5) बजट 2004-05 में, 'मानव निर्मित फाइबर एवं फिलामेंट यार्न' को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी। बजट 2005-06 में, 'पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न' पर केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर (सेनवेट) 24% से घटाकर 16% कर दिया है। वित्तीय प्रभारों में इन संशोधनों का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करना है।

(6) कोटा पश्चात् व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी का आयात सुकर बनाने के लिए बजट, 2005-06 में वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क कम कर 10% कर दिया गया है जिसमें सूची 49 दर्शायी गई 23 मशीनें शामिल नहीं हैं, जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बी सी डी) है। 5% का रियायती शुल्क अधिकतर मशीनरी मदों पर 5% ही है।

(7) बजट 2005-06 में निटिंग एवं निटवियर की 30 मदें अनारक्षित कर दी गई हैं इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बड़े आकार की आधुनिकीकृत एककों की स्थापना करना सुकर होगा।

(8) बजट 2006-07 में वस्त्र क्षेत्र के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई थी:-

- सभी मानवनिर्मित फाइबर यार्न और फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 8% करना।
- सभी मानवनिर्मित फाइबर और यार्न पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% करना।
- डीएमटी, पीटीए तथा एमईजी जैसी कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 10% करना।
- एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के लिए 2006-07 के दौरान 189 करोड़ रुपये का प्रावधान।

(9) बजट 2007-08 में वस्त्र क्षेत्र के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:

- एकीकृत वस्त्र पार्क योजना के तहत प्रावधान 2006-07 में 189 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 में 425 करोड़ रुपए करना।
- 11वीं योजना में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को वर्ष 2006-07 में 535 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2007-08 में 911 करोड़ रुपए के आबंटन से जारी रखना।
- हथकरघा क्षेत्र के लिए 2006-07 में 241 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2007-08 के लिए 321 करोड़ रुपए का आबंटन करना।
- पोलिएस्टर फाइबर एवं यार्न पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 7.5% करना।

(10) सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8-9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है।

(11) निचले स्तर पर बढ़ती हुई कुशल कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार मौजूदा अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्रों (एटीडीसी) को सुदृढ़ बनाने तथा नए एटीडीसी खोलने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

(12) सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

(13) सरकार ने सिले-सिलाये परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया जा सके।

(14) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना उद्योग के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों को शामिल करके मूल्य वर्द्धन की संकल्पना के प्रति उद्योग को संवेदनशील बनाने के लिए

अग्रणी भूमिका प्रदान करने के लिए की गई है। इसके फलस्वरूप, उद्योग की सेवा में लगे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों की मांग बढ़ी है।

(15) विश्व अर्थव्यवस्थाओं के खुल जाने से बदलते हुए व्यापार परिवेश में फैशन शिक्षा पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए सरकार निम्नलिखित के लिए कदम उठा रही है:–

- अंतर्राष्ट्रीय निर्धारणों से युक्त फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता के संस्थान की स्थापना।
- देश में फैशन व्यापार शिक्षा के मानकीकरण और निर्धारण के लिए एक प्रमुख एजेंसी की नियुक्ति।
- देश में फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक शीर्ष इकाई की स्थापना।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प निगम को सहायता

264. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हस्तशिल्प के विकास के लिए देश में हस्तशिल्प निगम और अन्य गैर–सरकारी संगठनों/वित्तीय संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और तत्पश्चात् विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजनार्थ छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में शिल्पकारों को विशेष राहत उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार देश के हस्तशिल्प निगमों तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों/संगठनों को केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिसके अंतर्गत हस्तशिल्प के विकास एवं संवर्धन के लिए निधियां योजनावार न कि राज्यवार आबंटित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हस्तशिल्प के विकास के लिए किया गया राज्यवार व्यय का ब्यौरा विवरण–I के रूप में संलग्न है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2004–05 से 2007–08 के दौरान योजनावार निधियों के आबंटन का ब्यौरा विवरण–II के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

2004–05 के दौरान हस्तशिल्प स्कीमों के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का राज्यवार, स्कीमवार ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	निर्यात	विपणन एवं सहायता सेवा	डिजाइन	प्रशिक्षण	एसएचटीपी	आर एण्डडी	कल्याण योजना	बीमा योजना	एसबीआई	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.37	11.92	18.28	4.45	4.88	30.00	0.00	0.00	177.42	248.32
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	14.87	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	27.71	44.56
4.	असम	27.47	49.78	43.94	10.90	70.95	0.00	1.75	0.00	326.40	531.22
5.	बिहार	3.28	8.87	3.48	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	15.63	34.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	दिल्ली	568.69	287.55	0.00	1.50	0.71	34.04	0.00	0.00	33.50	926.09
7.	गोवा	0.00	0.00	374.77	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	375.78
8.	गुजरात	5.83	43.32	57.62	0.00	4.67	20.44	0.00	0.00	108.04	231.92
9.	हरियाणा	0.00	39.42	0.00	1.10	2.88	4.97	0.00	0.00	31.72	80.09
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	13.38	3.63	1.14	7.90	0.00	0.00	0.00	125.03	151.08
11.	झारखण्ड	0.00	1.27	0.84	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	10.91	16.60
12.	जम्मू और कश्मीर	156.57	84.39	6.45	0.00	24.44	9.12	0.00	0.00	54.18	335.15
13.	कर्नाटक	0.00	40.03	11.16	3.56	6.75	0.00	0.00	0.00	40.96	102.46
14.	केरल	0.00	10.08	0.00	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00	44.32	59.82
15.	मध्य प्रदेश	11.52	34.38	80.15	0.53	2.29	0.00	0.00	0.00	69.73	198.63
16.	महाराष्ट्र	20.00	38.15	4.13	0.00	1.35	2.25	0.00	0.00	33.04	98.92
17.	मणिपुर	0.00	10.44	12.4	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	17.74	47.06
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Q.80
19.	मिजोरम	0.00	3.32	10.00	0.48	1.62	0.00	0.46	0.00	16.59	32.47
20.	नागालैंड	0.67	5.69	35.19	1.20	14.64	0.00	1.20	0.00	12.04	70.63
21.	उड़ीसा	0.00	46.70	60.05	0.65	6.27	0.00	0.00	0.00	76.79	190.46
22.	पंजाब	0.00	3.67	1.80	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00	15.12	24.42
23.	पांडिचेरी	0.00	5.55	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.17	6.64
24.	राजस्थान	0.00	114.03	49.88	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	88.01	254.38
25.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	63.11	19.39	97.75	10.25	7.73	0.00	5.25	0.00	31.15	234.83
27.	त्रिपुरा	0.00	13.87	3.60	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	49.09	68.94
28.	उत्तर प्रदेश	46.27	105.01	105.91	0.00	94.27	10.50	0.00	0.00	261.06	623.02
29.	उत्तरांचल	0.00	22.49	15.23	0.34	9.44	0.00	0.00	0.00	21.14	68.64
30.	पश्चिम बंगाल	27.85	21.72	117.83	0.00	10.88	4.58	0.00	0.00	166.41	349.27
31.	छत्तीसगढ़	0.00	2.18	14.85	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	19.34	38.98
	कुल	932.66	1051.47	1130	36.10	307	115.90	8.66	0.00	1873.34	5455.31

वर्ष 2005–06 के दौरान हस्तशिल्प स्कीमों के अंतर्गत निर्मुक्त की गई निधियों का राज्यवार, स्कीमवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	एएचवीवाई	डिजाइन	एमएसएस	निर्यात	प्रशिक्षण सहित एसएचटीपी	आर एंड डी	बीमा योजना	कल्याण स्कीम	कुल
1	2	3	4	5.	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	267.74	42.50	62.70	21.67	16.35	30.00			440.96
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0	0.00	0.00	8.59				8.59
3.	अरुणाचल प्रदेश	27.56	0.85	0.00	0.00	0.80				29.21
4.	असम	342.24	57.75	172.72	09.90	21.52	9.92		5.00	678.56
5.	बिहार	13.76	5.02	15.33	0.00	5.84				40.95
6.	छत्तीसगढ़	11.24	0	4.24	10.00	0.00				25.48
7.	दिल्ली	16.31	107.13	236.28	879.16	4.41	33.74			1277.03
8.	गोवा	1.00	10.05	5.74		0.80				17.60
9.	गुजरात	329.61	7.63	57.28		3.76	2.94			401.22
10.	हरियाणा	36.57	7.55	39.10		2.52				88.84
11.	हिमाचल प्रदेश	96.8	23.25	75.14		11.75				206.94
12.	झारखण्ड	18.00	2.60	41.68		1.68				63.94
13.	जम्मू और कश्मीर	115.14	50.53	70.23	287.25	112.02	5.00		20.00	660.17
14.	कर्नाटक	65.37	5.95	11.83		3.10	3.00			89.25
15.	केरल	94.18	0	13.81	8.79	0.20			1.10	118.08
16.	मध्य प्रदेश	70.73	17.38	41.12	25.86	4.86	1.50			161.47
17.	महाराष्ट्र	18.78	25.15	35.57		12.10			2.75	94.35
18.	मणिपुर	76.37	50.70	27.04		12.28			10.00	176.39
19.	मेघालय	1.50	4.85	3.58		1.20				11.11
20.	मिजोरम	0.37	0.85	0.00		0.00				1.22
21.	नागालैंड	40.05	6.8	19.00		18.13				83.99
22.	उड़ीसा	207.48	26.50	70.31		10.19				314.48
23.	पंजाब	55.97	11.90	5.78		1.19				75.82
24.	पांडिचेरी	0.00	0.00	4.70		7.21				11.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	राजस्थान	58.59	36.11	63.70		0.00				158.40
26.	सिक्किम	0.00	0	0.00		0.40				0.40
27.	तमिलनाडु	93.76	28.92	19.70	2.43	28.96				173.77
28.	त्रिपुरा	36.78	3.80	0.00		3.93				44.34
29.	उत्तर प्रदेश	363.48	123.90	263.40	62.38	136.43	1.91			956.58
30.	उत्तरांचल	40.13	1.70	31.88		12.20				85.91
31.	पश्चिमी बंगाल	120.17	29.98	23.56	42.93	2.05	4.82			223.39
	कुल	2520.67	690.33	1419.95	1410.37	444.54	92.83	109.00	38.85	6717.34

विवरण-II

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प कार्यालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 2006–07 के दौरान राज्यवार निधियां

क्र.सं.	राज्य	एएचटीवाई	निर्यात	आर एंडडी	डिजाइन	प्रशिक्षण	विपणन	एसएचटीपी	आरजीएसएसवाई	बीमा योजना	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश	189.64	22.23		24.86	2.20	131.00	33.79			403.92
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	38.14			9.00	1.10	0.00	5.47			44.71
4.	असम	228.13	70.93	1.35	99.30	3.30	138.41	44.73			554.15
5.	बिहार	22.7			3.50	4.15	20.64	2.38			60.37
6.	चण्डीगढ़	0.00			0.00		35.00	0.00			35.00
7.	छत्तीसगढ़	11.97	16.39		1.80		0.00	0.00			30.16
8.	दिल्ली	48.33	825.27	18.81	107.41	6.64	151.11	20.42			1205.99
9.	गोवा	1.00			0.00		8.06	4.68			13.74
10.	गुजरात	235.94	5.00		30.84	1.10	42.75	3.7			322.33
11.	हरियाणा	59.82			8.02	1.10	34.07	11.52			112.53
12.	हिमाचल प्रदेश	76.61			5.24	1.10	58.93	5.54			145.42
13.	झारखण्ड	26.25			0.84		20.64	6.36			54.09
14.	जम्मू और कश्मीर	85.21	5.00		20.35	2.20	11.99	124.18			248.93
15.	कर्नाटक	32.30	13.48		28.69	2.35	57.11	10.47			144.41
16.	केरल	49.23	4.90	3.09	0.00	1.10	18.77	1.52			78.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	मध्य प्रदेश	44.76	21.11	1.65	0.85	0.00	22.61	9.88			100.86
18.	महाराष्ट्र	14.92			5.94		71.25	8.36			190.47
19.	मणिपुर	163.36	3.63	3.21	20.15	1.10	52.96	34.05			278.46
20.	मेघालय	0.98			0.00	1.10	5.75	8.32			16.15
21.	मिजोरम	36.38			0.00	1.10	0.00	2.34			39.82
22.	नागालैंड	15.32			0.85	0.00	12.60	20.38			49.15
23.	उड़ीसा	155.53			32.88	3.30	55.85	30.36			277.92
24.	पंजाब	58.43			12.07	0.00	5.75	9.92			84.17
25.	पांडिचेरी	0.00			0.00	1.10	11.48	2.68			15.26
26.	राजस्थान	172.29	5.05		11.75	1.10	100.33	1.32			291.85
27.	सिक्किम	0.00			0.86	0.00	0.00	2.23			3.08
28.	तमिलनाडु	129.31	54.40	1.35	9.2	3.05	63.57	18.18			287.16
29.	त्रिपुरा	48.15			4.00	0.00	0.00	0.00			50.15
30.	उत्तर प्रदेश	568.43	33.48	43.91	128.53	14.58	284.02	121.82			1174.77
31.	उत्तरांचल	63.89			5.98	0.00	32.58	18.20			118.81
32.	पश्चिम बंगाल	72.34	29.01	1.5	12.15	8.80	27.83	10.82			162.25
	कुल	2646.56	1119.89	74.87	574.03	61.58	1481.14	576.42	501.00	0.00	7035.49

विवरण-II

दसवीं योजना अवधि के दौरान बजट आबंटन एवं व्यय

योजना

करोड़ रुपए में

क्र.सं.	स्कीमो के नाम	2004-05			2005-06			2006-07			2007-08
		म. आंक.	संशो. आंकड़े/ एंड जी	व्यय	म. आंक.	संशो. आंकड़े	व्यय	म. आंक.	संशो. आंकड़े	व्यय (अनंतिम)	म. आंक.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	बाबा साहेब अम्बेडकर योजना	24.48	23.06	21.10	30.70	30.20	29.75	33.00	32.00	28.13	44.00
2.	डिजायन एवं तकनीकी उन्नयन	23.14	16.64	15.80	19.00	18.70	15.41	13.00	11.00	9.96	11.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	विपणन एवं सहायता सेवाएं	19.13	18.45	15.69	19.00	18.60	18.60	18.60	18.70	13.95	42.00
4.	निर्यात संवर्धन	14.45	14.35	9.85	12.60	13.90	14.64	15.25	16.00	11.49	6.00
5.	अनुसंधान एवं विकास	3.30	2.00	1.89	3.30	3.20	2.61	2.50	2.50	0.93	6..00
6.	प्रशिक्षण एवं विस्तार	0.50	0.50	0.50	1.10	1.10	0.92	1.00	1.00	0.41	5.00
7.	जम्मू एवं कश्मीर के लिए एकीकृत पैकेज	4.00	4.00	3.74	5.00	5.00	4.82	5.00	4.00	2.71	95.00
8.	कारीगरों के लिए बीमा योजना	2.70	0.62	0.62	3.80	3.70	1.00	1.00	1.00	4.00	
9.	विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना	3.50	3.40	3.08	3.50	3.60	3.68	4.60	5.25	3.83	0.00
10.	क्रेडिट गारंटी स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.70	0.07	0.00
11.	वर्कशेड स्कीम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.95	9.85	1.24	0.00
10	यूएनडीपी परियोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (राजस्व)	95.20	83.02	72.27	98.00	98.00	91.58	99.90	95.00	81.72	209.00
	पूंजी										
11.	आधारभूत परियोजनाएं	5.80	6.55	4.80	7.00	7.00	5.20	10.00	10.00	17.48	11.00
12.	केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/एसएचडीसी/शीर्ष समितियों को वित्तीय सहायता	2.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल पूंजी	7.80	6.55	4.80	7.00	7.00	5.20	10.00	10.00	17.48	11.00
	कुल योग	103.00	89.57	77.07	105.00	105.00	97.24	110.00	105.00	99.20	220.00

[अनुवाद]

गेहूं का खरीद मूल्य

265. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी फुटकर विक्रेता के लोगों ने मध्य प्रदेश में किसानों को ऐसे खरीद मूल्य की पेशकश की है, जो कि सरकारी खरीद मूल्य की तुलना में कई गुणा अधिक है जैसा कि दिनांक 6 अगस्त, 2007 के "द इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा खरीद के संबंध में इस प्रकार के कदम का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या ऐसे बेतहाशा मूल्यों पर खरीद की वजह से देश में गेहूं की भारी कमी होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और

सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए गारंटीयुक्त मूल्य के स्वभाव में होते हैं यदि बाजार मूल्य उस मूल्य से नीचे चले जाते हैं। यदि बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होते हैं तब किसान अपने उत्पाद को खुले बाजार में बेचने हेतु स्वतंत्र होते हैं। निजी कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए मूल्य के संबंध में विवरण नहीं रखा जाता है।

(ख) 2007-08 रबी विपणन मौसम के दौरान गेहूं का प्रापण 111.28 लाख टन रहा है जो 2006-07 के रबी विपणन मौसम में प्राप्त किए गए 92.25 लाख टन के प्रापण स्तर से अधिक है।

(ग) और (घ) निजी कंपनियों द्वारा गेहूं के प्रापण से देश में इसकी कमी होने की सम्भावना नहीं रहती है क्योंकि प्रापण किया गया गेहूं घरेलू उपभोग हेतु उपलब्ध रहता है। सरकार ने हाल ही में चावल गेहूं तथा दालों हेतु एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया है जिसका उद्देश्य 11वीं योजना की समाप्ति (2011-12) पर चावल का उत्पादन 10 मिलियन टन, गेहूं का 8 मिलियन टन तथा दालों का 2 मिलियन टन तक बढ़ाना है।

[हिन्दी]

कुक्कुट पालन

266. श्री टेक लाल महतो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुक्कुट पालन को सभी राज्यों में कृषि के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों को अभी भी कृषि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और इस प्रक्रिया में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ीसा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, केरल और गोवा राज्यों ने कुक्कुट पालन को कृषि गतिविधि के रूप में श्रेणीबद्ध किया है। सरकार कुक्कुट पालन को देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठनों के माध्यम से और "राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता" और "डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष" नामक अपनी योजनाओं के माध्यम से बढ़ावा दे रही है। उक्त योजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों को जारी धनराशि की स्थिति संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

विवरण

केन्द्रीय प्रायोजित योजना "राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता" के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान जारी धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	50.00	–	50.00
2.	आन्ध्र प्रदेश	47.92	–	54.00	101.92
3.	अरुणाचल प्रदेश	132.50	135.60	212.00	479.50
4.	असम	–	–	50.00	5000
5.	बिहार	–	160.00	–	160.00
6.	छत्तीसगढ़	–	148.00	68.00	216.00
7.	गोवा	68.00	–	–	68.00
8.	गुजरात	90.37	136.00	136.00	362.37
9.	हरियाणा	–	40.00	–	40.00

1	2	3	4	5	6
10.	हिमाचल प्रदेश	25.00	117.56	10.00	152.56
11.	जम्मू व कश्मीर	204.00	47.00	25.50	276.50
12.	झारखंड	–	–	–	–
13.	कर्नाटक	55.00	–	80.00	135.00
14.	केरल	–	191.68	73.32	265.00
15.	लक्षद्वीप	–	–	25.00	25.00
16.	मध्य प्रदेश	64.00	–	124.87	188.87
17.	महाराष्ट्र	150.00	–	78.00	228.00
18.	मणिपुर	–	42.50	–	42.50
19.	मेघालय	40.00	85.00	130.00	255.00
20.	मिजोरम	128.00	240.00	217.50	585.50
21.	नागालैंड	252.50	300.00	170.00	722.50
22.	उड़ीसा	–	–	287.00	287.00
23.	पंजाब	–	40.00	–	40.00
24.	राजस्थान	–	–	–	–
25.	सिक्किम	–	42.50	120.00	162.50
26.	तमिलनाडु	99.76	–	50.00	149.76
27.	त्रिपुरा	–	–	–	–
28.	उत्तर प्रदेश	–	342.06	136.00	478.06
29.	उत्तरांचल	–	54.70	–	54.70
30.	पश्चिम बंगाल	80.00	120.00	466.31	666.1
	कुल	1437.50	2292.60	2513.50	6242.34

'डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष' नामक योजना के तहत विगत दो वर्षों के दौरान जारी निधियां (योजना 2005–06 में ही प्रारंभ हुई)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005–06	2006–07	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	62.02	12.38	74.41
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	4.25	4.25
3.	असम	2.18	–	2.18

1	2	3	4	5
4.	गोवा	3.28	12.31	15.59
5.	जम्मू व कश्मीर	6.40	7.70	14.10
6.	झारखंड	–	7.50	7.50
7.	कर्नाटक	19.12	1.70	20.82
8.	केरल	–	2.93	2.93
9.	मध्य प्रदेश	–	3.45	3.45
10.	महाराष्ट्र	20.86	–	20.86
11.	मणिपुर	15.53	–	15.53
12.	मिजोरम	5.00	3.00	8.00
13.	पंजाब एवं हरियाणा	58.50	15.61	74.11
14.	राजस्थान	–	9.98	9.98
15.	तमिलनाडु	9.29	8.00	17.29
16.	उत्तरांचल	6.64	24.01	30.65
17.	पश्चिम बंगाल	8.00	12.50	20.50
	कुल	216.82	125.32	342.14

[अनुवाद]

नए डाकघरों की स्थापना

267. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2006–07 के बाद से देश में अभी तक कोई नया डाकघर नहीं खोला है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में नए डाकघरों की स्थापना के लिए क्या मापदंड/मानदंड हैं;

(घ) क्या सरकार की देश, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की संख्या में वृद्धि करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में वर्ष 2007–08 के लिए निर्धारित लक्ष्य का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) वर्ष 2006–07 में विभिन्न सर्किलों में 10 नए विभागीय उप–डाकघर खोले गए। राज्य–वार/सर्किल–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

	सर्किल का नाम	खोले गए उपडाकघर
1.	असम	1
2.	बिहार	1
3.	हरियाणा	1
4.	हिमाचल प्रदेश	1
5.	जम्मू एवं कश्मीर	1
6.	मध्य प्रदेश	2
7.	उत्तर–पूर्व	1
8.	उत्तराखंड	2
	कुल	10

(ग) नए डाकघर खोलने हेतु मानदंड/मानक संलग्न विवरण–I में हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। वर्ष 2007–08 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने हेतु निर्धारित अनन्तिम लक्ष्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन राज्यवार/सर्किलवार संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

डाकघर खोलने के मानदंड

1. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड:

1.1 जनसंख्या

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 दूरी

(क) सामान्य क्षेत्रों में

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 अनुमानित आय:

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की 33 1/3 प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक न हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

2. विभागीय उप-डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में:

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभार पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400/- रु. तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800/- रु. है।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

(ख) शहरी क्षेत्रों में:

शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ दिखाना चाहिए ताकि वह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए, तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि.मी. से नजदीक नहीं होने चाहिए।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिए।

विवरण-II

वर्ष 2007-2008 के दौरान शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य

क्र.सं.	सर्किल का नाम	लक्ष्य	
		ग्रामीण	जनजातीय
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	10	2
2	असम	6	1
3	बिहार	10	1
4	छत्तीसगढ़	10	2
5	दिल्ली	शून्य	शून्य
6	गुजरात	13	2
7	हरियाणा	8	शून्य
8	हिमाचल प्रदेश	5	शून्य
9	जम्मू व कश्मीर	9	2
10	झारखंड	5	2

1	2	3	4
11	कर्नाटक	10	2
12	केरल	5	शून्य
13	मध्य प्रदेश	14	4
14	महाराष्ट्र	14	2
15	उत्तर-पूर्व	27	16
16	उड़ीसा	5	3
17	पंजाब	5	शून्य
18	राजस्थान	5	3
19	तमिलनाडु	12	2
20	उत्तर प्रदेश	10	2
21	उत्तराखंड	5	शून्य
22	पश्चिम बंगाल	12	4
	कुल	200	50

[हिन्दी]

मोबाइल स्विचिंग केंद्र

268. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक राज्यों में हाल ही में मोबाइल स्विचिंग केंद्र आधारित डब्ल्यू.एल.एल., बी.टी.एस. सेवा शुरू की गई है। किंतु देश के अनेक राज्यों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) की मोबाइल सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बी.एस.एन.एल. की बेहतर सेवाओं के अभाव में ग्राहक बड़ी संख्या में निजी प्रचालक की सेवाएं ले रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) देश के अनेक राज्यों में मोबाइल स्विचिंग केंद्र आधारित वायरलैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल), बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बीटीएस) स्थापित किए गए हैं तथा लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, बीएसएनएल एमएससी आधारित डब्ल्यूएलएल प्रणाली पर केवल स्थिर और सीमित मोबाइल सेवा प्रदान कर रहा है। बीएसएनएल की एमएससी आधारित डब्ल्यूएलएल प्रणाली नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित है। अतः उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

[अनुवाद]

सामाजिक सुरक्षा कार्ड

269. श्री एस. अजय कुमार : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केवल सामाजिक सुरक्षा कार्ड/राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संख्याओं वाले कामगारों को भविष्य निधि से भुगतान की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही के वर्षों के दौरान भविष्य निधि चूककर्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी, नहीं। दावों का निपटान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्ड/संख्या होना पूर्वअपेक्षित शर्त नहीं है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों को दावा फार्मों के साथ भरे हुए सामाजिक सुरक्षा संख्या आवेदन फार्म एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अभिदाताओं का डेटाबेस तैयार करके बाद में सामाजिक सुरक्षा संख्या आबंटित की जा सकें।

(ग) और (घ) पिछले वर्षों में चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या में भिन्नता आई है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(31 मार्च की स्थिति के अनुसार आंकड़े)

वर्ष	चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या
2003-04	52302
2004-05	40896
2005-06	76958
2006-07*	73032*

*अनंतिम

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में जल संकट

270. श्री मनोरंजन भक्त : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में जल आपूर्ति का गंभीर संकट है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त संघ राज्य क्षेत्र में जल उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यक्रम शुरू किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) अंडमान और निकोबार प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार पानी की आपूर्ति की कमी को कुछ हद तक शुष्क मौसम में महसूस किया गया है। कमी के कारणों में जनसंख्या में वृद्धि, पर्यटकों के आगमन में वृद्धि तथा व्यवसायीकरण बताए गए हैं। इस कमी को पूरा करने के कार्यक्रमों में आपूर्ति में वृद्धि करने के उपाय शामिल हैं।

नैफेड द्वारा खरीददारी

271. श्री रघुनाथ झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैफेड द्वारा किसानों से खरीदे गए कृषि उत्पादों का नाम सहित ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वस्तुवार तथा मात्रावार किस दर पर ये उत्पाद खरीदे गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान नैफेड ने उन उत्पादों को किस दर पर बेचा;

(ग) क्या मात्रा तथा मूल्य के साथ-साथ दालों के आयात की प्रक्रिया के संबंध में निर्णय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी फेडरेशन (एनसीसीएफ) केन्द्रीय भंडार को सौंप दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाक विभाग के अंतर्गत रिक्त भूखंड

272. श्री नवीन जिन्दल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग के हजारों भूखंड रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) इन भूखंडों का कुल क्षेत्र कितना है और उनका वर्तमान बाजार मूल्य कितना है;

(घ) क्या इन में से अनेक भूखंडों पर अवैध रूप से कब्जा हो चुका है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें खाली कराने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(च) क्या इन भूखंडों का डाकघरों अथवा वाणिज्यिक बिक्री केन्द्रों के लिए उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) डाक विभाग के 1871 भूखंड रिक्त पडे हैं।

(ख) रिक्त भूखंडों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। ये कब से रिक्त पड़े हैं, इसकी सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) रिक्त भूखंडों का कुल क्षेत्र भी संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इन भूखंडों का वर्तमान बाजार मूल्य इकाइयों से एकत्र किया जा रहा है तथा उसे सभापटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(घ) 187 भूखंडों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है।

(ङ) अवैध कब्जे वाले रिक्त भूखंडों का डाक सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया हुआ है। विभाग अवैध कब्जे को हटाने के लिए राज्य सरकारों एवं स्थानीय पुलिस और शासकीय प्राधिकारियों के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है। डाक (डाक) में संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को अर्ध शासकीय पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि जहां कोई कोर्ट केस नहीं है उन जगहों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए तथा उक्त के आधार पर अनेक मुख्य सचिवों ने कार्रवाई भी आरंभ कर दी।

(च) और (छ) रिक्त भूखंडों पर निर्माण प्राथमिकता एवं धन की उपलब्धता के मद्देनजर चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। विभाग के रिक्त भूखंडों के वाणिज्यिक विदोहन के लिए डाक विभाग ने वित्त मंत्रालय एवं शहरी विकास मंत्रालय से परामर्श करके एक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) की स्थापना करने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया है। इस उद्देश्य के लिए मंत्रिमंडल को अनुमोदन हेतु एक मंत्रिमंडलीय नोट भेजा गया है।

विवरण-I

खाली पड़े भूखण्डों की राज्यवार संख्या तथा क्षेत्रफल

क्र.सं.	राज्य का नाम	भूखंडों की कुल संख्या	कुल क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	229	3288073
2	असम	33	4558630
3	बिहार	86	888577
4	छत्तीसगढ़	8	78501
5	दिल्ली	20	510896
6	गुजरात	112	1618648

1	2	3	4
7	हरियाणा	19	197247
8	हिमाचल प्रदेश	28	112486
9	जम्मू व कश्मीर	9	5331274
10	झारखंड	65	968445
11	कर्नाटक	364	5330961
12	केरल	145	2803796
13	महाराष्ट्र	87	581428
14	गोवा	4	89669
15	मध्य प्रदेश	26	218629
16	अरुणाचल प्रदेश	10	16686
17	त्रिपुरा	2	14810
18	मेघालय	3	159435
19	मणिपुर	3	52322
20	नागालैंड	7	185465
21	मिजोरम	10	369758
22	उड़ीसा	42	730650
23	पंजाब	17	335085
24	राजस्थान	200	2392307
25	तमिलनाडु	154	2914529
26	उत्तर प्रदेश	80	1428430
27	उत्तराखण्ड	20	351808
28	पश्चिम बंगाल	87	2694252
29	सिक्किम	1	2105
	कुल	1871	38224902

विवरण-II

कब से भूखंड खाली पड़े हैं

क्र.सं.	राज्य का नाम	भूखंड कब से खाली है	भूखंडों की कुल संख्या
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	(क) 50 वर्षों से अधिक	14
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	83
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	123
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	2
2	असम	(क) 50 वर्षों से अधिक	1
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	17
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	13
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	2
3	बिहार	(क) 50 वर्षों से अधिक	81
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	1
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	4
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	शून्य
4	छत्तीसगढ़	(क) 50 वर्षों से अधिक	शून्य

1	2	3	4
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	5
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	2
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	1
5	दिल्ली	(क) 50 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	16
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	4
6	गुजरात	(क) 50 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	16
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	94
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	2
7	हरियाणा	(क) 50 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	2
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	12
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	5
8	हिमाचल प्रदेश	(क) 50 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	27
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	1
9	जम्मू एवं कश्मीर	(क) 50 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	9
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	शून्य
10	झारखंड	(क) 50 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	65
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	शून्य
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	शून्य
11	कर्नाटक	(क) 50 वर्षों से अधिक	3
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	245

1	2	3	4
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	108
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	8
12	केरल	(क) 50 वर्षों से अधिक	1
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	110
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	32
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	2
13	महाराष्ट्र	(क) 50 वर्षों से अधिक	0
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	52
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	31
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	0
14	गोवा	(क) 50 वर्षों से अधिक	1
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	0
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	3
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	0
15	मध्य प्रदेश	(क) 50 वर्षों से अधिक	3
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	8
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	15
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	शून्य
16	अरुणाचल प्रदेश	(क) 50 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	1
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	9
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	शून्य
17	त्रिपुरा	(क) 50 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	1
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	1
18	मेघालय	(क) 50 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	3
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	शून्य

1	2	3	4
19	मणिपुर	(क) 50 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	1
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	1
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	1
20	नागालैंड	(क) 50 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	2
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	3
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	2
21	मिजोरम	(क) 50 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	1
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	4
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	4
22	उड़ीसा	(क) 50 वर्षों से अधिक	2
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	6
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	31
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	2
23	पंजाब	(क) 50 वर्षों से अधिक	1
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	3
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	11
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	1
24	राजस्थान	(क) 50 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	98
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	100
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	2
25	तमिलनाडु	(क) 50 वर्षों से अधिक	1
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	54
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	92
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	4
26	उत्तर प्रदेश	(क) 50 वर्षों से अधिक	शून्य

1	2	3	4
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	27
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	51
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	2
27	उत्तरांचल	(क) 50 वर्षों से अधिक	2
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	10
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	8
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	शून्य
28	पश्चिम बंगाल	(क) 50 वर्षों से अधिक	4
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	30
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	18
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	35
29	सिक्किम	(क) 50 वर्षों से अधिक	शून्य
		(ख) 25 वर्षों से अधिक	1
		(ग) 10 वर्षों से अधिक	शून्य
		(घ) 5 वर्षों से अधिक	शून्य

विवरण-III

खाली भूखंडों के अतिक्रमण के संबंध में ब्यौरा

क्र. संख्या.	डाक सर्किल का नाम	अतिक्रमणाधीन खाली भूखंडों की कुल संख्या	अतिक्रमण वाले भूखंडों के नाम एवं स्थिति
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	13	भाईंसा डाकघर साइट
			मुक्करमपुर डाकघर
			इतुरिनाग्राम
			करीमनगर
			सिद्दीपीट
			पेद्दापुरम डाकघर
			गुलल्लापालेम डाकघर
			चित्तौड़ एस क्यूएस
			प्रोद्दातुर
			आलागड्डा
			मोतीनगर, हैदराबाद

1	2	3	4
			जमिसतनपुर, हैदराबाद
			मानचेरियल प्रधान डाकघर
2	असम	शून्य	शून्य
3	बिहार	21	बिहता बाजार पटना
			सदिसपुर, पटना
			साईदाबाद, पटना
			पुरनदरपुर, पटना
			महुआ, वैशाली
			दिसरी, वैशाली
			महनार, वैशाली
			भागलपुर शहर
			जगदीशपुर
			गिरहनडा, मुंडर डिवीजन
			औदेही, मुंडर डिवीजन
			डेगुरू–ऑन–सन रोहतास
			रामगढ़, रोहतास
			सिक्ता, मोतीहारी
			रामगढ़वा, मोतीहारी
			मोतीपुर, मुज्जफर
			परसा, सरन डिवीजन
			सकलदिह, सरन डिवीजन
			जललपुर, सरन डिवीजन
			डोली, मुज्जफर
			समस्तीपुर
4	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य
5	दिल्ली	1	गीता कालोनी
6	गुजरात	11	अरविंद मिल्स, अहमदाबाद
			रानी अम्बा गांव, जिला सूरत
			कनिज पी ओ जिला खेड़ा
			नवसारी प्रधान डाकघर कम्पाउंड
			दहोद (वडोदरा)
			किल्लापारदी (वडोदरा)

1	2	3	4
			धारी एस क्यू प्लॉट, राजकोट
			जामनगर, एस क्यू प्लॉट
			खावदा कचहरी डिवीजन
			केरा कचहरी
			मलिया मियाना राजकोट
7	हरियाणा	शून्य	शून्य
8	हिमाचल प्रदेश	2	तौनी देवी
			अम्ब
9	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य
10	झारखंड	15	गोला (हजारीबाग)
			बरखा गांव (हजारीबाग)
			हंटरगंज, (हजारीबाग)
			प्रतापपुर (हजारीबाग)
			छत्तरा, (हजारीबाग)
			जौरी, (हजारीबाग)
			इठारी, (हजारीबाग)
			आर. कैन्ट, (हजारीबाग)
			पिरतान (गिरडी डिवीजन)
			असनबानी, डुमका
			पट्टन, पलामू
			सैक्टर 5 वी.बी.एस. सिटी, धनबाद
			चकुलिया, सिंहभूम
			कराईकेला, सिंहभूम
11	कर्नाटक	41	शंकरीपुरम
			चिंतामनी
			सिद्दलाघाट
			अनन्दापुरम
			पिलाना गार्डन II स्टेज
			पिलाना गार्डन III स्टेज
			कैंब्रिज लेआउट
			सुलेभावी
			देवराहीपारगी

1	2	3	4
			अलुंड
			थित्तापुर
			सेदम
			नाईकल
			केमभावी
			शाहबाद पुराना डाकघर साइट
			सोनारवड़ा
			गोकरकना
			सदाशिवगढ़
			कोपाल बाजार
			दमबाल
			मुलगुंड
			निप्पानी
			गोरूर
			हुंसुर
			तुदूर
			गोनीकोपाल
			हनाबलू
			रिप्पोनपीट
			मायाकोंडा
			करकाला बाजार
			अदिवाला
			कोप्पा
			नागामंगला
			पोन्नमपीट
			पदुबिदरी
			कोटा
			थागरथी
			कुमारस्वामी लेआउट
			चन्नामन्नाकेरी अचुकट्टु
			हीसकोटे
			अट्टीबेली

1	2	3	4
12	केरल	8	पलायामकुंनू डाकघर, त्रिवेन्द्रम
			चलाई डाकघर, त्रिवेन्द्रम
			सनथनपारा
			कुम्बला, कसरगौड
			मट्टुल, कन्नूर
			तिरूर
			त्रिकुन्नापुझा, मवेलीकर डिवीजन
			वालापटनम, कन्नूर
13	महाराष्ट्र	17	घटनन्द्रा
			महबूबगंज इतवारा
			हिमायतनगर
			बसमतनगर
			कमनेश्वर
			आमगांव
			रलीगांव
			शिरीपुर
			रंजनगांव गनपती
			वागले उद्योग संपदा
			बारटक नगर
			अम्बरनाथ इंजीनियरिंग जोन
			उल्हासनगर–3
			प्रियदर्शनी पार्क
			विक्टोरिया मिल कम्पाउंड
			लोवर पारले
			लोवर पारले एसआरडी स्कीम
14	मध्य प्रदेश	7	रत्नागढ़, नीमच
			चिल्ली, नर्सिंगपुर
			ब्रह्मन, नर्सिंगपुर
			मौगंज, रीवा
			उत्तखाना, छिन्दवाड़ा
			छपरा, जिला सिवानी
			कनहीवाल, जिला सिवानी

1	2	3	4
15	उत्तर पूर्व	शून्य	शून्य
16	उड़ीसा	4	अन्नतपुर, बालासोर
			रिआ, भद्रक
			आई आर सी गांव, नयापल्ली, भुवनेश्वर
			बाघमारी, कुरदा
17	पंजाब	शून्य	शून्य
18	राजस्थान	17	शरद, उदयपुर
			सेरा, उदयपुर
			श्रीनगर, अजमेर
			डून्गला, चित्तौड़ डिवीजन
			सिवाना
			चुरू
			सोमेसरी
			सिरोही
			बोयरी
			अनाद्रा
			केशरीसिंहपुरा
			गणेशगढ़
			मिरजेवाला स्कीम
			गंगूवाला
			मारलीपुरा स्कीम
			चित्तौरा रिनवाल एस ओ
			चिकेरी
19	तमिलनाडु	5	अट्टायमपट्टी
			इलामपिल्लई
			कोवलपुदूर
			वालमिंगीनगर
			गुरुवाराजपीट
20	उत्तर प्रदेश	17	सिन्धौरा (वाराणसी)
			सगरा (प्रतापगढ़)
			सांगीपुरा (प्रतापगढ़)

1	2	3	4
			दहलीमऊ (प्रतापगढ़)
			जरी बाजार (प्रतापगढ़)
			बिशरातगंज (बरेली)
			मऊ (मुरादाबाद)
			कबराई (बांदा)
			चरखड़ी राज्य (बांदा)
			बेवर (बांदा)
			सरिला राज्य (बांदा)
			मसकरा (बांदा)
			करमीर रोड (झांसी)
			किचौछा (फैजाबाद)
			मिदावल (बस्ती)
			सेक्टर ओ अलीगंज, लखनऊ
			रामगंज (सुल्तानपुर)
21	उत्तराखंड	1	थापलिया (अल्मोड़ा)
22	पश्चिम बंगाल	7	पाथर प्रतिमा, दक्षिण पीआरएसवाई डिवीजन
			गलेड ईडन, दार्जिलिंग
			बरभूम, पुरुलिया
			किद्धरपोर, कोलकाता
			बागमुंडी, पुरुलिया
			गोडापाएसल, मिदनापुर
			हाड्डो, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
	कुल	187	

रोजगार अवसरों के सृजन के लिए आईएलओ परियोजना

273. **श्री सुब्रत बोस :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अधिक रोजगार अवसर सृजित करेन के लिए भारत सहित विकासशील देशों के संबंध में कोई अध्ययन/परियोजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने 2006 में 14वीं एशियाई क्षेत्रीय बैठक में एक समुचित कार्य दशक 2006–2015 प्रतिष्ठापित करने का निर्णय लिया। इसके एक अंश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 'एशियाई रोजगार मंच विकास, रोजगार तथा समुचित कार्य' का बीजिंग में 13 से 15 अगस्त, 2007 को आयोजन किया। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया।

विवरण

एशियाई रोजगार फोरम की प्रमुख सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:

- एशिया में सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक निरन्तरता तथा समुचित कार्य लक्ष्यों से संबंधित नीतिगत सामंजस्य का इस तरह समर्थन करना जिसमें संगत क्षेत्रीय पहलों को ध्यान में रखा गया हो।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2007 द्वारा अपनाए गए निष्कर्षों के अनुरूप जारी रखने योग्य उद्यमों का संवर्धन करना।
- त्रिपक्षीय विचार विमर्श तथा देश के समुचित कार्य कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर आई एल ओ के "ग्रीन जॉब प्रयास" को कार्यान्वित करना।

इन्हें निम्न के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा:–

रोजगार सृजन एवं गरीबी कम करने हेतु नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की स्थापना करना:

- रोजगार एवं समुचित कार्य के लक्ष्यों को राष्ट्रीय नीति की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए घटकों एवं योजना अभिकरणों के मध्य वार्ता अनिवार्य है।
- देश के समुचित कार्य कार्यक्रमों के रोजगार आधार के प्रचालनात्मक एवं एकीकृत ढांचे के रूप में विश्वव्यापी रोजगार कार्यसूची के कार्यान्वयन में घटकों को सहायता प्रदान करना।

समुचित कार्य हेतु आधार के रूप में उत्पादकता तथा प्रतियोगितात्मकता को बनाए रखना।

- समूह विकास हेतु सहयोग – देशों के मध्य ज्ञान के आदान–प्रदान की सम्भाव्यता है।
- स्त्री–पुरुष समानता–कौशलों तथा उद्यमीय प्रशिक्षण में महिलाओं तक सूचना पहुंचाने तथा स्त्री–पुरुष संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- निम्न–उत्पादकता कार्य में रत या भेदभाव, निम्न शिक्षा या संसाधनों तक पहुंच में कमी के कारण कार्य से वंचित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना।
- कौशलों तथा उद्यमीय विकास को जिन क्षेत्रों तथा उद्योग में गुणवत्ता रोजगारों का विकास तथा सृजन करने की संभावना है, उनकी मांग के अनुरूप बनाना।
- उत्पादकता तथा प्रतियोगितात्मकता पर सामाजिक वार्ता में प्रभावी रूप से शामिल होने के लिए सामाजिक सहभागियों की क्षमता में वृद्धि करना।

अनौपचारिकता की वापसी।

- पृथक देशों के मध्य तथा क्षेत्र भर में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को शामिल करने वाले एक बुनियादी विधिक ढांचे की आवश्यकता है।
- ग्रामीण प्रवासियों तथा काम से निकाले गए कामगारों सहित अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में साधनहीन कामगारों की असुरक्षा को कम करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- समुचित कार्य के सभी क्षेत्रों में अच्छी पद्धतियों के बारे में ज्ञान के आदान प्रदान की आवश्यकता है जिसमें उत्पादकता तथा कार्य परिस्थितियों में सुधार करने के नवीन तरीके, सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना, आत्मनिर्भर समुदायों की रचना करना, प्रतिनिधित्व व विचारों को सुदृढ़ करना और संगठनों तक पहुंच बढ़ाना सम्मिलित है।

[हिन्दी]

टेलीफोन केबल की कमी

274. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी कंपनियों के दबाव में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा टेलीफोन उपकरणों के कलपुर्जे और केबल नहीं खरीदे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक टेलीफोन एक्सचेंज, विशेषकर दक्षिण दिल्ली में स्थित तुगलकाबाद, कालकाजी/बत्रा इंस्टीट्यूशनल एरिया टेलीफोन एक्सचेंज टेलीफोन केबलों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण विकलांग व्यक्तियों के लिए सैकड़ों फोन और टेलीफोन बूथ खराब पड़े हैं;

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में टेलीफोन केबलों की खरीद के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केंद्रीय भंडार डिपों में केबलों तथा दक्षिणी दिल्ली के तीन

एक्सचेंजों सहित अन्य एक्सचेंजों में केबल पेयरों की कोई कमी नहीं है। केबल के दोषों की जांच करके इन्हें यथोचित रूप से ठीक किया जाता है।

(घ) टेलीफोन केबलों का प्रापण खरीद प्रक्रिया के अनुरूप और एमटीएनएल की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य राजसहायता

275. श्री पुष्प जैन :

श्री ए. साई प्रताप :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कितनी खाद्यान्न राजसहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या उक्त राजसहायता का एक बड़ा हिस्सा खाद्यान्नों के भंडारण और अनुरक्षण पर व्यय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के भंडारण पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(घ) खाद्यान्न राजसहायता का वास्तव में कितना हिस्सा लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचता है; और

(ङ) खाद्यान्न आधारित योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित लोगों की संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (15.11.2007 तक) के दौरान जारी की गई खाद्य राजसहायता की राशि निम्नानुसार है–

	(करोड़ रुपए में)
2004–05	25,746
2005–06	23,071
2006–07	23,828
2007–08 (15.11.2007 तक)	19,062

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के भंडारण के लिए उसके द्वारा खर्च की गई कुल राशि निम्नानुसार हैं–

	(करोड़ रुपए में)
2004–05	1349
2005–06	1127
2006–07	1366

(घ) और (ङ) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 18 प्रमुख राज्यों में किए गए अध्ययन पर आधारित अपनी रिपोर्ट में, जिसे मार्च, 2005 में प्रस्तुत किया गया था, में सूचित किया है कि जाली राशन कार्डों के जरिए गरीबी रेखा से नीचे (गरीबी रेखा से नीचे के कोटे के उठान के प्रतिशत रूप में) के लिए खाद्यान्नों का लीकेज 16.67 प्रतिशत और उचित दर दुकान (अखिल भारत आधार) पर 19.71 प्रतिशत है।

(च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना पर ओ.आर.जी. सेंटर फार सोशल रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा एक मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर गेहूं और चावल का क्रमशः 53.3 प्रतिशत और 39 प्रतिशत विपथन होता है। इसकी अंतिम रिपोर्ट सितम्बर, 2005 में प्राप्त हुई है और इसे टिप्पणियों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया है।

चारे की कमी

276. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चारे की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने चारे की कमी से पशुओं की मौतों को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, हां।

(ख) देश में चारे की कमी के कारण दूसरी बातों के अलावा यह हैं कि पशुधन संख्या बढ़ रही है और चारा उत्पादन के लिए खेती योग्य भूमि अपर्याप्त है।

(ग) और (घ) चारे की कमी के कारण पशुओं की मृत्यु के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, देश में चारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में सतत् क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्रों तथा एक केन्द्रीय चारा

चारा बीज उत्पादन फार्म की गतिविधियां, केन्द्रीय मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम और केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास शामिल हैं।

[अनुवाद]

नौसेना परियोजनाओं में विलंब

277. श्री उदय सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना की महत्वपूर्ण परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही हैं जैसाकि दिनांक 6 नवम्बर, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और ऐसी परियोजनाओं के निर्धारित समय-सीमा से पीछे चलने के उत्तरदायी कारक कौन से हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) रूस में पोत पूर्व एडमिरल गोर्शकोव की मरम्मत और पुनर्सज्जीकरण की समग्र प्रगति धीमी है।

(ख) रूसी पक्ष ने परियोजना में विलंब को निर्दिष्ट करते हुए एक संशोधित मास्टर सिड्यूल प्रस्तुत किया है। रूसी पक्ष ने "कार्यवृद्धि" को विलंब के लिए उत्तरदायी ठहराया है।

(ग) इस चरण में दायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) वायुयान वाहक विक्रमादित्य (पूर्व में इसे एडमिरल गोर्शकोव कहा जाता था) की मरम्मत और पुनर्सज्जीकरण के लिए परियोजना का निरीक्षण करने के प्रयोजन से रक्षा सचिव के अधीन सर्वोच्च स्तर की एक समिति तथा वाइस एडमिरल के अधीन एक संचालन समिति गठित की गई है। जिस शिपयार्ड में मरम्मत और पुनर्सज्जीकरण का कार्य चल रहा है, वहां पर भी एक टीम तैनात की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों को मिलाकर गठित टीमें समय-समय पर परियोजना की प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए भी भेजी जाती हैं। मामलों को दोनों देशों के बीच उपयुक्त स्तर पर भी उठाया जाता है।

चावल का उत्पादन और उपभोग

278. श्री ए. साई प्रताप :
श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रतिवर्ष चावल का उपभोग बढ़ रहा है जबकि इसका उत्पादन काफी घट गया है;

(ख) यदि हां, तो चावल के घरेलू उपभोग की तुलना में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार चावल का कितना उत्पादन हुआ है और सरकार द्वारा कितनी खरीद की गई है; और

(ग) चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) नीचे दी गई सारणी में 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान देश में चावल का उपभोग, उत्पादन तथा प्रापण दिए गए हैं:-

(मिलियन टन)

वर्ष	उपभोग*	उत्पादन	प्रापण
2004-05	85.77	83.13	24.69
2005-06	87.01	91.79	27.66
2006-07	88.25	92.76#	25.08

* भारत में विभिन्न सामानों तथा सेवाओं की घरेलू खपत पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 61वें दौर में दर्ज की गई (2004-05) उपभोग की मासिक प्रति व्यक्ति मात्राओं तथा भारत के महापंजीकार कार्यालय द्वारा दिए गए जनसंख्या प्रक्षेपणों के आधार पर अनुमानित।

\# 19.7.2007 को जारी किए गए चौथे अग्रिम अनुमान।

जबकि देश में चावल का उपभोग निरंतर बढ़ा है, तब उत्पादन भी 2004-05 से 2006-07 के दौरान निरन्तर वृद्धि दर्शाता है। 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान उपभोग से उत्पादन अधिक रहा है।

(ग) देश में चावल, गेहूं तथा दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ हाल ही में एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के चावल घटक के अंतर्गत इसका उत्पादन 11वीं योजना के अन्त अर्थात् 2011-12 तक क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से 10 मिलियन टन तक बढ़ाने का विचार है।

बीड़ी कामगार कल्याण कोष

279. श्री मोहन रावले : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बीड़ी कामगार कल्याण कोष के अंतर्गत शामिल किए गए लाभान्वितों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है; और

(ख) आवास, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य शीर्ष के अंतर्गत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बीड़ी कामगार कल्याण कोष से वास्तव में लाभान्वित कामगारों की राज्यवार संख्या कितनी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	लाभभोगियों की संख्या		
		2004-05	2005-06	2006-07
1.	**हैदराबाद**			
	आन्ध्र प्रदेश	1211167	1296800	1180763
	तमिलनाडु			
2	**कोलकाता**			
	असम	5405	6012	6674
	पश्चिम बंगाल	886676	902820	1150298
	त्रिपुरा	8672	8907	9372
3	**करमा**			
	बिहार	143089	173595	202177
	झारखंड	60908	63133	89124
4	**अजमेर**			
	राजस्थान	31736	33321	34352
	गुजरात	49949	50296	50651
5	**बैंगलोर**			
	कर्नाटक	874569	762749	585440
	केरल			
6	**जबलपुर**			
	मध्य प्रदेश	987088	987088	987088
	छत्तीसगढ़	20481	20481	20481
7	**नागपुर**			
	महाराष्ट्र	217745	223419	231688
8	**भुवनेश्वर**			
	उड़ीसा	189054	189825	190328
9	**इलाहाबाद**			
	उत्तर प्रदेश	320462	346887	367827

विवरण-II

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	राज्य	योजना शीर्ष	लाभभोगियों की संख्या		
				2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7
1.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	आवास	7667	10912	14383
		तमिलनाडु	शिक्षा	146771	104083	232213
			सामाजिक सुरक्षा	14	224	153
			स्वास्थ्य	1119846	1206235	1090342

1	2	3	4	5	6	7
2	कोलकाता	असम	आवास	शून्य	शून्य	91
			शिक्षा	527	1472	891
			सामाजिक सुरक्षा	6	14	17
			स्वास्थ्य	18023	18245	18322
		पश्चिम बंगाल	आवास	903	1048	168
			शिक्षा	51560	55267	60813
			सामाजिक सुरक्षा	298	895	253
			स्वास्थ्य	411004	464641	496042
		त्रिपुरा	आवास	शून्य	शून्य	शून्य
			शिक्षा	675	1099	1945
			सामाजिक सुरक्षा	14	17	19
			स्वास्थ्य	14029	14322	14569
3	करमा	बिहार	आवास	शून्य	1016	678
			शिक्षा	6386	5413	6136
			सामाजिक सुरक्षा	118	42	51
			स्वास्थ्य	358104	372667	353805
		झारखंड	आवास	शून्य	शून्य	151
			शिक्षा	3819	4907	4061
			सामाजिक सुरक्षा	10	3	2
			स्वास्थ्य	68681	142810	161198
4	अजमेर	राजस्थान	आवास	254	शून्य	3
			शिक्षा	8429	13542	15827
			सामाजिक सुरक्षा	3	7	13
			स्वास्थ्य	117940	115944	123042
		गुजरात	आवास	शून्य	शून्य	शून्य
			शिक्षा	9769	11687	11453
			सामाजिक सुरक्षा	112	123	60
			स्वास्थ्य	109562	93606	95219
5	बंगलौर	कर्नाटक	आवास	1196	शून्य	1160
		केरल	शिक्षा	196950	168234	4891
			सामाजिक सुरक्षा	13	40	12
			स्वास्थ्य	675114	592001	578747

1	2	3	4	5	6	7
6	जबलपुर	मध्य प्रदेश	आवास	1359	60	225
			शिक्षा	47035	19891	31611
			सामाजिक सुरक्षा	366	567	566
			स्वास्थ्य	253602	285359	242135
		छत्तीसगढ़	आवास	18	शून्य	शून्य
			शिक्षा	1903	1730	1728
			सामाजिक सुरक्षा	7	6	7
			स्वास्थ्य	11271	10973	8945
7	नागपुर	महाराष्ट्र	आवास	867	187	129
			शिक्षा	12292	45429	49794
			सामाजिक सुरक्षा	–	–	–
			स्वास्थ्य	228525	269607	346448
8	भुवनेश्वर	उड़ीसा	आवास	3525	43	1634
			शिक्षा	22346	17160	14265
			सामाजिक सुरक्षा	221	08	240
			स्वास्थ्य	352208	321574	368791
9	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	आवास	शून्य	21	128
			शिक्षा	15394	19702	18549
			सामाजिक सुरक्षा	192	286	222
			स्वास्थ्य	264382	240044	333799

[हिन्दी]

कृषि विकास

280. डा. चिन्ता मोहन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री विजय कृष्ण :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि क्षेत्र में विफलता के कारण खाद्य सुरक्षा के लिए देश आयात पर निर्भर हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व विकास रिपोर्ट 2008 में भी यह सुझाव दिया गया है कि देश से गरीबी के उपशमन के लिए देश के कृषि क्षेत्र का विकास आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों को आसान ऋण सुविधा, सिंचाई और फसलोत्तर प्रबंधन प्रदान करने के लिए कोई निर्णय लिए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में राज्यों के साथ चर्चा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। 2006–07 के दौरान 216.13 मिलियन मी. टन का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन (चौथा अग्रिम अनुमान, 2006–07) रिकार्ड किया गया जो 2005–06 के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 7.53 मिलियन मी. टन अधिक है। विश्व विकास रिपोर्ट 2008 में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है कि दीर्घकालिक रूप से खाद्य मूल्यन का गरीबी में कमी लाने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड से परामर्श करते हुए किसानों को आसान ऋण प्रदान करने हेतु आगामी

तीन वर्षों में ऋण की राशि को दोगुना, कृषि ऋणों के प्रलेखन के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने, फसल ऋणों पर ब्याज दरों को घटाकर 7% करने जैसे बहुत से उपायों की शुरूआत की है। विभिन्न विकासात्मक स्कीमों के जरिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली जैसी सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति अपनाने के लिए किसानों को सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास से संबंधित प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत कटाई पश्चात् अवसंरचना का सृजन करने के लिए सहायता दी जाती है। इन स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए 'फीडबैक' प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों से नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता है।

शैक्षिक संस्थाओं में एन सी सी प्रशिक्षण

281. **श्री शैलेन्द्र कुमार :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बढ़ते आतंकवाद को ध्यान में रखते हुए देश के विद्यालयों में सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रशिक्षण आवश्यक है;

(ख) क्या देश में ऐसे बहुत से विद्यालय/कॉलेज हैं जो एन.सी.सी. का प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक विद्यालय एवं कॉलेज में एन.सी.सी. का प्रशिक्षण आवश्यक करने के लिए कोई योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है और योजना का मसौदा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रशिक्षण में नौजवानों के मन में अन्य बातों के साथ-साथ चरित्र, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और निस्वार्थ सेवा की भावना पैदा करने का प्रयास किया जाता है ताकि वे अच्छे और उपयोगी भावी नागरिक बन सकें। राष्ट्रीय कैडेट कोर के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ऐसे परिवेश का निर्माण करना है जिसमें नौजवान सशस्त्र सेनाओं में अपना कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण स्वैच्छिक आधार पर रखा गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर में शामिल होने के इच्छुक संस्थानों को निर्धारित प्रशासनिक, वित्तीय और जनशक्ति संबंधी वचनबद्धताओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है, उसके बाद भी उन्हें रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर कैडेट संख्या आबंटित की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

सूखा प्रभावित राज्य

282. **श्री घुरन राम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अकाल/सूखा से ग्रस्त राज्यों, विशेषकर झारखंड के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखंड सरकार से विशेष पैकेज हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) झारखंड सहित राज्य सरकारों के पास सूखा सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में व्यय के प्रतिमानों और मदों के अनुसार आवश्यक उपाय करने के लिए उनके आपदा राहत कोष में धनराशि तात्कालिक रूप से उपलब्ध है। यदि सी आर एफ में उपलब्ध कोष पर्याप्त नहीं होता है तो प्रभावित राज्यों से राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) 2007-08 के दौरान झारखंड सरकार ने अब तक सूखे की स्थिति की कोई रिपोर्ट या सूखा राहत के लिए कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है।

[अनुवाद]

नारियल का शुद्ध तेल निकालना

283. **श्री पी.सी. थामस :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नारियल का शुद्ध तेल निकालकर इसके मूल्य वर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इससे कितना लाभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) सरकार नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से नारियल का शुद्ध नारियल तेल में मूल्य वर्द्धन करने को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न उपाय कर रही है। नारियल विकास बोर्ड और केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) ने अपकेन्द्री प्रणाली के जरिए नारियल मिल्क से नारियल के शुद्ध तेल का उत्पादन करने के लिए एक प्रौद्योगिकी का विकास किया है।

(ख) नारियल का शुद्ध तेल (वीसीओ) नारियल तेल का शुद्धतम रूप है और इसमें प्राकृतिक विटामिन ई और पोषक तत्व एवं सुगंध हैं। इसके निर्यात की बेहतर क्षमता है और इससे पारंपरिक नारियल के तेल की तुलना में अधिक मंडी मूल्य प्राप्त होता है। उच्च पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण वीसीओ को खाद्य अनुपूरक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है तथा कास्मेटिक उद्योग और पोषक तत्व उद्योग (न्यूट्रैटिकल्स) में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है तथा इससे छोटे नारियल उत्पादकों को अपनी आय में सुधार लाने के लिए उत्कृष्ट अवसर प्राप्त होते हैं।

नारियल में बड रूट रोग

284. श्री पी. करूणाकरन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष निरंतर वर्षा के कारण केरल में नारियल की फसल बड रूट रोग द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फसल हानि का मूल्यांकन करने के लिए किसी एजेंसी द्वारा कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पीड़ित क्षेत्रों में किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम बनाया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि उत्तरी केरल के कोजिहकोड, कन्नूर और कासरूगोड जिलों में पहाड़ी भूभागों में नारियल बागान में बड रूट रोग के गंभीर प्रकोप की सूचना है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा बड रूट रोग के प्रकोप के कारण फसल हानि की सीमा का आकलन करने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान कोई भी विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट नहीं बनाई गई है।

(ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान केरल सरकार द्वारा कोजिहकोड जिले में बड रूट रोग को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नारियल विकास बोर्ड ने कोजिहकोड जिले में बड रूट रोग के नियंत्रण के लिए अनन्य तौर पर 222.25 लाख रु. की वित्तीय सहायता दी है। इसके अतिरिक्त बड रूट रोग द्वारा प्रभावित जिलों सहित केरल राज्य के सभी जिलों में नारियल की जोतों में समेकित पोषण और कृमि प्रबंधन अपनाने के लिए वर्तमान वर्ष 2007-08 के दौरान 'उत्पादकता सुधार के लिए नारियल की जोतों में समेकित कृषि' स्कीम के अधीन केरल सरकार को 567.55 लाख रु. की धनराशि भी निर्मुक्त की गई है। इसके अलावा बोर्ड कोजिहकोड जिले के बड रूट रोग द्वारा प्रभावित क्षेत्र में किसान की सहभागिता से समूह आधार पर 841.09 हैक्टे. में "उत्पादकता सुधार के लिए नारियल की जोतों में समेकित कृषि-प्रदर्शन प्लाट की व्यवस्था करना" स्कीम भी क्रियान्वित कर रहा है।

[हिन्दी]

अतिरिक्त जल का अन्यत्र उपयोग

285. श्री अशोक अर्गल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष चंबल नदी के लाखों क्यूसेक जल के बह जाने का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए चंबल नदी के जल बहाव को रोकने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) चम्बल नदी क्रमप्रपात (कैस्केड) की गांधीसागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज परियोजनाएं सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए इस नदी के एकीकृत विकास संबंधी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। दाएं और बाएं दोनों किनारों पर अपनी नहरों के साथ कोटा बैराज राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के किसानों की सिंचाई मांगों को पूरा कर रहा है। यह व्यवस्था, जिसकी आयोजना पचास के दशक के पूर्वार्द्ध में की गई थी, विद्युत उत्पादन करने तथा सिंचाई की पूर्णतः भिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने, दोनों के लिए उपलब्ध अन्तर्वाहों का लगभग पूरा उपयोग करती है।

सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और वित्तपोषण राज्य सरकार द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

मध्य प्रदेश की चम्बल बेसिन स्थित दो सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग में मूल्यांकनाधीन हैं। मूल्यांकन की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है। राजस्थान के चम्बल बेसिन में स्थित राजस्थान की छह परियोजनाएं (3 वृहद् और 3 मध्यम) भी केन्द्रीय जल आयोग में मूल्यांकनाधीन हैं। मूल्यांकन की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, जल संसाधन मंत्रालय की सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी सलाहकार समिति द्वारा राजस्थान में चम्बल बेसिन की 4 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकार कर लिया गया है। जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

मूल्यांकन प्रक्रिया में लगने वाला समय राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का उत्तर देने की तत्परता पर निर्भर करता है।

विवरण-I

मध्य प्रदेश

क – मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं के अधीन परियोजनाएं (चम्बल बेसिन)

31.10.2007 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वृहद/ मध्यम	नदी/ बेसिन	लाभान्वित जिला	प्राप्ति की तारीख	लाभ (हजार हेक्टेयर)	अनुमानित लागत (करोड़)	स्थिति
1.	भानपुरा नहर स्कीम	वृहद्	चम्बल	मंदसौर की भानपुरा तहसील के 24 गांव	12/02	9.2	59.49	सीडब्ल्यूसी/विभिन्न केन्द्रीय अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन 3/03 से 12/04 के दौरान राज्य सरकार को भेजा गया जिसके लिए राज्य का अनुपालन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
2.	एम.पी. जलक्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजना	वृहद	चम्बल, बेतवा, सिंध, केन और टॉस	–	7/04	495.0	1919.0	विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तावित। सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियां 4/05 से 8/06 तक के दौरान राज्य सरकार को भेजी गई जिनके लिए राज्य का अनुपालन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-II

राजस्थान

क – मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं के अधीन परियोजनाएं (चम्बल बेसिन)

31.10.2007 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वृहद/ मध्यम	नदी/ बेसिन	लाभान्वित जिला	प्राप्ति की तारीख	लाभ (हजार हेक्टेयर)	अनुमानित लागत (करोड़)	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पिपालदा लिफ्ट सिंचाई	वृहद	चम्बल/गंगा	सवाई माधोपुर	9/66	14.87	18.13 (1996)	संयंत्र आयोजना और नहर डिजाइन पहलू स्वीकृत। लागत पहलू और वित्तीय पहलू की टिप्पणियों के अनुपालन में राज्य सरकार ने उल्लेख किया है कि इस पूरी परियोजना को

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								जलवैज्ञानिक अध्ययनों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् पुर्नअभिकल्पन/समीक्षा की जानी है। जलविज्ञान (6/07), सिंचाई आयोजना और अन्तर्राज्यीय पहलुओं (8/07) पर सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियों को अनुपालन के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है, जोकि अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
2.	इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना	वृहद	चम्बल/गंगा	सवाई माधोपुर, करोली, दौसा और भरतपुर	12/2003	104.845	431.00	संयंत्र आयोजना पहलू स्वीकृत। नहर डिजाइन, लागत, सिंचाई आयोजना, अंतर्राज्यीय वित्तीय और ज़लवैज्ञानिक पहलुओं पर आगे की टिप्पणियां मार्च, 2004 से अप्रैल, 2006 तक के दौरान राज्य सरकार को भेजी गई हैं। अनुपालन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा सीजीडब्ल्यूबी से भी स्वीकृति प्राप्त कर ली है।
3.	परवन सिंचाई व पेयजल आपूर्ति	वृहद	परवन, चम्बल, गंगा	आलावाड, बारन और कोटा	29.12.06	105.062	1114	संयंत्र आयोजना पहलू स्वीकृत सीडब्ल्यूसी के सिंचाई आयोजना (एन), लागत मूल्यांकन (आई), निर्माण मशीनरी डिजाइन (एनआरडब्ल्यू) निदेशालय तथा कृषि मंत्रालय और सीजीडब्ल्यू जैसे अन्य केन्द्रीय अभिकरणों में जांच के अधीन। गेट डिजाइन (3/07), वित्तीय पहलू (3/07), जलविज्ञान (5/07), निर्माण सामग्री पहलू (6/07), बैराज और नहर डिजाइन पहलू (6/07) संबंधी टिप्पणियां राज्य सरकार को भेजी गई हैं जिनका अनुपालन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
4.	हतियादेह सिंचाई परियोजना	मध्यम	नालाहतिया देह/कुल/चम्बल	बारन	4.7.07	6.885 (सीसीए)	34.62	जल वैज्ञानिक और अन्तर्राज्यीय पहलू, पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना, वन स्वीकृति

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								के संबंध में परियोजना प्राधिकारियों का अनुपालन और चम्बा बेसिन की विधिवत अनुमोदित मास्टर योजना अभी प्राप्त नहीं हुई है।
5.	अंधेरी सिंचाई परियोजना	मध्यम	अंधेरी/पारवती/चम्बल	बारन	20.05.02	7.70 (सीसीए)	87.534	अन्तर्राज्यीय और चम्बलबेसिन की विधिवत अनुमोदित मास्टर योजना के संबंध में परियोजना प्राधिकारियों का अनुपालन अभी प्रतीक्षित है। वित्तीय पहलुओं के संबंध में इस परियोजना को अभी बी और टी अनुभाग, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया जाना है।
6.	राजगढ़ सिंचाई परियोजना	मध्यम	अहू/कालीसिंध/चम्बल	झालावाड़	4.7.2007	8.634 (सीसीए)	69.08	जल वैज्ञानित पहलू, आरआर योजना, वन स्वीकृति और चम्बल बेसिन की विधिवत अनुमोदित मास्टर योजना के संबंध में परियोजना प्राधिकारियों का अनुपालन अभी प्राप्त नही हुआ है।

विवरण-III

राजस्थान

ख – कुछ टिप्पणियों के अधीन जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा परियोजनाएं

31.12.2007 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वृहद/मध्यम	नदी/बेसिन	लाभान्वित जिला	प्राप्ति की तारीख	लाभ (हजार हेक्टेयर)	अनुमानित लागत (करोड़)	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पिपलाद सिंचाई	मध्यम	पिपलाद/चम्बल	झालावाड	1/99	3.549	33.64	सलाहकार समिति द्वारा इस परियोजना पर 2.6.2006 को आयोजित अपनी 86वीं बैठक में विचार किया गया और उसे स्वीकार्य पाया गया। निवेश स्वीकृति योजना आयोग द्वारा दी जानी है। योजना आयोग ने राज्य सरकार से

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								व्यय को चरणबद्ध करने और वार्षिक योजनाओं, XIवीं योजना में प्रावधानों सहित राज्य वित्त विभाग राज्य वित्त विभाग की स्वीकृति की प्राप्ति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है जिसकी अभी प्रतीक्षा है।
2.	तकली सिंचाई व पेयजल आपूर्ति परियोजना	मध्यम	तकली/चम्बल	कोटा	22.11.02	4.791	51.81	सलाहकार समिति द्वारा इस परियोजना पर 2.6.2006 को आयोजित अपनी 86वीं बैठक में विचार किया गया और उसे स्वीकार्य पाया गया। निवेश स्वीकृति योजना आयोग द्वारा दी जानी है। योजना आयोग ने राज्य सरकार से व्यय को चरणबद्ध करने और वार्षिक योजनाओं, XIवीं योजना में प्रावधानों सहित राज्य वित्त विभाग राज्य वित्त विभाग की स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है जिसकी अभी प्रतीक्षा है।
3.	गगारिन सिंचाई परियोजना	मध्यम	अहू/काली/ सिंध/चम्बल	झालावाड़	–	9.675	80.12	सलाहकार समिति द्वारा इस परियोजना पर 2.6.2006 को आयोजित अपनी 86वीं बैठक में विचार किया गया और उसे स्वीकार्य पाया गया। निवेश स्वीकृति योजना आयोग द्वारा दी जानी है। योजना आयोग ने राज्य सरकार से व्यय को चरणबद्ध करने और वार्षिक योजनाओं, XIवीं योजना में प्रावधानों सहित राज्य वित्त विभाग राज्य वित्त विभाग की स्वीकृति की प्रति प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है जिसकी अभी प्रतीक्षा है।
4.	ल्हासी सिंचाई परियोजना	मध्यम	लहासी/अंधेरी/ पारवती/चम्बल	बारन	11.2005	5.755	44.73	सलाहकार समिति द्वारा इस परियोजना पर 2.3.2007 को आयोजित अपनी 88वीं बैठक में विचार किया गया और इसे स्वीकार्य पाया गया।

चावल के निर्यात पर प्रतिबंध

286. **श्री हंसराज गं. अहीर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चावल के निर्यात पर कोई प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात पर विशेषकर देश में किसानों से धान की खरीद पर प्रतिबंध के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) देश में धान खरीद केन्द्रों की संख्या कितनी है और चालू सीजन के दौरान उचित खरीद सुनिश्चित करने के लिए इन केन्द्रों पर किसानों को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय पूल के लिए चावल की खरीदारी को बढ़ाने हेतु सरकार ने 425 अमरीकी डालर पोत-पर्यंत निःशुल्क के न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त के साथ चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है।

(ग) और (घ) प्रतिबंध के परिणामस्वरूप केंद्रीय पूल के लिए चावल की खरीदारी में वृद्धि होने की आशा है। तथापि हाल ही में खरीफ विपणन मौसम 2007-08 शुरू हुआ है और यह 30.09.2008 तक चलेगा इसलिए प्रतिबंध के प्रभाव का सही आकलन करना इस समय जल्दबाजी होगी।

(ङ) खरीफ विपणन मौसम 2006-07 के दौरान धान की खरीदारी के लिए 11552 क्रय केंद्र चलाए गए थे। इस वर्ष 8448 खरीद केंद्र पहले ही खोल दिए गए हैं। भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों से कहा है कि वे सभी क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

[अनुवाद]

उपकर से छूट

287. **श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में सभी वस्त्र तथा वस्त्र मशीनरी निर्माताओं को वस्त्र समिति उपकर से छूट देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वस्त्र समिति उपकर से छूट देने से वस्त्र क्षेत्र पर कर का भार कम होने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा 1 जून, 2007 से छूट दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। उपकर से छूट वस्त्र उद्योग को वित्तीय दृष्टिकोण से अपेक्षित राहत प्रदान करेगी, जिसका विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और अधिक निवेश, रोजगार और निर्यात सृजित करने में सहायता भी करेगी।

अल्पसंख्यकों के लिए उचित दर दुकानों का आबंटन

288. **श्री विजय कृष्ण : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लोगों को उचित दर दुकानों का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित करने का निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समुदायों के लिए राज्यवार कितने प्रतिशत उचित दर दुकानें आरक्षित की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीदारी, भंडारण और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण केन्द्रों तक इनका आबंटन करने के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के जरिए खाद्यान्नों का वितरण करने की होती है। राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उचित दर दुकानों हेतु लाइसेंस जारी करते हैं। ये मानदंड विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकते हैं। केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यकों को उचित दर दुकानों का लाइसेंस देने के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया है। यह विभाग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समुदाय-वार जारी उचित दर दुकानों के लाइसेंस के ब्यौरे नहीं रखता है।

विस्फोटकों की चोरी

289. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 86,899 डिटोनेटर, फ्यूज और 419 किलोग्राम जिलेटीन छड़ें, कारतूस और बूस्टरों की चोरी जैसाकि दिनांक 7 अक्टूबर, 2007 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है, सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में की गई जांच का परिणाम क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

एमटीएनएल के मोबाइल टॉवर

290. श्री रशीद मसूद : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा कितने मोबाइल फोन टॉवर लगाए जाने हैं;

(ख) ये टॉवर किन स्थानों पर लगाए जाने प्रस्तावित हैं;

(ग) दिल्ली में ऐसे टॉवर लगाए जाने के लिए जनता से एमटीएनएल को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इन आवेदनों पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) एमटीएनएल द्वारा वर्ष 2007-08 में एमटीएनएल दिल्ली में 307 ग्लोबल सिस्टम मोबाइल टॉवर [(बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बीटीएस)] तथा एमटीएनएल मुंबई में 335 जीएसएम मोबाइल टॉवर संस्थापित किए जाने हैं।

(ख) ये टॉवर अनुमोदित डिजाइन और कवरेज की आवश्यकता तथा क्षमता के अनुसार विभिन्न स्थानों पर संस्थापित किए जाएंगे।

(ग) इन टॉवरों को संस्थापित करने के लिए स्थलों की पेशकश करते हुए जनता से 315 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) चूंकि विक्रेता/पीओ के निबंधन और शर्तों के अनुसार रेडियो फ्रीक्वेंसी डिजाइन के अनुरूप स्थल सर्वेक्षण का चयन विक्रेता के कार्य-क्षेत्र में आता है अतः सभी प्राप्त मामलों को स्थल अवस्थिति, संरचना अनुकूलता आदि की जांच तथा स्थल अधिग्रहण के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु विचार के लिए विक्रेता को भेज दिया ज़ाता है। यदि स्थल तकनीकी रूप से उपयुक्त पाया जाता है तो स्थल के अधिग्रहण पर यथा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश

291. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री बापू हरी चौरे :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किसी सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सरकार अन्य मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र स्थापित करने के लिए नीति बना रही है।

[अनुवाद]

आटे का आयात

292. श्री जोवाकिम बखला : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका से आटा आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अमरीका से आटा आयात करने के लिए सीमा शुल्क समाप्त कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आयातित आटा का मिलावट मुक्त होना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों के वितरण हेतु योजना

293. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) और गरीबी रेखा से ऊपर (ए पी एल) वर्गों के कितने कार्डधारक हैं;

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित खाद्यान्नों के अधिक मूल्यों के कारण सभी वर्गों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार समाज के सभी वर्गों को लाभ देने के लिए यूनिवर्सल सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी कोई वैकल्पिक प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) राज्य सरकार द्वारा 31.7.2007 को दी गई सूचना के अनुसार कर्नाटक सरकार ने 59.83 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए, 46.30 लाख गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए और 12 लाख अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिए राशन कार्ड जारी किए हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। चूंकि पूर्व की सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भूखग्रस्त लोगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था और इसका झुकाव शहरों की ओर था, इसलिए समाज के कमजोर वर्गों को लक्षित करने की दृष्टि से जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई थी। सर्वसुलभ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनरुज्जीवित करने के परिणामस्वरूप गरीबों की जरूरत को पूरा करने पर से इसका ध्यान हट जाएगा, क्योंकि इससे सभी परिवारों को खाद्यान्नों के आबंटन में पर्याप्त कमी करना अपेक्षित होगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डाक कार्यालय की स्थापना

294. श्री जी. एम. सिद्‌दीश्वर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक के दावणगेरे जिले में डाक अधीक्षक के कार्यालय की स्थापना हेतु कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू और पूरा किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरसंचार क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं

295. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में सरकारी और निजी दूरसंचार क्षेत्र के अंतर्गत कितनी सेवाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कितने गांवों में डब्ल्यूएलएल सेवाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) कितने गांव डब्ल्यूएलएल सुविधा से वंचित हैं; और

(घ) देश के शेष गांवों में डब्ल्यूएलल सेवाएं कब तक प्रदान की जाएंगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) लैंड लाइन, वायर लैस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल), जीएसएम मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, पट्टाशुदा लाईन, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस), वी–सैट और इंटलीजेंट नेटवर्क सेवाओं सहित सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(ख) 31.10.2007 की स्थिति के अनुसार, भारत संचार निगम लिमिटेड ने डब्ल्यूएलएल के माध्यम से देश में कुल 4,04,311 गांवों को सुविधायुक्त किया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के 76,718 गांव शामिल हैं।

(ग) 31.10.2007 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 2,03,180 गांवों को अभी सुविधा प्रदान की जानी है।

(घ) शेष 2,03,180 गांवों में से लगभग 14,000 गांवों को डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल (डीएसपीटी) के माध्यम से सुविधायुक्त किया जाएगा। लगभग 35,000 गांव नाबाद, घने वन और पहाड़ी भू–भाग में हैं जिन्हें डब्ल्यूएलएल सेवाओं के माध्यम से कवर न करने का प्रस्ताव है परंतु आनुषंगिक कवरेज से इनमें से कुछ गांव कवर किए जा सकते हैं। शेष गांव वर्ष 2008–09 तक डब्ल्यूएलएल द्वारा उत्तरोत्तर सुविधायुक्त किए जाएंगे।

[अनुवाद]

अनुबंध कृषि

296. श्री नरहरि महतो : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुबंध कृषि के संबंध में कार्य समूह गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्य समूह द्वारा इस संबंध में किन बातों पर विचार किया गया है और क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) अनुबंध कृषि से संबंधित फसलों और क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या अनुबंध कृषि के राज्य विनियमन, मध्यस्थता और निगरानी हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के योजना आयोग ने पंजाब के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 2.12.2005 को विपणन सुधारों संविदा कृषि और कृषि का प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित कृषि और संबंधित मामलों पर राष्ट्रीय विकास परिषद की उप समिति के कार्य दल का गठन किया था। इस कार्य दल के विचारार्थ विषयों में संविदा कृषि से संबंधित निम्नलिखित पहलू शामिल थे–

(i) खामियों की पहचान करने के लिए संविदा कृषि की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना तथा उपयुक्त माडल का सुझाव करना।

(ii) विवाद निपटारा तंत्र और क्षतिपूर्ति प्रक्रियाओं के साथ उपयुक्त वैधानिक ढांचे का सुझाव देना।

(iii) गुणवत्ता आदान, तकनीकी ज्ञान, वित्त सहित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रणाली तैयार करना तथा विपणानीय उत्पाद हेतु मूल्य निर्धारित करना।

(iv) प्रायोजकों द्वारा लागू की गई प्रौद्योगिकियों के कम निष्पादन अथवा विफलता हेतु क्षतिपूर्ति के प्रावधान सहित संविदा कृषि के लिए शुरू की जाने वाली प्रौद्योगिकियों की पहचान करने संबंधी एक प्रणाली का सुझाव देना।

(v) किसानों और कृषि प्रसंस्करण उद्योग/निर्यातकों के बीच संविदा कृषि समझौतों को प्रोत्साहन देने के लिए अपेक्षित विधिक, संस्थागत और वित्तीय उपायों का सुझाव देना; और

(vi) चयनित कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए संविदा कृषि हेतु उपयुक्त क्षेत्र विशिष्ट कृषि वस्तुओं को पहचान करना।

कार्य दल की कुछ मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

कृषि और संबंधित मुद्दों पर एनडीसी की उप–समिति की 18.4.2007 की बैठक में कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विचार–विमर्श किया गया और बाद में इसकी सिफारिशों पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने 29.5.2007 को अपनी 53वीं बैठक में विचार किया। एनडीसी ने बैठक में संकल्प लिया कि राज्य सरकार अपने कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियमों में संशोधन करने और उसके अधीन नियमों के अधिसूचित करने की प्रक्रिया पूरी करके आधुनिक मंडियों के विकास को प्रोत्साहित करेंगी और किसानों की सहकारी समितियों, अनुबंधित खेती और राज्यों द्वारा प्रवर्तित अन्य उपायों सहित विभिन्न साधनों के माध्यम से मंडियों से संपर्क जोड़ने के विकास को भी प्रोत्साहित करेंगी। संशोधित एपीएमसी विधान के अंतर्गत नियमों की अधिसूचना की प्रक्रिया 2007–08 के दौरान पूरा किए जाने का संकल्प किया गया है।

(ग) संविदा कृषि के संबंध में, फसल–वार और क्षेत्र–वार ब्यौरे, सृजित/सृजित किए जाने वाले रोजगार के संबंध में सूचना और फसल विविधीकरण के अपनाए जाने संबंधी ब्यौरे कृषि मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जा रहे हैं। विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पांडिचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल में संविदा कृषि प्रचलन में नहीं है। असम सरकार ने यह रिपोर्ट दी है कि उनके राज्य में 160 हैक्टेयर संविदा कृषि की जा रही है। बिहार सरकार ने रिपोर्ट दी है कि बेगूसराय जिले में केवल 20 हैक्टे. में संविदा कृषि की जा रही है। गोवा में 1924 हैक्टेयर संविदा कृषि के अधीन है। गुजरात में 2000 हैक्टे., हरियाणा में हेफेड के जरिए बासमती चावल और गेहूं के अधीन केवल 1416 एकड़ क्षेत्र हैं। मिजोरम में 2447 हैक्टे. और पंजाब में लगभग 3 लाख एकड़ है। उड़ीसा में 14000 हैक्टे. में संविदा कृषि होने की सूचना मिली है। तमिलनाडु में कपास हेतु 1.40 लाख हैक्टे., मक्का हेतु 0.93 लाख हैक्टे., गन्ना हेतु 3.44 लाख हैक्टे., जटरोफा हेतु 0.20 लाख है. और आयलपाम 0.03 लाख हैक्टे. में संविदा कृषि की सूचना मिली है।

संविदा कृषि में छोटे कृषकों के क्षमता को कार्पोरेट मैनेजमेंट क्षमता का उपयोग करते हुए सुनिश्चित मंडी प्रदान करते हुए और उर्ध्वाधार समेकन सुनिश्चित करते हुए मूल्य श्रृंखला में कारोबार लागतों में कमी लाते हुए मानक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्षमता है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंस्करणकर्त्ता अथवा फास्टफूड श्रृंखला में लगातार किसानों से संविदा कर रही है ताकि किसानों का न केवल बीज और अन्य आदान अपितु पूर्व निर्धारित मूल्यों पर उत्पादों पर सुनिश्चित खरीद प्रदान करते हुए किसानों को वांछित गुणवत्ता के फार्म उत्पादों (फल, सब्जियां,

आदि) की खेती करने के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है। छोटे व सीमांत किसानों जिनके पास कम विपणनीय अधिशेष हैं और जिनके पास रोककर रखने की शक्ति नहीं है के लिए, विशेष महत्व का है। ये वैयक्तिक रूप से प्रौद्योगिकी में निवेश करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं किन्तु स्वावलंबी समूहों अथवा सहकारी समितियों के जरिए वांछित संस्थागत ढांचा सामने आ सकता है, जिसके जरिये किसान उपयुक्त रूप से संविदा कृषि प्रबंधों का लाभ उठा सकते हैं। संविदा कृषि विशेषकर अधिक मूल्य वाले फसलों के लिए उपयोगी है क्योंकि यह कार्पोरेट को किसानों के साथ जोड़ने और उन्हें अद्यतन प्रौद्योगिकी जानकारी देने में मदद करती है।

सफल संविदा कृषि में भारतीय कृषि क्षेत्र की तात्कालिक और क्रांतिकारी आवश्यकताओं के समाधान की आवश्यकता है। यह कारोबार की लागतों को कम करते हुए प्रौद्योगिकी, ऋण, विपणन सरणियों तक पहुंचने में छोटे किसानों को समर्थ बनाता है। लघु कृषि प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए तंत्र प्रदान करता है साथ ही यह व्यापक पैमाने पर कृषि में निजी क्षेत्र की सहभागिता का व्यवहार्थ माडल प्रदान करता है। सफल संविदा कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना विकास हेतु विनिर्दिष्ट क्वालिटी की विश्वसनीय कृषि उत्पाद की आपूर्ति हेतु मंच तथा साथ ही निर्यात हेतु आपूर्ति की प्रतिस्पर्धात्मक सरणि प्रदान करता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) विपणन सुधारों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2003 में राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा परिचालित माडल कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम में कृषि उत्पाद विपणन समिति अथवा किसी निर्धारित प्राधिकरण के पास संविदा कृषि प्रायोजकों के पंजीकरण और अनुबंधित खेती करारों की रिकार्डिंग, संविदा कृषि के अंतर्गत भूमि पर किसानों के स्वामित्व अथवा अधिकारों के संरक्षण, इस संबंध में विवाद निपटान तंत्र और विभिन्न निबंधन और शर्तें सुझाते हुए एक माडल मसौदा करार संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब तक, 18 राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपने एपीएमसी अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन के जरिए प्रावधान कर लिए गए हैं। सात राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कोई एपीएमसी अधिनियम नहीं है, अतः ऐसे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में संविदा कृषि का कोई विनियमन नहीं है। इस मंत्रालय द्वारा परिचालित माडल अधिनियम सुझाव देने संबंधी किस्म का है, और चूंकि कृषि राज्य का एक विषय है, यह राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वे अपने राज्यों में अनुबंधित खेती संबंधी प्रबंधों के कार्यान्वयन, मध्यस्थता और मानीटरिंग के बारे में निर्णय लें। इस संबंध में नियमों को बनाने में राज्यों के मदद करने के लिए कृषि मंत्रालय ने अपनाने हेतु उन्हें मॉडल एपीएमसी अधिनियमों का एक सेट परिचालित किया है।

विवरण

कार्यदल की मुख्य सिफारिशें

1. क्रांतिक कटाई पश्चात् अवसंरचना सहित विपणन अवसंरचना में स्पष्ट अंतराल विद्यमान है। कृषि मंडियों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

2. बेहतर कृषि आय सुनिश्चित करने के लिए मंडी सुधार करना आवश्यक है। जबकि कुछ राज्यों ने एपीएमसी अधिनियम में संशोधन किया है, कृषि एवं सहकारिता विभाग माडल एपीएमसी अधिनियम तैयार किया है, जिसमें ऐसे विभिन्न पहलू शामिल किए गए हैं जो किसानों को लाभ पहुंचाने और बृहत्तर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता को सुगम बनाएंगे।

3. उत्पादन प्रणाली को मंडी के साथ निकट से जोड़ा जाना चाहिए।

4. आधुनिक टर्मिनल मंडियों, पेरिशेबल कार्गो केन्द्र और एईजेड स्थापित करने की आवश्यकता है।

5. फार्म गेट के नजदीक प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों और अन्य दुर्गम और विशेष क्षेत्रों के लिए विपणन हेतु विशेष प्रबंधन किए जाने चाहिए।

7. कृषि उत्पाद के अंतःराज्यीय आवाजाही सहित कराधान और लेवी को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए।

8. पूरे देश में प्रभावी पराक्राम्य भंडागार प्राप्ति प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

9 ईसी अधिनियम पर उदारीकरण पर पीछे नहीं हटना चाहिए।

10. विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित समान स्कीमों के बीच समभिरूपता होनी चाहिए।

11. जहां देश के विभिन्न भागों में संविदा कृषि के विभिन्न माडल विद्यमान हो सकते हैं, अर्द्ध न्यायिक विवाद निपटारा तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए।

12. सुपरिभाषित क्षेत्रों में टर्मिनल मंडियों को बढ़ावा दिया जाए। टर्मिनल मंडियों में संगत अवसंरचना और सेवाएं तैयार करना शामिल है।

वस्त्रों की गुणवत्ता

297. श्री एस. के. खारवेन्थन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता धागे, कपड़ों, साड़ियों, परिधानों आदि की गुणवत्ता का पता लगाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और उन्हें कई अवसरों पर विक्रेताओं द्वारा ठगा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में आए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या वस्त्रों की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए कोई योजना लाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) इस प्रकार की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ट्राई द्वारा की गई सिफारिशें

298. **श्री एल. राजगोपाल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा दूरसंचार आपरेटरों की संख्या, स्पेक्ट्रम आबंटन और अधिग्रहण के संबंध में कितनी सिफारिशें की गई हैं;

(ख) क्या दूरसंचार विभाग इन सिफारिशों के पक्ष में नहीं है तथा उपर्युक्त सिफारिशों का अध्ययन करने हेतु समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मोबाइल आपरेटरों का ग्लोबल सिस्टम भी सिफारिशों का विरोध कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ङ) 29 अगस्त, 2007 को "लाइसेंसिंग शर्तों और अभिगम प्रदाताओं की अधिकतम संख्या की समीक्षा" पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशें प्राप्त हुई थीं। ट्राई ने अन्य बातों के साथ–साथ अभिगम सेवाओं, दूरसंचार प्रचालकों, स्पेक्ट्रम आबंटन मापदण्ड, विलयन और अधिग्रहण इत्यादि पर सिफारिशें की हैं। ट्राई ने ग्लोबल सिस्टम ऑफ़ मोबाइल (जीएसएम) प्रचालकों सहित धारकों के साथ विचार–विमर्श प्रक्रिया के पश्चात् उक्त सिफारिश की है।

सरकार ने अन्य बातों के साथ–साथ, यह स्वीकार करते हुए कि किसी भी सेवा क्षेत्र में अभिगम प्रदाताओं की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं होनी चाहिए, पहले ही 17.10.2007 को ट्राई की सिफारिशें पर निर्णय ले लिया है।

सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य ने इन सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडी सैट) में चुनौती दी है और यह मामला निर्णयाधीन है।

सशस्त्र सेनाओं में समयबद्ध पदोन्नति

299. **श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सशस्त्र सेनाओं में सैनिकों हेतु समयबद्ध पदोन्नति प्रणाली लागू करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) सशस्त्र सेनाओं के अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के पदोन्नति के अवसरों पर समयबद्ध पदोन्नति से संबंधित प्रस्ताव छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

[हिन्दी]

मोबाइल सेवा की दरों में वृद्धि

300. **श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी.एस.एम. मोबाइल सेवा प्रदाता निजी कंपनियों ने अपनी अनेक सेवाओं में प्रशुल्क/दरों में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकरण ने इस संबंध में ट्राई को आदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार बिना अनुमति के बढ़ाए गए प्रशुल्क और दरों को वापस लेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां। तथापि, देश में दूरसंचार सेवा के प्रशुल्क, समय–समय यथा संशोधित, दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टीटीओ), 1999 में निर्धारित ढांचे द्वारा शासित होते हैं। टीटीओ के मौजूदा उपबंधों के अनुसार जीएसएम मोबाइल सेवा के लिए प्रशुल्क विकल्पाधीन हैं।

(ख) प्रशुल्क बढ़ोत्तरी के प्रमुख मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। दो उपभोक्ता संगठनों ने हाल ही में एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर द्वारा की गई प्रशुल्कों में बढ़ोत्तरी के विरुद्ध माननीय दूरसंचार विवाद समाधान तथा अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) में याचिकाएं दायर की हैं। माननीय अधिकरण ने इस मामले में कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है।

(ङ) और (च) दूरसंचार प्रशुल्क में प्राधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप तब किया जाता है जब प्रचालक द्वारा लागू किया गया प्रशुल्क, टीटीओ द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुरूप न हो।

विवरण

भारती

	पोस्टपेड		प्रीपेड	
	परिवर्तन	प्रभावित सर्किल	परिवर्तन	प्रभावित सर्किल
1	2	3	4	5
स्थानीय एसएमएस	1 रु. से 1.20 रु.	दिल्ली	1 रु. से 1.20 रु.	दिल्ली
स्थानीय (अपना नेटवर्क) कॉल	0.99/1 रु. से 1.20 रु.	दिल्ली	1 रु. से 1.20 रु.	दिल्ली
स्थानीय (अन्य नेटवर्क) कॉल	0.99 रु. से 1.20 रु.	दिल्ली	–	–
स्थानीय (लैंडलाइन)			2 रु. से 2.4 रु.	दिल्ली (केवल नए ग्राहकों के लिए)
एसटीडी (नेट पर) कॉल	2 रु. से 2.40 रु.	15 सर्किल (दिल्ली असम, जम्मू और कश्मीर, केरल, कर्नाटक, कोलकाता, हरियाणा, पूर्वोत्तर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश)	2 रु. से 2.65 रु.	19 सर्किल (दिल्ली, आंध्र प्रदेश असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, केरल, कर्नाटक, कोलकाता, पूर्वोत्तर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल., उत्तर प्रदेश(पूर्व) गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुम्बई और–उत्तर प्रदेश (पूर्व)
एसटीडी (सभी नेटवर्क)			2.4 रु. से 2.65 रु.	आंध्र प्रदेश
एसटीडी (सभी नेटवर्क)			2.65 रु. से 2.75 रु.	दिल्ली (केवल नए उपभोक्ताओं के लिए)
वोडाफोन (हच)				
स्थानीय एसएमएस	1 रु. से 1.20 रु.	दिल्ली	1 रु. से 1.20 रु.	दिल्ली
	50 पैसे से 1 रु.	मुम्बई (1 प्लान)	0.20 रु. से 0.25 रु.	चेन्नै (केवल 2 प्लान)
अंतर्राष्ट्रीय एसएमएस	3 रु. 5 रु.	केरल (3 प्लान)	3 रु. से 5 रु.	चेन्नै (केवल 2 प्लान), केरल
स्थानीय (अपना नेटवर्क) कॉल	–	–	1 रु. से 1.20 रु.	दिल्ली
स्थानीय (अन्य मोबाइल) कॉल	0.49/0.3/ 1/.50/.4 रु. 0.99/ 0.99/ 1.75/1 /0.89 रु.	पंजाब (सीडीएमए) मोबाइल	1 रु. से 1.50 रु.	महाराष्ट्र

1	2	3	4	5
स्थानीय (सभी मोबाइल) कॉल	–	–	प्लान 1 : 0.49 रु. से 0.75 (व्यस्ततम घंटे) 0.49 रु. से 0.39 रु. (अव्यस्त घंटे) प्लान 2 : 0.10 से 0.39 (अव्यस्त घंटे)	चेन्नै (केवल 2 प्लान)
एसटीडी (सभी) कॉल	1.99 से 2.40 रु.	केरल	2.40 रु. से 2.65 रु.	5 सर्किल (दिल्ली, केरल, राजस्थान, मुंबई, उत्तर प्रदेश (पूर्व) तथा आंध्र प्रदेश)
	2.4 रु. से 2.65 रु.	पंजाब	2/2.4 रु. से 2.65 रु. 1.99 रु. से 2.40 रु. 1.99 रु. से 2.65 रु.	गुजरात चेन्नै (केवल 2 प्लान) महाराष्ट्र
आइडिया सेल्यूलर				
स्थानीय एसएमएस	–	–	1 रु. से 1.20 रु.	दिल्ली
स्थानीय (स्वयं का नेटवर्क) कॉल	–	–	0.99/1 रु. से 1.20 रु.	दिल्ली
स्थानीय (अन्य नेटवर्क) कॉल	–	–	1 रु. से 1.50 रु.	महाराष्ट्र
एसटीडी (सभी) कॉल	–	–	2 रु. से 2.65 रु.	महाराष्ट्र
एसटीडी (सभी) कॉल	–	–	2.4 रु..से 2.65 रु.	राजस्थान और उत्तर प्रदेश (पूर्व)

टिप्पणी : प्रशुल्कों में बढ़ोत्तरी कुछ प्लानों में लागू है।

ई-मेल, इंटरनेट और कंप्यूटर सुविधा

301. प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के शहरी, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कितने डाकघर ई–मेल, इंटरनेट और कंप्यूटर सुविधाओं से सुसज्जित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार एक निश्चित समय–सीमा के भीतर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सभी महत्वपूर्ण डाकघरों में उक्त सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश के शेष डाकघरों में कम्प्यूटर सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) डाकघरों में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता का क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:–

	शहरी क्षेत्रों में डाकघरों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों की संख्या	जनजातीय क्षेत्रों में डाकघरों की संख्या
कम्प्यूटर सुविधा	5860	2499	549
इंटरनेट सुविधा	3758	1153	257

इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले सभी डाकघर ई–मेल प्राप्त करने में सक्षम हैं।

(ख) और (ग) शेष विभागीय डाकघरों में कम्प्यूटर सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया है।

(घ) और (ङ) जैसा कि (ख) और (ग) में उल्लेख किया गया है ग्यारहवीं योजना हेतु डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया है। डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो योजना आयोग को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के अनुमोदन पर निर्भर है।

(च) उपरोक्त (घ) और (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

धान की खेती के अंतर्गत भूमि

302. **डा. रामेश्वर उरांव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड में धान की खेती के अंतर्गत भूमि का कुल कितना क्षेत्र है;

(ख) क्या धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में तेजी से कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) झारखण्ड में धान की खेती के अंतर्गत भूमि का कुल क्षेत्र 19.7.2007 को जारी किए गए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2006–07 में 16.24 लाख हैक्टेयर (खरीफ 16.04 लाख हेक्टेयर, 0.20 लाख हेक्टेयर) था। 19.9.2007 को जारी किए गए 2007–08 हेतु पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार खरीफ धान की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र झारखंड में 16.34 लाख हेक्टेयर है जोकि 2006–07 के दौरान खरीफ धान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र 16.04 हैक्टेयर से 0. 30 लाख हैक्टेयर अधिक है।

बीएसएनएल सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट

303. **श्री राकेश सिंह :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीएसएनएल के निदेशक मंडल ने बीएसएनएल सेवाओं की गिरती गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की है और इस कंपनी को गत वर्ष की ग्रेडिंग की तुलना में निचले ग्रेड में रखा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कंपनी में बेकार के खर्च और कर्मचारियों की कमी की प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) कम्पनी की ग्रेडिंग की घोषणा मूल मंत्रालय अर्थात् संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर लोक उद्यम विभाग द्वारा की जाती है। इसमें बीएसएनएल को गत वर्ष की "उत्कृष्ट" ग्रेडिंग की तुलना में वर्ष 2006–07 के दौरान "बहुत अच्छा" की ग्रेडिंग में रखा गया है।

(ख) ग्रेडिंग में गिरावट के निम्नलिखित कारण हैं:–

(i) बुनियादी टेलीफोनी में प्रति प्रयोक्ता औसतन कम राजस्व (एआरपीयू) तथा इसलिए बिक्री और सकल अतिरिक्त राशि में कमी।

(ii) ब्रॉडबैंड और पीसीओ कनेक्शनों की संख्या में कम वृद्धि।

(ग) और (घ) व्यर्थ के व्यय पर रोक लगाने के लिए बीएसएनएल भारत सरकार के आर्थिक अनुदेशों का पालन करता है। बीएसएनएल के सामान्यतः जनशक्ति की कमी नहीं है। तथापि, तेजी से बदल रहे व्यावसायिक और प्रौद्योगिकीय परिदृश्य को देखते हुए आवश्यकता आधारित पदोन्नतियां और बाहरी तौर पर भर्ती की जाती है तथा आवश्यकतानुसार इसे भविष्य में भी जारी रखा जाएगा।

[अनुवाद]

उड़ान सुरक्षा संबंधी सम्मेलन

304. **श्री मिलिन्द देवरा :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा सम्मेलन, इफ्सकान 2007 हाल ही में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) भारतीय वायु सेना में यू.के. और जापान की तुलना में दुर्घटनाओं की दर क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा सम्मेलन 9 तथा 10 अक्टूबर, 2007 को नई दिल्ली में वायुसेना सभागार, सुब्रतो पार्क में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अन्य के साथ–साथ 31 देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

(ग) इस सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं थीं : (i) विमानन सुरक्षा के क्षेत्र में विचारों और अनुभवों के आदान–प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध कराना; (ii) विमानन सुरक्षा संबंधी विभिन्न एजेंसियों के मध्य सहक्रिया और सहयोग उत्पन्न करना; और (iii) उड़ान सुरक्षा और दुर्घटना की जांच–पड़ताल के मौजूदा तरीकों से अवगत होना।

(घ) वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए भारतीय वायुसेना के मामले में दुर्घटना की दर 0.35 है। तथापि, यू.के. और जापान की दुर्घटना दरों संबंधी प्रमाणिक सूचना भारतीय वायुसेना के पास उपलब्ध नहीं है।

कृषि हेतु नई प्रौद्योगिकी

305. **श्री एम.एस.के. भिवान :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के क्षेत्र में जैव-प्रौद्योगिकी और अन्य नई प्राद्योगिकी ऐसे बड़े कारक हैं जो भविष्य में उत्पादकता में क्रांति ला सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी तथा अन्य नये प्रौद्योगिकीय विकासों से भविष्य में उत्पादकता में वृद्धि होगी। जैव-प्रौद्योगिकी का निम्नलिखित में योगदान होगा; (i) इससे फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिससे विश्वव्यापी खाद्य, आहार एवं रेशा सुरक्षा में मदद मिलेगी, (ii) उत्पादन लागत में कमी आयेगी, (iii) भूमि बचत प्रौद्योगिकी जो उच्च उत्पादकता में समर्थ होगी जिससे जैव-विविधता का संरक्षण होगा (iv) अधिक टिकाऊ कृषि एवं पर्यावरण के लिए बाहरी निवेश का अधिक कुशल उपयोग, (v) जैविक एवं अजैविक दबावों के कारण अकाल के दौरान प्रभाव कम करने के लिए उत्पादन में टिकाऊपन को बढ़ाना, (vi) पशुधन और मात्स्यिकी की उत्पादकता को सुधारना और, (vii) आर्थिक तथा सामाजिक लाभों को सुधारना और भारत जैसे विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन।

(ख) सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने पूरे देश में जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान करने तथा मानव संसाधन विकास के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और अपने उत्पादों के वाणिज्यीकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

2. कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने 14 मई, 2003 को डा. एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कृषि जैव प्रौद्योगिकी पर एक कार्य दल (टॉस्क फोर्स) गठित किया था। कार्य दल ने जून, 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी इसमें अन्य सिफारिशों के साथ-साथ राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी नियामक प्राधिकरण (एनबीआरए) को स्थापित करने की सिफारिश की गई है। कैबिनेट नोट का मसौदा जिस पर सचिवों की समिति (सीओएस) द्वारा विचार-विमर्श किया गया उसे प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) के सुझावानुसार जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंप दिया गया है। कार्य दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय द्वारा अनुवर्ती आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

3. जैव-प्रौद्योगिकी से संबंधित कृषि अनुसंधान कार्य को तेज करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। कृषि जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा शिक्षा संबंधी कार्य करने के लिए वर्ष, 1985 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किया गया था। विभिन्न विशिष्टताओं जैसे सूखा, लवणता के प्रति सहिष्णुता तथा नाशीजीव और रोग प्रतिरोधिता को सन्निविष्ट (इंट्रोडक्शन) करने के लिए प्रमुख फसलों जैसे चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन, सब्जियों में पराजीनी विकसित करने के लिए एक नेटवर्क कार्यक्रम चल रहा है। प्रौद्योगिकियां जैसे मार्कर-सहायतार्थ चयन और ढांचागत तथा कार्यात्मक जीनोमिक्स तैयार करना इस उद्यम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

4. राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीपीजीआर) द्वारा जैव-प्रौद्योगिकी एप्रोचेज का उपयोग प्राथमिक रूप से राष्ट्रीय महत्व की फसलों की विमोचित किस्मों तथा एलीट जननद्रव्य की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फसल विविधता पर अध्ययन, डोमेस्टीकेशन, आण्विक फाइलोजनी तथा बॉयोसिस्टमेटिक, प्रवेशित जीएम फसलों के संगरोध प्रक्रिया के दौरान पराजीनों तथा टरमिनेटर जीन तकनीक पर अनुसंधान तथा राष्ट्रीय जीनबैंक में फसल जननद्रव्य के स्वःपात्रे (इनविट्रो) संरक्षण और कायो-परिरक्षण के लिए किया जाता है।

5. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत पशु विज्ञान अनुसंधान संस्थानों तथा दो समतुल्य विश्वविद्यालयों (आईवीआरआई तथा एनडीआरआई) ने रोग निदान किटों तथा मूल्यवर्धित/डेरी उत्पादों के लिए पशु जैव-प्रौद्योगिकी में अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया है।

6. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग कई परियोजनाओं जैसे चावल की सीक्वेंसिंग, टमाटर तथा आलू जीनोम, जैव-प्रौद्योगिकी दखल द्वारा उन्नत फसल किस्मों का विकास, विटामिन ए में सुधार के लिए भारतीय चावल की किस्मों में "गोल्डन राइस" गुण का प्रवेश इत्यादि परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना हेतु विश्व बैंक से सहायता

306. डा. एम. जगन्नाथ :

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन.ए.टी.पी.) हेतु विश्व बैंक से धन उधार लिया है;

(ख) यदि हां, तो उधार ली गई धनराशि संबंधी ब्याज दर क्या है और राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1998 से

2003 के दौरान खरीद पर, विदेशी दौरों पर एवं भवन इत्यादि पर पृथक–पृथक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) कुल–मिलाकर राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के क्या परिणाम निकले जिनका भारतीय किसान तत्काल प्रयोग कर सकते हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना ने आधारभूत स्तर पर प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाकर भारतीय कृषि अनुसंधान की मदद करने की सिफारिश की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने विश्व बैंक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आई डी ए) से 64.10 मिलियन यू. एस. डॉलर तथा इंटरनेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट से 78.80 मिलियन यू एस डॉलर का ऋण लिया है। आई डी ए क्रेडिट के लिए कमिटमेंट प्रभार 1 प्रतिशत क्रेडिट प्रति वर्ष का आधा प्रतिशत तथा सेवा प्रभार हेतु लिए गए ऋण की मूल धनराशि तथा समय–समय पर आहरित एवं बकाया राशि का 3/4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से है, तथा आई बी आर डी ऋण पर आहरित ऋण की मूल धनराशि तथा बकाया राशि पर ब्याज सहित गैर आहरित ऋण की मूल धनराशि पर कमिटमेंट प्रभार 1 प्रतिशत का 3/4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लिया गया है। वर्ष 1998–2003 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के परिणामों में 270 नई प्रौद्योगिकियों का विकास सम्मिलित है, जिन्हें भारतीय किसानों द्वारा तत्काल प्रयोग में लाया जा सकता है।

(घ) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना ने सहभागिता अनुसंधान गतिविधियों द्वारा किसानों की आवश्यकताओं के लिए सुग्राही कृषि अनुसंधान प्रणाली की सिफारिश की है।

(ङ) किसानों की आवश्यकताओं पर स्थानीय, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों की संस्थान प्रबंध समिति तथा अनुसंधान सलाहकार समिति में स्थानीय स्तर पर किसानों का प्रतिनिधित्व है। क्षेत्रीय स्तर पर, किसानों की आवश्यकताओं को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति की बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सम्बद्ध विभागों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान तथा किसानों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासीनिकाय तथा आईसीएआर सोसायटी में किसानों का प्रतिनिधित्व रहता है, जहां उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है।

विवरण

वर्ष 1998–2003 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है

(रु. लाख में)

वर्ग	1997–98	1998–99	1999–00	2000–01	2001–02	2002–03	कुल
खरीद (उपकरण, फर्नीचर, पुस्तकें/जर्नल, कम्प्यूटर)	0	0	151.76	1281.54	5207.89	9085.37	15726.57
विदेश दौरे (टी ए तथा विदेश प्रशिक्षण)	0	0	0.00	1.41	75.64	100.38	177.43
निर्माण कार्य	0	0	61.99	395.71	1485.32	1643.37	3586.39
अन्य आवर्ती (वेतन व भत्ते, टी ए इंडिया, ट्रेनिंग इंडिया, कार्यशाला, संविदा सेवाएं, संस्थागत प्रभार, प्रचालन प्रभार)	552.39	2889.84	2471.94	5920.88	7196.54	9805.70	28837.29
कुल	552.38767	2889.839	2685.69	7599.55	13965.38	20634.83	48327.68

[हिन्दी]

दुग्ध निर्यात से प्रतिबंध हटाया जाना

307. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री धर्मेन्द्र प्रधान :
श्री कीरेन रिजीजू :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूध की कमी के बावजूद दूध और दुग्ध चूर्ण (मिल्क पाउडर) के निर्यात पर लगी रोक हटा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में दुग्ध सहकारिताओं से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा दूध और दुग्ध चूर्ण की बढ़ती कीमतों को रोकने हेतु इनका उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) जी, नहीं। अधिकता वाले मौसम के दौरान पर्याप्त दूध की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 3.9.2007 को दुग्ध चूर्ण के निर्यात पर प्रतिबंध समाप्त हो गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) "सघन डेयरी विकास कार्यक्रम", "गुणवत्ता एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण", "सहकारिताओं को सहायता" एवं "डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत निधि" नामक योजनाओं के अलावा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए यह सरकार "राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी)" नामक एक केन्द्रीय प्रयोजित योजना क्रियान्वित कर रही है जो डेयरी विकास के लिए भी योगदान देती है। सरकार उचित मूल्य पर दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश में इसकी उपलब्धता की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है।

सरदार सरोवर परियोजना

308. श्री रामदास आठवले : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके निर्माण कार्य हेतु अब तक कितनी धनराशि आबंटित व खर्च की गई है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को इस परियोजना कार्यों के संबंध में गुजरात सहित संबंधित राज्यों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई प्रभावी ढंग से इसके शीर्ष स्तर 121.92 मी. तक बढ़ा दी गई है। रिवर बेड पावर हाउस (आरबीपीएच) (6 x 200 मेगावाट) की सभी छः यूनिटें और कैनाल हेड पावर हाउस (सीएचपीएच) (5 x 50 मेगावाट) की पांच यूनिटें चालू हो गई हैं। 263.165 कि.मी. से 357.196 कि.मी. तक के भीतर पड़ने वाली दो मुख्य संरचनाओं को छोड़कर नर्मदा मुख्य नहर को 357.196 कि.मी. (गुजरात–राजस्थान सीमा तक 458.318 कि.मी. की कुल लम्बाई में से) तक पूरा कर लिया गया है। नर्मदा मुख्य नहर में 357.196 कि.मी. से 458.318 कि.मी. तक निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा अंतिम अवस्था में है। अगस्त, 2007 तक 276562 हेक्टेयर में कमान क्षेत्र विकास कार्य पूरा कर लिया गया है। सामान्य व्यय के आबंटन के पश्चात् अगस्त, 2007 तक सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण कार्य पर संचयी व्यय 24562.53 करोड़ रुपए है।

सिंचाई राज्य का विषय है और परियोजनाओं की आयोजना, निष्पादन और वित्तपोषण राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार के अनुरोध पर वर्ष 1996–97 से इस परियोजना को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) में शामिल कर लिया गया है और ऋण/अनुदान के रूप में परियोजना के पक्ष में अब तक 4887.7385 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त मांग के आधार पर और समय–समय पर लागू एआईबीपी के मद्देनजर पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य को 471.8885 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त, कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत इस परियोजना के लिए अब तक 74.77 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

मछलीपालन हेतु बजट आबंटन

309. डा. के. एस. मनोज : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2007-08 के दौरान मत्स्यन के विकास हेतु कितनी धनराशि का आबंटन और उपयोग किया गया है तथा इसके उपयोग की प्रतिशतता क्या है; और

(ख) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु अक्टूबर, 2007 तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) और (ख) 2007-2008 के दौरान मात्स्यिकी के विकास के लिए आबंटित धनराशि 216.18 करोड़ रुपए है। इसमें से, अक्टूबर, 2007 तक उपयोग किए जाने के लिए 81.66 करोड़ रुपए (37.77%) की धनराशि जारी कर दी गई है।

आयुध डिपो में आग लगने की घटनाएं

310. **प्रो. महादेवराव शिवनकर :**

प्रो. एम. रामदास :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्य आयुध डिपुओं में आग लगने की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मामले में अलग-अलग कितनी मात्रा में गोला-बारूद नष्ट हुए और जानमाल की कितनी हानि हुई;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक मामले की अलग-अलग जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन पर क्या कार्रवाई की गई है तथा सरकार द्वारा प्रभावित नागरिकों को किस हद तक क्षतिपूर्ति की गई है; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने तथा नागरिकों के हितों के रक्षार्थ सरकार द्वारा क्या ठोस उपाए किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (च) गत तीन वर्षों के दौरान सेना आयुध डिपुओं में आग लगने की घटनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(क) 22.3.2005 को केन्द्रीय गोलाबारूद डिपो (सी ए डी) पुलगांव में आग लगने की घटना हुई जिसमें 22 करोड़ रुपए मूल्य का गोलाबारूद नष्ट हो गया। किसी जान का कोई नुकसान नहीं हुआ।

(ख) 11.8.2007 को कश्मीर में खुन्दरू स्थित फील्ड गोलाबारूद डिपो (21 एफ ए डी) में आग लगी थी। आग लगने की इस घटना में अठारह जानें चली जाने की सूचना मिली थी।

2. प्रत्येक घटना में जांच अदालत का आदेश दिया गया था। केन्द्रीय आयुध डिपो (सी ए डी) पुलगांव में आग लगने की घटना के मामले में जांच अदालत की सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं। 21 एफ ए डी खुन्दरू के मामले में जांच अदालत में पूरा होने से पहले नुकसान के किसी आकलन का संकेत देना जल्दबाजी होगी।

3. 11.8.2007 को खुन्दरू स्थित 21 एफ ए डी में लगी आग की घटना से इसके आस-पास रहने वाले प्रभावित लोगों की सहायतार्थ रक्षा मंत्रालय ने अनुग्रह राहत/मदद के रूप में जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार को 26.74 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।

4. सुरक्षा उपायों में सुधार सहित सेना आयुध डिपुओं का आधुनिकीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है। गोलाबारूद भण्डारण सुविधाओं के उन्नयन हेतु वर्ष 1998 से आज की तारीख तक सरकार ने 1413.34 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की है। सरकार ने केंद्रीय आयुध डिपो, पुलगांव, फील्ड गोलाबारूद डिपो, जोधपुर तथा एक गोलाबारूद कंपनी में मौजूदा सुरक्षा तथा आग रोकथाम के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण को पायलट परियोजना के रूप में अनुमोदित किया है।

रक्षा प्रणालियों का निर्यात

311. **श्री अधीर चौधरी :**

श्री उदय सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डी आर डी ओ) ने उन रक्षा प्रणालियों के निर्यात हेतु रक्षा मंत्रालय से अनुमति मांगी है जो रणनीतिक रूप से संवेदनशील नहीं हैं।

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या डी आर डी ओ का विचार प्रौद्योगिकियां विकसित करने और उत्पादन हेतु विभिन्न देशों के साथ सहयोग करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) और (ख) जो रक्षा प्रणालियां सामरिक दृष्टि से संवेदनशील नहीं हैं, सरकार उनके निर्यात के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर रही है।

(ग) और (घ) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मित्र देशों के साथ सहयोग से सामरिक रक्षा प्रणालियों के विकास और उत्पादन के अवसरों की जांच कर रहा है।

बीजों का वैश्विक व्यापार

312. **श्री मदन लाल शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीजों के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार बीजों के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है; और

(घ) इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) विश्व बीज व्यापार आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में छठा बड़ा घरेलू बीज का बाजार है, जो 1300 मिलियन डालर अनुमानित है। तथापि, बीजों में वैश्विक व्यापार (आयात और निर्यात) में भारत का अंश लगभग 37 मिलियन डालर ,है। सरकार ने बीज निर्यात बढ़ाने के लिए कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि, वैश्विक बीज व्यापार में भारत का अंश बढ़ाने और सुकर बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिसमें शामिल हैं – बीजों की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही को सुकर बनाने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) बीज स्कीमों में भारत की सहभागिता और वैश्विक मानक प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बीज परिक्षण संघ (आईएसटीए) के सदस्य बनने के लिए केन्द्रीय और राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं का समर्थन करना।

[हिन्दी]

अमरीका से खराब गुणवत्ता वाले सेबों का आयात

313. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री पंकज चौधरी :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्री संतोष गंगवार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अभी तक इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राज्य अमरीका से आयातित सेबों में ऐसे कीड़े होने का अंदेशा है जो हमारे देशों में नहीं पाए जाते;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एग्रीकल्चर ब्यूरो इंटरनेशनल (सीएबीआई) अमरीकी सेबों में पाए जाने वाले इन कीड़ों की जांच कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने अमरीका से आयातित सेबों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) अमरीका से आयातित सेब की खेप से संगरोध कृमियों को रोकने अथवा ऐसे आयात द्वारा भारतीय पादप संगरोध विनियमों के अपालन की कोई रिपोर्ट नहीं है। भारत सरकार पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 द्वारा निर्धारित पादप स्वच्छता विनिर्देशों को पूरा करने वाले सेब के आयात की अनुमति देती है। निर्यातक देश में फसल संबंधी कृमि और रोग की स्थिति का जिंस के आयात के मार्ग के साथ उनके संभावी संयोजन के बारे में कॉमनवेल्थ एग्रीकल्चर ब्यूरो इंटरनेशनल की सूचना सहित प्रकाशित सूचना को ध्यान में रखकर किए गए कृमि जोखिम विश्लेषण (पीआरए) के आधार पर पादप स्वच्छता विनिर्देशों को निर्धारित किया जाता है। पीआरए सतत प्रक्रिया है जो उत्पाद विशिष्ट और देश विशिष्ट है।

भारतीय पादप संगरोध प्रणाली ने प्रवेश पत्तनों (हवाई और समुद्री) पर संगरोध केन्द्र स्थापित किए हैं। अधिकतर पादप संगरोध केन्द्रों (स्टेशनों), विशेषकर नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता, जिनके जरिए आयातित जिंसों का बड़ा भाग देश में प्रवेश करता है, ने आयातित कृषि–जिन्सों की निर्मुक्ति के लिए निरीक्षण और अनुमोदन की स्थापित प्रक्रिया के अनुसार संगरोध कृमियों और रोगों के निदान के लिए प्रयोगशाला सुविधाओं को स्थापित किया है। भारत के लिए संगरोध की दृष्टि से महत्व के कृमियों और रोगों से मुक्ति को सुनिश्चित करने हेतु आगमन पर सेब की आयातित खेपों का निरीक्षण किया जाता है। यह भारत में संगरोध कृमियों और रोगों के प्रवेश को रोकना सुनिश्चित करता है।

[अनुवाद]

बेलगाम, कर्नाटक में बफर जोन बनाया जाना

314. श्री सुरेश अंगड़ि : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के बेलगाम रक्षा क्षेत्र में 'बफर जोन' बनाए जाने हेतु वित्तीय सहायता निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों से अर्जित भूमि के लिए उनको कोई वित्तीय मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मुआवजा हेतु लम्बित दावों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) कर्नाटक की बेलगाम छावनी में और उसके आस–पास जमीन के अधिग्रहण या जमीन को किराए पर लेकर 'बफर जोन' बनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

बुनकर समुदाय का आर्थिक पिछड़ापन

315. **श्री पी.सी. गद्दीगउडर :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विशेषकर कर्नाटक के बागलकोट जिले में ग्रामीण और अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में रहने–वाले बुनकर समुदाय जो पारम्परिक पेशा/शिल्प पर निर्भर करते हैं, के आर्थिक–पिछड़ेपन का अध्ययन करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) से (ग) हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय ने ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में रहने वाले बुनकर समुदाय के आर्थिक पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए ऐसा कोई समिति गठित नहीं की है। तथापि, कर्नाटक के बागलकोट जिले में महालिंगपुर हथकरघा समूह का नैदानिक अध्ययन किया गया जिसे कर्नाटक राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

गेहूं की खरीद में कमी

316. **प्रो. रासा सिंह रावत :**

श्री मो. ताहिर :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं की भण्डारण क्षमता की वर्तमान स्थिति क्या है और इनमें कितनी मात्रा में गेहूं उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार स्थानीय बाजार से समय पर गेहूं खरीदने में विफल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) किन परिस्थितियों में सरकार को स्थानीय दरों से अधिक दर पर गेहूं का आयात करना पड़ा; और

(ङ) उपभोक्ताओं द्वारा आयातित गेहूं को पसंद नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम के पास 23.86 मिलियन टन भंडारण क्षमता है। 30.9.2007 की स्थिति के अनुसार इसके पास 101.73 लाख टन खाद्यान्नों का स्टाक था।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्ष 2007–08 के दौरान 111.27 लाख टन गेहूं की खरीदारी हुई है जबकि पिछले वर्ष 2006–07 के दौरान 92.26 लाख टन गेहूं की खरीदारी हुई थी।

(घ) रबी विपणन मौसम 2007–08 के दौरान 151.50 लाख टन की अनुमानित खरीदारी के प्रति 111.27 लाख टन की खरीदारी को देखते हुए सरकार ने 50 लाख टन तक गेहूं आयात करने का निर्णय लिया है। अब तक आयात करने के लिए 13.06 लाख टन को ठेका दिया गया है और 2007–08 के दौरान 10 लाख टन और गेहूं का आयात करने का प्रस्ताव है। गेहूं उत्पादक कई प्रमुख देशों में कम उत्पादन होने, जैव ईंधन में गेहूं का इस्तेमाल होने, वर्ष के अन्त में कम स्टाक रहने और कई देशों की अधिक मांग होने सहित कई कारणों से आयातित गेहूं के मूल्य अधिक हैं।

(ङ) श्वेत गेहूं, जिसके भारतीय उपभोक्ता आदी हैं, के लिए तरजीह होने के कारण कई राज्यों में आयातित लाल गेहूं का प्रतिरोध हुआ है। 2 राज्यों नामतः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नमूने लेकर और राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं में इनका परीक्षण करके की गई थी। ये नमूने विनिर्दिष्टियों के अनुसार और मानव उपभोग के लिए सही पाए गए थे। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के गुण–नियंत्रण अधिकारियों द्वारा भी आयातित गेहूं के नमूने लिए गए थे और केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला, नई दिल्ली में इन नमूनों का विश्लेषण किया गया था तथा ये विहित विनिर्दिष्टियों के अनुसार पाए गए थे।

टेक्सटाइल पार्क

317. **श्री कैलाश नाथ सिंह यादव :**

श्री हरिभाऊ राठौड़ :

श्री ब्रजेश पाठक :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के वस्त्र क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार मुहैया

कराने हेतु 50 नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त पार्कों की स्थापना हेतु स्थानों की पहचान कर ली गई है/की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है तथा उक्त योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) वस्त्र मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान 50 अतिरिक्त वस्त्र पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) परियोजना की अवस्थिति उद्यमियों द्वारा मांग पर निर्भर करती है।

(घ) यह प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है।

गेहूं और दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य

318. श्री संजय धोत्रे :

श्री बाबू हरी चौरे :

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं और दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में व्यापक वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) रबी फसलों जिनमें गेहूं, चना तथा मसूर (लेन्टिल) शामिल हैं का 2007-08 मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने 9 अक्टूबर, 2007 को घोषित/निर्धारित किया है जबकि खरीफ फसलों जिनमें अरहर (तूर), मूंग तथा उड़द शामिल हैं के 2007-08 मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने 17 मई, 2007 को घोषित/निर्धारित किए थे। वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के लिए गेहूं तथा दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य नीचे सारणी में दिए गए हैं –

(रुपए प्रति क्विंटल)

फसल	2006-07	2007-08
1	2	3
गेहूं	750*	1000
चना	1445	1600
मसूर (लेन्टिल)	1545	1700
अरहर (तूर)	1410	1550**
मूंग	1520	1700**
उड़द	1520	1700**

* न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस देय था।

** न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 40 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देय है

[अनुवाद]

भावी लड़ाकू विमान का संयुक्त विकास

319. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री अबु अयीश मंडल :

श्री मिलिन्द देवरा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस एक भावी लड़ाकू विमान (फ्युचरिस्टिक कम्बैट एयरक्राफ्ट) बनाने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भावी लड़ाकू विमान का संयुक्त उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा;

(घ) क्या निकट भविष्य में इन विमानों को तीसरी दुनिया के मित्र देशों को निर्यात किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने कुछ वर्ष पहले पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के उत्पादन हेतु रूस के साथ एक ऐसे ही समझौते पर हस्ताक्षर किए थे;

(छ) उक्त समझौते की स्थिति क्या है;

(ज) पांचवीं पीढ़ी के विमान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(झ) इससे वायुसेना की रक्षा क्षमता में कितनी वृद्धि होगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भावी बहु-भूमिका वाले लड़ाकू विमान (पीएमएफ), जो पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा, के विकास और उत्पादन में सहयोग के लिए भारत और रूस के बीच 18 अक्टूबर, 2007 को अंतर सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) से (ङ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने के बाद ही इन ब्योरों का पता लगेगा।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) इस विमान की मुख्य विशेषताएं गुप्त (स्टेल्थ) प्रौद्योगिकी, उच्च (सुपर) युक्तिचालन/उच्च (सुपर) क्रूज़, तीव्र (स्मार्ट) हथियार, नेटवर्क केन्द्रित युद्धनीति आदि हैं।

(झ) रक्षा क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

एमटीएनएल के उपभोक्ताओं की संख्या में कमी

320. श्री जीवाभाई ए. पटेल :

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमटीएनएल की सेवाओं के संतोषजनक नहीं होने की वजह से दिल्ली और मुम्बई में एमटीएनएल मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या अन्य निजी ऑपरेटरों के उपभोक्ताओं की संख्या की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या एमटीएनएल के कुछ अधिकारी इस संबंध में निजी आपरेटरों को अवैध रूप से सहायता दे रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले जानकारी में आए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, नहीं। 30.09.2007 की स्थिति के अनुसार दिल्ली और मुम्बई में एमटीएनएल का मोबाइल उपभोक्ताओं का मार्केट शेयर क्रमशः 14% और 19.85% है। एमटीएनएल का मार्केट शेयर जो मार्च, 2004 में 6% था वह मार्च, 2007 में बढ़कर लगभग 18% तक हो गया है। इस अवधि के दौरान ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन्स का उपभोक्ता आधार 2004 के 3.6 लाख से बढ़कर 2007 में 27.7 लाख हो गया है। एमटीएनएल का वायरलैस नेटवर्क ट्राई के सेवा की गुणवत्ता के मानदंडों को पूरा कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रक्षा उपस्करों की खरीद

321. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि (2007–12) के दौरान विदेशों से सैन्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अर्जन पर करीब 30 बिलियन अमरीकी डालर खर्च करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या व्यापक स्तर पर खरीद के मद्देनजर, सरकार का विचार रक्षा खरीद नीति को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु इसे संशोधित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रक्षा अधिप्राप्तियों के परिव्यय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) 2006, 01 सितम्बर, 2006 से कार्यान्वित की जा रही है। प्रक्रिया की पुनरीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है जो इसके कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव पर आधारित होती है।

[हिन्दी]

मोटे अनाज

322. श्री रामजीलाल सुमन :

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल खेती योग्य भूमि में से करीब 28 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर मोटे अनाजों की खेती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है;

(ग) क्या मोटा अनाज पैदा करने वाले किसानों को कुल उत्पादन लागत का मात्र 57 प्रतिशत ही प्राप्त हो रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या आकलन किया गया है तथा उक्त खेती में लगे लघु और सीमांत किसानों की प्रतिशतता क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल बुआई भूमि के विरुद्ध मोटे अनाजों के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र निम्नप्रकार है:-

(मिलियन हेक्टेयर में)

वर्ष	मोटे अनाज के अंतर्गत क्षेत्र	कुल बुआई योग्य क्षेत्र
2003-04	30.80	182.95
2004-05	29.03	182.81
2005-06	29.04	182.58

(ग) और (घ) मोटे अनाज उगाने वाले किसान कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए तथा सरकार द्वारा घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में निश्चित आय प्राप्त कर रहे हैं। मोटे अनाजों की बुआई में लगे हुए छोटे तथा मामूली किसानों के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते। मोटे अनाजों जैसे ज्वार, बाजरा तथा मक्का की उत्पादन लागत तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2007-08 के लिए नीचे दिया गया है:-

(रुपए प्रति क्विंटल)

फसल	उत्पादन की लागत	न्यूनतम समर्थन मूल्य	उत्पादन की लागत पर न्यूनतम समर्थन समर्थन मूल्य का प्रतिशत
बाजरा	443.96	600.00	135.15
मक्का	448.73	620.00	138.17
ज्वार	546.37	620.00	113.48

[अनुवाद]

ग्रामीण डाककर्मी

323. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण डाक कर्मियों की शिकायतों के संबंध में एक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए किसी समिति या आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति/आयोग को कोई न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी हां। ग्रामीण डाक सेवकों की परिलब्धियों और सेवा शर्तों की जांच करने के लिए माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुमोदन से श्री आर.एस. नटराज मूर्ति सेवानिवृत्त सदस्य, डाक सेवा बोर्ड, डाक विभाग की अध्यक्षता में एकसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से इस समिति के विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया गया। तदनुसार माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् दिनांक 23 जुलाई, 2007 के संकल्प सं. 6-1/2006-पीई-II द्वारा इसे भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया।

(ग) से (ङ) जी नहीं। ग्रामीण डाक सेवक प्रणाली डाक विभाग की एक विशेष प्रणाली है जिसकी अपनी जटिलताएं हैं। अतः इस प्रणाली की समस्याओं को इस विभाग के सेवा अधिकारी ही भली-भांति समझ सकते हैं। सेवा अधिकारियों की अध्यक्षता वाली पिछली समितियों ने ग्रामीण डाक सेवा कर्मचारियों के साथ पूरा-पूरा न्याय किया। अतः यह औचित्यपूर्ण है कि डाक सेवा बोर्ड के सेवानिवृत्त सदस्य, श्री आर. एस. नटराज मूर्ति, जिन्हें ग्रामीण डाक सेवकों से संबंधित मामलों को निपटाने का पर्याप्त अनुभव है, को ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा शर्तों, परिलब्धियों तथा उनको प्रदान की जा रही अन्य सुविधाओं की जांच-पड़ताल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन एवं सेवा शर्तों के संबंध में सिफारिश करना है ना कि ग्रामीण डाक सेवकों की वैधानिक स्थिति पर विचार करना, जो कि सुव्यवस्थित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

324. श्री बालाशोवरी वल्लभनेनी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 ब्रॉडबैण्ड, इंटरनेट समर्थित सामान्य सेवा केन्द्र

स्थापित करने के लिए सहयोग देने की एक योजना अनुमोदित की है। ये केन्द्र किसी भी राज्य में प्रत्येक 6 आवासीय गांवों के लिए 1 सीएससी के अनुपात में खोले जाएंगे। ये केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और निजी सेवाएं प्रदान करेंगे। जबकि राज्य सरकार प्रदान की जाने वाली सरकारी सेवाओं की वास्तविक प्रकृति का निर्णय करेगी, प्रदान की जाने वाली निजी सेवाओं की प्रकृति का निर्धारण सीएससी की स्थापना करने के लिए चुने गए संगठन द्वारा किया जाएगा। गैर सरकारी सेवाएं जैसेकि कम्प्यूटर शिक्षा, कृषि परामर्श सेवा, बीमा, शैक्षणिक मनोरंजन इन केन्द्रों के जरिए प्रदान किए जाने की संभावना है। यह योजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी में कार्यान्वित की जाएगी। योजना के पूर्ण ब्यौरे सीएससी दिशा-निर्देशों में दिए गए हैं जो www.mit.gov.in पर उपलब्ध हैं। योजना के कुल परिव्यय 5742 करोड़ रुपए है, जिसमें सीएससी स्थापित करने और इसके बाद चार वर्षों के लिए इनके प्रचालन की लागत शामिल है। व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण के रूप में सरकारी सहयोग 1649 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, शेष राशि निजी क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश से प्राप्त होगी। इस प्रकार ये केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होंगे जिसमें कम्प्यूटर शिक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता पैदा करना आदि शामिल है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

दीन दयाल हथकरघा
प्रोत्साहन योजना

325. **डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो बुनकरों के लाभ हेतु प्रस्तावित वैकल्पिक योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन हेतु विभिनन राज्यों द्वारा तैयार किए गए तथा प्रस्तुत किए गए लंबित प्रस्तावों की स्थिति क्या है; और

(घ) असम में परियोजना पैकेज, स्वास्थ्य पैकेज, एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऋण, सूत तथा उपसाधनों के वितरण के संबंध में वर्तमान क्रियान्वयम स्थिति क्या है तथा वहां कितने प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लंबित हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना को 1.4.2007 से समाप्त कर दिया है और इसके घटकों को 11वीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित नई एकीकृत हथकरघा विकास योजना में मिला लिया गया है। एकीकृत हथकरघा विकास योजना का ध्येय – (क) 300 से 500 की रेंज में हथकरघा वाले हथकरघा समूहों, (ख) वरीयतः कम से कम 10 बुनकरों के दल, (ग) राज्य हथकरघा निगमों/शीर्ष समितियों, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों तथा राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठनों द्वारा निर्मित हथकरघा उत्पादों के विपणन, (घ) राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के सुदृढ़ीकरण (ङ) योजना के लिए सुधारात्मक विचारों, प्रचार, मानीटरन, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण और मूल्यांकन, के लिए सहायता प्रदान करता है।

(ग) 31.3.2007 के पश्चात दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना में किसी नए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि योजना को समाप्त कर दिया गया है। तथापि, वर्तमान में एकीकृत हथकरघा विकास योजना भारत सरकार के विचाराधीन है। अतः असम राज्य सहित किसी राज्य से कोई प्रस्ताव नई योजना के तहत लंबित नहीं है।

(घ) परियोजना पैकेज योजना, स्वास्थ्य पैकेज योजना तथा एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना क्रमशः 01.04.2000, 09.08. 2005 तथा 01.04.2^07 से समाप्त कर दी है। वस्त्र मंत्रालय ऋण वितरण की किसी योजना अथवा एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण कार्यक्रम नामक किसी योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहा है। अनुषंगियों से संबंधित प्रस्तावों पर वर्तमान में विचाराधीन एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत विचार किया जाएगा। मिल गेट कीमत पर हथकरघा बुनकरों को धागा मुहैया करने वाली मिल गेट कीमत योजना के अंतर्गत असम राज्य का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

नकली बुनकर

326. **श्री हरिसिंह चावडा :**
श्री काशीराम राणा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने पुरुष तथा महिला बुनकर हैं;

(ख) इनमें से कितने बुनकरों को पहचान पत्र जारी किये गये हैं;

(ग) क्या बुनकरों हेतु सरकारी योजनाओं का लाभ नकली दावेदार अन्य असली बनुकरों को जारी किए गए पहचान पत्र के माध्यम से उठा रहे हैं?

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच कराई गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) देश में हथकरघा क्षेत्र में बुनाई और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न पुरूष और महिला बुनकरों की राज्य–वार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) शीघ्र ही की जाने वाली हथकरघा की तृतीय गणना के दौरान गिने गए बुनकरों को पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	बुनाई (बुनकर) और सम्बद्ध गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों की कुल संख्या	बुनाई और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या	बुनाई और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न पुरुषों की संख्या
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	490616	163841	326775
2	अरुणाचल प्रदेश	53473	39927	13546
3	असम	2322268	1489315	832953
4	बिहार	110732	30338	80394
5	छत्तीसगढ़	28362	8514	19848
6	दिल्ली	6708	447	6261
7	गोवा	25	10	15
8	गुजरात	57936	18805	39131
9	हरियाणा	22810	3920	18890
10	हिमाचल प्रदेश	65099	20024	45075
11	जम्मू व कश्मीर	51847	11046	40801
12	झारखंड	56975	16588	40387
13	कर्नाटक	177562	62156	115406
14	केरल	63153	23176	39977
15	मध्य प्रदेश	27744	7553	20191
16	महाराष्ट्र	80901	26940	53961
17	मणिपुर	462087	436110	25977
18	मेघालय#	#	#	#
19	मिजोरम#	#	#	#
20	नागालैंड	126228	97524	28704
21	उड़ीसा	246782	79947	166835

1	2	3	4	5
22	पांडिचेरी	7369	2514	4855
23	पंजाब	13160	4118	9042
24	राजस्थान	71915	19380	52535
25	सिक्किम*	1228	*	*
26	तमिलनाडु	607675	221450	386225
27	त्रिपुरा	291761	146188	145573
28	उत्तर प्रदेश	401362	76643	324719
29	उत्तरांचल	19322	7074	12248
30	पश्चिम बंगाल	686254	213255	472999
	कुल अखिल भारत	6551354	3226803	3324551

टिप्पणी : # मेघालय और मिजोरम से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

* सिक्किम से कोई पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को सौंपना

327. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आई.आई.एस.आर.), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर), लखनऊ की भूमि सौंपने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आईआईएसआर की भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें आईआईएसआर, लखनऊ/केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ की भूमि को उत्तर प्रदेश सरकार को "अम्बेडकर मैदान", लखनऊ में आयोजित होने वाली रैलियों के लिए वाहनों को खड़ा करने (पार्किंग) हेतु सौंपने का अनुरोध किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मोबाइल सिग्नल

328. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा पाकिस्तान के पांच सेवा प्रदाताओं को जम्मू और कश्मीर में भारत–पाक सीमा के साथ–साथ "नो सर्विस जोन", का उल्लंघन करते पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में कई मोबाइल कंपनियों के सिग्नल उपलब्ध थे; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर के भारतीय क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अन्य क्षेत्रों के लिए "नो सर्विस जोन/बफर जोन (रोक क्षेत्र)" में सिग्नल पाए जाने के कुछ मामले विभाग के ध्यान में आए हैं। दूरसंचार विभाग के सतर्कता तकनीकी निगरानी (वीटीएम) प्रकोष्ठ के माध्यम से उक्त मामले की जांच करवाई गई। उनकी टिप्पणियों के आधार पर भारत में संबंधित सेवा प्रदाताओं पर जुर्माना लगाने के लिए लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

विदेश मंत्रालय भारतीय क्षेत्र के भीतर पाकिस्तान के मोबाइल प्रचालकों के सिग्नल की मौजूदगी के मुद्दे को राजनयिक स्तर पर पाकिस्तान सरकार के साथ निपटाने में लगा हुआ है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण प्रणाली

329. श्री के.एस. राव : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में डाकघर बचत खातों की संख्या क्या है तथा ऐसे कितने डाकघरों में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली के पात्र होने हेतु पूंजी–पर्याप्तता अनुपात है;

(ख) इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से निधियों के अंतरण होने देने से डाकघर को बचत खाता को युक्त करने से जनसामान्य को क्या लाभ मिलेगा;

(ग) क्या सरकार का पूरे देश में डाकघर बचत खातों का कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग करने तथा एनईएफटी सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ताकि लोग डाकघर में अपनी जमाराशियों के माध्यम से इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण सुविधा का लाभ उठा सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) बचत बैंक/बचत पत्र संबंधी कार्य करने वाले डाकघरों की 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार सर्किलवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। डाकघरों में पूंजी पर्याप्तता अनुपात की कोई अवधारणा नहीं है।

(ख) डाकघर बचत बैंक का निकट भविष्य में निधियों की इलेक्ट्रॉनिक अंतरण प्रणाली का कोई प्रस्ताव नहीं है जिसे देखते हुए ऐसी प्रणाली से मिल सकने वाले लाभों एवं सुविधाओं का उल्लेख करना संभव नहीं है।

(ग) विभाग के पास बचत बैंक संबंधी कार्य करने वाले अपने कुछ डाकघरों का ग्यारहवीं योजना के दौरान कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग करने का प्रस्ताव है। इस स्थिति में एनईएफटी की सदस्यता का लाभ उठाने का मुद्दा समयपूर्व होगा और इसलिए इस पर विचार नहीं किया गया है।

(घ) ग्यारहवीं योजना के दौरान, बचत बैंक संबंधी कार्य करने वाले 4000 डाकघरों की केन्द्रीय सर्वर आधारित प्रौद्योगिकी के साथ नेटवर्किंग करने का प्रस्ताव है। तथापि, प्रस्ताव पर निर्धारित प्राधिकारियों से क्लीयरेंस/अनुमोदन मिलना अभी भी प्रतीक्षित है। जब तक डाकघरों की केन्द्रीय सर्वर आधारित प्रौद्योगिकी के साथ नेटवर्किंग नहीं हो जाती तब तक कतिपय डाकघरों के लिए एनईएफटी की सदस्यता प्राप्त करने की अवधारणा को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है।

विवरण

बचत बैंक/बचत पत्र कार्य करने वाले डाकघरों की संख्या

क्र. सं.	सर्किल का नाम	विभागीय डाकघरों की संख्या	अतिरिक्त विभागीय डाकघरों की संख्या	कुल
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	2236	13514	15750
2	असम	623	3326	3949
3	बिहार	1042	7977	9019
4	छत्तीसगढ़	334	2779	3113
5	दिल्ली	421	71	492
6	गुजरात	1310	7590	8900
7	हरियाणा	486	2151	2637
8	हिमाचल प्रदेश	461	2313	2774
9	जम्मू एवं कश्मीर	257	1390	1647
10	झारखंड	445	2571	3016

1	2	3	4	5
11	कर्नाटक	1812	7826	9638
12	केरल	1501	3229	4730
13	मध्य प्रदेश	1062	7175	8237
14	महाराष्ट्र	2229	10499	12728
15	उत्तर-पूर्व	271	2091	2362
16	उड़ीसा	1193	6946	8139
17	पंजाब	837	3101	3938
18	राजस्थान	1407	8957	10364
19	तमिलनाडु	2853	8882	11735
20	उत्तर प्रदेश	2557	14221	16778
21	उत्तराखंड	384	2291	2675
22	पश्चिम बंगाल	1754	7187	8941
	कुल जोड़	25475	126087	151562

कुरियर सेवाओं का विनियमन

330. **श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में मेल क्षेत्र के विनियमन के लिए मेल विनियामक तथा विकास प्राधिकरण नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुरियर सेवाओं को विनियमित करने का कोई प्रस्ताव है जो अब निदेश संवर्धन बोर्ड के माध्यम से अनुमत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को संशोधित करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ देश में मेल क्षेत्र को विनियमित करने के लिए मेल नियामक एवं विकास प्राधिकरण नियुक्त करने का विचार है। यह प्रस्ताव संकल्पनात्मक अवस्था में है।

(ग) और (घ) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को संशोधित करने के प्रस्ताव में मेल क्षेत्र में प्रचालनरत प्रत्येक कुरियर कंपनी के पंजीकरण का प्रावधान है। यह प्रस्ताव संकल्पनात्मक अवस्था में है।

(ङ) उपरोक्त (ग) और (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बाल श्रमिकों में वृद्धि

331. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री अबु अयीश मंडल :
श्री पी. राजेन्द्रन :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अभी भी बाल श्रमिक इन पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकर आयोग ने इस संबंध में कुछ राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार के पास प्रतिबंध के क्रियान्वयन की उचित निगरानी हेतु कोई तंत्र है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) बाल श्रम पर प्रभावी ढंग से प्रतिबंध लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, 15 व्यवसायों तथा 57 प्रतिष्ठानों में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। तथापि, बाल श्रम एक जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्या है, जिसके लिए लम्बे समय तक निरन्तर प्रयाय किये जाने की आवश्यकता है। समस्या की प्रकृति और व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार सर्वप्रथम जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों को कवर करके एक क्रमिक तथा आनुक्रमिक दृष्टिकोण अपना रही है। जनगणना, देश में बाल श्रम संबंधी सर्वाधिक प्रामाणिक आंकड़ा है। 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में 12.6 मिलियन कामकाजी बच्चे हैं जिसमें लगभग 12 लाख जोखिमकारी व्यवसायों/प्रक्रियाओं में कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उनकी समीक्षा के आधार पर विभिन्न राज्य सरकारों को समय-समय पर नोटिस जारी करता है। राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपनी कृत कार्रवाई रिपोर्ट सीधे प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(ङ) और (च) सरकार, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों, जो अपने-अपने क्षेत्रों में इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए समुचित सरकार हैं, द्वारा प्रस्तुत आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के क्रियान्वयन का नियमित रूप से अनुवीक्षण करती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय अनुवीक्षण समिति (सी.एम.सी.) इस अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाती है। राज्य सरकारों के साथ आयोजित विभिन्न जोनल और क्षेत्रीय स्तर की बैठकों के दौरान इस अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की जाती है।

(छ) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कठोर उपबंध हैं। इस अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यवसाय अथवा प्रक्रिया में किसी बच्चे को नियोजित करता है जिस पर इस अधिनियम के अंतर्गत रोक है, कारावास की अवधि जो 3 माह से कम नहीं होगी किन्तु जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है अथवा 10,000/-रुपये से 20,000/-रुपये तक के दंड का भागी होगा। कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास हेतु सरकार देश के 250 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम (एन.सी.एल.पी.) क्रियान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, इन बच्चों को विशेष स्कूलों में दाखिला दिलाया जाता है जहां उन्हें त्वरित ब्रिजिंग शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, छात्रवृत्ति तथा स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं आदि मुहैया करायी जाती है।

हस्तशिल्प उद्योग का संवर्धन

332. **श्री सुग्रीव सिंह :**

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के मूल्य में वृद्धि के चलते हस्तशिल्प उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने केन्द्र सरकार से उद्योग हेतु 'डयूटी ड्राबैक्स' दर को बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में हस्तशिल्प उद्योग के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। अप्रैल-अक्तूबर, 2007 के दौरान 2006-07 की उसी अवधि की तुलना में हस्तशिल्पों एवं कालीन के निर्यात में 12.90 प्रतिशत की गिरावट आई है। अप्रैल-अक्तूबर, 2006 के दौरान हस्तशिल्प एवं कालीन का निर्यात 9584.72 करोड़ रुपये का था जो अप्रैल-अक्तूबर 2007-08 के दौरान घटकर 8348.42 करोड़ रुपये का हो गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने सरकार से हस्तशिल्प निर्यातों पर शुल्क ड्राबैक की दर में प्रतिशत के रूप में वृद्धि पर विचार करने के लिए निर्यातक संघ की ओर से अनुरोध किया है।

(ङ) हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसका हिस्सा बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में, प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेना, वर्ष में दो बार भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेलों का आयोजन, थिमेटिक प्रदर्शनियों का आयोजन, उत्पाद विकास कार्यक्रम के माध्यम से नवीन मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास, पैकेजिंग एवं निर्यात प्रक्रिया के लिए कार्यक्रमों का आयोजन आदि शामिल है।

बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना

333. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**

श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने हथकरघा बुनकरों का बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमा किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा तत्पश्चात योजना के अंतर्गत कुल कितने दावे प्राप्त हुए तथा आईसीआईसीआई लोंबार्ड इंश्योरेंस कंपनी द्वारा निपटाए गए;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात् सरकार द्वारा उपर्युक्त बीमा कंपनी को कुल कितनी राशि प्रदान की गई; और

(घ) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र की कंपनी के बदले में निजी क्षेत्र को चुनने का क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) स्वास्थ्य बीमा योजना नवम्बर, 2005 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 2005-06 और 2006-07 के दौरान बीमाकृत बुनकरों की कुल संख्या (नए और नवीकरण मामले) 698685 है।

(ख) अगस्त, 2007 की स्थिति के अनुसार आई सी आई सी आई लोंबार्ड को प्राप्त और निपटाए गए दावों की कुल संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	प्राप्त दावों की संख्या	आई सी आई सी आई द्वारा निपटाए गए दावों की संख्या
2005-06	2,44,806	1,70,906
2006-07	37,183	15,327

(ग) भारत सरकार द्वारा आई सी आई सी आई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को जारी वर्षवार निधियां नीचे दी गई हैं :-

(करोड़ रुपये में)

2005-06	26.73
2006-07	37.00
2007-08	34.20
कुल	97.93

(घ) 2005-06 में भारत सरकार ने हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए निजी और सरकारी राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों यथा-दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि., यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि., नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि., और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. तथा निजी बीमा कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे।

सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में ओरियण्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. (ओ आई सी) द्वारा सभी राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों की ओर से ओ पी डी तथा चिकित्सा हेतु 1600/-रुपये प्रति परिवार के प्रीमियम पर चार सदस्यों के प्रति परिवार के लिए 10,000/- का अंतिम प्रस्ताव दिया गया था। ओ पी डी सीमा को 1500/-रुपये तक सीमित किया गया।

आई सी आई सी आई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर निजी बीमा कंपनियों में किसी अन्य निजी बीमा कंपनी ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। आई सी आई सी आई लोंबार्ड ने 1312/-रुपये के प्रीमियम पर चार सदस्यों के एक परिवार के लिए 15000/-रुपये तथा ओ पी डी के लिए 7,500/-रुपये के बीमा कवर का प्रस्ताव किया। इस पर पुनः बातचीत की गई और आई सी आई सी आई लोंबार्ड ने प्रीमियम को कम करके 1,000/-रुपये कर दिया।

ओरियण्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. (सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी) तथा आई सी आई सी आई लोंबार्ड (निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी) द्वारा प्रस्तावित पैकेज की तुलना से पता चला कि आई सी आई सी आई लोंबार्ड द्वारा दिया गया प्रीमियम ओ. आई. सी. के प्रस्ताव से कम है। ओ आई सी को इस प्रस्ताव को बराबर करने का अवसर दिया गया परन्तु बुनकरों की महत्वपूर्ण आवश्यकता, विशेषकर ओ पी डी के संबंध में वह ऐसा नहीं कर सका। अतः कम प्रीमियम दर पर अधिक लाभ के प्रस्ताव को देखते हुए स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए आई सी आई सी आई लोंबार्ड का चयन किया गया।

2007-08 के दौरान (हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना का घटक) स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए समाचार पत्रों में मुक्त विज्ञापन देकर और वेबसाइट में निविदा/बोलियों के माध्यम से सभी बीमा कंपनियों से प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां आमंत्रित की गई। सरकारी और निजी कंपनियों से बोलियां प्राप्त की गई। सबसे कम बोली कर्ता होने के नाते आई सी आई सी आई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. का चयन स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए किया गया। अतः इस योजना को 11वीं योजना में भी आई सी आई सी आई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। आई सी आई सी आई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रस्तावित प्रीमियम पिछले प्रीमियम दर से 30 प्रतिशत कम है।

गांवों में टेलीफोन कनेक्शन

334. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 100 से कम जनसंख्या वाले राज्यवार तथा स्थानवार कितने गांव हैं जो घने जंगल में/नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित हैं तथा जहां 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान आज तक टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है; और

(ख) देश में अभी भी कितने ऐसे गांव हैं जहां यह ऐसी मूलभूत सुविधा नहीं है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अपनाए जाने वाले चरणबद्ध प्रस्ताव में, 100 से

कम जनसंख्या वाले गांवों पर तत्काल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तथापि, यह संभावना है कि जब बड़े गांवों को कवरेज प्रदान किया जाएगा तो उस समय 100 से कम जनसंख्या वाले गांवों को भी कवर कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

कृषि परियोजनाएं

335. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार चालू/लंबित कृषि परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) कृषि नीति तैयार करने में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) जब और जैसे ही कृषि मंत्रालय को विभिन्न राज्यों से कृषि परियोजनाएं अथवा प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उनकी विधिवत जांच करने के पश्चात समुचित निर्णय लिया जाता है। किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का समाधान करने तथा उपचारी उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था जिसने किसानों सहित स्टेकहोल्डरों से विधिवत् विचार-विमर्श करके कृषि और समवर्गी क्षेत्रों के विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए और किसानों के आर्थिक कल्याण में सुधार हेतु व्यापक सिफारिशें कीं। आयोग ने किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्य सिफारिशों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय किसान नीति का मसौदा भी प्रस्तुत किया है। साथ ही कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि मूल्य नीति तैयार करते समय किसानों और उनके समूहों से समय-समय पर परामर्श करता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

336. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में व्यावसायिक बागवानी विकसित करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा पता लगाए गए बेल्टों में कितने उच्च गुणवत्ता वाले बागवानी फार्म हैं;

(ख) क्या सरकार किसानों तथा प्रसंस्करण उद्योग को सुधारीकृत विधि के साथ तथा बागवानी प्रौद्योगिकी से विशिष्ट किस्मों के योग्य उत्पाद विकसित करने के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों को सहायता प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) देश में वाणिज्यिक बागवानी के विकास के लिए अभिज्ञात बेल्टों में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा विकसित उच्च गुणवत्ता वाले बागवानी फार्म संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार किसानों और प्रसंस्करण उद्योग को उन्नत पद्धतियों तथा बागवानी प्रौद्योगिकी से विशिष्ट किस्मों के लिए उपयुक्त उत्पाद विकसित करने हेतु अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों को सहायता दे रही है। ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड निम्नलिखित नवीन स्कीमें क्रियान्वित कर रहा है:

(i) उत्पादन और कटाई पश्चात् प्रबंधन के जरिए वाणिज्यिक बागवानी का विकास।

(ii) बागवानी उत्पाद के लिए शीतागारों के निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए पूंजी निवेश राजसहायता।

(iii) बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी विकास और अंतरण।

(iv) बागवानी के लिए मण्डी सूचना सेवाएं।

(v) बागवानी संवर्धन सेवाएं।

इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा विकसित अभिज्ञात बेल्टों में उच्च गुणवत्ता के बागवानी फार्म

क्रम सं.	जिंस	बेल्ट
1	2	3
1.	स्ट्राबेरी फार्म	सतारा और जम्मू
2.	अंगूर फार्म	सांगली, नासिक और बीजापुर
3.	पुष्प फार्म	पुणे, बंगलौर और नीलगिरी
4.	गुलाब फार्म	तमिलनाडु
5.	आम फार्म	होशंगाबाद और कच्छ
6.	मोस्मबी/स्वीट ऑरेंज फर्मा	अनंतपुर, नालगोंडा

1	2	3
7.	कीनू फार्म	अबोहर, सिरसा और श्रीगंगानगर
8.	जरबेश फार्म	रामनगर, उत्तरांचल
9.	केला फार्म	आनंद
10.	अनार फार्म	शोलापुर
11.	लीची फार्म	रामनगर (काशीपुर) और मुजफ्फरनगर (लीची और मधुमक्खी पालन दोनों)
12.	एन्थूरियम फार्म	कूर्ग
13.	फला बाग/फार्म	कच्छ और कश्मीर घाटी
14.	वनीला फार्म	सिरसी
15.	फल गूदा प्रसंस्करण यूनिटें	धर्मापुरी और कृष्णागिरी
16.	सजावटी पादप नर्सरियां	दक्षिण 24 परगना, मिदनापुर

विवरण-II

उन्नत पद्धति के जरिए विशिष्ट किस्मों के लिए विकसित उत्पादों का ब्यौरा

फसल	किस्म	उत्पाद
1	2	3
आम	अलफान्सो	तैयार पेय, केन्ड स्लाइसिस, ओसमोटिकली डीहाड्रेटिड स्लाइसिस, फ्रोजन उत्पाद
	तोतापुरी	गूदा, आरटीएस
	कोंकण रूचि	अचार
	राम केला	अचार
	आम्रपाली	मधुरस
केला	रोबस्ता	पेय
	नेन्द्रन	चिप्स
	जंजीबार	चिप्स
	बैंसा	फिग
	कर्पूरवल्ली	फिग
	कंथली	फिग
	इलक्की	फिग
	रस्थली	फिग
	पूवन	फिग
	मोंथन	सॉस
	केवेन्डिश	रस, वाइन
अंगूर	बंगलौर ब्लू	रस, मिश्रित जूस
अनन्नास	क्यू	ओसमोटिकली डीहाड्रेटिड स्लाइसिस
कस्टर्ड एपल	अरका सहन	स्काश
पैशन फ्रूट	कावेरी	स्काश

1	2	3
टमाटर	अरका आशीष	पूरी, केचप, स्काश
	अरका आहूती	पूरी, केचप, स्काश
	अरका श्रेष्ठ	पूरी, केचप, स्काश
	रूपाली	पूरी, केचप, स्काश
मटर	अरका अजीत	फ्रोजन मटर
प्याज	अरका पीतांबर	डीहाइड्रेटिड स्लाइसिस, पाउडर
	पूसा व्हाइट	डीहाइड्रेटिड स्लाइसिस, पाउडर
फ्रेंच बीन	अरका सुविधा	फ्रोजन उत्पाद
	अरका कोमल	फ्रोजन उत्पाद
आलू	कुफ्री चिपसोना–1	चिप्स
	कुफ्री चिपसोना–2	चिप्स
	कुफ्री चिपसोना–3	चिप्स
खुम्भी	बटन मशरूम	केन्ड इन ब्राउन सोलूशन
	आइस्टर मशरूम	सुखाया उत्पाद, अचार
	मिल्की मशरूम	अचार
	डिंग्री	सुखाया उत्पाद
	पैडी स्ट्रा	ड्राइड केन्ड एट एग स्टेज और अचार

विवरण-III

एनएचबी स्कीमें एक नजर में

1. उत्पादन और कटाई पश्चात प्रबंधन के जरिए वाणिज्यिक बागवानी का विकास

घटक	सहायता का प्रतिमान
1	2
(क) उत्पादन संबंधी – उच्च गुणवत्ता की वाणिज्यिक बागवानी फसलें – देशी फसलें/उत्पाद, जड़ी–बूटी – सुगंधित पौधे – बीज और नर्सरी – जैव प्रौद्योगिकी, टिशु कल्चर – जैव–कृमिनाशी – जैविक खाद्य – बागवानी स्वास्थ्य क्लीनिकों/प्रयोगशाला की स्थापना (कृषि/बागवानी में बेरोजगार स्नातकों हेतु) – परामर्शदात्री सेवाएं – मधुमक्खी –पालन	25 लाख रु. प्रति परियोजना (पूर्वोत्तर/जनजातिया क्षेत्रों के लिए 30 लाख रु.) की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत के 20 प्रतिशत से अनधिक पार्श्वांत पूंजी निवेश राजसहायता **आवेदन कैसे करें:** (i) आशय पत्र (एलओआई) के बीमा के लिए एनएचबी शीर्ष (20 लाख से अधिक की परियोजना हेतु) अथवा एनएचबी राज्य कार्यालय (20 लाख तक की परियोजना हेतु) हेतु निर्धारित आरुप में परियोजना प्रस्तुत की जाएगी। (ii) एनएचबी पात्र परियोजनाओं के लिए एलओआई जारी करेगा, जो जारी होने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। (iii) प्रवर्तक को एनएचबी से एलओआई प्राप्त करने के बाद आवधिक ऋण के लिए अपनी पसंद के बैंक/वित्तीय संस्था के पास जाना चाहिए।

1	2
(ख) पीएचएम/प्राथमिक प्रसंस्करण संबंधी – ग्रेडिंग/वाशिंग/सार्टिंग/ड्राइंग/पैकिंग केन्द्र – शीतन–पूर्व यूनिट/शीतल स्टोर – रीफर वैन/कन्टेनर – विशेष परिवहन वाहन – खुदरा आउटलेट – नीलाम प्लेटफार्म – राइपनिंग/क्यूरिंग चैम्बर – मार्केट यार्ड/रोप वेज – विकिरण यूनिट/निर्जलीकरण यूनिट/ वाष्प ताप उपचार यूनिट – उत्पादों का प्राथमिक प्रसंस्करण, किण्वन, निष्कर्षण, आसवन, जूस वेन्डिंग, पल्पिंग, ड्रेसिंग, कटिंग, चार्पिंग, आदि – बागवानी अनुषंगी उद्योग उदाहरणार्थ औजार, उपकरण, प्लास्टिक, पैकेजिंग आदि – क्रेट्स, कार्टून्स, एसेप्टिक पैकेजिंग और नेट्स (50 प्रतिशत राजसहायता)	राजसहायता की निर्मुक्ति के लिए उत्पाद (क) अग्रिम/अंश राजसहायता की निर्मुक्ति 20.00 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए आवधिक ऋण की स्वीकृति के बाद बैंक से प्राप्त अनुरोध पर अंश राजसहायता निर्मुक्त की जाए। ऐसी परियोजनाओं के लिए पूर्ण तथा अंतिम राजसहायता उनके पूरा होने और संबद्ध बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर निर्मुक्त की जाएगी। (ii) 20.00 लाख रु. से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए राजसहायता उनके पूरा होने और संयुक्त निरीक्षण के बाद निर्मुक्त की जाएगी। **कार्यवाही शुल्क** 1. 10.00 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजनाएं — परियोजना लागत का 2% 2. 10.00 लाख रु. से अधिक और 20.00 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजनाएं — परियोजना लागत का 0.05% 20.00 लाख रु. से अधिक की लागत वाली परियोजनाएं — परियोजना लागत का 0.5% नोट : एलओआई आवेदन के साथ केवल 10% कार्यवाही शुल्क प्रभारित और शेष 90% राजसहायता की निर्मुक्ति के समय प्रभारित

2. बागवानी उत्पाद के लिए शीतागार और भण्डार-गृह के निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार हेतु पूंजी निवेश राजसहायता

1. शीतागार 2. नियंत्रित वातावरण (सीए)/आशोधित वातावरण (एमए) भण्डारण 3. प्याज भण्डारण	– पार्श्वांत पूंजी राजसहायता प्रति परियोजना 50 लाख रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत की 33% की दर पर 60 लाख रु.) की अधिकतम सीमा से परियोजना के 25% से अधिक **आवेदन कैसे करें:** – आवधिक ऋण शामिल करते हुए परियोजना के मूल्यांकन/ऋण की मंजूरी और एनएचबी राजसहायता की निर्मुक्ति के लिए बैंक/एफआई/एनसीडीसी (जैसा मामला हो) को प्रस्तुत किया जाए। – स्वयं वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए निर्धारित फार्मेट में एलओआई की जरूरत है। **कार्यवाही शुल्क** 1. 10.00 लाख रु. तक की लागत से परियोजना — छूट प्राप्त 2. 10.00 लाख रुपए से ऊपर और 20.00 लाख रु. तक की लागत से परियोजनाएं — परियोजना लागत का 0.25% 3. 20.00 लाख रु. से ऊपर लागत की परियोजनाएं — परियोजना लागत का 0.5%

1	2
3. प्रौद्योगिकी विकास एवं अंतरण	
– नई प्रौद्योगिकियां शुरू करना	**निम्नानुसार 100% तक वित्तीय सहायता**
– किसानों का घरेलू दौरा	– 25.00 लाख रु. तक
– प्रौद्योगिकी जागरूकता	– वास्तविक राशि के अनुसार
	– 50,000/सेमिनार तक
4. बागवानी फसलों के लिए मण्डी सूचना सेवा	
– विभिन्न मंडियों में बागवानी उत्पाद हेतु विभिन्न मंडियों में थोक मूल्य आवक और प्रवृत्तियों संबंधी सूचना तैयार करना	– किसानों, निर्यातकों, डीलरों, अनुसंधान संगठन आदि आदि की सहायता करना।
– मीडिया और प्रकाशनों का प्रसार	
5. बागवानी संवर्धन सेवा	
– विशेष क्षेत्र/राज्य में बागवानी विकास की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए टेक्नो–इकानोमिक सहायता	– व्यावसायिक परामर्शदाताओं के माध्यम से अध्ययन – 100% तक वित्तीय सहायता
– बाधाओं की पहचान और उपचारी उपायों का सुझाव देना	
– अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियां विकसित करना	
– परामर्शी सेवाएं और विशेषज्ञ सेवाएं मुहैया कराना।	

केबल टीवी नेटवर्क के लिए प्रस्ताव

337. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ब्रॉड बैंड सेवाओं के लिए अनन्तिम रूप से केबल टीवी नेटवर्क को सेवा प्रदाता की फ्रैंचाइजी नेटवर्क के रूप में कार्य करने देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) इंटरनेट और अभिगम सेवा प्रदाता "ब्रॉड बैंड सेवा" सहित सेवा के प्रावधान के लिए केबल सेवा प्रदाताओं और फ्रैंचाइजी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

निधियों का दुर्विनियोजन

338. **श्री रघुनाथ झा :**

श्री अजीत जोगी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों, विशेषरूप से बिहार में सिंचाई के विकास तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए जारी की गई धनराशि का दुर्विनियोजन किया गया है तथा भारी व्यय के बावजूद सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति निराशाजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) उन राज्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई जो इस धनराशि का इष्टतम उपयोग नहीं कर पाएं हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : (क) से (ग) मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के संबंध में भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुछ राज्यों ने निधि का व्यपवर्तन ऐसे क्रियाकलापों के लिए किया है जोकि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबी) से संबंधित नहीं है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सुधारात्मक उपायों के पश्चात् ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अभी तक, 231 वृहद/मध्यम परियोजनाओं/ परियोजना घटकों को एआईबीपी के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है जिसमें से 91 परियोजनाएं/परियोजना घटक पूरे कर लिए गए हैं और मार्च, 2007 तक 4.356 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। एआईबीपी की शुरूआत से अब तक जारी की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। एआईबीपी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एआईबीपी के तहत केन्द्रीय सहायता की अनुवर्ती किस्त राज्य के हिस्से सहित पहले जारी की गई केन्द्रीय सहायता के उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर ही जारी की जाती है। राज्य सरकारों से उनके द्वारा जल संसाधन मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार वर्ष दर वर्ष आधार पर क्षमता सृजन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने की भी अपेक्षा है।

विवरण

वर्ष 1996–97 से 2007–08 तक एआईबीपी के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय राजसहायता सीए/अनुदान का राज्यवार ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	राशि														
		1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05			2005-06	2006-07	2007-08	कुल
										ऋण	अनुदान	कुल	अनुदान	अनुदान	अनुदान	जोड़
1	आन्ध्र प्रदेश	35.2500	74.0000	79.6700	65.0150	96.0200	281.8600	33.1860	205.5300	61.2829	26.2641	87.5470	311.3815	843.4220	104.0792	2215.7607
2	अरुणाचल प्रदेश	0.0000	0.0000	0.0000	7.5000	7.5000	15.0000	1.5000	20.0000	1.0000	9.0000	10.0000	18.0000	27.0000	0.0000	106.5000
3	असम	5.2300	12.4000	13.9500	14.5400	24.0770	14.5210	16.2738	19.2015	1.6930	15.2370	16.9300	34.9332	30.2685	44.9980	247.3230
4	बिहार	13.5000	5.1500	36.1860	129.8950	151.7750	3.4200	14.4805	74.6440	26.0505	11.1645	37.2150	16.2380	3.2300	34.5200	520.0525
5	छत्तीसगढ़	0.0000	4.8000	9.5000	10.5200	13.9300	48.2000	104.0000	74.6300	2.0475	0.8775	2.9250	7.8645	10.7050	38.1140	324.6865
6	गोवा	0.0000	5.2800	0.0000	3.5000	61.8500	58.0000	0.0000	2.0000	0.4550	0.1950	0.6500		1.9100	18.3400	151.3000
7	गुजरात	74.7730	196.9000	423.8200	272.7000	421.8500	561.6900	1000.3300	650.3590	484.7500	45.7500	530.5000	339.6000	121.8685	350.0000	4964.4105
8	हरियाणा	32.5000	12.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	18.0000	7.7350	7.7945	3.3405	11.1350	6.0000	3.1700	0.0000	90.5400
9	हिमाचल प्रदेश	0.0000	6.5000	5.0000	11.0470	18.0150	3.2440	8.1500	14.6920	0.3690	3.3210	3.6900	30.0785	3.9300	50.0000	154.3465
10	जम्मू व कश्मीर	1.3000	0.0000	0.0000	4.6800	10.4600	11.0700	34.9990	21.5450	1.2744	11.4701	12.7445	36.6878	37.7716	89.0151	260.2730
11	झारखंड	0.0000	8.8900	11.6400	14.3450	5.7150	10.8200	9.6700	1.8330	14.8995	6.3855	21.2850	5.0370	1.2900	5.7444	96.2694
12	कर्नाटक	61.2500	90.5000	94.5000	157.1400	171.0000	492.5000	620.8500	266.4780	314.7921	81.5031	396.2952	140.7759	160.3729	193.8600	2845.5220
13	केरल	3.7500	15.0000	0.0000	0.0000	22.4000	11.2750	5.8650	31.0000	34.6080	14.8320	49.4400	9.3591	16.6468	0.0000	164.5359
14	मध्य प्रदेश	63.2500	110.0000	81.2500	95.3250	151.3280	215.4100	220.0000	568.4400	361.6907	155.0103	516.7010	168.0866	48.3100	279.7450	2517.8556
15	महाराष्ट्र	14.0000	55.0000	50.8600	49.8750	97.0200	39.1000	133.1341	164.3850	370.5002	158.7858	529.2860	167.3822	465.8213	350.0000	2115.5736
16	मणिपुर	4.3000	26.0000	10.7800	21.8100	1.5000	9.3600	19.5000	15.5000	1.3000	11.7000	13.0000	75.7035	156.3042	49.8070	403.5647
17	मेघालय	0.0000	0.0000	0.0000	2.6938	5.5120	4.4700	1.5000	1.0880	0.1744	1.5694	1.7438	1.5750	0.7500	0.0000	19.3326
18	मिजोरम	0.8000	0.0000	0.0000	1.4330	1.4330	2.0000	0.7500	9.3000	0.5000	4.5000	5.0000	9.3150	14.2354	21.9234	65.3898
19	नागालैंड	0.0000	0.0000	0.0000	2.7300	5.0000	5.0000	2.8580	8.0000	0.4000	3.6000	4.0000	7.9987	10.5895	4.0600	50.0472
20	उड़ीसा	48.4600	85.0000	71.5000	90.2500	100.3200	168.4750	179.5700	154.6850	16.9561	7.2660	24.2230	151.3742	133.8846	385.3890	1583.1208
21	पंजाब	67.5000	100.0000	0.0000	42.0000	55.6200	113.6900	36.8800	0.0000				26.3166		13.5000	455.2866
22	राजस्थान	2.6750	42.0000	140.0500	106.8650	78.4670	96.3150	174.3850	499.8370	247.0328	105.8712	352.9040	90.2962	11.6000	100.2600	1695.4532
23	सिक्किम	0.0000	0.0000	0.0000	1.3800	0.0000	2.4000	0.7500	0.7500	0.0750	0.6750	0.7500	0.9113	3.3236	0.0000	16.2449
24	त्रिपुरा	3.7730	5.1000	3.9750	34.8530	13.8830	21.0630	13.3947	13.3769	1.1000	9.9000	11.0000	31.9950	22.5131	0.0000	174.7267
25	तमिलनाडु	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000						0.0000	20.0000
26	उत्तर प्रदेश	43.5000	78.0000	76.5000	286.0000	315.9000	354.8900	359.0000	274.7850	123.1440	52.7760	175.9200	133.1280	81.8854	92.7800	2272.0984
27	उत्तराखंड	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	25.5525	25.525	3.8992	35.0925	38.9917	80.4367	84.7296	114.1300	369.0052
28	पश्चिम बंगाल	5.0000	20.0000	10.0000	25.0000	26.8250	38.8080	28.1330	3.1440	9.4227	4.0383	13.4610	0.0287	6.7000	7.0000	183.8867
	कुल	500.0010	962.1900	1119.1800	1450.4768	1856.2000	2601.9810	3061.7026	3128.5009	2087.2115	780.1257	2867.3372	1900.3142	2301.9722	2347.2851	24087.1210

[हिन्दी]

सिंचित कृषि भूमि

339. **श्री सुभाष सुरेश चन्द्र देशमुख :**

डा. रामेश्वर उरांव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में कितने प्रतिशत सिंचित कृषि भूमि है;

(ख) इसमें से कुल कितनी सिंचाई भू-जल द्वारा की जा रही है;

(ग) देश में राज्य-वार पूर्ण सिंचित, आंशिक रूप से सिंचित और असिंचित भूमि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा कृषि भूमि के सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि करके ग्रामीण रोजगार के नए अवसरों में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(च) अन्तर्राष्ट्रीय जल विवादों की वजह से कितनी अधिष्ठापित सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है;

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाएंगे; और

(ज) आज की तिथि के अनुसार कृषि में कार्यरत कामगारों, बेरोजगार ग्रामीणों और ग्रामीण जनसंख्या का राज्यवार विस्तृत ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य में सिंचित भूमि की प्रतिशतता 2005-06 में क्रमशः 44.1 प्रतिशत तथा 18.3 प्रतिशत है।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जलस्तर से राज्यवार सिंचाई आपूर्ति नीचे की सारणी में दी गई है:

('000 हैक्टेयर में)

राज्य	प्रमुख तथा मध्यम जल स्तर	कम जल स्तर	कुल
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	5000	2300	7300
अरुणाचल प्रदेश	0	150	150
असम	970	1000	1970
बिहार	5224	1900	7124
झारखंड	1276	बिहार में शामिल	1276
गोवा	62	25	87
गुजरात	3000	347	3347
हरियाणा	3000	50	3050
हिमाचल प्रदेश	50	235	285
जम्मू व कश्मीर	250	400	650
कर्नाटक	2500	900	3400
केरल	1000	800	1800
मध्य प्रदेश	4853	2200	7053
छत्तीसगढ़	1147	मध्य प्रदेश में शामिल	1147

1	2	3	4
महाराष्ट्र	4100	1200	5300
मणिपुर	135	100	235
मेघालय	20	85	105
मिजोरम	0	70	70
नागालैंड	10	75	85
उड़ीसा	3600	1000	4600
पंजाब	3000	50	3050
राजस्थान	2750	600	3350
सिक्किम	20	50	70
तमिलनाडु	1500	1200	2700
त्रिपुरा	100	100	200
उत्तर प्रदेश	12154	1200	13354
उत्तरांचल	346	उत्तर प्रदेश में शामिल	346
पश्चिम बंगाल	2300	1300	3600
अन्य राज्य	58367	17337	75704
कुल संघशासित क्षेत्र	98	35	133
कुल जोड़	58465	17372	75837

(ग) सकल सिंचित क्षेत्र तथा सकल असिंचित क्षेत्र के राज्य–वार विवरण नीचे सारणी में दिए गए हैं:

2005–06 के लिए सकल सिंचित क्षेत्र तथा सकल असिंचित क्षेत्र पर राज्यवार विवरण

(हजार हेक्टेयर में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सकल सिंचित क्षेत्र	सकल असिंचित क्षेत्र
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	5996	7366
अरूणाचल प्रदेश	43	220
असम	202	3572
बिहार	4197	3202
झारखण्ड	1375	4370
गोवा	40	129
गुजरात	4105	6974
हरियाणा	5434	991
हिमाचल प्रदेश	184	800
जम्मू व कश्मीर	453	649
मध्य प्रदेश	212	1856
केरल	3632	9395
मध्य प्रदेश	460	2526
छत्तीसगढ़	5878	13729
महाराष्ट्र	3873	18683
मणिपुर	54	184
मेघालय	64	194
मिजोरम	19	78
नागालैंड	106	281
उड़ीसा	2691	6027
पंजाब	7793	276
राजस्थान	7093	13969

1	2	3
सिक्किम	15	108
तमिलनाडु	3397	2636
त्रिपुरा	52	285
उत्तरांचल	570	715
उत्तर प्रदेश	17643	6957
पश्चिम बंगाल	4931	4572
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	47
चण्डीगढ़	2	2
दादरा तथा नगर हवेली	7	22
दमन तथा दीव	–	3
दिल्ली	34	12
लक्षद्वीप	1	2
पांडिचेरी	29	7
अखिल भारत	80585	110838

नोटः आंशिक सिंचित क्षेत्रों पर आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 7.9. 2005 को प्रभावी हुआ। इसे इसके प्रथम चरण में देश के 200 पहचान किए गए जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है तथा दूसरे चरण में 130 और अधिक जिलों में बढ़ा दिया गया है तथा हाल ही में सरकार ने 1.4.2008 से प्रभावी संघशासित प्रदेशों को शामिल करते हुए सभी शेष जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के विस्तार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार में जिसको व्यस्क सदस्य अकुशल कार्य करते हैं को कम से कम 100 दिनों की गारन्टीड मजदूरी रोजगार प्रदान कर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के जीविका सुरक्षा में वृद्धि प्रदान करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य क्रियाओं का ध्यान जलसंरक्षण तथा जल संग्रहण पर होता है। तथा सूक्ष्म तथा लघु सिंचाई कार्य व अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित परिवारों द्वारा धारित भूमि अथवा भूमि सुधार के लाभार्थियों की भूमि तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को अथवा भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को शामिल करते हुए सिंचाई नहरें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार्य क्रियाओं की अभिन्न भाग है।

(च) और (छ) अन्तर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों से संबंधित विवादों का निर्णय अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अनुसार लिए जाएंगे। बेसिन राज्यों की ऐसी कोई शिकायतें जिनका निपटारा विचार–विमर्श द्वारा नहीं हो सकता, उन्हें सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित ट्रिब्यूनल को सौंप दिया जाता है। अब तक उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत छः ट्राईब्यूनल स्थापित किए जा चुके हैं। सरकार ने ऐसे विवादों के कारण स्थापित सिंचित क्षमता के गैर–उपयोग की सीमा के संबंध में राज्य सरकारों से कोई सूचना प्राप्त नहीं की है।

(ज) 2001 की जनगणनणा के अनुसार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रिपोर्ट सं. 515 : के अनुसार भारत में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति, 2004–05 के अनुसार किसानों तथा खेतीहर मजदूरों तथा ग्रामीण जनसंख्या, बेरोजगार ग्रामीण कामगार का ब्यौरा निम्न सारणी में दिया गया है:

राज्य	कृषि में कार्यरत कामगार (2001) (हजार में)			ग्रामीण बेरोजगारी दर (प्रति हजार) (2004–05) *	ग्रामीण जनसंख्या (2001)
	काश्तकार	खेतिहर मजदूर	कुल		
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	7860	13832	21692	7	55401067
अरुणाचल प्रदेश	279	19	298	9	870087
असम	3731	1264	4994	26	23216288
बिहार	8194	13418	21611	15	74316709

1	2	3	4	5	6
छत्तीसगढ़	4311	3091	7402	6	16648056
गोवा	50	36	86	111	677091
गुजरात	5803	5162	10964	5	31740767
हरियाणा	3018	1279	4297	22	15029260
हिमाचल प्रदेश	1955	94	2049	18	5482319
जम्मू व कश्मीर	1592	246	1838	15	7627062
झारखंड	3890	2851	6741	14	20952088
कर्नाटक	6884	6227	13111	7	34889033
केरल	724	1621	2345	107	23574449
मध्य प्रदेश	11038	7401	18439	5	44380878
महाराष्ट्र	11813	10815	22629	10	55777647
मणिपुर	380	114	493	11	1590820
मेघालय	467	172	639	3	1864711
मिजोरम	256	27	283	3	447567
नागालैंड	549	31	580	18	1647249
उड़ीसा	4248	4999	9247	50	31287422
पंजाब	2065	1490	3555	38	16096488
राजस्थान	13140	2524	15664	7	43292813
सिक्किम	131	17	148	24	480981
तमिलनाडु	5116	8638	13754	12	34921681
त्रिपुरा	313	276	589	133	2653453
उत्तर प्रदेश	22168	13401	35568	6	131658339
उत्तरांचल	1570	260	1830	13	6310275
पश्चिम बंगाल	5654	7363	13017	25	57478946
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21	5	27	62	239954
चण्डीगढ़	2	1	3	26	92120
दादरा तथा नगर हवेली	39	15	54	33	170027
दमन तथा दीव	4	1	5	3	100856
दिल्ली	37	16	53	19	944727
पांडिचेरी	11	72	83	70	325726
अखिल भारत	127313	106775	234088	17	742490639

* बेरोजगारी की दर श्रमबल में प्रति हजार व्यक्तियों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित है तथा समायोजित सामान्य स्थित पर आधारित है जिसमें व्यक्ति को सामान्य प्रधान क्रिया तथा सहायक आर्थिक क्रिया साथ–साथ शामिल है।

टेलीफोन कनेक्शन

340. श्री संतोष गंगवार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2006-07 और 2007-08 के दौरान देश में सर्किल-वार और स्थान-वार उपभोक्ताओं द्वारा कितने टेलीफोन कनेक्शन कटवाये;

(ख) क्या सरकार ने देश में जिला स्तर पर दूरभाष केन्द्रों के कार्यकरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या उपरोक्त स्थिति के फलस्वरूप कुछ जिलों में जिला प्रमुख के पद की अवनति करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग संबंधी श्रम कानून

341. श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौजूदा कड़े श्रम कानून कपड़ा और परिधान क्षेत्र की वृद्धि में प्रमुख बाधा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वस्त्र मंत्रालय के कार्यकारी समूह ने मौजूदा श्रम कानूनों के उदारीकरण का आह्वान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यकारी समूह ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : (क) से (ङ) सरकार ने निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए एक उत्पादक और उत्पादकता-प्रेरक वातावरण सृजित करने के लिए श्रमिक काननों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता महसूस की है। कार्यकारी समूह ने सिफारिश की है कि "जबकि श्रमिकों के मौलिक हितों की सुरक्षा किए जाने की आवश्यकता है, नीतिगत वातावरण और कार्यान्वयन मशीनरी को उद्यमियों में विश्वास भरना चाहिए। श्रम कानून सुधार से किफायती उत्पादन प्राप्त करने तथा वैश्वीकृत परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय रूप से लागत प्रतिस्पर्धी बनने के लिए इन इकाइयों का एकीकरण और विलय होगा।" सरकार इस संबंध में एक सर्वसम्मति बनाने के लिए स्टेक होल्डरों के साथ चर्चा करती है। तथापि, किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका।

[हिन्दी]

कन्हार सिंचाई परियोजना

342. श्री घुरन राम : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच संयुक्त उद्यम कन्हार सिंचाई परियोजना के संबंध में झारखंड सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी) के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए दिसम्बर, 1984 में कन्हार जलाशय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की थी जिसे एक वर्ष से अधिक तक टिप्पणियों की गैर अनुपालना के कारण राज्य को वापिस भेज दिया गया था। परियोजना की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नवम्बर, 1998 में फिर से बिहार सरकार से प्राप्त हुई। उस पर टिप्पणियां/विचार राज्य सरकार को अनुपालन के लिए जनवरी, 1999 से जनवरी, 2002 की अवधि के दौरान भेजे गए। बिहार राज्य के बंटवारे के बाद केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां/विचारों को झारखंड सरकार को भी दिसम्बर, 2005 के दौरान अनुपालना हेतु भेजा गया।

किराये पर टेलीफोन टॉवर

343. श्री अशोक अर्गल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा निजी स्थानों पर किराये पर कितने टेलीफोन टॉवर स्थापित किए गए हैं;

(ख) राज्य में बीएसएनएल द्वारा प्रत्येक स्थापित टॉवर के किराये के रूप में कितनी धनराशि अदा की जाती है; और

(ग) देश में विशेषकर मुरैना और ग्वालियर के सेकेण्डरी स्विचिंग एरिया (एसएसए) में अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि पर स्थापित टॉवरों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा निजी स्थानों पर किराये पर देशभर में 17,111 और अकेले मध्य प्रदेश में 538 टावर स्थापित किए गए हैं। किराये पर लिए गए निजी स्थलों की संख्या का सर्किल–वार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) मध्य प्रदेश में बीएसएनएल द्वारा स्थापित प्रत्येक टावर के लिए किराये के रूप में दी गई धन राशि संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) मोबाइल कवरेज़ के लिए टावरों की अवस्थितियों के बारे में प्रत्येक स्थल की तकनीकी वाणिज्यिक उपयुक्तता के आधार पर और बिना किसी जातिगत भेदभाव के निर्णय लिया जाता है। भूमि/भवन को किराये पर लेते समय जाति का ब्यौरा नहीं लिया जाता, अतः इस तरह का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण-I

क्र.सं.	सर्किल का नाम	बीएसएनएल द्वारा किराये पर निजी स्थानों पर स्थापित टावरों की सं.
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
1	हरियाणा	774
2	हिमाचल प्रदेश	389
3	जम्मू एवं कश्मीर	334
4	पंजाब	880
5	राजस्थान	1,055
6	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1,036
7	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	543
8	उत्तरांचल	304
पूर्वी क्षेत्र		
9	अंडमान और निकोबार	39
10	असम	450
11	बिहार	900
12	झारखंड	335
13	पूर्वोत्तर I	98
14	पूर्वोत्तर II	69
15	उड़ीसा	354
16	पश्चिम बंगाल	514
17	कोलकाता दूरसंचार जिला	579
पश्चिमी क्षेत्र		
18	छत्तीसगढ़	278
19	गुजरात	642
20	मध्य प्रदेश	538
21	महाराष्ट्र	1,484
दक्षिणी क्षेत्र		
22	आन्ध्र प्रदेश	1,144
23	कर्नाटक	829
24	केरल	1,319
25	तमिलनाडु	1,669
26	चेन्नई दूरसंचार जिला	555
	कुल	17,111

विवरण-II

मध्य प्रदेश में निजी स्थानों पर किराये पर स्थापित टेलीफोन टावरों के गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए)–वार ब्यौरा

क्र.सं.	एसएसए का नाम	किराये पर निजी स्थानों पर स्थापित टेलीफोन टावरों की संख्या	टावर की अवस्थिति	प्रत्येक टावर के लिए किराये के रूप में प्रदत्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	बालाघाट	1	तिरोडी	20,800
2	बालाघाट	1	पारसवाडा	19,500
3	बालाघाट	1	खरलांजी	15,000
4	बालाघाट	1	उकावा	9,000

1	2	3	4	5
5	बालाघाट	1	लाम्टा	19,800
6	बालाघाट	1	दामोह	25,600
7	बालाघाट	1	गढ़ी	1,280
8	बालाघाट	1	बालाघाट भाटेरा चौकी	26,200
9	बालाघाट	1	भारवेली	14,000
10	बालाघाट	1	गुजरी चौक	17,600
11	बालाघाट	1	बहेला	1,600
12	बालाघाट	1	लिंगां	865
13	बालाघाट	1	चरेगांव	1,000
14	बालाघाट	1	चंगो तोला	1,400
	बालाघाट कुल	14		173,645
15	बेतुल	1	बेतुल गंज	21,000
16	बेतुल	1	बगडोना	12,500
17	बेतुल	1	मानस नगर	55,000
18	बेतुल	1	मुल्ताई	46,000
	बेतुल कुल	4		134,500
19	भोपाल	1	लखेरा पुरा	386,100
20	भोपाल	1	सब्जीमंडी	118,400
21	भोपाल	1	विवेकानंद नगर	111,000
22	भोपाल	1	विशालीनगर	118,400
23	भोपाल	1	पीजीबीटी कालेज रोड	118,400
24	भोपाल	1	चुनाभट्टी	122,100
25	भोपाल	1	आनंद नगर	107,300
26	भोपाल	1	स्टेशन बजरिया	118,400
27	भोपाल	1	बागमुगालिया	118,400
28	भोपाल	1	जिन्सी	111,000
29	भोपाल	1	ई–7 अरेरा कालोनी	118,400

1	2	3	4	5
30	भोपाल	1	पंजाबी बाग	118,400
31	भोपाल	1	कोह–ए–फिजा	136,900
32	भोपाल	1	एपेक्स बैंक	391,719
33	भोपाल	1	आईआईएफएम	148,000
34	भोपाल	1	मालवीय नगर	204,000
35	भोपाल	1	अशोक गार्डन	50,000
36	भोपाल	1	ई–4 अरेरा कालोनी	117,000
37	भोपाल	1	कैलाश नगर	50,000
38	भोपाल	1	कस्तूरबा नगर	10,400
39	भोपाल	1	बैरागढ़	32,500
40	भोपाल	1	एमपीनगर जोन–II	66,150
41	भोपाल	1	दुर्गा चौक बरखेड़ी	52,500
42	भोपाल	1	कोटरा सुल्तानाबाद	84,000
43	भोपाल	1	कोह–ए–फिजा	85,100
44	भोपाल	1	गिन्नोरी	32,400
45	भोपाल	1	शाहजहानाबाद	60,000
46	भोपाल	1	कोलार	20,800
47	भोपाल	1	हर्षवर्धन नगर	94,500
48	भोपाल	1	शाहपुरा	84,000
49	भोपाल	1	जिन्सी	82,500
50	भोपाल	1	शिवाजीनगर	180,000
51	भोपाल	1	जवाहर चौक	15,000
52	भोपाल	1	नेहरू नगर	55,200
53	भोपाल	1	बाडियाखेड़ी सेहोर	58,800
54	भोपाल	1	मिनाल रेजीडेंसी	90,000
55	भोपाल	1	आश्ता	30,000
57	भोपाल	1	सोमागिरी	90,000

1	2	3	4	5
58	भोपाल	1	दानिश नगर	94,000
59	भोपाल	1	ईदगाह हिल्स	60,000
60	भोपाल	1	बुधवारा	28,600
61	भोपाल	1	करोंद	40,000
62	भोपाल	1	सिद्धार्थ लेक सिटी	
63	भोपाल	1	राज होम्स	35,000
64	भोपाल	1	पटेल नगर	90,000
65	भोपाल	1	रसलाखेड़ी	96,000
66	भोपाल	1	संत आशाराम नगर	45,600
67	भोपाल	1	ऋषिपुरम	52,500
68	भोपाल	1	पुखराज होटल	77,000
69	भोपाल	1	74–बंगलोज	77,400
70	भोपाल	1	नज़ीराबाद	1,800
71	भोपाल	1	अप्सरा टॉकीज	28,404
72	भोपाल	1	सुरभी होम्स	30,000
74	भोपाल	1	रोहित नगर	15,620
75	भोपाल	1	पटेल नगर मंदीदीप	46,000
76	भोपाल	1	सर्वधाम	59,500
77	भोपाल	1	बहतारा	12,600
78	भोपाल	1	जुमेराती गेट	36,000
79	भोपाल	1	लडकुई	2,500
80	भोपाल	1	बुधवारा	136,900
	भोपाल कुल	60		5,053,193
81	छत्तरपुर	1	सर्किट हाउस गेट	15,000
82	छत्तरपुर	1	बामिठा	34,500
83	छत्तरपुर	1	खजुराहो	36,300
84	छत्तरपुर	1	दिगोड़ा टीकमगढ़	24,150

1	2	3	4	5
85	छत्तरपुर	1	सती रोड़	55,000
86	छत्तरपुर	1	मेन बाजार टेहरका	23,000
87	छत्तरपुर	1	श्री चित्रगुप्त मंदिर ट्रस्ट	24,000
88	छत्तरपुर	1	चेतगिरि कॉलोनी	12,600
89	छत्तरपुर	1	पुरानी टेहरी	31,500
90	छत्तरपुर	1	सरणी दरवाजा	18,000
91	छत्तरपुर	1	खोड़ी चौराहा	3,200
92	छत्तरपुर	1	बस स्टैंड हरपाल पुर	3,400
93	छत्तरपुर	1	मऊ साहनिया नौगोंग	5,000
94	छत्तरपुर	1	पलेरा	3,780
95	छत्तरपुर	1	मोहरा	3,780
96	छत्तरपुर	1	सागर रोड़ छत्तरपुर	57,000
97	छत्तरपुर	1	श्री सेठ कल्याण दास धर्मशाला	129,500
98	छत्तरपुर	1	महोबा रोड़ छत्तरपुर	62,100
	छत्तरपुर कुल	18		541,810
99	छिंदवाडा	1	गांगीवाड़ा	7,000
100	छिंदवाडा	1	झिलमिल	15,000
101	छिंदवाडा	1	बुल्काखापा	48,000
102	छिंदवाडा	1	परसिया रोड़ आर एस यू	143,750
103	छिंदवाडा	1	तिलक मार्केट	120,000
104	छिंदवाडा	1	गांधी गंज आरएसयू	132,000
105	छिंदवाडा	1	खजरी रोड़ डीएलसी	27,500
106	छिंदवाडा	1	चांद	69,000
107	छिंदवाडा	1	उमरा नाला	41,000
108	छिंदवाडा	1	भीमसेन घाटी	66,000
	छिंदवाडा कुल	10		669,250
109	दामोह	1	बांसा	2,400

1	2	3	4	5
110	दामोह	1	सागर	4,500
111	दामोह	1	अभना	14,400
112	दामोह	1	तेजगढ़	9,000
113	दामोह	1	तेंदुखेड़ा	21,600
114	दामोह	1	तारादेही	4,500
115	दामोह	1	फुतेरा	4,675
116	दामोह	1	सदगांव	4,400
117	दामोह	1	बंदकपुर	21,600
118	दामोह	1	कुम्हारी	2,800
119	दामोह	1	गैसाबाद	5,600
120	दामोह	1	नोहाटा	3,850
	दामोह कुल	12		99,325
121	देवास	1	एकेवीएन देवास	39,000
122	देवास	1	निकुंज गार्डन	53,500
123	देवास	1	नेवरी	3,500
124	देवास	1	पीपलरवा	9,000
125	देवास	1	स्वारशी	6,500
126	देवास	1	सिया	9,000
127	देवास	1	उदय नगर	5,600
128	देवास	1	पुंजपुरा	6,000
129	देवास	1	टोंक काला	1,000
	देवास कुल	9		133,100
130	धार	1	आनंद चौपाटी	214,500
131	धार	1	कुक्षी	66,500
132	धार	1	नटराज होटल	66,500
133	धार	1	मोहन खेड़ा, रायगढ़	
	धार कुल	4		347,500

1	2	3	4	5
134	गुना	1	अठाज खेड़ा	2,000
135	गुना	1	भदोरा	2,700
136	गुना	1	दकोनी	7,200
137	गुना	1	गोपालिया (बांगला)	4,000
138	गुना	1	गोविन्दपुरा	32,400
139	गुना	1	कोटरा	16,000
140	गुना	1	नई सराय	4,800
141	गुना	1	रानी खेजरा	4,800
142	गुना	1	सिरसी	2,200
143	गुना	1	विजयपुरा	2,000
144	गुना	1	उम्रारी	1,800
145	गुना	1	सेहराज	6,400
146	गुना	1	रामपुर कॉलोनी	11,250
147	गुना	1	घाट बमुरिया	4,000
148	गुना	1	एस्सागढ़	2,000
149	गुना	1	जामनेर टॉवर	
	गुना कुल	16		103,550
150	ग्वालियर	1	टेकनपुर एक्स.	78,468
151	ग्वालियर	1	टिगरा	81,433
152	ग्वालियर	1	शिवंधा	100,510
153	ग्वालियर	1	बरई	21,258
154	ग्वालियर	1	डाबरा पिछौड़ रोड़	74,403
155	ग्वालियर	1	दतिया भीतरवार रोड़	74,403
156	ग्वालियर	1	दतिया रेलवे स्टेशन	74,403
157	ग्वालियर	1	दतिया ठंडी सड़क	81,550
158	ग्वालियर	1	उन्नाव	19,950
159	ग्वालियर	1	अंतरी	1,800

1	2	3	4	5
160	ग्वालियर	1	सोनागिर	8,400
161	ग्वालियर	1	टेकनपुर मार्केट	6,000
162	ग्वालियर	1	बिल्लिऊआ	5,400
163	ग्वालियर	1	उपरिया	5,774
164	ग्वालियर	1	उटिला	4,320
165	ग्वालियर	1	केशरबाग	70,266
166	ग्वालियर	1	घिनोर	19,950
167	ग्वालियर	1	सलोन—बी	8,548
168	ग्वालियर	1	सराफा बाजार	95,806
169	ग्वालियर	1	दाल बाजार	60,827
170	ग्वालियर	1	शिंदे की छावनी	226,484
171	ग्वालियर	1	नई सड़क	226,865
172	ग्वालियर	1	पीएनबी बारादरी	302,500
173	ग्वालियर	1	बीएसएफ कॉलोनी	154,839
174	ग्वालियर	1	कम्पू	173,903
175	ग्वालियर	1	गांधी नगर	193,387
176	ग्वालियर	1	पुतलीघर	110,483
177	ग्वालियर	1	चांद बदनी नाका	95,661
178	ग्वालियर	1	चार शहर का नाका	96,242
179	ग्वालियर	1	दौलतगंज	94,500
180	ग्वालियर	1	रेलवे स्टे. पडार	110,483
181	ग्वालियर	1	हनुमान चौराहा	99,435
182	ग्वालियर	1	लोहा मंडी	88,877
183	ग्वालियर	1	सीपी कॉलोनी	89,690
184	ग्वालियर	1	भगत सिंह रोड़	99,435
185	ग्वालियर	1	हरिशंकरपुरा	82,650
186	ग्वालियर	1	गुडी—गुडा का नाका	84,774

1	2	3	4	5
187	ग्वालियर	1	सीता मनोर	44,155
188	ग्वालियर	1	फाल्का बाजार	9,783
189	ग्वालियर	1	गोशीपुरा	120,387
190	ग्वालियर	1	लक्ष्मीगंज	89,194
191	ग्वालियर	1	हजीरा	32,544
	ग्वालियर कुल	42		3,519,740
192	होशंगाबाद	1	इटारसी न्यू यार्ड	6,000
193	होशंगाबाद	1	अचल खेड़ा	11,940
194	होशंगाबाद	1	सांडिया	75,600
195	होशंगाबाद	1	हरदा 03 पेरासिटी	286,750
196	होशंगाबाद	1	हाथ बास आरएलयू	99,750
197	होशंगाबाद	1	नारायण गंज	110,200
198	होशंगाबाद	1	रसूलिया	114,000
199	होशंगाबाद	1	पीपारिया मंडी	85,500
200	होशंगाबाद	1	शिवनी मालवा	78,750
201	होशंगाबाद	1	वर्धमान कॉलेज	148,200
202	होशंगाबाद	1	मालाखेड़ी, एचएसडी	81,000
203	होशंगाबाद	1	तवा कॉलोनी, इटारसी	16,074
204	होशंगाबाद	1	ग्वाल टोली	132,624
	होशंगाबाद कुल	13		1,246,388
205	इंदौर	1	ब्रजेश्वरी	172,500
206	इंदौर	1	नेमावार रोड	109,600
207	इंदौर	1	पलिया टेलीफोन एक्स.	25,000
208	इंदौर	1	डबल चौकी टेली. एक्स.	30,000
209	इंदौर	1	म्होगांव	75,600
210	इंदौर	1	मुरई मोहल्ला	416,100
211	इंदौर	1	एलेक्स कॉम्पलेक्स	448,800

1	2	3	4	5
212	इंदौर	1	पटनीपुरा	192,500
213	इंदौर	1	एमआईजी/एलआईजी	212,400
214	इंदौर	1	पतराकर	181,300
215	इंदौर	1	श्री नगर	2,074,589
216	इंदौर	1	परदेशीपुरा	70,300
217	इंदौर	1	जाबरा कम्पाउंड	105,000
218	इंदौर	1	बख्तावर	103,950
219	इंदौर	1	खजराना	81,600
220	इंदौर	1	सीएटी	180,000
221	इंदौर	1	धन्वंतरी	356,250
222	इंदौर	1	काल्नीनगर	243,000
223	इंदौर	1	बोम्बे हास्पिटल	185,000
224	इंदौर	1	नयानगर	110,000
225	इंदौर	1	सनवेर रोड़ टेली. एक्स.	63,000
226	इंदौर	1	लव कुश विहार	107,100
227	इंदौर	1	स्कीम 14	93,600
228	इंदौर	1	हसलपुर	63,360
229	इंदौर	1	एमएचडब्ल्यूएसएनजीएच स्ट्रीट	180,036
230	इंदौर	1	कोडरिया एमएचओडब्ल्यू	108,000
231	इंदौर	1	जेल रोड़	321,300
232	इंदौर	1	एसटीपीआई	199,980
233	इंदौर	1	शियागंज	166,537
234	इंदौर	1	लोहामंडी	109,200
235	इंदौर	1	अहिल्या पुरा	71,100
236	इंदौर	1	गंगवाल	98,000
237	इंदौर	1	साऊथ तोड़ा	120,771
238	इंदौर	1	जूनी इंदौर	90,000

1	2	3	4	5
239	इंदौर	1	रामबाग	37,800
240	इंदौर	1	एमटी क्लाथ मार्केट	76,500
241	इंदौर	1	वैशाली नगर	102,711
242	इंदौर	1	जैन. कॉलोनी	111,300
243	इंदौर	1	गौतमपुरा	52,870
247	इंदौर	1	डकाचिया	193,200
	इंदौर कुल	40		7,739,854
249	जबलपुर	1	कंचगढ़	146,300
250	जबलपुर	1	मेडिकल आरएलयू (गढ़ा)	261,820
251	जबलपुर	1	पोलिपाथर	415,839
252	जबलपुर	1	कंचनपुर	82,200
253	जबलपुर	1	फुटातल	136,349
254	जबलपुर	1	शास्त्री ब्रिज	67,783
255	जबलपुर	1	हवा बांग	39,733
256	जबलपुर	1	खेरमाई मंदिर	44,111
257	जबलपुर	1	बिलपुरा	56,200
258	जबलपुर	1	संजीवनी नगर	66,280
259	जबलपुर	1	सदर काली मंदिर	101,047
260	जबलपुर	1	गोरखपुर	106,167
261	जबलपुर	1	रस्सल चौक	333,300
262	जबलपुर	1	गौकलपुर	61,400
263	जबलपुर	1	अंधेरदेव	75,267
264	जबलपुर	1	गोहलपुर	48,500
265	जबलपुर	1	राजुल मार्किट	99,667
266	जबलपुर	1	धनवंतरिनगर	85,867
267	जबलपुर	1	अघरतल (राढ़डी चौकी)	41,860
268	जबलपुर	1	सुविधा मार्किट	57,113

1	2	3	4	5
269	जबलपुर	1	शास्त्रीनगर (बाजना)	12,800
270	जबलपुर	1	आर्शीवाद मार्किट	50,750
271	जबलपुर	1	ट्रांसपोर्ट नगर	155,869
272	जबलपुर	1	फुलार	20,200
273	जबलपुर	1	सहजपुर	28,280
274	जबलपुर	1	धनपुरी	13,467
275	जबलपुर	1	सलिमाबाद	15,200
276	जबलपुर	1	बेलखेड़ा	52,920
277	जबलपुर	1	काईमोर	31,833
278	जबलपुर	1	जुकेई	99,750
279	जबलपुर	1	गोशलपुर	102,300
	जबलपुर कुल	31		2,910,171
280	झाबुआ	1	अली राजपुर	19,200
281	झाबुआ	1	जोबात	12,980
282	झाबुआ	1	मोहनकोट	4,293
283	झाबुआ	1	भामरा	13,310
284	झाबुआ	1	पेतलावाड	16,933
285	झाबुआ	1	मेघनगर	17,279
286	झाबुआ	1	झाबुआ	17,313
287	झाबुआ	1	राणापुर	22,183
288	झाबुआ	1	नानपुर	45,800
289	झाबुआ	1	पारा	3,900
290	झाबुआ	1	गोपाल कालोनी झाबुआ	90,533
291	झाबुआ	1	पितोल	50,866
292	झाबुआ	1	रंभापुर	83,186
293	झाबुआ	1	कल्याणपुरा	4,800
294	झाबुआ	1	केलदेवी	45,000
	झाबुआ कुल	15		447,576

1	2	3	4	5
295	खांडवा	1	रामगंज, खांडवा	204,000
296	खांडवा	1	भवानीमाता खांडवा	484,000
297	खांडवा	1	सिंधी कालोनी	70,000
298	खांडवा	1	रामनगर	56,000
299	खांडवा	1	पदमनगर	36,000
300	खांडवा	1	आशापुर	12,000
301	खांडवा	1	संजयनगर बुरहानपुर	13,500
302	खांडवा	1	दरगाह–ए–हकीकी बुरहानपुर	40,000
303	खांडवा	1	लालबाग बुरहानपुर	30,000
304	खांडवा	1	गांधी चौक	162,000
305	खांडवा	1	लोनी	6,000
306	खांडवा	1	नेपानगर	12,800
307	खांडवा	1	नेपानगर इंजन रूम	2,000
308	खांडवा	1	तुकईथाड़	2,300
	खांडवा कुल	14		1,130,600
309	खारगोन	1	एमजी रोड़	218,400
310	खारगोन	1	गुघारिया खेड़ा	10,800
311	खारगोन	1	वून	14,400
312	खारगोन	1	लोनारा	5,600
313	खारगोन	1	गोगावा	67,500
314	खारगोन	1	बेदिया	74,800
315	खारगोन	1	बलवाड़ा	6,500
316	खारगोन	1	मंडलेश्वर	70,400
317	खारगोन	1	थिकरी	120,000
318	खारगोन	1	सेंधवा	40,700
319	खारगोन	1	निवाली	33,000
320	खारगोन	1	पंसेमल	61,600

1	2	3	4	5
321	खारगोन	1	बारवानी झंडा चौक	353,600
322	खारगोन	1	लौहारी	8,100
323	खारगोन	1	गांधी नगर आरएसयू	39,600
324	खारगोन	1	जालापुर	42,000
	खारगोन कुल	16		1,167,000
325	मंडला	1	चिराई डोगरी	800
326	मंडला	1	अंजनिया	45,000
327	मंडला	1	सिजौरा	7,800
328	मंडला	1	मावाई	3,000
329	मंडला	1	शाका	20,000
330	मंडला	1	अमरपुर	46,000
331	मंडला	1	सामनापुर	50,000
332	मंडला	1	बजाग	42,500
333	मंडला	1	करंजिया	31,850
334	मंडला	1	विक्रमपुर	20,000
335	मंडला	1	मोहगांव	55,000
	मंडला कुल	11		321,950
336	मंदसौर	1	पहला टॉवर	28,000
337	मंदसौर	1	दूसरा टॉवर	74,400
338	मंदसौर	1	तीसरा टॉवर	180,000
339	मंदसौर	1	चौथा टॉवर	92,000
340	मंदसौर	1	पांचवा टॉवर	44,000
	मंदसौर कुल	5		418,400
341	मुरैना	1	बतासा बाजार	125,400
342	मुरैना	1	अटेर रोड	71,400
343	मुरैना	1	संजय कॉलोनी	73,500
344	मुरैना	1	जिवाजीगंज	166,600

1	2	3	4	5
345	मुरैना	1	अंभा रोड	51,000
346	मुरैना	1	फूफ	34,500
347	मुरैना	1	राउन	8,500
348	मुरैना	1	आलमपुर	8,000
349	मुरैना	1	बाग चीनी	3,850
350	मुरैना	1	खडीयार	5,950
351	मुरैना	1	रामपुर काला	17,400
352	मुरैना	1	असवार	4,200
353	मुरैना	1	मछंद	3,500
354	मुरैना	1	बिराई	6,000
355	मुरैना	1	टेंटरा	9,600
356	मुरैना	1	झंडुपुरा	14,400
357	मुरैना	1	पंडोला	8,400
358	मुरैना	1	दातारडाकला	10,200
	मुरैना कुल	18		622,400
359	नरसिंहपुर	1	दांगीढाणा	18,900
360	नरसिंहपुर	1	गदरवाडा (झंडा)	110,400
361	नरसिंहपुर	1	करकबेल	75,600
362	नरसिंहपुर	1	करेली बस्ती	101,200
363	नरसिंहपुर	1	कोंडीया	12,100
364	नरसिंहपुर	1	मुगवाणी	5,120
365	नरसिंहपुर	1	नरसिंहपुर (खमरिया)	155,600
366	नरसिंहपुर	1	नरसिंहपुर आरएसयू	119,000
367	नरसिंहपुर	1	नरसिंहपुर ओल्ड सिटी	108,000
368	नरसिंहपुर	1	शेखरा	27,000
369	नरसिंहपुर	1	सलिचोका	27,000
370	नरसिंहपुर	1	जोतेश्वर (श्रीनगर)	44,000

1	2	3	4	5
371	नरसिंहपुर	1	शेहोरा	26,000
372	नरसिंहपुर	1	सिंहपुर	196,625
373	नरसिंहपुर	1	विक्रमपुर	6,000
374	नरसिंहपुर	1	गोटेगांव (नया बाजार)	25,813
	नरसिंहपुर कुल	16		1,058,358
375	पन्ना	1	मजगांव	24,000
376	पन्ना	1	ककराति एस. 3000/–	3,000
377	पन्ना	1	मोहिन्दरा	2,000
378	पन्ना	1	मंडला	2,592
379	पन्ना	1	रायपुरा	15,000
380	पन्ना	1	शाहनगर	6,000
	पन्ना कुल	6		52,592
381	रायसेन	1	बमहोरी	7,300
382	रायसेन	1	गढ़ी	7,300
383	रायसेन	1	देहगांव	26,677
385	रायसेन	1	सुल्तानगंज	17,000
386	रायसेन	1	सलामतपुर	48,000
387	रायसेन	1	घंडिया	7,300
388	रायसेन	1	साची	22,500
	रायसेन कुल	7		136,077
389	रायगढ़	1	अपना नगर बिओरा	44,100
390	रायगढ़	1	गांधी चौक राजगढ़	44,000
391	रायगढ़	1	जूना बिओरा	111,500
392	रायगढ़	1	नगर पालिका नरसिगढ़	83,520
	रायगढ़ कुल	4		283,120
393	रतलाम	1	विक्रम नगर	113,400
394	रतलाम	1	बोहरा बाखल	121,800

1	2	3	4	5
395	रतलाम	1	इंडस्ट्रीयल एरिया	27,300
396	रतलाम	1	अल्कापुरी	196,400
397	रतलाम	1	स्टेशन रोड़	119,000
398	रतलाम	1	चांदनी चौक	352,500
400	रतलाम	1	जाओरा चोपाटी	49,300
401	रतलाम	1	बजाज खाना जाओरा	55,650
402	रतलाम	1	पिपलोदा	96,000
	रतलाम कुल	9		1,131,350
403	रेवा	1	बेला	26,000
404	रेवा	1	लालगांव	2,600
405	रेवा	1	बकंटपुर	4,000
406	रेवा	1	बीढ़ा	6,300
407	रेवा	1	अन्नतपुरा	60,000
408	रेवा	1	फोर्ट पुर	78,000
409	रेवा	1	सिरमोरा चौक	88,000
410	रेवा	1	रायपुर (के)	13,000
411	रेवा	1	दिनदयाल धाम	9,600
412	रेवा	1	नई गढ़ी	24,700
413	रेवा	1	कटरा	22,800
414	रेवा	1	जावा	17,000
415	रेवा	1	गुरचौक	96,000
416	रेवा	1	देवतालाब	13,500
417	रेवा	1	डभोरा	11,200
418	रेवा	1	चाक घाट	9,000
419	रेवा	1	सेमरिया	12,000
421	रेवा	1	खटखोरी	5,600
	रेवा कुल	18		499,300
422	सागर	1	शाहपुर	8,400
423	सागर	1	कंडवा	8,000

1	2	3	4	5
424	सागर	1	दलपतपुर	4,000
425	सागर	1	हीरापुर	3,000
426	सागर	1	कर्रापुर	3,000
427	सागर	1	परसोरिया	3,000
428	सागर	1	धाना	15,600
429	सागर	1	बीना ।	66,000
430	सागर	1	मल्थोन	18,400
431	सागर	1	खुराई ।	42,000
432	सागर	1	जारुखेड़ा	6,000
433	सागर	1	नराईवाली	16,800
434	सागर	1	सेहोरा	28,800
435	सागर	1	जसाईनगर	16,800
436	सागर	1	महाराजपुर	23,200
437	सागर	1	बरोदाकला	18,200
438	सागर	1	भगवानगंज	95,700
439	सागर	1	मोतीनगर	80,000
440	सागर	1	इटवारा	156,000
441	सागर	1	यूनिवर्सिटी	25,500
442	सागर	1	गोपालगंज	56,100
443	सागर	1	लक्ष्मीपुरा	64,600
444	सागर	1	बाहुबली कालोनी	62,700
445	सागर	1	नमक मंडी	74,100
	सागर कुल	24		895,900
446	सतना	1	रेवा रोड सतना	103,950
447	सतना	1	धावरी सतना	21,000
448	सतना	1	पुष्पराज कॉलोनी	92,400
449	सतना	1	लल्ता चौक	129,990
450	सतना	1	यूसीएल सतना	30,000
451	सतना	1	केशवगढ़ (चित्रकूट)	22,000

1	2	3	4	5
452	सतना	1	नयागांव	9,800
453	सतना	1	नजीराबाद (काम्ता टोला)	96,810
454	सतना	1	पिंडरा	9,600
455	सतना	1	कोतार	9,000
456	सतना	1	सिंहपुर	6,400
	सतना कुल	11		530,950
457	सियोनी	1	छिंदवाड़ा चौक	70,400
458	सियोनी	1	गणेशगंज	5,200
459	सियोनी	1	धनोरा	12,000
460	सियोनी	1	तुरिया	6,400
	सियोनी कुल	4		94,000
461	शाहडोल	1	बुरहार	127,100
462	शाहडोल	1	मनपुर	32,400
463	शाहडोल	1	जेठरी	31,200
464	शाहडोल	1	अरंझोर	7,700
465	शाहडोल	1	शाहडोल आरएसयू 1	75,000
466	शाहडोल	1	राजा बांग, शाहडोल	57,500
467	शाहडोल	1	आहूजा पैट्रोल पंप	92,000
468	शाहडोल	1	ताला	95,000
469	शाहडोल	1	सोनी मोटर उमरिया	102,900
470	शाहडोल	1	केशवाही	30,000
471	शाहडोल	1	इंदवास	29,315
472	शाहडोल	1	राजेन्द्र रोड, गुरहार	64,400
473	शाहडोल	1	जेतपुर	55,200
474	शाहडोल	1	बलपुरवा	67,200
475	शाहडोल	1	अकरार	24,000
	शाहडोल कुल	15		890,915
476	शाहजापुर	1	पातिदार	243,000
477	शाहजापुर	1	जैन चौक	133,000

1	2	3	4	5
478	शाहजापुर	1	आरएसयू	140,000
479	शाहजापुर	1	दूपाड़ा	16,800
480	शाहजापुर	1	गुलाणा	13,500
481	शाहजापुर	1	अगर	87,500
482	शाहजापुर	1	चंदूमामा कोम	115,500
483	शाहजापुर	1	खकराकला	23,000
484	शाहजापुर	1	पोलाईकला	12,600
485	शाहजापुर	1	बड़ागांव	3,600
486	शाहजापुर	1	मोदी	6,000
487	शाहजापुर	1	कनाड	24,000
488	शाहजापुर	1	सोयातकला	14,000
489	शाहजापुर	1	बुड	27,000
490	शाहजापुर	1	संडेरसी	4,200
491	शाहजापुर	1	अरनईकला	16,000
492	शाहजापुर	1	तिलावाड	8,250
493	शाहजापुर	1	जामनेर	6,000
494	शाहजापुर	1	उग्ली	5,000
495	शाहजापुर	1	कालीसिंध	4,500
•	शाहजापुर कुल	20		903,450
496	शिवपुरी	1	दिनारा	8,000
497	शिवपुरी	1	भोटी	1,600
498	शिवपुरी	1	हतौड	1,200
499	शिवपुरी	1	खराई	5,200
500	शिवपुरी	1	कुआतोरा	1,800
501	शिवपुरी	1	लुकवासा	38,000
502	शिवपुरी	1	मगरोनी	2,800
503	शिवपुरी	1	रनोड	3,300
504	शिवपुरी	1	सतनवाड़ा	8,200
505	शिवपुरी	1	शिवपुरी झांसी रोड	102,000

1	2	3	4	5
506	शिवपुरी	1	शिवपुरी कमलागंज	45,000
507	शिवपुरी	1	शिवपुरी पोहरी रोड	24,000
508	शिवपुरी	1	सिरसोड (पोहरी)	450
509	शिवपुरी	1	सुरवाया	750
	शिवपुरी कुल	14		242,300
510	सिड़ही	1	शिवाल	55,000
511	सिड़ही	1	सिड़ही	57,500
512	सिड़ही	1	सिड़ही	58,750
513	सिड़ही	1	सिड़ही	52,900
514	सिड़ही	1	सिड़ही	38,250
515	सिड़ही	1	बाहरी	88,000
516	सिड़ही	1	कुबारी	28,800
517	सिड़ही	1	तमसार	24,000
518	सिड़ही	1	बरगांवा	18,088
519	सिड़ही	1	सराय	38,850
520	सिड़ही	1	कुश्मी	26,838
521	सिड़ही	1	खुतार	68,250
522	सिड़ही	1	करथुआ	55,000
	सिड़ही कुल	13		610,226
523	उज्जैन	1	महानंदा नगर	77,900
524	उज्जैन	1	गुदोरी चौराहा	82,000
525	उज्जैन	1	शंकु मार्ग	77,900
526	उज्जैन	1	वेद नगर	151,700
527	उज्जैन	1	कुमारी मार्ग	82,000
528	उज्जैन	1	इंदौर रोड, परिणय	58,000
529	उज्जैन	1	सिंधी कालोनी	82,000
530	उज्जैन	1	फव्वारा चौक	73,800
531	उज्जैन	1	मिल्कीपुरा	73,800
532	उज्जैन	1	मुसद्दीपुरा सती गेट	55,500

1	2	3	4	5
534	उज्जैन	1	कंथेड़, नागदा	215,043
535	उज्जैन	1	इंदिरानगर	47,500
536	उज्जैन	1	उन्हेल रोड	8,000
537	उज्जैन	1	इंगोरिया	4,000
538	उज्जैन	1	अललवाड़ा	4,000
539	उज्जैन	1	पनबीहर	4,000
540	उज्जैन	1	भाटपचलाना	4,000
541	उज्जैन	1	नरवाड़	3,800
542	उज्जैन	1	रुनेजा	55,000
543	उज्जैन	1	महीदपुर सिटी	47,700
	कुल	20		1,207,643
544	विदिशा	1	लड्डा एजेंसी, विदिशा	175,000
545	विदिशा	1	जलोदी बिल्डिंग, गंज	36,000
546	विदिशा	1	रामलीला ग्राउंड, विदिशा	39,900
547	विदिशा	1	हनुमान चौक, गंज	12,000
548	विदिशा	1	चांदनी चौक, सिरोंज	24,000
	कुल	5		286,900
	कुल योग	538		35,603,033

जल संसाधनों का विकास

344. **श्री महावीर भगोरा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) जल संसाधनों के विकास हेतु नदी घाटी परियोजनाओं (आरवीपी), बाढ़ प्रवण नदियों (एफआरआर), वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियं क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई विशेष प्रावधान किये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : (क) नदी घाटी परियोजनाओं (आरवीपी) तथा बाढ़ प्रवण नदियों (एफपीआर) के अवाह क्षेत्रों में खराब गुणवत्ता वाली भूमि के विकास के लिए मृदा संरक्षण की स्कीमों एवं वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना का कार्यान्वयन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय द्वारा उपरोक्त स्कीमों के तहत मुहैया कराए गए अनुसार वर्षवार और राज्यवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दी गई है।

(ख) और (ग) कृषि मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि वाटरशेड परियोजनाएं भूजलवैज्ञानिक रूप से परिभाषित यूनिटों (माइक्रो वाटरशेड्स) में क्रियान्वित की जाती हैं और आदिवासी क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्र वाटरशेड परियोजना के तहत शामिल किए जाते हैं।

विवरण-I

आर वीपी एवं एफ पी आर कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों (2004–05 से 2006–07) तक की उपलब्धि

(वास्तविक हजार हेक्टेयर में एवं रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2004–05				2005–06				2006–07				पिछले 3 वर्षों का जोड़			
		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	आन्ध्र प्रदेश																
i)	वन	4.62	467.10	2.678	339.54	0.74		0.736	243.56	2.85	452.38	4.19	373.04	8.21	919.48	7.60	956.14
ii)	कृषि	5.13	300.00	3.955	203.27	3.25	315.00	2.797	162.41	5.59	350.00	7.28	357.52	13.97	965.00	14.03	723.20
	उप-योग (i–ii)	9.75	767.10	6.633	542.81	3.99	315.00	3.53	405.97	8.44	802.38	11.47	730.56	22.18	1884.48	21.64	1679.34
2	अरुणाचल # प्रदेश	0.28	26.50	0.020	5.67	0.55	78.33	0.850	39.69	0.90	126.50	1.48	99.42	1.73	230.33	2.35	144.78
3	असम	1.23	60.00			2.80	100.00	1.030	47.91	1.50	150.00	0.62	20.63	5.53	310.00	1.65	68.54
4	बिहार	0.99	49.49			0.76	38.38	0.005	0.83	2.00	90.00	0.37	26.57	3.75	177.87	0.38	27.40
5	छत्तीसगढ़	3.63	111.12	2.150	119.68	3.00	400.00	3.974	179.09	5.18	789.05	11.09	606.83	11.81	1300.17	17.21	905.60
6	गुजरात													0.00			
i)	वन	1.11	118.00	1.475	116.45	2.16	100.00	3.000	150.23	1.00	125.00	1.89	223.77	4.27	343.00	6.37	490.45
ii)	कृषि	9.89	749.00	11.838	986.16	2.66	1144.44	13.865	1272.39	10.00	1059.78	28.19	2648.17	22.55	2953.22	53.89	4906.72
	उप-योग (i–ii)	11.00	867.00	13.313	1102.61	4.82	1244.44	16.87	1422.62	11.00	1184.78	30.08	2871.94	26.82	3296.22	60.26	5397.17
7	हरियाणा	5.07	150.00	4.198	178.20	4.00	180.00	2.677	164.73	4.00	180.00	3.38	289.33	13.07	510.00	10.26	632.26
8	हिमाचल प्रदेश	4.25	678.82	3.825	627.27	4.67	746.24	4.849	759.01	7.55	1379.48	9.00	1200.83	16.47	2804.34	17.67	2587.11
9	झारखंड	0.00				0.00				5.58	362.20			5.58	362.20	0.00	0.00
10	जम्मू एवं कश्मीर	5.73	628.00	2.408	449.57	5.13	555.00	3.916	452.04	4.82	521.70	5.94	683.98	115.68	1704.70	12.26	1585.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	कर्नाटक	19.18	800.00	21.770	816.68	28.61	1300.00	27.075	1082.51	30.00	1500.00	31.58	1400.00	77.79	3600.00	80.43	3299.19
12	केरल	5.29	300.00	2.600	231.11	3.00	250.00	2.169	297.39	4.44	413.62	0.81	162.34	12.73	963.62	5.58	690.84
13	मध्य प्रदेश													0.00			
i)	कृषि	16.37	681.12	10.631	501.35	17.59	600.24	5.179	380.08	18.80	2420.59	22.35	1539.00	52.76	3701.95	38.16	2420.43
ii)	एनवीडीडी	6.64	312.22	5.642	307.19	4.03	216.66	1.692	80.53	6.00	337.40			16.67	866.28	7.33	387.72
	उप-योग (i-ii)	23.01	993.34	16.273	808.54	21.62	816.90	6.87	460.61	24.80	2757.99	22.35	1539.00	69.43	4568.23	45.49	2808.15
14	महाराष्ट्र	12.99	700.00	16.748	879.92	8.80	1400.00	13.640	1400.24	18.60	3800.00	31.65	3198.10	40.39	5900.00	62.04	5478.26
15	मणिपुर##	0.00				0.00				1.00	127.85	1.19	163.92	1.00	127.85	1.19	163.92
16	मेघालय##	0.17	15.00		6.00	0.00				0.00	40	0.00	5.49	0.17	55.00	0.00	11.49
17	मिजोरम	0.72	132.28	0.790	99.85	2.68	234.50	2.240	294.50	3.32	336.00	1.15	173.00	6.72	702.78	4.18	567.35
18	नागालैंड##	0.67	60.00	2.580	174.00	6.48	150.00	2.260	120.00	3.00	300.00	1.26	150.00	10.15	510.00	6.10	444.00
19	उड़ीसा	1.85	80.00	1.510	81.46	1.70	90.00	1.772	95.18	3.08	200.00	3.78	233.66	6.63	370.00	7.06	410.30
20	पंजाब	0.80	40.00			0.66	53.00	2.123	78.57	1.80	106.70	1.43	86.60	3.26	199.70	3.55	165.17
21	राजस्थान	22.34	1700.00	23.586	1837.91	28.25	2000.55	29.380	2096.83	24.10	1605.05	34.59	2650.10	74.69	5305.60	87.56	6584.84
22	सिक्किम	0.63	60.00	0.418	58.20	1.17	100.00	1.160	100.00	0.67	200.00	0.36	77.27	2.47	360.00	1.94	235.47
23	तमिलनाडु	4.79	700.00	5.965	627.52	8.56	800.00	7.409	831.95	7.70	900.00	8.95	901.51	21.05	2400.00	22.32	2360.98
24	त्रिपुरा	0.32	52.35	0.370	27.48	1.10	52.50	0.475	20.35	0.49	56.24	0.28	32.02	1.91	161.09	1.13	79.85
25	उत्तर प्रदेश	41.22	1690.00	42.340	2165.65	22.18	1821.30	24.668	1453.20	24.78	1923.00	10.95	1321.85	88.18	5434.30	77.96	4940.70
26	उत्तरांचल	2.35	302.00	4.060	285.35	3.15	235.00	2.103	235.00	3.54	650.00	5.52	643.74	9.04	1187.00	11.68	1164.09
27	पश्चिम बंगाल	0.51	270.80	7.980	198.26	6.50	160.00	0.356	32.98	3.00	108.35	0.47	62.58	10.01	539.15	8.81	293.82
*चंडीगढ़														0.00	0.00	0.00	0.00
*दिल्ली														0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	*डीवीसी	2.77	391.00	9.664	1256.90	9.09	1000.00	6.833	900.47	7.00	1000.00	10.95	1076.63	18.86	2391.00	27.45	3234.00
	*मुख्यालय	0.00	40.00	0.000	40.00	0.00	40.00		40.000		60.00		60.000	0.00	140.00	0.00	140.00
	कुल योग	181.54	11663.600	189.201	12620.640	183.27	14161.14	168.233	13011.67	212.29	21670.89	240.70	20467.90	577.10	47495.63	598.13	46100.21
	जम्मू एवं कश्मीर** के लिए प्रधानमंत्री पैकेज	28.51	3000.00	15.682	1063.41	17.42	1500.00	18.156	1639.83	33.09	3447.78	18.92	1732.39	79.02	7947.78	52.76	4435.63
	कुल योग	210.05	14663.600	204.883	13684.050	200.69	15661.14	186.389	14651.50	245.38	25118.67	259.62	22200.29	656.12	55443.41	650.89	50535.84

आवंटन राज्य की कार्य योजनाओं पर आधारित है।

विवरण-II

दसवीं योजना अवधि के पिछले 3 वर्षों (2004-05 से 2006-07 तक) के दौरान एनडब्ल्यूडीपीआर ए की वर्षवार वास्तविक और वित्तीय प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-2005				2005-06				2006-07				कुल (2004-05 से 2006-07 तक)			
		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय		वास्तविक		वित्तीय	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	17690	15964	885	718.37	11512	10061	576	449.67	13739	25408	686.9	873.36	42941	51433	2147	2041.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	5980	3105	299	184.93	7371	8055	369	482.47	10955	9078	547.8	547.13	24306	20238	1215	1214.5
3.	असम	2703	506	135	45.00	15000	3180	750	135.13	14000	15741	700.0	829.27	31702.8	19427	1585	1009.4
4.	बिहार	6870	1437	344	64.67	15359	4877	768	219.95	9872	23419	493.6	1053.38	32101.2	29733	1605	1338.0
5.	झारखंड	28755	12980	1438	1240.2	22821	44680	1141	1136.89	21019	35550	1051.0	1003.8	72595	93210	3630	3380.9
6.	गोवा	3011	2114	151	174.73	4600	5320	230	235.61	8000	6122	400.0	400.0	15611.2	13556	781	810.3
7.	गुजरात	42943	34726	2147	1536.15	37246	23250	1862	918.10	61335	36332	3066.8	1717.02	141524.8	94308	7076	4171.3
8.	हरियाणा	2446	2043	122	117.63	3600	3463	180	164.64	5000	6531	250.0	299.83	11046	12037	552	582.1
9.	हिमाचल प्रदेश	5488	4007	274	274.40	7778	5144	389	177.75	7479	5757	374.0	373.96	20745	14908	1037	926.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.	जम्मू व कश्मीर	12181	725	609	73.33	9040	0	452	0	10970	4181	548.5	254.5	32190.2	4873	1610	327.8
11.	कर्नाटक	31469	34630	1573	2491.5	27776	40290	1389	2001.80	34000	49996	1700.0	2499.43	93244.4	124916	4662	6992.7
12.	केरल	2960	15837	148	804.75	10000	12400	500	691.53	17728	21128	886.4	1313.63	30687.5	49365	1534	2809.9
13.	मध्य प्रदेश	25305	44824	1265	1195.99	40953	55312	2048	2009.41	35023	53937	1751.2	1648.87	101281.2	154073	5064	4854.3
14.	छत्तीसगढ़	11000	18681	550	914.44	23400	37161	1170	2212.33	27000	35484	1350.0	1351.60	61400	91326	3070	4478.4
15.	महाराष्ट्र	22000	33389	1100	1609.34	18000	29033	900	1399.39	28800	60940	1440.0	2937.37	68800	123362	3440	5946.1
16.	मणिपुर	11834	6819	592	374.17	9190	13203	460	724.50	9320.2	15150	466.0	818.30	30344.8	35172	1517	1917.0
17.	मिजोरम	19660	15073	983	1097.94	15260	15955	763	931.00	15430	15765	774.0	623.00	50400	46793	2520	2701.9
18.	मेघालय	7399	6166	370	369.95	8954	7462	448	447.70	13390	11159	669.5	669.50	29743	24787	1487	1487.2
19.	नागालैंड	12620	8817	631	631.00	14000	8224	700	700.00	17030	7290	851.5	762.50	43650	24331	2183	2093.5
20.	उड़ीसा	33445	9474	1672	425.26	27399	18414	1370	828.89	23867	70139	1193.3	3156.26	84710.6	98027	4236	4410.4
21.	पंजाब	7929	0	396	0.00	6046	8300	302	498.71	6001	15405	300.1	830.47	19976.6	23705	999	1329.2
22.	राजस्थान	69500	81714	3475	3401.61	52000	111570	2600	4878.96	50573	87947	2528.7	4145.46	172073.4	281231	8604	12426.0
23.	सिक्किम	5242	4200	262	265.46	4070	3156	204	203.35	4606	3726	230.3	230.25	13918.4	11062	696	699.1
24.	तमिलनाडु	41781	46424	2089	2089.06	39803	44227	1990	1990.16	74774	83082	3738.7	3738.70	156358.4	173733	7818	7817.9
25.	त्रिपुरा	6729	5839	336	335.44	6291	6313	315	314.56	7602	6335	380.1	380.11	20622.2	18487	1031	1030.1
26.	उत्तर प्रदेश	46756	34219	2438	1950.96	44986	65128	2249	1760.74	44193	65578	2209.6	1230.67	137934	164925	6897	4942.4
27.	उत्तराखंड	29675	25780	1484	1785.22	23044	21688	1152	1148.75	23371	22500	1168.5	1191.36	76090.2	69968	3805	4125.3
28.	पश्चिम बंगाल	100094	3295	5005	148.28	7839	13140	392	591.31	7956	13776	397.8	619.92	115889.4	30211	5794	1359.5
29.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0		0.00	0	0		0.00	0	0		0.00	0	0	0	0.0
30.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1400	818	70	51.01	1000	480	50	28.92	1020	212	51.0	13.00	3420	1510	171	92.9
	कुल	616886	473606	30843	24370.79	514338.36	619486	25717	27432.22	604103	807635	30205.2	35512.6	1735307.3	1900727	86765	87315.6

फसलों के लिए समर्थन मूल्य

345. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ कृषक संगठन ने कपास की उत्पादन लागत के आधार पर इसके निम्नतम समर्थन मूल्य को पुनः निर्धारित करने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से संसद सदस्यों का एक दल माननीय प्रधानमंत्री से मिला तथा उन्हें कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाने के अनुरोध के साथ एक ज्ञापन दिया।

(ख) और (ग) संसद सदस्यों के अनुरोध को कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव की समीक्षा की गई तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को स्थिति से अवगत करा दिया गया। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

भारत सरकार में कृषि मंत्रालय ने कपास की दो किस्मों उचित औसत किस्म वाले (यथा मध्यम स्टेपल रेशा लम्बाई एफ–414/एच–777/जे–34) तथा लम्बे स्टेपल रेशे (एच–4/एच–6) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। तदनुसार, 2006–07 हेतु कपास की किस्मों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 1770 रुपए तथा 1990 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसका निर्धारण कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा मूल्यों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। 2007–08 हेतु उपरोक्त दो किस्मों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 1800 रुपए तथा 2030 रुपएं प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग ओयोग फसल के उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से कपास हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है।

इन दो बुनियादी किस्मों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधारित तथा गुणवत्ता अन्तर, सामान्य मूल्य अंतर तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए वस्त्र मंत्रालय उचित औसत किस्म के कच्चे कपास की अन्य किस्मों के समर्थन मूल्य निर्धारित करता है।

[अनुवाद]

निम्न ब्याज दरें

346. श्री विजय कृष्ण :

श्री मो. ताहिर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों में बढ़ते असंतोष को देखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए ब्याज दरों में कमी करने और सस्ती कृषि निविष्टियां उपलब्ध करवाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों के लिए कोई कायिक निधि स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निधि के घटक क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने/द्वारा किसानों के लिए विशेष क्षेत्र स्थापित किए हैं/करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा और वे स्थान कौन–कौन से हैं; और

(छ) इनकी स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) सरकार ने खरीफ 2006–07 से मूलधन राशि पर 3 लाख रुपए की ऊपरी सीमा के साथ फसल ऋणों पर ब्याज दरें पहले से ही हटाकर 7 प्रतिशत कर दी हैं। इस नीति को वर्ष 2007–08 में भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकार अन्य प्रमुख आदानों जैसे उर्वरकों और बीजों पर पहले से ही राजसहायता दे रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कृषि अधीन क्षेत्र

347. श्री पी.के. कुम्भर :

श्री जीवाभाई ए. पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि के अधीन क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य–वार कृषि के अधीन कितनी भूमि लाई गई है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के अंतर्गत अतिरिक्त भूमि लाने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन प्रावधानों के अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) खेती के अधीन क्षेत्र को बढ़ाने की कोई विशेष स्कीम नहीं है। तथापि देश में विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोगों में संतुलन बनाए रखने के लिए खेती के अधीन ऐसी विकसित भूमियों के कुछ भागों को लाने के लिए अवक्रमित भूमियों को विकास के लिए सरकार विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। देश में अवक्रमित भूमि के विकास के लिए ये कार्यक्रम हैं : (i) वर्षा संचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए), (ii) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी (आरवीपी एवं एफपीआर) के आवाह क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण, (iii) क्षारीय मृदा का सुधार (आरएएस), (iv) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए), (v) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), (vi) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी), (vii) समेकित पनधारा विकास परियोजना (आईडब्ल्यूडीपी), (viii) पनधारा विकास निधि (डब्ल्यूडीएफ) और (ix) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी)। कृषि मंत्रालय के विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों के अधीन xवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3.74 मिलियन है. क्षेत्र विकसित किया गया है जिसमें पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2004–07) के दौरान विकसित किया गया लगभग 2.18 मिलियन है. क्षेत्र शामिल है। राज्यवार और स्कीम–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। अवक्रमित/बंजर भूमि के फिर से सुधार सहित कृषि और शुष्क भूमि/वर्षा सिंसचित खेती प्रणाली संबंधी मुद्दों पर राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की उप–समिति के कार्यदल ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 38 मिलियन है. क्षेत्र के विकास करने की सिफारिश की है, जिसका एक भाग खेती हेतु अतिरिक्त भूमि होगी।

विवरण

दसवीं योजना के दौरान कृषि मंत्रालय के पनधारा विकास कार्यक्रमों की राज्यवार उपलब्धियां

(वास्तविक क्षेत्र लाख है. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	एनडब्ल्यूडीपीआरए	आरवीपी एवं एफपीआर	आरएएस	डब्ल्यूडीपीएससीए	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.62	0.41	0.100		1.130
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.22	0.02			0.240
3.	असम	0.26	0.03		0.075	0.365
4.	बिहार	0.30	0.01	0.000	0.196	0.506
5.	छत्तीसगढ़	1.17	0.25			1.420
6.	गुजरात	1.20	0.72	0.441		2.361
7.	हरियाणा	0.14	0.20	0.665		1.005
8.	हिमाचल प्रदेश	0.17	0.25			0.420
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.05	0.75*			0.800
10.	झारखंड	1.07	0.00			1.070
11.	कर्नाटक	1.45	1.63	0.030		3.110
12.	केरल	0.49	0.09			0.580
13.	मध्य प्रदेश	2.10	0.98	0.000		3.080

1	2	3	4	5	6	7
14.	महाराष्ट्र	1.55	0.96	0.004		2.514
15.	मणिपुर	0.40	0.01			0.410
16.	मेघालय	0.38	0.00		0.171	0.551
17.	मिजोरम	0.54	0.06		0.266	0.866
18.	नागालैंड	0.33	0.06		0.208	0.598
19.	उड़ीसा	1.22	0.11		0.281	1.611
20.	पंजाब	0.25	0.03	0.013		0.293
21.	राजस्थान	4.05	1.32	0.217		5.587
22.	सिक्किम	0.15	0.02			0.170
23.	तमिलनाडु	2.39	0.30	0.061		2.751
24.	त्रिपुरा	0.25	0.02			0.270
25.	उत्तर प्रदेश	1.99	1.40	0.015	0.145	3.550
26.	उत्तराखंड	0.91	0.18			1.090
27.	प. बंगाल	0.32	0.10			0.420
28.	गोवा	0.14	0.00			0.140
29.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0.00			0.00
30.	अंडमान एवं निकोबार	0.03	0.00			0.030
31.	डीवीसी		0.48			0.480
	कुल	24.14	10.39	1.546	1.342	37.418

* प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के तहत उपचारिक क्षेत्र शामिल है।

[अनुवाद]

नौसेना हेतु प्रबंधन केन्द्र

348. श्री अनन्त नायक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पारादीप में भारतीय नौसेना हेतु कोई प्रबंधन केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रबंधन केन्द्र किस वर्ष तक स्थापित हो जाएगा; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) पारादीप में भारतीय नौसेना के लिए प्रबंधन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्याज की कीमतों में वृद्धि

349. श्री रेवती रमन सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्याज के उत्पादन और आपूर्ति में भारी गिरावट आई है और कीमतों में बेतहाशा वृद्धि भी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कम कीमतों पर प्याज की पर्याप्त आपूर्ति और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) 2006–07 के दौरान देश में प्याज का उत्पादन 88.51 लाख टन गत वर्ष में 92.048 लाख टन के उत्पादन स्तर से कम होना इसके मूल्यों में वृद्धि के परिणाम के रूप में आया है।

(ग) से (ङ) बाजार में प्याज की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार निर्यात आधार पर प्याज के मूल्य तथा बाजार आगम की निगरानी करती रही है। सरकार ने प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य बढ़ाकर देश के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नैफेड) उपभोक्ताओं को अपने बाजार केन्द्रों के माध्यम से प्याज के वितरण की व्यवस्था कर रही है।

विमान दुर्घटनाओं संबंधी अध्ययन

350. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के अध्ययन में खराब रखरखाव और तकनीकी खामियों को विमान दुर्घटनाओं के लिए प्रमुख कारण माना गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के पास वायुसेना के लिए विमानों के विशाल बेड़े के रखरखाव और उनके विनिर्माण हेतु उच्च दक्षता प्राप्त एयरोनाटिकल इंजीनियर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं;

(घ) क्या प्रशिक्षण के मानदण्ड और दक्षता भारतीय वायुसेना की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप हैं;

(ङ) कौन–कौन से इंजीनियरिंग संस्थान एयरोनाटिकल इंजीनियरों को पढ़ाते और प्रशिक्षण देते हैं;

(च) क्या सरकार का विचार आईएएफ विमानों के निर्माण और रखरखाव की मांगों को पूरा करने के लिए एयरोनाटिकल इंजीनियरों हेतु किसी संस्थान की स्थापना का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय वायुसेना के वायुयानों एवं शस्त्र प्रणालियों के विशाल बेड़े का रख–रखाव करने के लिए देश में इंजीनियरी स्नातकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध है।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस समय भारतीय वायुसेना स्नातक इंजीनियरों की भर्ती कर रही है और उन्हें वैमानिकी इंजीनियरी के क्षेत्र में वायुसेना अकादमी (ए.एफ.ए.) हैदराबाद तथा वायुसेना तकनीकी कालेज (ए.एफ.टी.सी.), बैंगलूर में आदिताः प्रशिक्षण देती है।

(च) और (छ) अकादमिक संस्थान जैसी नई अवसंरचना के सृजन के निर्णय सभी संगत बातों पर विचार करने के पश्चात् सेनाओं की आवश्यकता पर आधारित होता है।

केन्द्रीय मत्स्यन प्रौद्योगिकी संस्थान

351. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय मत्स्यन प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी) के केन्द्रों और स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन संस्थानों को बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस निर्णय को स्थगित करने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईएफटी), कोच्चि का कर्नाटक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कोई भी केन्द्र कार्यरत नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

फसल हेतु समर्थन मूल्य

352. श्री एस.के. खारवेन्थन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष के दौरान खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान घोषित मूल्य क्या है;

(ग) किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या निम्नतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए प्रयुक्त

होने वाले मानदण्ड पुराने हो चुके हैं और वांछित लाभ पहुंचाने में विफल हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो निम्न समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए बेहतर मानदण्डों को तैयार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) सरकार ने 9 अक्टूबर, 2007 को 2007–08 हेतु रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित/निर्धारित किए हैं जबकि 2007–08 मौसम की खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 17 मई, 2007 को घोषित/निर्धारित किए गए थे।

(ख) गत तीन वर्षों हेतु खरीफ तथा रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के अतिरिक्त किसानों के उत्पादन तथा उत्पादकता व आय बढ़ाने हेतु सरकार ने कृषि वृहत्त प्रबन्ध पद्धति के अन्तर्गत चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों हेतु एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम, तिलहन, दाल, पाम आयल तथा मक्का की एकीकृत स्कीम, किसानों के संस्थागत ऋण में वृद्धि करना, गुणवत्तायुक्त निवेश की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करना, बागवानी को शामिल करते हुए उच्च मूल्य वाली फसलों के विविधीकरण को त्वरित करना, सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों का कुशल उपयोग करना, शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली के निरन्तरता को बढ़ाना तथा कृषि बाजारों में सुधार करना जैसे कई कदम उठाए हैं। किसानों की आय में अधिकतम वृद्धि हेतु एन.एफ.एस.एम. तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई है।

(घ) और (ङ) न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण हेतु अपनाई गई प्रणाली कृषि मूल्यों के निर्धारण में सहायक होती है। 2003 में, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में प्रणाली मुद्दों के परीक्षण हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। सचिवों की समिति द्वारा इसकी सिफारिशों को पारित कर दिया गया है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(फसल वर्ष के अनुसार)

क्र.सं.	जिन्स	किस्म	2005–06	2006–07	2007–08
1	2	3	4	5	6
खरीफ फसलें					
1	धान	सामान्य	570	580ए	645$$
		ग्रेड ए	600	610ए	675$$
2	ज्वार	हाइब्रीड	525	540	600
		मालडाकी	–	555	620
3	बाजरा		525	540	600
4	मक्का		540	540	620
5	रागी		525	540	600
6	अरहर (तूर)		1400	1410	1550एए
7	मूंग		1520	1520	1700एए
8	उड़द		1520	1520	1700एए
9	कपास	एफ–414/एच–7	1760	1770*	1800*
		एच–4	1980	1990**	2030**

1	2	3	4	5	6
10	मूंगफली छिलके सहित		1520	1520	1550
11	सूरजमुखी बीज		1500	1500	1510
12	सोयाबीन	काली	900	900	910
		पीली	1010	1020	1050
13	तिल		1550	1560	1580
14	रामतिल		1200	1220	1240
रबी फसलें					
15	गेहूं		650$	750$$	1000
16	जौ		550	565	650
17	चना		1435	1445	1600
18	मसूर (लंटिल)		1535	1545	1700
19	रेपसीड/सरसों		1715	1715	1800
20	कुसुम्भ		1565	1565	1650
21	तोरिया		1680	1680	

$ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 50 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस देय था।

$$ गेहूं तथा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100 रुपए प्रति क्विंटल एक अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस देय है।

ए 1.10.2006 से 31.03.2007 के मध्य 40 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस देय था। बिहार तथा केरल के मामले में अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस 31.5.2007 तक बढ़ा दिया गया तथा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु और प. बंगाल के मामले में 30.9.2007 तक अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस बढ़ा दिया गया।

* मध्यम स्टेपल

** लम्बे स्टेपल

एए न्यूनाधिक रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देय है।

खुले बाजार से खाद्यान्नों की खरीद

353. श्री एल. राजगोपाल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खुले बाजार से खाद्यान्नों को खरीदकर इन्हें देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से संवितरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू खरीद के फलस्वरूप अनुमानित बचत के आकलन को दर्शाते हुए इससे कितना लाभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) फिलहाल केन्द्रीय पूल के लिए घरेलू बाजार से खाद्यान्न खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

टीआरएआई द्वारा की गई सिफारिशें

354. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सरकार को 3जी स्पेक्ट्रम और ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस प्रणाली को स्थापित करने और ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कीमतें निर्धारित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) उक्त प्रणालियों की स्थापना के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को क्या लाभ होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने 3जी सेवाओं और ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) सेवाओं के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। इनके ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) 3जी (तीसरी पीढ़ी) के नेटवर्क उच्चतर डाटा दरें प्रदान करने में सक्षम होंगे और वॉयस, फैक्स तथा परंपरागत डाटा सेवाओं के अतिरिक्त हाई-रेजोल्यूशन वीडियो और मल्टी मीडिया सेवाओं जैसी विभिन्न प्रकार की सेवाओं को सहायता प्रदान करने में भी सक्षम होंगे। ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) सेवाओं की शुरूआत करने से ब्रॉडबैंड के सेवा क्षेत्र में विस्तार होगा तथा ब्रॉडबैंड के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी। इससे देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड के विस्तार के स्तर की समस्या का भी समाधान होगा।

विवरण-I

3जी सेवाओं के लिए दिशा-निर्देश

- 3जी (तीसरी पीढ़ी) मोबाइल दूरसंचार मोबाइल नेटवर्कों की अगली पीढ़ी का जेनेरिक नाम है जो वायरलैस मोबाइल प्रौद्योगिकी को उच्च डाटा दर की पारेषण क्षमताओं के साथ जोड़ेगा। 3जी के नेटवर्क उच्चतर डाटा दरें प्रदान करने में सक्षम होंगे और वायस, फैक्स तथा परंपरागत डाटा सेवाओं के अतिरिक्त हाई-रेज़ोल्यूशन वीडियो और मल्टी मीडिया सेवाओं जैसी विभिन्न प्रकार की सेवाओं को सहायता प्रदान करने में भी सक्षम होंगे।
- 3जी स्पेक्ट्रम की अनुमति 2.1 गीगाहर्ट्ज बैंड में दी जाएगी।
- 3जी लाइसेंस एक विशिष्ट एजेंसी द्वारा एक नियंत्रित, एककालिक आरोही ई-ऑक्शन के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे ताकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
- यह निर्णय किया गया है कि सफल सेवा प्रदाता प्रारम्भिक, एकबारगी स्पेक्ट्रम प्रभार के अतिरिक्त, आवर्ती वार्षिक स्पेक्ट्रम प्रभार के रूप में, अपने कुल समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 0.5% अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्रभार का भुगतान करेगा। इस अतिरिक्त राजस्व हिस्सेदारी को स्पेक्ट्रम के आबंटन की तारीख से 3 वर्षों के बाद समयोजित सकल राजस्व का 1 प्रतिशत रखे जाने का प्रस्ताव है।
- रॉल-आउट की अपेक्षाएं, जिनमें ग्रामीण रॉल-आउट और इनका अनुपालन नहीं किए जाने पर कठोर दंड लगाना शामिल है, विहित की गई हैं
- शुरुआती पांच वर्षों के दौरान विलय की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्पेक्ट्रम की बिक्री/पुनः बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ईवी-डीओ अनुप्रयोगों के लिए 800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में सीडीएमए स्पेक्ट्रम को 2.1 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम से पृथक रूप में माना जाएगा। यदि सीडीएमए आधारित सेवा प्रदाता 2x1.25 मेगाहर्ट्ज के ईवी-डीओ कैरियर की मांग करेंगे तो उनको 2.1 गीगाहट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए उच्चतम बोली की अनुपातिक राशि का भुगतान करना होगा।

विवरण-II

ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम (बीडब्ल्यूए) सेवाओं के लिए दिशानिर्देश

- प्रारंभ में बीडब्ल्यूए सेवाओं की अनुमति बीएसएनएल/एमटीएनएल के अलावा, 2.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में यूएएसएल और श्रेणी "क" के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को होगी।
- प्रत्येक सेवा प्रदाता को 2.5 गीगाहर्टज बैंड में 2x10 मेगाहर्ट्ज तक स्पेक्ट्रम आबंटित किया जायेगा जिसका उपयोग सेवा प्रदाता एफडीडी (युग्म में) या टीडीडी मोड में करेगा।
- बीडब्ल्यूए सेवाओं की अनुमति एक विशिष्ट एजेंसी द्वारा एक नियंत्रित, एककालिक आरोही ई-ऑक्शन के माध्यम से दी जाएगी ताकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
- आधार/आरक्षित कीमत 3जी स्पेक्ट्रम की राशि का 25 प्रतिशत होगी।
- प्रारंभिक, एक बारगी स्पेक्ट्रम प्रभार के अलावा, कुल समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्रभार आवर्ती वार्षिक स्पेक्ट्रम प्रभार के रूप में लगाया जाएगा। इस अतिरिक्त राजस्व हिस्सेदारी को स्पेक्ट्रम के आबंटन के समय से तीन वर्षों के पश्चात् समायोजित सकल राजस्व का 1 प्रतिशत रखे जाने का प्रस्ताव है।
- रॉल आऊट शर्तें, जिनमें ग्रामीण रॉल आऊट और इसका अनुपालन न होने पर कठोर दंड लगाना शामिल है, विहित की गई है।
- शुरूआती पांच वर्षों के दौरान विलय की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्पेक्ट्रम की बिक्री/पुनः बिक्री की अनुमति नहीं है।
- अन्य सेवा प्रदाताओं पर 2.3 गीगाहट्ज बैंड और 3.3-3.4 गीगाहर्ट्ज बैंड में बीडब्ल्यूए सेवाओ हेतु स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए विचार किया जाएगा।

- उपग्रह आधारित सेवाओं के साथ संगतता का मूल्यांकन करने के पश्चात 3.4–3.6 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के आबंटन पर विचार किया जाएगा।

डाकघर खोलने में छूट दिया जाना

355. **प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरस्थ, पहाड़ी, तथा सीमावर्ती राज्यों विशेषकर हिमाचल प्रदेश में डाकघरों की शाखाएं खोलने हेतु मानंड अपनाने में छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में कितने डाकघर खोले हैं तथा उन्नयन किए जाने हैं;

(घ) क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित लक्ष्य क्या है?

संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी हां। डाकघर खोलने के मानदंड संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) 11वीं योजना की शुरुआत से 9वीं और 10वीं योजनाओं से संबंधित योजना लक्ष्यों के मद्देनजर अब कोई डाकघर खोला/दर्जा बढ़ाया नहीं जाना है। नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश सर्किल में 29 डाकघरों सहित देश में खोले गए/दर्जा बढ़ाए गए डाकघरों की संख्या 2903 है।

(घ) और (ङ) 11वीं योजना के प्रारंभ से 9वीं और 10वीं योजनाओं से संबंधित योजना लक्ष्यों के मद्देनजर अब किसी डाकघर का दर्जा नहीं बढ़ाया जाना है। देश भर में हिमाचल प्रदेश सहित 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3353 डाकघरों के आबंटित लक्ष्य की तुलना में 2903 डाकघरों के खोले जाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 41 तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 निजी लक्ष्य थे और इन लक्ष्यों की तुलना में 9वीं तथा 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में क्रमशः 23 तथा 6 डाकघर खोले गए/दर्जा बढ़ाया गया। ब्यौरे क्रमशः विवरण–II और तथा III में दिए गए हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनंतिम लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण–IV में दिया गया है।

विवरण-I

1. **अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के मानदंड:**

1.1 **जनसंख्या**

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

गांवों के एक समूह की जनसंख्या 3000 (प्रस्तावित डाकघर ग्राम सहित)

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

एक अकेले गांव की जनसंख्या 500 अथवा गांवों के एक समूह की जनसंख्या 1000

1.2 **दूरी**

(क) सामान्य क्षेत्रों में

मौजूदा निकटतम डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 कि.मी. होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। निदेशालय द्वारा उन मामलों में न्यूनतम दूरी की सीमा में छूट दी जा सकती है जहां विशेष परिस्थितियों में ऐसी छूट अपेक्षित है। इन परिस्थितियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

1.3 **अनुमानित आय:**

(क) सामान्य क्षेत्रों में :

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की 33 1/3 प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम क्षेत्रों में:

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का 15 प्रतिशत होना चाहिए।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक न हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

2. **विभागीय उप डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने/विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड**

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में:

जिस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है, उसका न्यूनतम कार्यभारत पांच घंटे प्रतिदिन होना चाहिए। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक घाटे की अनुमेय सीमा 2400/– रु. तथा जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में 4800/– रु. है।

इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि नया डाकघर खोलने के परिणामस्वरूप न तो मूल डाकघर का घाटा अनुमेय सीमा से अधिक न हो और न ही उसकी आय न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम हो।

(ख) शहरी क्षेत्रों में:

शहरी क्षेत्रों में डाकघर आरंभ में आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा प्रथम वार्षिक पुनरीक्षा के समय इसे 5 प्रतिशत लाभ

दिखाना चाहिए ताकि वह आगे बनाए रखे जाने का पात्र बन सके।

20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच न्यूनतम दूरी 1.5 कि.मी. होनी चाहिए, तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह 2 कि.मी. होनी चाहिए। तथापि, कोई भी दो वितरण डाकघर एक दूसरे से 5 कि.मी. से नजदीक नहीं होने चाहिए।

शहरी क्षेत्र में एक वितरण डाकघर में न्यूनतम 7 पोस्टमैन बीट्स होनी चाहिए।

विवरण-II

9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्किलवार खोले गए डाकघर

क्र. सं.	सर्किल	लक्ष्य 1997–98		खोले गए 1997–98		लक्ष्य 1998–99		खोले गए 1998–99		लक्ष्य 1999–2000		खोले गए 1999–2000		लक्ष्य 2000–2001		खोले गए 2000–2001		लक्ष्य 2001–2002		खोले गए 2001–2002	
		बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ	बीओ	एसओ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	आन्ध्र प्रदेश	10	2	10	3	10	2	10	2	15	2	4	3	15	1	6	2	15	शून्य	3	शून्य
2	असम	25	2	18	3	54	5	54	5	.50	4	24	7	30	3	30	3	35	2	35	2
3	बिहार	40	5	31	4	72	2	72	2	50	3	51	शून्य	53	1	70	1	60	शून्य	38	शून्य
4	छत्तीसगढ़													25	1	25	1	25	1	25	1
5	दिल्ली	5	2	5	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	2	2	2	2
6	गुजरात	25	2	18	3	31	2	31	2	30	3	28	2	20	3	8	4	20	2	18	2
7	हरियाणा	15	2	13	2	13	3	13	3	15	2	12	1	15	1	2	1	2	1	शून्य	1
8	हिमाचल प्रदेश	10	2	4	शून्य	7	1	7	1	7	1	2	1	7	1	2	1	5	शून्य	5	शून्य
9	जम्मू–कश्मीर	15	1	11	1	23	1	23	1	15	1	14	1	5	1	5	1	13	शून्य	13	शून्य
10	झारखंड													22	1	शून्य	1	15	1	शून्य	1
11	कर्नाटक	30	5	24	5	12	4	12	4	21	3	21	3	21	2	21	2	20	2	13	2
12	केरल	10	2	7	1	12	3	12	3	4	2	4	2	4	1	4	1	2	1	2	1
13	मध्य प्रदेश	37	2	41	2	50	5	50	5	40	4	40	4	15	3	15	3	21	3	21	3
14	महाराष्ट्र	35	3	34	4	69	3	69	3	50	2	50	3	60	7	60	7	65	9	65	10
15	उत्तर पूर्व	25	3	18	3	54	3	54	3	40	2	19	3	40	2	3	3	.35	2	13	2
16	उड़ीसा	27	2	21	3	10	2	10	2	14	2	14	2	10	2	10	2	14	2	14	2
17	पंजाब	17	2	12	2	12	2	12	2	10	1	9	1	14	3	12	2	6	8	6	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	राजस्थान	33	2	33	1	30	1	30	1	27	2	24	1	20	2	20	2	20	4	20	4
19	तमिलनाडु	21	2	21	3	10	2	10	2	15	2	15	2	15	2	15	2	5	2	5	2
20	उत्तर प्रदेश	70	6	57	6	82	3	82	3	50	3	10	2	44	1	45	शून्य	40	2	38	2
21	उत्तरांचल													6	शून्य	6	1	25	1	15	1
22	पश्चिम बंगाल	50	3	24	4	43	4	43	4	43	9	41	9	55	10	शून्य	10	55	5	54	5
	कुल	500	50	402	52	598	50	598	50	500	50	386	49	500	50	363	52	500	50	405	51

लक्ष्य : 2848 उपलब्धि : 2408

बीओ : शाखा डाकघर एसओ : उप डाकघर

विवरण-III

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या

क्र.सं.	सर्किल का नाम	वार्षिक योजना 2002-2003				वार्षिक योजना 2003-2004				वार्षिक योजना 2006-2007	
		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य		उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि
		ईडीबीओ	डीएसओ	ईडीबीओ	डीएसओ	ईडीबीओ	डीएसओ	ईडीबीओ	डीएसओ	डीएसओ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आन्ध्र प्रदेश	3	शून्य	3	शून्य	2	1	2	1		
2	असम	15	1	15	1	14	1	14	1	1	1
3	बिहार	15	शून्य	15	शून्य	15	1	15	1	1	1
4	छत्तीसगढ़	20	1	20	1	16	1	16	1		
5	दिल्ली	1	1	1	1	1	शून्य	1	शून्य		
6	गुजरात	15	शून्य	15	शून्य	10	1	9	1		
7	हरियाणा	शून्य	1	शून्य	1	2	1	2	1	1	1
8	हिमाचल प्रदेश	2	शून्य	2	शून्य	2	1	2	1	1	1
9	जम्मू व कश्मीर	5	शून्य	5	शून्य	7	1	7	1	1	1
10	झारखंड	10	शून्य	8	शून्य	6	1	6	1		
11	कर्नाटक	9	1	8	1	4	1	4	1		
12	केरल	2	1	2	1	6	1	6	1		
13	मध्य प्रदेश	14	1	16	1	15	1	15	1	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	महाराष्ट्र	30	8	30	8	25	2	25	2		
15	उत्तर पूर्व	9	1	9	1	10	1	10	1	1	1
16	उड़ीसा	10	1	10	1	6	1	6	1		
17	पंजाब	5	1	5	1	5	शून्य	5	शून्य		
18	राजस्थान	18	2	18	2	15	1	15	1		
19	तमिलनाडु	5	1	5	1	6	1	6	1		
20	उत्तर प्रदेश	18	1	18	1	20	1	20	1		
21	उत्तराखंड	4	शून्य	4.	शून्य	5	शून्य	5	शून्य	2	2
22	पश्चिम बंगाल	39	2	32	2	6	शून्य	6	शून्य		
	सिक्किम	1	1	शून्य	1	2	1	2	1		
	कुल	250	25	241	25	200	20	199	20	10	10

2004-2005 और 2005-2006 के दौरान कोई लक्ष्य आबंटित नहीं किए गए।

लक्ष्य : 505 उपलब्धि : 495

विवरण-IV

वर्ष 2007-08 के दौरान शाखा डाकघर और विभागीय उप डाकघर खोलने के अनंतिम लक्ष्य

11वीं पंचवर्षीय योजना

क्र.सं.	सर्किल का नाम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर		विभागीय उप डाकघर
		लक्ष्य		लक्ष्य
		ग्रामीण	जनजातीय	
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	10	2	25
2	असम	6	1	10
3	बिहार	10	1	25
4	छत्तीसगढ़	10	2	20
5	दिल्ली	शून्य	शून्य	20
6	गुजरात	13	2	25
7	हरियाणा	8	शून्य	15
8	हिमाचल प्रदेश	5	शून्य	15
9	जम्मू व कश्मीर	9	2	15
10	झारखंड	5	2	20
11	कर्नाटक	10	2	25
12	केरल	5	शून्य	15
13	मध्य प्रदेश	14	4	30
14	महाराष्ट्र	14	2	25
15	उत्तर-पूर्व	27	16	20
16	उड़ीसा	5	3	15
17	पंजाब	5	शून्य	15
18	राजस्थान	5	3	25
19	तमिलनाडु	12	2	35
20	उत्तर प्रदेश	10	2	30
21	उत्तराखंड	5	शून्य	10
22	पश्चिम बंगाल	12	4	25
	कुल	200	50	460

40 विभागीय उप डाकघरों के लक्ष्य यथासमय आबंटित किए जाएंगे।

तिलहनों का आयात

356. श्री राकेश सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान तिलहन उत्पादों के आयात में वृद्धि हुई;

(ख) यदि हां, तो देश में तिलहन उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) वनस्पति तेल निर्धारित (खाद्य) रूप में तिलहनों का आयात 2004-05 के दौरान 4.7 मिलियन टन था, यह 2006-07 में 4.2 मिलियन टन तक कम हुआ है। तिलहनों के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार तिलहन फसल का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए एवं देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु तिलहन उगाने वाले 15 प्रमुख राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "तिलहन, दालों, पाम आयल तथा मक्का पर केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत स्कीम (आइसोपॉम)" कार्यान्वित कर रही है। स्कीम के अंतर्गत नस्ली बीजों की खरीद, मूल बीजों का उत्पादन, प्रमाणित बीजों का उत्पादन तथा वितरण, बीज मिनीकिटों के वितरण, पौध संरक्षण रसायनों, पौध संरक्षण उपकरणों, कीटनाशकों, रिजोबियम कल्चर/फास्फेट सोलोबीलाइजिंग बैक्टीरिया की आपूर्ति, जिप्सम/पायराइड/लाइमिंग/डोलोमाइट के वितरण छिड़काव सेटों तथा पानी की पाइपों के वितरण, प्रशिक्षण प्रचार इत्यादि पर देश में तिलहन फसलों को उगाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसानों में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों पर जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से ब्लाक प्रदर्शन तथा एकीकृत कीट प्रबन्धन, प्रदर्शन राज्य कृषि विभाग द्वारा तथा फ्रन्ट लाईन प्रदर्शन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान कुल तिलहनों का राज्यवार उत्पादन

उत्पादन ('000 मीटरी टन)

राज्य	2003-2004	2004-2005	2005-2006
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1614.1	2209.4	2041.0
अरुणाचल प्रदेश	27.3	27.0	22.7
असम	157.0	146.8	113.2
बिहार	123.8	116.9	136.5
छत्तीसगढ़	127.0	123.7	126.5
गोवा	5.7	5.4	7.9
गुजरात	5665.0	2986.9	4682.0
हरियाणा	997.8	840.5	825.2
हिमाचल प्रदेश	9.2	12.0	5.2
जम्मू एवं कश्मीर	42.1	124.2	2.7
झारखंड	8.0	7.0	8.5
कर्नाटक	934.1	1570.0	1715.0
केरल	2.3	1.9	2.6
मध्य प्रदेश	5623.6	4797.7	5721.9
महाराष्ट्र	2921.0	2744.1	3373.0
मणिपुर	0.4	0.8	0.7
मेघालय	6.4	6.5	6.7
मिजोरम	5.4	5.6	5.4
नागालैंड	66.8	81.9	62.8
उड़ीसा	156.9	179.5	187.7
पंजाब	103.8	100.4	89.6
राजस्थान	3996.8	5541.1	5964.0
सिक्किम	7.4	7.6	7.2
तमिलनाडु	963.6	1061.1	1152.9
त्रिपुरा	3.8	3.9	3.9
उत्तर प्रदेश	927.8	952.3	1066.5
उत्तरांचल	34.0	38.0	30.0
पश्चिम बंगाल	650.7	652.9	610.4
दादरा और नगर हवेली	0.1	0.1	0.1
दिल्ली	1.7	5.0	2.9
पांडिचेरी	2.5	3.3	3.2
अखिल भारत	25186.1	24353.5	27977.9

हस्तशिल्प तथा वस्त्र क्षेत्रों का विकास

357. श्री एन.एस.वी. चित्तन :

श्री एम. अप्पादुरई :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा हस्तशिल्प तथा वस्त्रों के विकास हेतु राज्य–वार पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा राज्य–वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में कुशल तथा अकुशल शिल्पकारों हेतु प्रोत्साहन तथा सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए हस्तशिल्प एवं वस्त्र के लिए आबंटित तथा जारी की गई राशि नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	हस्तशिल्प		वस्त्र (हस्तशिल्प को छोड़कर)	
वर्ष	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
2004–05	103.00	78.69	775.00	651.18
2005–06	105.00	96.12	1045.00	1005.24
2006–07	110.00	99.03	1239.50	1313.00
2007–08 (05.11.2007 तक)	220.00	11.22	2023.00	1102.18

हस्तशिल्प एवं वस्त्र क्षेत्र के लिए योजना कार्यक्रमों के तहत राशि योजना–वार आबंटित तथा जारी की जाती है न कि राज्यवार।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। विभिन्न योजनाओं जैसे कि बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प योजना, डिजायन एवं तकनीकी उन्नयन, मानव संसाधन विकास, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, हथकरघा के लिए स्वीकृत विकास योजना, विविधीकृत हथकरघा विकास योजना, मिल गेट मूल्य योजना, रेशम रीलिंग, ट्विस्टिंग, वैट प्रसंस्करण और बुनाई एककों की स्थापना के लिए योजनाओं के तहत प्रोत्साहन तथा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये योजनाएं इनपुट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी के उन्नयन, प्रचार, विपणन सहायता, नए डिजायनों के विकास और उत्पाद विकास के लिए सहायता प्रदान करती है।

[अनुवाद]

किसान बीमा आय योजना

358. डा. एम. जगन्नाथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में किसान बीमा आय योजना शुरु की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन–किन राज्यों में इस योजना के शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को हटाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) चयनित जिलों/राज्यों में रबी 2003–04 और खरीफ 2004 मौसमों में फार्म आय बीमा योजना (एफआईआईएस) संबंधी पायलट परियोजना शुरू की गई। परन्तु स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा किए गए समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्षों और विद्यमान फसल बीमा योजनाओं में अपेक्षित सुधारों का अध्ययन करने के लिए गठित संयुक्त करने के लिए गठित संयुक्त दल की सिफारिशों के आधार पर रबी 2004–05 मौसम में एफआईआईएस संबंधी पायलट परियोजना बंद कर दी गई।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दिल्ली को जल की आपूर्ति

359. श्री रामदास आठवले : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान यमुना नदी से केन्द्र सरकार/उपरि यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) से कितनी मात्रा में पानी की मांग की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार/यूवाईआरबी द्वारा दिल्ली को कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध कराया गया;

(ग) क्या उक्त मात्रा मांग के अनुरूप थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या पानी की मांग में बहुत वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश नारायण यादव) : (क) यमुना से जल के लिए दिल्ली सरकार की मांग तीन जल उपचार संयंत्रों (डब्ल्यूटीपीएस) अर्थात् वजीराबाद, चन्द्रावल और हैदरपुर–II के लिए है। इन तीनों जल उपचार संयंत्रों की कुल क्षमता 310 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) है जिसकी पूर्ति 625 क्यूसेक कच्चे जल द्वारा की जा सकती है। इन तीन संयंत्रों के अतिरिक्त, मानसून अवधि (जुलाई से अक्टूबर) के दौरान 100 एमजीडी की क्षमता सहित हैदरपुर–डब्ल्यूटीपी के लिए भी यमुना जल की मांग की गई है जिसकी पूर्ति 200 क्यूसेक कच्चे जल द्वारा की जा सकती है। यमुना पर निर्भर इन संयंत्रों की क्षमता पिछले तीन वर्षों के लिए वही थी और कच्चे जल की मांग भी समान थी।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली द्वारा यमुना जल के बंटवारे के संबंध में 12 मई, 1994 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार दिल्ली को यमुना जल का वार्षिक आबंटन 0.724 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है। 1994 के समझौता ज्ञापन के अनुसार दिल्ली को यह आबंटन ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा किया गया है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 29.02.1996 के आदेश के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार वजीराबाद और हैदरपुर में पूर्ण तालाब स्तर को बरकरार रखा जा रहा है ताकि वजीराबाद, हैदरपुर और चन्द्रावल जल उपचार संयंत्रों के लिए जल की कमी न हो। दिल्ली को यमुना जल की आपूर्ति/निर्मिमुक्ति 1994 के समझौता ज्ञापन और दिनांक 29.02.1996 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप ताजेवाला हरियाणा द्वारा की गई है।

(ङ) और (च) जनसंख्या में वृद्धि के कारण जल की मांग में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है। मुख्य भावी मांग पूरी करने के उद्देश्य से अर्थात् मुनक से हैदरपुर डब्ल्यूटीपी तक समानान्तर लाइन चैनल को पूरा करने और ऊपरी यमुना बेसिन में रेनूका, किशाऊ और लखवार व्यासी सहित भंडारण बांध प्रारम्भ करने जैसे कई उपाय प्रारंभ किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

360. प्रो. महादेवराव शिवनकर :

प्रो. एम. रामदास :

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात् बाल श्रम उन्मूलन हेतु राज्यवार तथा कार्यक्रमवार कितनी धनराशि जारी तथा उपयोग की गई तथा उक्त कार्यक्रमों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा;

(ख) धनराशि के उपयोग न करने के क्या कारण हैं;

(ग) आबंटित धनराशि के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) बाल श्रम के उन्मूलन हेतु कार्यक्रमों में कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) सरकार, बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु देश के 250 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की स्कीम (एन.सी.एल.पी) लागू कर रही है। भारत सरकार और अमेरिकी श्रम विभाग की संयुक्त रूप से वित्तपोषित परियोजना इंडस बाल श्रम परियोजना भी 21 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। एन सी एल पी और साथ ही इंडस परियोजनाओं के अंतर्गत संबंधित जिलाधिकारियों को निधियां जारी की जाती हैं। इन परियोजनाओं के अलावा, सरकार इन जिलों में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना भी लागू कर रही है जो एन सी एल पी/इंडस परियोजनाओं के अंतर्गत नहीं आते। एन सी एल पी, इंडस और बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु सहायता अनुदान योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई/उपयोग में लाई गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में अनुसार है। जारी की गई निधियां जिलों द्वारा योजनाओं के अंतर्गत दिए गए विभिन्न घटकों के अधीन उपयोग में लाई जाती हैं। एन सी एल पी योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियों का पूर्ण उपयोग (90 प्रतिशत से अधिक) किया गया है। इंडस परियोजना 2003 में ही आरम्भ हुई थी अतः परियोजना वाले जिलों में स्कूलों के विलम्ब से प्रारम्भ होने के कारण और परियोजना के कतिपय अन्य घटकों पर निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है। एन सी एल पी योजना के अंतर्गत विशेष स्कूलों में इस समय 3.37 लाख बच्चे नामांकित हैं और 4.57 लाख बच्चों को पहले ही मुख्यधारा में लाया जा चुका है। इसी प्रकार, इंडस परियोजना के अंतर्गत 43014 बच्चे विशेष स्कूलों में नामांकित हैं और 27,553 बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल किया जा चुका है।

(ग) योजना के क्रियान्वयन को आवधिक रिपोर्टों/विवरणियां तथा राज्य और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दलों के माध्यम से नियमित रूप से मॉनीटर किया जा रहा है। निधियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

(घ) एन सी एल पी योजना के अंतर्गत 4.57 लाख बच्चों को और इंडस परियोजना के अंतर्गत 27553 बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में लाया जा चुका है।

विवरण

एन सी एल पी योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय

(रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004–05	2005–06	2006–07
1	आंध्र प्रदेश	232220831	211610829	141635611
2	असम	686500	12468000	12403500
3	बिहार	28205834	43386910	142679960
4	छत्तीसगढ़	23080814	36857738	31107540
5	गोवा	592000	0	0
6	गुजरात	2153500	4404800	15549200
7	हरियाणा	458500	1718000	0
8	जम्मू व कश्मीर	458500	592000	0
9	झारखंड	19285773	37280078	18382939
10	कर्नाटक	33101388	50651674	52567717
11	मध्य प्रदेश	44521226	36826745	29409567
12	महाराष्ट्र	16848418	19255655	27828784
13	उड़ीसा	131264355	134419118	110792590
14	पंजाब	18404902	15528577	9020900
15	राजस्थान	44303713	68613939	116269919
16	तमिलनाडु	72462692	98404201	62730916
17	उत्तर प्रदेश	70736376	151892537	186647881
18	उत्तरांचल	61368	592000	0
19	पश्चिम बंगाल	74236099	83128311	99140687

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इंडस के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों का व्यय

(रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004–05	2005–06	2006–07
1.	महाराष्ट्र	17202840	27933618	22118000
2.	मध्य प्रदेश	20140000	29149893	21238000
3.	तमिलनाडु	23773134	25597200	19065550
4.	उत्तर प्रदेश	38884026	40064507	45135853

स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों का व्यय दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1.	असम	3,65,906	4,57,650	4,57,650
2.	बिहार	2,46,285	शून्य	शून्य
3.	छत्तीसगढ़	4,57,588	1,14,412	शून्य
4.	हरियाणा	1,70,100	शून्य	शून्य
5.	झारखंड	4,57,650	शून्य	शून्य
6.	जम्मू व कश्मीर	11,44,267	शून्य	3,43,238
7.	मध्य प्रदेश	13,17,491	2,16,112	2,28,825
8.	महाराष्ट्र	16,67,377	22,80,342	9,10,766
9.	मणिपुर	5,59,350	23,71,658	18,68,737
10.	नागालैंड	शून्य	2,91,669	6,86,475
11.	नई दिल्ली	101742	1774050	6,04,710
12.	उड़ीसा	2618650	3300986	20,54,928
13.	राजस्थान	3252446	968284	17,25,265
14.	त्रिपुरा	68,456	शून्य	2,28,825
15.	तमिलनाडु	1,16,841	शून्य	शून्य
16.	उत्तर प्रदेश	3640640	2950538	19,01,257
17.	पश्चिम बंगाल	1803889	654477	8,19,037

राज्य रोजगार केन्द्रों को आपस में जोड़ना

361. श्री अधीर चौधरी :

श्री निखिल कुमार :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी राज्य रोजगार केन्द्रों को आपस में जोड़ने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन माह के दौरान देश में राज्य रोजगार केन्द्रों के माध्यम से वास्तव में कितने लोगों को नौकरियां प्रदान की गई;

(घ) क्या सभी राज्य रोजगार केन्द्रों के जुड़ने से नौकरी चाहने वालों को बेहतर अवसर मिलने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत रोजगार कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण पर एक मिशन मोड परियोजना (एम एम पी) आरंभ की गई है, जिसके अंतर्गत सभी रोजगार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण प्रस्तावित है और उन्हें राष्ट्रीय वेब पोर्टल के साथ जोड़ा जाना है, जिसमें विभिन्न उद्यमों में उपलब्ध नौकरियों से संबंधित सूचना एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों द्वारा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित व्यक्तियों का ब्यौरा रखा जाएगा।

(ग) नवीनतम उपलब्ध सूचनानुसार, वर्ष 2006 के दौरान देश के रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किए गए नियोजन की संख्या 1.77 लाख थी।

(घ) और (ङ) रोजगार कार्यालयों को अंतरसंबंधित किए जाने पर इनके द्वारा उद्योग तथा रोजगार चाहने वालों को बेहतर तथा त्वरित सेवाएं प्रदान की जानी अपेक्षित हैं।

[हिन्दी]

डाक मदों की बिक्री में कटौती

362. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्री संतोष गंगवार :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी के विकास तथा कुरियर कंपनियों के कारण डाक प्रणाली को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ वर्षों पहले टेलीग्राफ, पोस्टकार्ड तथा अन्तर्देशीय पत्रों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान टेलीग्राम, पोस्टकार्ड तथा अन्तर्देशीय पत्रों की बिक्री में कितनी कमी दर्ज की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बुक किए गए टेलीग्रामों एवं बेचे गए पोस्ट कार्डों, अंतर्देशीय पत्रों की संख्या में कमी दर्ज की गई, जो निम्न प्रकार है:–

करोड़ रुपए में

मद का नाम	बीएसएनएल द्वारा बुक की गई			डाकघरों द्वारा बुक/बेची गई		
	2004–05	2005–06	2006–07	2004–05	2005–06	2006–07
टेलीग्राम	1.51	1.13	0.79	0.14	0.09	0.04
पोस्टकार्ड	–	–	–	155.69	132.53	128.45
अंतर्देशीय पत्र	–	–	–	120.29	102.49	100.13

किसानों द्वारा आत्महत्या

363. **श्री संजय धोत्रे :**
श्री एन.एन. कृष्णदास :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विदर्भ क्षेत्र तथा देश के कुछ अन्य भागों से किसानों की आत्महत्या की कोई घटना प्रकाश में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए विदर्भ मॉडल पैकेज पर क्रियान्वयन शुरू होने के बाद भी यह कैसे हुआ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या विशेष पैकेज के अंतर्गत ऋण किसानों को दिए गए चेकों के बाउंस होने की घटना की जानकारी सरकार को दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई दो वर्षों की अद्यतन सूचना पर आधारित किसान आत्महत्या की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किसानों द्वारा आत्महत्या का मुख्य कारण फसल असफलता, ऋणग्रस्तता, सूखा, सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा है। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों में फैले 31 जिलों के लिए 16978.69 करोड़ रुपए का पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया है। अल्पावधिक और दीर्घावधिक उपायों वाले पैकेज को तीन वर्षों की अवधि । में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य किसानों को ऋण राहत, संस्थागत ऋण की बेहतर आपूर्ति, कृषि के लिए फसल केन्द्रित दृष्टिकोण सिंचाई सुविधाओं, पनधारा प्रबंधन, बेहतर विस्तार और कृषि समर्थन सेवाओं, बेहतर विपणन सुविधाओं तथा सहायक आय अवसरों के जरिए संधारणीय तथा व्यवहार्य कृषि और आजीविका समर्थन प्रणाली स्थापित करना है। पुनर्वास पैकेज के क्रियान्वयन की प्रगति का जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तर पर नियमित आधार पर मानिटरन और समीक्षा की जा रही हैं।

(ङ) और (च) ऐसी कोई घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

विवरण

राज्य सरकारों द्वारा यथा सूचित किसानों द्वारा आत्महत्या की अद्यतन संख्या

(30.09.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अवधि	संख्या (राज्य सरकारों द्वारा सूचित आंकड़ों पर आधारित)	
1.	आन्ध्र प्रदेश	2006	448	
		2007 (30.06.2007 तक)	114	
2.	कर्नाटक	2006–07	320	
		2007–08 (10.07.2007 तक)	73	
3.	महाराष्ट्र		कुल	(इसमें से विदर्भ के लिए संख्या)
		2006	2355	1448
		2007-08 (अप्रैल 2007 तक)	607	375
4.	केरल	2001 से 2006	841	
		2007 (31.01.2007 तक)	13	
5.	तमिलनाडु	2000–2007 (मार्च 2007 तक)	26	
6.	पंजाब	2005	6	
		2006	3	
7.	गुजरात	2005	7	
		2006 (30.05.2006 तक)	1	

[अनुवाद]

कृषि नीतियां

364. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तथा शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कृषि नीतियों को किसान हितैषी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में गैर–बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे कि उत्पादकों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ग) नौवीं योजना के दौरान तथा दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान औसत वार्षिक विकास लगभग 2 प्रतिशत (1999–2000 के मूल्यों पर) था जबकि वार्षिक लक्षित विकास दर 4 प्रतिशत थी। लक्षित विकास प्राप्त करने में कमी के मुख्य कारण कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र के पर्याप्त निवेश का अभाव तथा दसवीं योजना की मध्यवर्ती अवधि में मानसून की आवधिक विफलता थे। तथापि, अन्तिम दो वर्षों के दौरान प्राप्त औसत विकास दर 4 प्रतिशत से अधिक रही है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में सुधार के सकारात्मक लक्षण देखे गए हैं। इसे बनाए रखने के लिए और कृषि क्षेत्र को पुनः सक्रिय बनाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

– क्षेत्र विशिष्ट आधार पर मुख्य खाद्य फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में तेजी लाना।

- पनधारा अभिगम पर कृषि, आजीविका प्रणालियों के द्वारा वर्षा सिंचित और शुष्क भूमि क्षेत्रों का विकास।
- सबसे निचले स्तर पर वितरण तंत्र को सुधारने के लिए विस्तार प्रणाली में सुधार।
- कृषि और समवर्गी क्षेत्र में अधिक निवेश करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देना।

इस दिशा में विभाग ने हाल ही में निम्नलिखित प्रयास शुरू किए हैं:-

(i) भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर दो नई स्कीमें शुरू की हैं नामतः – देश में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राज्यों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ताकि कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जा सके तथा नियोजन प्रक्रिया और कृषि और समवर्गी क्षेत्रों की स्कीमों के कार्य निष्पादन में राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान की जा सके।

(ii) भारत सरकार ने राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्रशिक्षण, राष्ट्रीय बांस मिशन और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड का गठन किया।

इसके अलावा, कई योजना स्कीमें/कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार, विपणन सुधार, बागवानी विकास, उपयुक्त स्कीमों/परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को पर्याप्त लचीलापन प्रदान करते हुए वृहत्त प्रबंधन स्कीम, सहकारी क्षेत्र का पुनः सक्रियकरण और पर्याप्त ऋण का प्रावधान शामिल है।

उत्पादकों (किसानों) और उपभोक्ताओं के हितों के बीच संतुलन बनाये रखने के लिए भारत सरकार प्रत्येक वर्ष मुख्य कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और किसानों के हित की रक्षा करने के लिए जब मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे आ जाता है, हस्तक्षेप भी करती है। इसी प्रकार, कमी की स्थिति में, सरकार उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए आयात का सहारा लेकर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

(घ) से (च) सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाई गई थी। तथापि, वाणिज्य विभाग के दिनांक 31.10.2007 की अधिसूचना के अनुसार जहाज–पर्यन्त 425 अमेरिकी डालर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य पर गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी गई है। उपर्युक्त न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:-

(i) उन गैर बासमती चावल का निर्यात जिनके लिए 9.10.2007 तक साख पत्र खोला गया; और

(ii) पत्तन प्राधिकारियों द्वारा यथाप्रमाणित 10.10.2007 तक निर्यात हेतु पत्तन के गोदामों में लाया गया चावल।

भूमि का अधिग्रहण

365. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सरकारी तथा निजी कम्पनी प्रयोजनों हेतु अधिग्रहित भूमि के बीच भेद किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी है कि गैर–सरकारी प्रयोजन वाली कम्पनियों के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे सार्वजनिक प्रयोजन नहीं कहा जा सकता;

(घ) यदि हां, तो क्या यह विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जैड) तथा सरकार की भूमि–अधिग्रहण नीति के लिए धक्का है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त निर्णय के मद्देनजर सरकार द्वारा अपनी भूमि अधिग्रहण नीति को बदलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (ङ) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण पर अपने हाल के निर्णय में कहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में यह शर्त है कि कारखाना स्थापित करने के लिए अथवा अन्य किसी कारपोरेट प्रयोजन के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण न किया जाए। न्यायालय ने यह भी प्रेक्षण किया है कि जब राज्य भूमि अधिग्रहण पर कार्यवाही करना चाहता है, यह राय बनाये कि भूमि जिसका अधिग्रहण किया जा रहा है, अच्छी कृषि भूमि नहीं है। तथापि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, भूमि राज्य का विषय है, अतः भूमि अधिग्रहण और भूमि सुधारों के संबंध में उपयुक्त विधान लाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

भूमि/भूमि उपयोग भी राज्य का विषय है, अतः प्रत्येक राज्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि का अधिग्रहण करता है जो उनकी संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा अधिशासित होता है और यह विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजैड) हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए भी लागू है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अनुमोदन बोर्ड केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार करता है, जिनकी राज्य सरकार द्वारा विधिवत सिफारिश की गई है। एसईजैड अधिनियम, 2005 और एसईजैड अधिनियम, 2006 के प्रारम्भ होने से लेकर आज तक 405 एसईजैड की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन किया गया है जिसमें लगभग 52,922 हैक्टेयर भूमि शामिल है जिसमें से 21,616 हैक्टेयर भूमि पहले से ही राज्य औद्योगिक विकास

निगमों/विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकार में थी। चूंकि एसईजैड प्रयोजनों के लिए अधिगृहित भूमि बहुत ही कम है, अतः, ऐसे भूमि अधिग्रहण में कोई गड़बड़ी नहीं आई है।

राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई थी कि एसईजैड हेतु भूमि अधिग्रहण के मामले में, बंजर भूमि के अधिग्रहण को प्रथम प्राथमिकता दी जाए और यदि आवश्यक हो तो एसईजैड हेतु एकल फसल वाली कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाए। यदि खासकर बहु-उत्पादक एसईजैड हेतु न्यूनतम क्षेत्र आवश्यकताएं पूरी करने के लिए दोहरी फसल वाली कृषि भूमि के एक भाग के अधिग्रहण की बाध्यता हो तो यह एसईजैड हेतु अपेक्षित कुल भूमि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। एसईजैड से संबंधित विभिन्न मामले सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। मंत्रियों के अधिकार प्राप्त दल (ईजीओएम) द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसरण में 15 जून, 2007 को राज्य सरकारों को यह सूचित किया गया है कि अनुमोदन बोर्ड ऐसे किसी एसईजैड का अनुमोदन नहीं करेगा जहां राज्य सरकारों ने 5 अप्रैल, 2007 के बाद ऐसे एसईजैड हेतु भूमि का अधिग्रहण किया है या भूमि का अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करना चाहती हैं।

नए दूरसंचार नियम

366. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने नए दूरसंचार नियमों के प्रति अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में एसोसिएशन की क्या राय है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की "लाइसेंस की निबंधन और शर्तों की समीक्षा करने तथा अभिगम प्रदाताओं की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित करने" संबंधी सिफारिशें 29 अगस्त, 2007 को प्राप्त हुई थीं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ अभिगम सेवा दूरसंचार प्रचालकों की संख्या, स्पेक्ट्रम आबंटन संबंधी मानदंड, विलयन तथा अधिग्रहण आदि के संबंध में सिफारिशें की हैं। ट्राई ने उक्त सिफारिशें वैश्विक मोबाइल प्रणाली (जीएसएम) प्रचालकों सहित स्टेकहोल्डरों के साथ विचार-विमर्श प्रक्रिया के पालन के पश्चात की है।

सरकार ने ट्राई की सिफारिशों के संबंध में दिनांक 17.10.2007 को निर्णय ले लिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह स्वीकार किया गया है कि मौजूदा एकीकृत अभिगम सेवा (यू ए एस) लाइसेंस-धारकों के माध्यम से किसी सेवा क्षेत्र में अभिगम प्रदाता तथा दोहरे प्रौद्योगिकी (कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस (सीडीएमए) के प्रयोगों और वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली (जीएसएम) की कोई अधिकतम सीमा नहीं होनी चाहिए।

भारतीय सेल्युलर प्रचालक संघ तथा अन्य ने इन सिफारिशों पर सरकारी निर्णय को दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (डीटीएसएटी) में चुनौती दी है और यह मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

खाद्यान्न की मांग के संबंध में सर्वेक्षण

367. श्री हरिसिंह चावड़ा :

श्री बी.के. हुम्बर :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्न की मांग तथा आपूर्ति संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न की मांग का पता लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में खाद्यान्नों (चावल, गेहूं और दालों) की मांग और आपूर्ति के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) भारत में विभिन्न माल और सेवाओं के खपत पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन आवधिक सर्वेक्षण करता है। जुलाई, 2004 से जून, 2005 तक की अवधि को कवर करते हुए उन्होंने अद्यतन सर्वेक्षण अर्थात 61वें दौर का सर्वेक्षण किया था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट (रिपोर्ट संख्या 508(61/1.0/1) से लिए गए खाद्यान्नों (जिसमें अनाज और दालें शामिल है) के प्रति व्यक्ति मासिक खपत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं –

प्रति व्यक्ति मासिक खपत	ग्रामीण		शहरी	
	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर
मात्रा (कि.ग्रा.)	11.61	13.26	10.52	10.80

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की वार्षिक आवश्यकता का मूल्यांकन करने के काम में सर्वेक्षण के निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में खाद्यान्नों (चावल, गेहूं और दालों) की मांग और आपूर्ति के बारे में ब्यौरे (स्रोत – कृषि मंत्रालय)

वर्ष	मांग (मिलियन टन)	अनुमानित उत्पादन (मिलियन टन)	पहली अप्रैल को अथशेष स्टाक (भारतीय खाद्य निगम के पास) (मिलियन टन)	आयात (हजार टन)	निर्यात (हजार टन)
चावल					
2004–05	89.24	83.13	13.07	–	4778.1
2005–06	90.54	91.79	13.34	0.26	4088.17
2006–07	91.84	91.05	13.68	0.16	4745.52
गेहूं					
2004–05	68.21	68.64	6.93	0.22	2009.35
2005–06	69.25	69.35	4.07	–	746.18
2006–07	70.29	73.70	2.01	5454	47.83

दालें

वर्ष	मांग (मिलियन टन)	अनुमानित उत्पादन (मिलियन टन)	आयात (हजार टन)	निर्यात (हजार टन)
2004–05	13.23	13.13	1339.45	271.18
2005–06	13.43	13.39	1695.95	447.44
2006–07	13.64	14.10	2255.65	247.42

2007–08 के लिए अंतिम रूप दिए गए ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि

368. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 2007–08 के दौरान खाद्य सब्सिडी व्यय बजट आकलनों से बढ़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि खाद्य राजसहायता के अधीन निधियों की आवश्यकता खाद्य राजसहायता के अधीन 25424.89 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के ऊपर 15563.11 करोड़ रुपए तक बढ़ जाने की संभावना है।

नौसेना द्वारा संपत्ति को पट्टा-मुक्त करना

369. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री प्रकाश बी. जाधव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय, विशेषकर भारतीय नौसेना द्वारा विभिन्न संपत्तियों/फ्लैटों को पट्टा–मुक्त अथवा किराया–मुक्त करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में कुछ फ्लैटों को पट्टा–मुक्त अथवा किराया–मुक्त करने का मामला नौसेना तथा रक्षा संपदा महानिदेशालय (डी जी डी ई) के पास लम्बित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए पाठ्यक्रम

370. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई) हैं;

(ख) क्या भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने देश में आई टी आई संस्थानों की स्थिति के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(घ) आई टी आई में रोजगार की अधिक संभाव्यता वाले नए पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात् उद्योग जगत के विचार–विमर्श के पश्चात् शुरू किए/प्रस्तावित नए पेशों का ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) 01.09.2007 की स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से सम्बद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल संख्या 5465 थी जिसमें से आंध्र प्रदेश में राज्य में 535 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) फिक्की द्वारा किए गए अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष एवं सिफारिशें कौशलों की मांग एवं पूर्ति, अनुदेशकों की कमी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मूलभूत अवसंरचना की कमी, अपर्याप्त उद्योग संस्थान संबंध तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशिक्षण क्षमता के इष्टतम उपयोग के मध्य भिन्नता को दर्शाती है।

(घ) और (ङ) उद्योग की कुशल जनशक्ति आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) की सिफारिश पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए व्यवसाय आरंभ किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आरंभ किए गए व्यवसायों की वर्ष–वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। ये सभी व्यवसाय उद्योग के साथ सघन परामर्श से आरंभ किए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 2004–2005, 2005–2006 तथा 2006–2007 के दौरान शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत आरंभ किए गए 50 नए व्यवसायों की सूची

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम
1	2
वर्ष 2004-2005	
1.	अस्पताल हाउस कीपिंग
2.	कार्पोरेट हाउस कीपिंग
3.	इंस्टीट्यूशन हाउस कीपिंग
4.	डोमेस्टिक हाउस कीपिंग
5.	केबिन रूम अटेंडेंट
6.	डाटा एंट्री ऑपरेटर
7.	डेयरी
8.	बीमा एजेंट
9.	ड्राइवर सह मैकेनिक
10.	लिफ्ट मैकेनिक
11.	पर्यटक गाइड
12.	पुष्प कृषि एवं लैंडस्केपिंग

1	2
13.	स्वास्थ्य स्वच्छता निरीक्षक
14.	दन्त प्रयोगशाला तकनीशियन
15.	मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन
16.	उद्यान कृषि
17.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
18.	भवन अनुरक्षण
19.	वृद्धावस्था देखभाल
20.	नेटवर्क तकनीशियन
21.	मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स
22.	प्रि प्रिपरेटरी स्कूल प्रबंधन
23.	शिशु सदन प्रबंधन
24.	वास्तुविदीय सहायक
25.	डिजिटल फोटोग्राफर
26.	इवेन्ट प्रबंधन सहायक
27.	फैशन प्रौद्योगिकी
28.	फ्रंट ऑफिस सहायक
29.	आंतरिक सज्जा एवं डिजाइनिंग
30.	सैनिटरी हार्डवेयर फिटर
31.	मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स
32.	मैकेनिक मैकाट्रॉनिक्स
33.	ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स
34.	मैकेनिक कम्प्यूटर हार्डवेयर
35.	मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स
36.	मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स
वर्ष 2005-2006	
37.	मेरीन फिटर
38.	पाल नौका नाविक
वर्ष 2006-2007	
39.	हल्के वाहनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण मैकेनिक
40.	भारी वाहनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण मैकेनिक
41.	दुपहिया वाहनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण मैकेनिक
42.	संचार उपकरण अनुरक्षण मैकेनिक
43.	कम्प्यूटर सहाय्यित कशीदाकारी एवं सुईकारी
44.	लेंस/प्रिज्म ग्राइडिंग मैकेनिक
45.	फिजियोथेरेपी तकनीशियन
46.	अस्पताल अवशिष्ट प्रबंधन
47.	रेडियोलॉजी तकनीशियन (रेडियो डाइग्नोसिस एवं रेडियोथेरेपी)
48.	बुनाई तकनीशियन
49.	स्पिनिंग तकनीशियन
50.	टेक्सटाइल मैकाट्रॉनिक्स

नए टेलीकॉम लाइसेंस जारी किया जाना

371. **श्री सुग्रीव सिंह :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नए टेलीकॉम लाइसेंस जारी किए जाने हेतु दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(च) सरकार उक्त समिति की सिफारिशों को अंतिम रूप कब तक दे देगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (च) सरकार ने मौजूदा नीति के अनुसार आवेदक कंपनियों को नए एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएस) लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय ले लिया है।

हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा

372. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हस्तशिल्प उद्योग के बंद पड़े कार्यालयों को पुनः खोल दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन कार्यालयों को पुनः कब तक खोलने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। देश में हस्तशिल्पों का संवर्धन के लिए सरकार देशभर में विभिन्न स्कीमें क्रियान्वित कर रही है। ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में हस्तशिल्प उद्योग के विकास हेतु क्रियान्वयन के लिए संस्तुत की गई स्कीमों में चयनित शिल्प कलस्टरों के लिए एकीकृत विकास हेतु बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए एच वी वाई), विपणन एवं सहायता सेवा, डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास; मानव संसाधन विकास एवं कल्याण शामिल हैं।

(ग) सरकार के पास देश में हस्तशिल्प उद्योग के कार्यालयों के बन्द होने अथवा पुनः खुलने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

373. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उड़ीसा में दसवीं तथा चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किए जाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में विशेषकर उड़ीसा में सरकार द्वारा दसवीं योजना के दौरान प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं योजना के दौरान इस कार्य पर सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में विशेषकर उड़ीसा में सभी डाकघरों को कब तक कम्प्यूटरीकृत कर दिया जाएगा; और

(ङ) उक्त कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) देश में, विशेषकर उड़ीसा में डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किए जाने हेतु दसवीं एवं चालू पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

	दसवीं योजना का लक्ष्य (डाकघरों की संख्या)	प्राप्त लक्ष्य (डाकघरों की संख्या)
देश में	7700	8263
उड़ीसा में	246	255

चालू पंचवर्षीय योजना में डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किए जाने का प्रस्ताव को योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया है।

(ग) सरकार द्वारा दसवीं योजना अवधि के दौरान इस कार्य पर 559 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

(घ) और (ङ) जैसा कि ऊपर (क) एवं (ख) में उल्लेख किया गया है ग्यारहवीं योजना के दौरान डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किए जाने का प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया है। डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो योजना आयोग को प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की मंजूरी पर निर्भर है।

सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं

374. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की तुलना में संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में हो रही गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण आयोजित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्थिति में सुधार करने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) वर्ष 2004 और 2005 के दौरान निजी संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संख्या में 2.48% की वृद्धि हुई है, जो सरकारी क्षेत्र में 1.07% की वृद्धि की तुलना में अधिक है।

(ग) सरकारी क्षेत्र में महिला कार्यबल में कमी के कारणों की

पहचान करने के लिए ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है क्योंकि इस अवधि के दौरान उनकी संख्या में कोई कमी नहीं हुई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

असंतोषजनक दूरसंचार सेवाएं

375. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को असंतोष-जनक दूरसंचार सेवाओं तथा त्रुटिपूर्ण बिलों के लिए जिम्मेदार माना गया है क्योंकि यह निगरानी कार्य उचित ढंग से नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस प्राधिकरण का गठन किए जाने के उद्देश्य क्या हैं;

(घ) क्या ट्राई अपने उद्देश्य प्राप्त करने में सक्षम रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना, दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, दूरसंचार का संवर्धन करना तथा इसके सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना और इससे जुड़े अथवा इस संदर्भ में प्रासंगिक मामलों का निपटान करना है।

(घ) जी, हां।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएं

376. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा उसके बाद केन्द्र सरकार द्वारा देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण तथा उनकी स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों को राज्य-वार तथा योजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई और उपलब्ध करायी गई तथा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे राज्य-वार असंगठित क्षेत्र के कितने श्रमिक लाभान्वित हुए?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस) : (क) से (ग) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से, सरकार ने बीड़ी, सिने और कतिपय गैर-कोयला खान श्रमिकों के लिए कल्याण निधियां स्थापित की हैं। इन कल्याण निधियों के तहत, स्वास्थ्य सेवा, आवास, बच्चों को शिक्षा आदि संबंधी कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। योजनाओं का कार्यान्वयन श्रम कल्याण महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निधि आबंटन, व्यय तथा लाभार्थियों की संख्या संबंधी विवरण संलग्न है। श्रम कल्याण निधि के लाभार्थी इन कल्याण योजनाओं से प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर रहे है और निधियां राज्य सरकारों को जारी नहीं की जातीं।

असंगठित क्षेत्र के मौजूदा लाभार्थी श्रमिकों से अधिक की व्याप्ति हेतु सरकार ने असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 को राज्य सभा ने 10.09.2007 को पुरःस्थापित किया है ताकि ऐसे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दी जा सके।

विवरण

स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, आवास और जलापूर्ति के लाभ देने वाली विभिन्न कल्याण निधियों के तहत आबंटित निधि, व्यय तथा लाभार्थियों की संख्या

हजार रुपए में

निधि का नाम	वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07		श्रमिकों की अनुमानित संख्या
	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8
बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि	884880	881731	940000	1325789	1340000	1351120	5053[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
चूना–पत्थर डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि	75434	75130	85000	79460	99400	77561	127403
लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि	99482	98465	117500	100387	133500	86355	83152
अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि	10688	10688	13800	10553	14000	11616	421
सिने श्रमिक कल्याण निधि	8300	8789	8300	9341	10300	8913	63823

नोट : योजना के लाभार्थियों में श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं।

मोबाइल फोन कनेक्शन

377. **श्री संतोष गंगवार : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 (अर्द्ध–वार्षिक) के दौरान कितने मोबाइल फोन कनेक्शन बेचे गए;

(ख) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी किए गए पहचान संबंधी नियमों को पूरा नहीं किए जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी सर्किल–वार तथा सेवाप्रदाता कंपनी–वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

शिल्पकारों के लिए कल्याण योजनाएं

378. **श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में हस्तशिल्पकारों के लिए चलाई जा रही कल्याण योजनाओं का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा योजनाओं का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके बाद किए गए ऐसे मूल्यांकन के राज्य–वार क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या ऐसे मूल्यांकन के दौरान कोई विसंगति पाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन्हें सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) इन योजनाओं के लाभों को लक्षित लाभान्वितों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) हस्तशिल्प कारीगरों के लिए समग्र देश में चलाई जा रही कल्याण स्कीमों में (i) राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना (ii) हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना शामिल है। चूंकि, स्कीमें राज्य विशिष्ट नहीं हैं, राज्य–वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना कारीगर परिवार जिसमें स्वयं, उनकी पत्नी एवं दो आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता को पूरा करती है जिसकी कुल सीमा 15,000/–रुपये प्रति वर्ष प्रति परिवार है। इसके अतिरिक्त, बीमाकृत कारीगर को

आकस्मिक मृत्यु/अपंगता के लिए 1.00 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। वार्षिक प्रीमियम के लिए एक सामान्य वर्ग का कारीगर 200/–रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र से जुड़े कारीगर 100/–रुपये का योगदान देते हैं तथा लागू सेवा कर सहित शेष प्रीमियम का अंशदान भारत सरकार द्वारा अंशदत्त किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत अब तक 50,000 कारीगर परिवारों को कवर किया जा रहा है।

हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम से क्रियान्वित की जा रही है। यह स्कीम प्राकृतिक मृत्यु के लिए (30,000 रुपये); आकस्मिक मृत्यु/स्थाई अपंगता के लिए (75,000 रुपये) और स्थाई आंशिक अपंगता के लिए (37,500 रुपये) बीमा कवर के साथ, बीमाकृत कारीगरों के दो बच्चों की कक्षा IX से कक्षा XII तक की शिक्षा के लिए प्रति बच्चा प्रति तिमाही 300/–रुपये की दर से छात्रवृत्ति मुहैया कराती है। निर्धारित लाभ प्राप्त करने के लिए 200/–रुपये के कुल वार्षिक प्रीमियम में से भारत सरकार का योगदान 60/–रुपये; जीवन बीमा निगम का योगदान 100/–रुपये और कारीगरों का योगदान मात्र 40/–रुपये प्रतिवर्ष होता है। स्कीम के अंतर्गत अब तक 3,13,214 कारीगरों को कवर किया जा चुका है। 31 मार्च, 2007 तक 1.44 करोड़ रुपये की धनराशि के 689 दावों को निपटाया जा चुका है और 19.60 लाख रुपये की धनराशि की 1633 छात्रवृत्तियां प्रदान की जा चुकी हैं।

(ख) से (ङ) राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना मार्च, 2007 में ही लागू की गई थी अतः इस योजना का मूल्यांकन इस स्तर पर किया जाना उपयुक्त नहीं होगा और नियत समय पर ही इसका मूल्यांकन किया जाएगा। तथापि, हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना का मूल्यांकन चालू वित्त वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है।

(च) इन योजनाओं के लाभों को लक्षित लाभग्राहियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए प्रभावी कदमों में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संचालन और जागरूकता फैलाने के लिए कैम्प अप्रोच को अपनाना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

शहीदों के परिवारों को सहायता

379. श्री अशोक अर्गल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001 से 2007 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में कितने सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए;

(ख) शहीदों के परिवारों के निकटतम संबंधी के दावों को निपटाने में कितना समय लगा; और

(ग) अनुकंपा आधार पर शहीदों के कितने आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) दिनांक 12.11.2007 के अनुसार 69।

(ख) पूर्ण और सही दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से एक से तीन महीने।

(ग) अनुकंपा के आधार पर रोजगार सहायता संबंधी 8 आवेदन–पत्रों में से, मध्य प्रदेश की सरकार ने, अब तक 4 विधवा महिलाओं और 1 आश्रित को रोजगार मुहैया करा दिया है तथा शेष 3 आवेदन–पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है।

फसल कटाई के बाद नुकसान

380. श्री महावीर भगोरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान फलों, सब्जियों तथा दलहनों की फसल कटाई के बाद हुए नुकसान का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता तथा आपूर्ति श्रृंखला में सक्षमता की कमी उक्त नुकसान का कारण है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे नुकसान के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) फसल कटाई पश्चात हानियां फलों और सब्जियों में औसतन 10 से 30 प्रतिशत के बीच और दलहनों के संबंध में 8 से 10 प्रतिशत के बीच होती है। क्षति की मात्रा संबंधी राज्य–वार और वर्ष–वार प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) हालांकि कुछ क्षेत्रों में फसल कटाई पश्चात प्रबंधन प्रौद्योगिकी उपलब्ध है फिर भी आपूर्ति श्रृंखला अक्षमता और अपर्याप्त अवसंरचना ऐसी क्षतियों के मुख्य कारण हैं।

(ग) विपणन और निरीक्षण निदेशालय ने वर्ष 1996–97, 1997–98 और 1998–99 के लिए "विपणन योग्य अधिशेष और खाद्यान्नों की फसल कटाई पश्चात हानियों का आकलन" पर एक सर्वेक्षण पहले कराया था।

(घ) सरकार ने कई स्कीमें शुरू की हैं जिनमें क्षति को रोकने के घटक निम्नानुसार शामिल हैं :

(i) बागवानी फसलों के लिए सरकार ने दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें शुरू की हैं। "पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन" वर्ष 2001–02 के दौरान शुरू किया गया है जिसे वर्ष 2003–04 के दौरान जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के हिमालयी राज्यों तक भी विस्तारित कर दिया गया था। शेष राज्यों के लिए वर्ष 2005–06 में "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" शुरू किया गया है। दोनों स्कीमें पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रति यूनिट 60.00 लाख रु. की सीमा के साथ परियोजना लागत की 33.33% की दर पर तथा अन्य राज्यों के लिए प्रति यूनिट 50.00 लाख रुपये से अनधिक परियोजना लागत की 25% की दर पर पार्श्वांत राजसहायता के रूप में भण्डारण सुविधाओं सहित फसल कटाई पश्चात अवसंरचना सृजन के लिए सहायता मुहैया कराती हैं। देश में आधुनिक टर्मिनल मंडियों की स्थापना को सुकर बनाने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन एक नया घटक शुरू किया गया है, जिसमें नवीनतम शीत श्रृंखला और अन्य अवसंरचना होगी और यह फार्म गेट से उपभोक्ता/प्रसंस्करणकर्त्ता/ निर्यातक तक एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना करने में मदद करेगा।

(ii) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) भी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है जिनका उद्देश्य है – उन्हीं मानदण्डों वाली "बागवानी उत्पाद हेतु शीतागार/भण्डार–गृहों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश राजसहायता" तथा "उत्पादन व फसल कटाई पश्चात प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" के माध्यम से बागवानी उत्पाद की हानियों को कम करना। इन स्कीमों में पूर्वोत्तर/पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्रों के राज्यों के लिए 30.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा से कुल परियोजना लागत की 20% की दर पर और अन्य दूसरे राज्यों के लिए 25.00 लाख रुपये पार्श्वांत राजसहायता मुहैया कराई जा रही है।

(iii) कृषि मंत्रालय दिनांक 01.04.2001 से विपणन और निरीक्षण निदेशालय के जरिए देश में ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीकरण के लिए "ग्रामीण भण्डारण योजना" नामक पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम भी क्रियान्वित कर रहा है। स्कीम के उद्देश्य में से एक हानि कम करने के लिए उत्पादन केन्द्रों (नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर) के निकट वैज्ञानिक भण्डारण प्रदान करना है।

(iv) कृषि मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.10.2004 को "कृषि विपणन, अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम भी शुरू की गई है ताकि उद्यमियों को ऋण संबंधी पार्श्वांत पूंजी निवेश राजसहायता और राज्य अभिकरणों को सीधे सहायता प्रदान करके विपणन अवसंरचना, बाजार प्रयोक्ता साझा सुविधाओं, कृषि जिंसों के प्रत्यक्ष विपणन के लिए अवसंरचना, उत्पादन आदानों की आपूर्ति और आवश्यकता आधारित सेवाओं के लिए अवसंरचना, ई–ट्रेडिंग, मण्डी आसूचना आदि के लिए अवसंरचना तथा कटाई पश्चात कार्यों के लिए चल अवसंरचना (परिवहन उपकरण को छोड़कर) के विकास को सुकर बनाया जा सके।

कृषि संबंधी सूचनाएं

381. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों को मोबाइल नेटवर्क के जरिए नवीनतम बाजार मूल्य तथा कृषि संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां पर ऐसी सूचनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं;

(ग) क्या मोबाइल नेटवर्क के लिए जरिए स्थानीय भाषा में सूचनाएं उपलब्ध करायी जाने को प्राथमिकता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एम एस ए एम बी) ने मोबाइल नेटवर्क के द्वारा एसएमएस सेवा के माध्यम से किसानों को चयनित जिन्सों हेतु मण्डी दरों का प्रचार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रियूटर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। रियूटर्स ने इस प्रयोजन के लिए रियूटर्स मार्केट लाइट (आरएमएल) नामक एक अलग ग्रुप स्थापित किया है। राज्य में कृषि उत्पाद मण्डी समितियों (एपीएमसी) से सूचना प्राप्त करने के लिए एम एस ए एम बी, रियूटर्स को सहायता मुहैया करा रहा है। कृषि मंत्रालय के एगमार्कनेट पोर्टल पर महाराष्ट्र की मंडियों से संबंधित उपलब्ध मण्डी सूचना का भी रियूटर्स द्वारा उपर्युक्त समझौता ज्ञापन के अधीन उपयोग किया जाता है। रियूटर्स मराठी भाषा में भी सूचना दे रहा है। वे जरूरतमंद व्यक्तियों को सूचना मुहैया कराने के लिए अंशदान शुल्क ले रहे हैं।

[अनुवाद]

किसानों की ऋणग्रस्तता

382. श्री विजय कृष्ण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) की रिपोर्ट सं. 498 के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक किसान पर ऋण भार देश/राज्यों की औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बैंकों द्वारा किसानों को आसान/बढ़ाए गए संस्थागत ऋण से उनके ऋण भार में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) एन.एस.एस.ओ. की "किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता" संबंधी रिपोर्ट सं. 498 (किसानों की स्थिति का आकलन सर्वेक्षण – 59 के राउन्ड के भाग के रूप में) के अनुसार 89.35 मिलियन किसान परिवारों में से 43.42 मिलियन परिवारों (48.6%) की ऋण से औपचारिक अथवा अनौपचारिक या दोनों स्रोतों से ऋणग्रस्त होने की सूचना थी। ऋणग्रस्त किसान परिवारों में से 54% औपचारिक स्रोतों से ऋणग्रस्त थे। कुल किसान परिवारों में से औपचारिक स्रोतों (बैंकों, सहकारी समितियों तथा सरकार) द्वारा कवरेज 26% थी।

(ख) एन.एस.एस.ओ. रिपोर्ट सं. 498 के निष्कर्ष यह प्रदर्शित करते हैं कि वर्ष 2003–04 के दौरान 20,936 रु. के प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष (वर्ष 1999–2000 मूल्यों पर 18,263 रु.) के मुकाबले प्रति किसान परिवार औसत ऋण बोझ 12,585 रु. है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों में ऋण का बोझ संबंधित राज्य की औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय से अधिक था।

(ग) प्रति किसान परिवार आय और बकाया ऋणों की औसत धनराशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य	प्रति किसान परिवार औसत वार्षिक आय (रु)	प्रति किसान परिवार बकाया ऋणों की औसत धनराशि रुपए में
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	19,608	23,965
अरुणाचल प्रदेश	89,460	493
असम	37,932	813
बिहार	21,720	4,476
छत्तीसगढ़	19,416	4,122
गुजरात	32,208	15,526
हरियाणा	34,584	26,007
हिमाचल प्रदेश	39,708	9,618
जम्मू व कश्मीर	65,856	1,903
झारखंड	24,828	2,205
कर्नाटक	31,392	18,135
केरल	48,048	33,907
मध्य प्रदेश	17,160	14,218
महाराष्ट्र	29,556	16,973
मणिपुर	32,892	2,269
मेघालय	53,952	72
मिजोरम	58,344	1,876
नागालैंड	43,080	1,030
उड़ीसा	12,744	5,871
पंजाब	59,520	41,576
राजस्थान	17,976	18,372
सिक्किम	39,096	2,053
तमिलनाडु	24,864	23,963
त्रिपुरा	20,904	2,977
उत्तर प्रदेश	19,596	7,425

1	2	3
उत्तरांचल	40,212	1,108
पश्चिम बंगाल	24,948	5,237
संघ शासित क्षेत्रों के समूह	38,820	10,931
अखिल भारत	25,380	12,585

(स्रोत : एनएसएसओ रिपोर्ट सं. 497 और 498-2003)

[हिन्दी]

नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई

383. **श्री जीवाभाई ए. पटेल :**

श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनियों द्वारा अनियमितताएं बरते जाने के मामलों में उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई तथा इस संबंध में किस प्रकार की कार्रवाई की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान लेने के निमित्त न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार प्रदान किया गया है और यह लाइसेंस के निबंधन और शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई करने के लिए लाइसेंस प्रदाता को सिफारिशें भी कर सकता है।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने पूजा वर्ल्ड विजन के विरुद्ध दिनांक 15 फरवरी, 2004 के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा प्रशुल्क आदेश 2004 के अनुसार केबल उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले शुल्कों पर उच्चतम सीमा का अनुपालन नहीं करने और ट्राई द्वारा जारी किए गए आदेश/कारण बताओ नोटिस का उल्लंघन करने पर एक शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल यह शिकायत माननीय मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष लंबित है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अन्य शिकायत सेट डिस्कॉवरी प्रा. लि. के विरुद्ध दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल सेवाएं) अन्तर्संयोजन विनियमन, 2004 के खण्ड 4.1 और 4.2 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करने के संबंध में जारी किए गए निर्देश/कारण बताओ नोटिस का उल्लंघन करने के कारण दर्ज कराई है। इस समय यह शिकायत माननीय मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष लंबित है।

[अनुवाद]

रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण की समीक्षा

384. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी :** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण का अध्ययन करने तथा उसकी समीक्षा किए जाने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी हां।

(ख) रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण का आवधिक मूल्यांकन, राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियमावली में यथा निर्धारित राष्ट्रीय नीतियों एवं प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों के प्रतिनिधियों वाली एक प्रबोधन समिति द्वारा महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण की अध्यक्षता में किया जाता है।

घरेलू मालवाहक सेवाएं

385. **श्री एस.के. खारवेन्थन :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने वृहद स्तर पर घरेलू मालवाहक सेवाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सेवा को देश के अन्य स्थानों में भी विस्तारित किए जाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) डाक विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेल पारेषण एवं वितरण सेवाओं में सुधार लाने के लिए पूर्वोत्तर में डाक मदों, मेल, पार्सल, लॉजिस्टिक पोस्ट की दुलाई के लिए इंडियन एयरलाइंस (अब एयर इंडिया) से एक मालवाहक हवाई जहाह किराए पर लिया है। मालवाहक सेवा औपचारिक रूप से 29 अगस्त, 2007 को प्रारंभ की गई। यह हवाई जहाज सप्ताह में 6 दिन नियमित रूप से कोलकाता–गुवाहाटी–इम्फाल–अगरतला–कोलकाता मार्ग पर उड़ान भरता है। इन केन्द्रों से, पूर्वोत्तर के अन्य शहरों को रेल/सड़क मार्ग से सेवा प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) समर्पित मालवाह हवाई सेवा द्वारा कुछेक प्रमुख शहरों को जोड़ने की एक योजना स्कीम 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन हेतु योजना आयोग को प्रस्तुत की गई है। इस समय स्कीम की केवल रूप–रेखा तैयार गई है।

बीएसएनएल द्वारा निवेश

386. श्री एल. राजगोपाल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.एस.एन.एल. का विचार वर्ष 2010 तक जीएसएम ब्रॉड बैण्ड, दूरसंचार तथा अन्य सेवाओं में 60,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. निजी क्षेत्र, विशेषकर अधिग्रहण, संयुक्त उद्यमों आदि के जरिए देश में आने वाली विदेशी कंपनियों से मिलने वाली कड़ी प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जीएसएम, ब्राडबैंड तथा अन्य सेवाओं में निवेश हेतु बीएसएनएल की निम्नलिखित योजनाएं हैं :

वर्ष	निवेश योजना (करोड़ रु. में)
2008–09	29,000
2009–10	31,000

(ग) और (घ) बीएसएनएल ने अभी तक किसी प्रकार के अधिग्रहण की योजना नहीं बनाई है। तथापि, कंपनी ने एमटीएनएल के साथ मिलकर मैसर्स मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम बनाने की योजना बनाई है।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. की कार्ययोजना

387. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. को निजी टेलीफोन कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त कंपनियों की तुलना में प्रतिस्पर्धी कंपनियों के पास कितने संसाधन उपलब्ध हैं;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. को सुदृढ़ करने के लिए कोई कार्य–योजना लागू की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऊपर उल्लिखित दोनों कंपनियों के लिए वर्ष 2007–08 हेतु विस्तार योजना की सर्किल–वार प्रगति रिपोर्ट क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। इसके बावजूद एमटीएनएल और बीएसएनएल दोनों इस प्रतिस्पर्धा का अच्छी तरह सामना कर रहे हैं। इन कंपनियों की सीमितता यह है कि इनके पास बुनियादी सेवाओं के लिए कॉपर केबल, ड्रॉप वायर और टेलीफोन उपकरणों पर आधारित विरासत में मिला हुआ नेटवर्क है जिनमें जल्दी खराबी आती है। इस तरह सेवाओं के रखरखाव के लिए जनशक्ति की आवश्यकता अधिक है और दोष मरम्मत में समय भी अधिक लगता है।

(ग) और (घ) एमटीएनएल और बीएसएनएल दूरसंचार सेवाओं और अपनी बाजार हिस्सेदारी में सुधार लाने हेतु लगातार अनेक कदम उठा रहे हैं। बीएसएनएल ने जनवरी 2008 से दिसंबर, 2010 तक प्रति माह 30 लाख टेलीफोन कनेक्शनों और 5 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की योजना बनायी है। इसी प्रकार एमटीएनएल ने 2007–08 में दिल्ली और मुम्बई प्रत्येक में 10 लाख लाइनों द्वारा अपने सेल्यूलर मोबाइल नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बनायी है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थिर लाइन और वायरलैस, दोनों उपभोक्ताओं के लिए नई अपेक्षाओं के अनुरूप अनेक प्रकार की मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उपभोक्ता सुविधा संबंधी उपायों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। इनके अलावा, विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं के प्रशुल्कों की निरंतर पुनरीक्षा की जाती है तथा समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं

को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के पैकेजों की पेशकश की जाती है।

(ङ) बीएसएनएल तथा एमटीएनएल द्वारा जीएसएम तथा ब्रॉडबैंड कनेक्शनों में की गई वृद्धि के संबंध में चालू वर्ष के दौरान सितंबर, 2007 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बीएसएनएल और एमटीएनएल की टेलीफोन संबंधी 1.4.2007 से 30.09.2007 तक की सर्किल वार उपलब्धि

क्र.सं.	सर्किल का नाम	निवल उपलब्धि (30.09.2007 तक) मोबाइल फोन (जीएसएम)	ब्रॉडबैंड
1	2	3	4
क	बीएसएनएल		
1.	अंडमान और निकोबार	5,368	146
2.	आन्ध्र प्रदेश	168,568	19,161
3.	असम	–27,553	2,214
4.	बिहार	–1,384	2,221
5.	छत्तीसगढ़	63,019	1,775
6.	गुजरात	518,892	7,448
7.	हरियाणा	239,526	5,548
8.	हिमाचल प्रदेश	5,374	744
9.	जम्मू व कश्मीर	4,964	164
10.	झारखंड	–25,823	3,388
11.	कर्नाटक	–109,203	15,095
12.	केरल	106,700	14,335
13.	मध्य प्रदेश	143,851	6,629
14.	महाराष्ट्र	313,481	11,574
15.	पूर्वोत्तर–1	26,189	453
16.	पूर्वोत्तर–2	48,569	395
17.	उड़ीसा	57,633	2,522
18.	पंजाब	282,744	9,514
19.	राजस्थान	120,171	2,900
20.	तमिलनाडु	33,832	21,088
21.	उत्तरांचल	28,957	3,237
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	354,996	7,390
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	294,711	223
24.	पश्चिम बंगाल	–5,079	1,810
25.	कोलकाता	156,779	907
26.	चेन्नै	70,984	6,014
	कुल	2,876,266	146,795
ख	एमटीएनएल		
	दिल्ली	–94167*	29,567
	मुंबई	119,473	19,000
	कुल	25,306	48,567

* मुख्यतः सरकारी सत्यापन के अनुसार पहचान–पत्र के सत्यापन के कारण कनेक्शन काट दिए गए।

आई.सी.ए.आर. की सिफारिशें

388. प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को अधिक उत्पादन देने वाले बीजों की संकर किस्मों का उपयोग करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों तक प्रभावपूर्ण ढंग से पहुंचाने के लिए दोषपूर्ण विस्तार सेवाओं के साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) तथा सरकारी क्षेत्र की अन्य संस्थाओं की अक्षमता के कारण सरकार निजी क्षेत्र पर निर्भर होने के लिए बाध्य है;

(ग) यदि हां, तो क्या कतिपय प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाएं बीज की प्राकृतिक वृद्धि को रोकती हैं;

(घ) क्या बीजों की संकर किस्में बिल्कुल समान किस्म के बीजों का उत्पादन नहीं करती हैं तथा किसानों को नई बीजों के लिए प्रति वर्ष बीज उत्पादकों के पास जाना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) जी, हां। उच्च उपजशील किस्मों के अलावा अधिक उपज लेने के लिए संकर किस्मों का भी विकास किया जाता है तथा खेती के लिए उनकी सिफारिश की जाती है।

(ख) जी, नहीं। किसानों तक बड़े पैमाने पर कृषि प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए मुख्य कृषि विस्तार सेवा का संचालन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में 558 कृषि विज्ञान केन्द्रों का एक नेटवर्क स्वीकृत किया है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, परिशोधन और प्रौद्योगिकी/उत्पादों का प्रदर्शन करना है। पिछले एक वर्ष के दौरान इन कृषि विज्ञान केन्द्रों ने तिलहनों, अनाजों, चारा फसलों, सब्जी फसलों और कपास, पपीता, नारियल तथा काजू जैसी अन्य फसलों के संकरों के प्रयोग से किसानों के खेतों पर 7818 अग्रपंक्ति प्रदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न फसलों की नई जारी की गई उच्च उपजशील किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए अलग-अलग फसलों से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना में भी अग्रपंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि तथा सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय भी विभिन्न राज्यों में किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए उच्च उपजशील किस्मों के मिनी किटों का वितरण करता रहा है। प्रजनक बीजों का उत्पादन करना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अधिदेश है, तथा ऐसे बीजों का उत्पादन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के विभिन्न केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। इसकी आपूर्ति फाउंडेशन बीज का उत्पादन करने और फिर प्रामाणिक बीज के उत्पादन हेतु राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म बीज निगम, राज्य बीज निगम, राज्य सरकार के विभागों और निजी बीज कम्पनियों आदि को की जा रही है, जिसकी आपूर्ति किसानों को की जा रही है। निजी बीज कम्पनियां अधिकांशतया कम मात्रा में उच्च मूल्य के संकर बीज के उत्पादन में लगी हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन स्व-परागित फसलों एवं संकरों के कम मूल्य के बीजों का अधिक मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (ङ) यह ज्ञात है कि संकर किस्म अपनी पहली फसल में ही सर्वाधिक उपज देते हैं और उसके बाद ये विसंयोजित हो जाते हैं। इसलिए अगली फसल में पहले जैसी उजप नहीं मिलती जिससे किसानों को हर साल संकर बीज खरीदने पड़ते हैं।

[अनुवाद]

फसल बीमा योजना

389. डा. एम. जगन्नाथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रायोगिक आधार पर गांव को इकाई बनाकर फसल बीमा योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार कितने जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) 'समान क्षेत्र' प्रणाली के आधार पर 23 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। क्रियान्वयनकारी राज्य/संघ शासित क्षेत्र विगत उपज संबंधी पर्याप्त आंकड़ों की उपलब्धता तथा अपेक्षित फसल कटाई प्रयोगों को संचालित करने की राज्यों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए बीमा के किसी भी इकाई क्षेत्र, यथा-तहसील, तालुका, प्रखंड, मंडल, फिरका, ग्राम पंचायत/ग्राम को अधिसूचित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

वस्त्र डिजाइन प्रदर्शनी

390. श्री रामदास आठवले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में राज्य-वार कुल कितनी वस्त्र डिजाइन प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया;

(ख) इन प्रदर्शनियों के माध्यम से प्राप्त निर्यात क्रयादेशों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में देश में ऐसी और प्रदर्शनियां आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) विगत चार वर्षों में हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय के राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र ने जनजातीय क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न राज्यों में तान्तवी नाम से बुनकर सेवा केन्द्र द्वारा विकसित अनन्य रूप से हथकरघा फैब्रिक नमूनों के उन्नीस प्रदर्शनियां आयोजित की हैं। इन प्रदर्शनियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	राज्य	स्थान
1.	2004	महाराष्ट्र	मुम्बई
2.		कर्नाटक	बंगलौर
3.		तमिलनाडु	चैन्नई
4.		आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
5.		पश्चिम बंगाल	कोलकाता
6.		असम	गुवाहाटी
7.		केरल	कन्नानौर
8.	2005	तमिलनाडु	कोयम्बतूर
9.		उड़ीसा	भुवनेश्वर
10.		राजस्थान	जयपुर
11.		उत्तर प्रदेश	मेरठ
12.		दिल्ली	दिल्ली
13.		महाराष्ट्र	मुम्बई
14.	2006	कर्नाटक	बंगलौर
15.		तमिलनाडु	चेन्नई
16.	2007	पश्चिम बंगाल	शांतिनिकेतन
17.		मणिपुर	इम्फाल
18.		नागालैंड	कोहिमा
19.		उड़ीसा	बरगढ़

(ख) इन प्रदर्शनियों के माध्यम से निर्यात आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 2008 में जिन राज्यों और स्थानों पर तान्तवी प्रदर्शनियां आयोजित की जानी है, उनकी कार्य-योजना का निर्णय कार्यान्वयन समिति द्वारा लिया जाएगा।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का बांग्लादेश में भेजा जाना

391. श्री सुग्रीव सिंह :
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोत्चा :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आशयित खाद्यान्नों को भारी पैमाने पर बांग्लादेश भेजे जाने की हाल में रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान अभी तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों की कितनी मात्रा जारी की गई है;

(घ) पश्चिम बंगाल से कितनी मात्रा में खाद्यान्न बांग्लादेश भेजे जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लक्षित खाद्यान्न को इस प्रकार बांग्लादेश भेजे जाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) ऐसी कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। उन्हें जांच करने और रिपोर्ट देने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत सिंथेटिक फाइबर

392. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अंतर्गत सिंथेटिक फाइबर विनिर्माण उद्योग को शामिल करने के केन्द्र सरकार के निर्णय पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में वस्त्र उद्योग द्वारा उठाई गई आपत्ति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) से (घ) टीयूएफएस सीमा का विस्तार सिंथेटिक फाइबर विनिर्माण उद्योग तक करने का निर्णय नहीं लिया गया है। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुछ वर्गों ने यह अभ्यावेदन दिया है कि सिंथेटिक फाइबर विनिर्माण उद्योग को प्रौद्योगिकी उन्नय निधि योजना (टीयूएफएस) का लाभ सिंथेटिक फाइबर विनिर्माण उद्योग क्षेत्र के लिए भारी वित्तीय भार के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए जो अत्यधिक पूंजी गहन उद्यम है।

आंशका यह है कि इससे सीमित वित्तीय आबंटन के कारण, वस्त्र क्षेत्र के लाभार्थी हाशिए पर चले जाएंगे जिसका दावा भी सिंथेटिक फाइबर विनिर्माण क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में टीयूएफएस के तहत सिंथेटिक फाइबर उद्योग को शामिल करने का प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

[हिन्दी]

बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए अधिनियम

393. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में पुरूष एवं महिला बीड़ी कामगारों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या बीड़ी कामगारों के कल्याण से संबंधित विभिन्न अधिनियमों को देश में सख्तीपूर्वक लागू किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त अधिनियमों का शत–प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) अधिनियमों का सख्ती से प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम के प्रावधानों को श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम कल्याण संगठन के अधीन नौ कल्याण आयुक्तों द्वारा नियमित रूप से मॉनीटर किया जा रहा है। मुद्दों को समय–समय पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ भी उठाया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमानित पुरूष बीड़ी कामगारों की संख्या	अनुमानित महिला बीड़ी कामगारों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	110357	625354
2.	असम	2336	4338
3.	बिहार	83897	110273
4.	झारखंड	39317	49807
5.	गुजरात	21103	25252
6.	कर्नाटक	34390	215688
7.	केरल	11815	72318
8.	मध्य प्रदेश	394835	592253
9.	छत्तीसगढ़	7374	13107
10.	महाराष्ट्र	26000	230000
11.	उड़ीसा	114188	76125
12.	राजस्थान	2885	31341
13.	त्रिपुरा	3280	6092
14.	तमिलनाडु	93750	531250
15.	उत्तर प्रदेश	89550	360450
16.	पश्चिम बंगाल	376086	698445

छावनी क्षेत्रों के अंतर्गत सिविल क्षेत्र में वृद्धि

394. श्री राकेश सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी क्षेत्र के अंतर्गत सिविल क्षेत्र में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव में जबलपुर छावनी का प्रस्ताव भी शामिल है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में सिविल क्षेत्र में वृद्धि करने का है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

गांवों में पब्लिक टेलीफोन

395. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में बड़ी संख्या में गांवों में पब्लिक टेलीफोन की स्थापना करने के लिए बड़ी राशि प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) देश के विशेषकर कर्नाटक के उन गांवों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त योजना के अंतर्गत यह टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाएगी?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) से (ग) 30 सितम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से 88.58 करोड़ रुपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में संवितरित की गई है। यूएसओएफ ने देश में टेलीफोन सुविधा रहित शेष 66,822 गांवों में वीपीटी प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ करार किया है। इसमें 100 से कम की जनसंख्या वाले गांवों, घने वन क्षेत्रों में स्थित गांवों तथा नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों आदि को शामिल नहीं किया गया है। 30 सितम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार, उक्त 66,822 सुविधा रहित पात्र गांवों में से 50,250 गांवों की वीपीटी की सुविधा प्रदान की गई है। इन 66,822 पात्र गांवों की पहचान 1991 की जनगणना के आधार पर की गई थी। बीएसएनएल के साथ किए गए करार के अनुसार, कर्नाटक में किसी भी गांव में वीपीटी प्रदान करने का कार्य नहीं सौंपा गया है क्योंकि करार किए जाने के पूर्व सभी पात्र गांवों में वीपीटी प्रदान किए जा चुके हैं। तथापि, 2001 की जनगणना के अनुसार, सरकार कर्नाटक में वीपीटी प्रदान करने की दृष्टि से पात्र गांवों की पुनरीक्षा कर रही है। पुनरीक्षा करने के बाद जो भी गांव इसके पात्र पाए जाएंगे उन सभी को यूएसओएफ की आर्थिक सहायता के जरिए वीपीटी सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

बाल श्रमिकों को शिक्षित करना

396. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए कोई परियोजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो स्थानीय स्तर पर उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाल श्रमिकों को पता लगाने एवं उनका सत्यापन करने से संबंधित कार्य गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) द्वारा किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न राज्यों में बाल श्रमिकों की पहचान एवं सत्यापन में खामियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) सरकार काम से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास हेतु देश के 250 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम कार्यान्वित कर रही है। स्कीम के अंतर्गत, जिलाधिकारी द्वारा अध्यक्षता किए जाने वाली जिला बाल श्रम परियोजना सोसाइटी को निधियां प्रदान की जाती हैं। जिलाधिकारी, चुनिंदा गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से बाल श्रम के सर्वेक्षण से संबंधित कार्य सहित स्कीम को क्रियान्वित करते हैं। सरकार देश के 21 जिलों में इण्डो-यू-एस बाल श्रम (इण्डस) परियोजना को भी क्रियान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त, बाल श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना/इण्डस परियोजनाओं के अंतर्गत कवर न किए गए जिलों में विशेष स्कूलों को चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पशुपालन को बढ़ावा

397. प्रो. प्रेम कुमार धूमल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन राज्यों में पशुपालन मुख्य व्यवसाय हैं;

(ख) देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या योजना है तथा उक्त योजनाओं की सफलता दर क्या है;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अंतर्गत कोई विशेष योजना तैयार की जा रही है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तसलीमुद्दीन) : (क) पशुपालन को लगभग सभी राज्यों में मुख्य रूप से द्वितीय व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है।

(ख) सरकार देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं का ब्यौरा संलग्न

विवरण में दिया गया है। इन योजनाओं में करोड़ों लोगों को सस्ता पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के अलावा पारिवारिक आय की प्रतिपूर्ति करने और ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर भूमिहीन मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों के बीच लाभप्रद रोजगार सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नवीनतम सर्वेक्षण (जुलाई, 2004 – जून, 2005 एन एस एस 61वां दौर) के अनुसार पशुपालन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से 11.44 मिलियन और परोक्ष रूप से 11.01 मिलियन रोजगार का अनुमान था जो देश की कुल कार्यरत जनसंख्या का 5.50% है। पशुधन क्षेत्र से उत्पादन का मूल्य 2005–06 के दौरान चालू मूल्यों पर लगभग 1,85,166 करोड़ रुपए था जो कुल मिलाकर कृषि और सहायक क्षेत्र से उत्पादन मूल्य का लगभग 25.7% है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, अधिकांश मौजूदा योजनाएं हिमाचल प्रदेश राज्य में क्रियान्वित की जा रही हैं।

विवरण

पशुपालन के संवर्धन के लिए योजनाएं

क्रम सं.	योजना का नाम
1.	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना
2.	राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता
3.	केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना
4.	संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण
5.	पशुधन बीमा
6.	पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता
7.	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना
8.	खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में टूना मछली पकड़ना

398. डा. एम. जगन्नाथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार गहरे समुद्र में टूना मत्स्यन के दोहन के लिए वर्ल्ड टूना डेवलपमेंट इंटरनेशनल इंक (डब्ल्यू.टी.डी.आई.) के साथ संयुक्त उद्यम को स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार उक्त परियोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में गहरे समुद्र टूना संसाधनों का दोहन करने के लिए वर्ल्ड टूना डेवेलपमेंट इंटरनेशनल इंक (डब्ल्यू.टी.डी.आई.) के साथ एक संयुक्त उद्यम परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। सरकार ने इस प्रयोजन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी चलाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को पहले ही अनापत्ति भेज दी थी। तथापि, 6 अक्टूबर, 2006 को आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा उनके संयुक्त उद्यम प्रस्ताव को रद्द करने के कारण कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

[हिन्दी]

तसर सिल्क के उत्पादन में वृद्धि

399. श्री रामदास आठवले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी बाजारों में भारतीय तसर सिल्क की मांग में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मांग की पूर्ति के लिए तसर सिल्क के उत्पादन एवं उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तसर सिल्क के उत्पादन एवं उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई और जारी की गई तथा कितनी धनराशि उपयोग की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले दो वर्षों (वर्ष 2005–06 एवं 2006–07) के दौरान निर्यात किए गए तसर रेशम सामानों का मूल्य नीचे दिया गया है:–

विवरण	2005–06	2006–07 (अनंतिम)
	निर्यात मूल्य करोड़ रुपए में	निर्यात मूल्य करोड़ रुपए में
तसर रेशम सामान	118.62	129.49

पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात के मूल्य में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) देश में तसर रेशम के उत्पादन को बढ़ाने और गैर-शहतूती क्षेत्रों के तहत क्षेत्र को भी बढ़ाने के लिए वस्त्र मंत्रालय केंद्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग में सभी तसर उत्पादित राज्यों में दसवीं योजना के दौरान एक केंद्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) कार्यान्वित किया है। सीडीपी के तहत योजनाओं के मिले-जुले लक्ष्य होस्ट वृक्षारोपण का विकास तथा विस्तार, फार्म अवसंरचनाओं का विकास, रेशम में रीलिंग एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का उन्नयन, उद्यम विकास कार्यक्रम आदि थे। इन योजनाओं ने खाद्य उपज से लेकर सभी उत्पादों के विपणन कार्यों में स्टेक होल्डरों की सहायता की है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान देश में सीडीपी के तहत विभिन्न तसर संघटकों के कार्यान्वयन के लिए राज्य-वार आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पिछले दो वर्षों (अर्थात् 2005-06 एवं 2006-07) के लिए तसर रेशम के राज्य-वार उत्पादन क्षेत्र के आंकड़े संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

बंगलौर - 560068

उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (तसर क्षेत्र)

पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राज्य-वार खर्च/जारी की गई राशि

(2004-05 से 2006-07)

लाख रुपए में

क्रम सं.	राज्य का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटन/खर्च		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	13.68	53.62	19.65
2	पश्चिम बंगाल	17.54	14.38	17.17
3	महाराष्ट्र	1.77	6.77	3.04
4	मध्य प्रदेश	3.41	7.00	50.49
5	उड़ीसा	18.14	84.87	45.00
6	बिहार	17.09	15.34	13.45
7	उत्तर प्रदेश	16.60	9.52	1.28
8	छत्तीसगढ़	121.87	117.23	54.83
9	झारखंड	-	97.92	159.69
10	उत्तरांचल	3.69	10.74	14.36
11	अरुणाचल प्रदेश	-	2.19	2.19
12	मणिपुर	28.55	25.74	25.74
13	मिजोरम	5.87	8.49	7.36
14	नागालैंड	8.01	6.89	6.89
	कुल	256.22	460.70	421.14

विवरण-II

वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के दौरान राज्य-वार तसर क्षेत्र तथा कच्ची रेशम उत्पादन

क्र. सं.	राज्य	2005-06 क्षेत्र हेक्टेयर	2005-06 कच्ची रेशम मी. टन	2006-07 क्षेत्र हेक्टेयर	2006-07 कच्ची रेशम मी. टन
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	3512	20	8674	15.5
2	अरुणाचल प्रदेश	45	नग.	45	नग.
3	बिहार	13158	14	13268	11
4	छत्तीसगढ़	8824	90	3632	110
5	झारखंड	66520	96	78324	120
6	जम्मू व कश्मीर	-	-	-	1
7	मध्य प्रदेश	1970	16	1995	16
8	महाराष्ट्र	16100	6	16100	7
9	मणिपुर	6750	3	6750	3
10	मिजोरम	50	नग.	50	0.2
11	नागालैंड	250	0.1	275	0.15
12	उड़ीसा	8450	21	8450	35
13	उत्तरांचल	114	5	174	0.15

1	2	3	4	5	6
14	उत्तर प्रदेश	400	3	1019	4
15	पश्चिम बंगाल	5130	34	5317	27
	कुल	131273	308	144073	350

स्रोत : सभी राज्यों के डीओएस. नग. – 50 कि.ग्रा. से कम

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का अन्यत्र उपयोग

400. **श्री असादूद्दीन ओवेसी :**
डा. आर. सेनथिल :
श्री एम. अप्पादुरई :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री अबु अयीश मंडल :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्री महावीर भगोरा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सार्वजनिक वितरण योजना के अंतर्गत भारी मात्रा में घटिया किस्म के खाद्यान्नों के अन्यत्र उपयोग एवं वितरण किए जाने का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत एक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने मामलों का पता लगा है;

(ग) इस प्रकार से अन्यत्र उपयोग के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कतिपय निदेश दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) उच्चतम न्यायालय के निदेशों के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) जी, हां। कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के विपथन और उनकी खराब गुणवत्ता के बारे में कुछ शिकायतें/रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

जनवरी, 2007 से और उसके बाद प्राप्त हुई कुछ शिकायतों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

क्र.सं.	राज्य	प्राप्त हुई शिकायतें
1.	महाराष्ट्र	3
2.	मध्य प्रदेश	3
3.	दिल्ली	4
4.	हिमाचल प्रदेश	1
5.	पश्चिम बंगाल	4
6.	कर्नाटक	2
7.	पंजाब	2
8.	हरियाणा	2
9.	आन्ध्र प्रदेश	1
10.	जम्मू व कश्मीर	1
11.	राजस्थान	2
12.	केरल	1
13.	उत्तर प्रदेश	5
14.	तमिलनाडु	1
15.	बिहार	1
16.	झारखंड	1
17.	पांडिचेरी	1
	कुल	35

चूंकि प्राप्त हुई शिकायतों को जांच और उचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजा गया है इसलिए हानि, यदि कोई हो, की सीमा को इन शिकायतों की जांच के निष्कर्ष मिलने के बाद ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) 2005 की रिट याचिका संख्या 274 पर उच्चतम न्यायालय ने आटे और साबुत गेहूं के वितरण के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभभोगियों से मांग का पता लगाने के लिए निदेश जारी किए हैं और उसके बाद आटा बनाने हेतु फ्लोर मिलों को राज्य सरकारों द्वारा गेहूं जारी करना होगा ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन इसका वितरण किया जा सके। उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार आगे कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा की जानी है।

(छ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सक्षमता, जवाबदेही और प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए इसे मजबूत बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्व के अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर एक 9 सूत्रीय कार्य योजना पहले ही राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसके क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

इसके अलावा, हाल ही में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधनों का नागरिकों द्वारा उपयोग करने की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनाने और क्रियान्वित करने हेतु एक संशोधित नागरिक अधिकार पत्र जारी किया गया है।

वस्त्र निर्यातकों को प्रोत्साहन

401. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्री सुभाष महरिया :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपऐ की मूल्य वृद्धि के कारण वस्त्र निर्यात प्रभावित हुआ है जबकि इससे चीन, श्रीलंका तथा पाकिस्तान जैसे प्रतिस्पर्धी देश लाभान्वित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वस्त्र निर्यातकों ने केन्द्र सरकार से राहत/प्रोत्साहनों के साथ ही राज्य तथा स्थानीय स्तर के उन शुल्कों की प्रतिपूर्ति की मांग की है जिनकी प्रतिपूर्ति वर्तमान में नहीं की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) वस्त्र निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन) : (क) और (ख) सरकार को वस्त्र और क्लोदिंग संवर्धन निर्यात परिषदों और अन्य संघों द्वारा किए गए इस अनुरोध के बारे मे जानकारी है कि वस्त्र का निर्यात हाल के महीनों में अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में मजबूती के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा अप्रैल–मई, 2007 की अवधि के लिए जारी किए गए अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, भारत के वस्त्र निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अमरीकी डॉलर में 11 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। वस्त्र मदों के आयात के संबंध में अमरीका के वाणिज्य विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत, चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका का अमरीकी बाजारों में निष्पादन जनवरी–अगस्त अवधि के दौरान नीचे दर्शाया गया है:–

(आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में)

निर्यातक देश	2006	2007	% वृद्धि
भारत	3870.8	3895.5	0.6
चीन	18320.5	22667.6	23.7
पाकिस्तान	2258.9	2187.8	–3.1
श्रीलंका	1153.6	1131.0	–2.0

स्रोत : अमरीकी वाणिज्य विभाग, सेन्सस ब्यूरो

(ग) से (ङ) देश के वस्त्र निर्यात में गिरावट को रोकने के लिए तथा वस्त्र निर्यातकों की मांग को देखते हुए, सरकार ने अनेक राहत उपाय प्रदान किए हैं जिनमें शुल्क हकदारी पासबुक और शुल्क वापसी दरों में वृद्धि, चयनित सेवाओं पर सेवा शुल्क से छूट, लदान–पूर्व और लदान पश्चात ऋण के ब्याज दरों में कमी और अंतिम उत्पाद शुल्क केन्द्रीय बिक्री कर के बकाया राशि की त्वरित स्वीकृति शामिल है।

[हिन्दी]

बेरोजगार व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा

402. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में बेरोजगार व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाया गया है अथवा उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन सभी व्यक्तियों को शामिल

करने का है जिन्हें एक निर्दिष्ट अवधि के अंदर रोजगार नहीं प्रदान किया जा सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एन आर ई जी अधिनियम, 2005 में प्रत्येक उस परिवार को, जिसके व्यस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हों, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा वेतन रोजगार उपलब्ध करा कर देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की जीविका सुरक्षा में वृद्धि करने का प्रावधान है। अतः एन आर ई जी अधिनियम रोजगार की मांग करने वालों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकार को विधिक रूप से उत्तरदायी बनाता है तथा इस प्रकार रोजगार के अधिकार की गारंटी प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र से भी अधिक की व्यवस्था करता है। तथापि, यदि किसी कामगार, जिसने एन आर ई जी अधिनियम के तहत कार्य के लिए आवेदन किया हो, को कार्य के लिए अनुरोध की गई तिथि के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध न कराया गया हो, तो राज्य सरकार को उसे अधिनियम में निर्धारित दर पर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना होगा। इसे 02.02.2006 से प्रथम चरण में देश के 200 निर्धारित जिलों में कार्यान्वित किया गया तथा 01.04.2007 से द्वितीय चरण में इसका विस्तार 130 अन्य जिलों में किया गया है। तथापि, सरकार ने अब 01.04.2008 से संघ शासित प्रदेशों सहित देश के समस्त शेष जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में अस्थायी कर्मचारी

403. **श्री एस.के. खारवेन्थन :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और निजी क्षेत्र में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों की राज्य–वार तथा क्षेत्र–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या अधिकांश अस्थायी कर्मचारी चिकित्सा लाभ, बीमा सुरक्षा आदि से वंचित हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में अस्थायी कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) संगठित क्षेत्र के संबंध में रखी गई तथा सरकारी/निजी दोनों ही क्षेत्रों के लिए 31.03.2005 तक उपलब्ध सूचना (राज्य–वार) विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के कवरेज के भीतर आने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों की नामावलियों में दर्ज अस्थायी कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारी कतिपय अंशदायी शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत उपलब्ध चिकित्सा लाभों की तरह चिकित्सा लाभों के लिए पात्र हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नियोजन (हजारों में) 31–3–2004 की स्थिति के अनुसार			31–3–2005 की स्थिति के अनुसार			प्रतिशत परिवर्तन		
		सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	**उत्तरी क्षेत्र**	3021.8	1068.2	4090.0	2976.1	1073.0	4049.1	−1.5	0.5	−1.0
1	हरियाणा	395.6	255.5	651.0	389.9	258.0	647.9	−1.4	1.0	−0.5
2	पंजाब	564.2	261.4	825.6	520.0	253.1	773.1	−7.8	−3.2	−6.4
3	हिमाचल प्रदेश	247.7	49.5	297.2	258.4	58.9	317.3	4.3	19.1	6.8
4	चण्डीगढ़	61.1	29.1	90.2	60.5	28.5	89.0	−1.0	−2.0	−1.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	दिल्ली	619.8	219.2	839.0	614.9	216.2	831.2	−0.8	−1.3	−0.9
6	राजस्थान	933.9	243.0	1176.9	932.8	247.7	1180.5	−0.1	1.9	0.3
7	जम्मू व कश्मीर	199.6	10.5	210.1	199.6	10.5	210.1	0.0	0.0	0.0
II.	**मध्य क्षेत्र**	3149.5	669.7	3819.2	3097.0	662.3	3759.2	−1.7	−1.1	−1.6
8	मध्य प्रदेश	939.2	158.8	1098.0	915.3	155.7	1071.1	−2.5	−1.9	−2.4
9	छत्तीसगढ़	309.5	29.6	339.0	307.3	31.7	339.0	−0.7	7.2	0.0
10	उत्तर प्रदेश	1680.0	444.5	2124.6	1650.4	437.5	2087.9	−1.8	−1.6	−1.7
11	उत्तरांचल	220.8	36.8	257.6	224.0	37.3	261.3	1.4	1.4	1.4
III.	**उत्तर-पूर्व क्षेत्र**	894.1	601.8	1495.9	900.8	611.0	1511.9	0.8	1.5	1.1
12	असम	525.2	572.1	1097.2	531.5	580.6	1112.2	1.2	1.5	1.4
13	मेघालय	72.6	9.3	81.9	72.6	9.3	81.9	0.0	0.0	0.0
14	मणिपुर	77.9	2.7	80.6	77.9	2.7	80.6	0.0	0.0	0.0
15	मिजोरम	40.1	1.4	41.5	40.1	1.4	41.5	0.0	0.0	0.0
16	नागालैंड	67.8	3.5	71.3	68.2	4.1	72.3	0.5	18.7	1.4
17	त्रिपुरा	110.4	12.9	123.3	110.4	12.9	123.3	0.0	0.0	0.0
IV.	**पूर्वी क्षेत्र**	3369.3	949.6	4318.9	3332.7	1025.4	4358.1	−1.1	8.0	0.9
18	बिहार	494.7	32.5	527.1	494.7	32.5	527.1	0.0	0.0	0.0
19	झारखंड	891.7	150.3	1042.0	891.7	150.3	1042.0	0.0	0.0	0.0
20	उड़ीसा	663.3	86.1	749.4	659.9	90.2	750.1	−0.5	4.8	0.1
21	प. बंगाल	1319.6	680.7	2000.3	1286.4	752.4	2038.8	−2.5	10.5	1.9
V.	**पश्चिमी क्षेत्र**	3020.6	2232.9	5253.5	3041.8	2319.2	5361.0	0.7	3.9	2.0
22	गुजरात	818.7	803.3	1622.0	832.1	861.4	1693.6	1.6	7.2	4.4
23	महाराष्ट्र	2171.6	1392.3	3563.9	2137.6	1403.3	3540.9	−1.6	0.8	−0.6
24	गोवा	28.4	24.8	53.2	70.0	41.9	111.9	146.6	69.2	110.5
25	दमन और दीव	2.0	12.5	14.5	2.0	12.5	14.5	0.0	0.0	0.0
VI.	**दक्षिण क्षेत्र**	4706.4	2721.1	7427.6	4623.2	2758.2	7381.4	−1.8	1.4	−0.6
26	आन्ध्र प्रदेश	1444.0	620.7	2064.7	1395.8	647.0	2042.8	−3.3	4.2	−1.1
27	कर्नाटक	1067.1	753.2	1820.3	1059.3	802.8	1862.1	−0.7	6.6	2.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	केरल	614.8	589.6	1204.4	614.9	524.9	1139.8	0.0	−11.0	−5.4
29	पांडिचेरी	40.2	16.2	56.4	40.4	17.6	58.0	0.5	8.4	2.7
30	तमिलनाडु	1540.3	741.3	2281.7	1512.8	765.9	2278.7	−1.8	3.3	−0.1
31	अंडमान और निकोबार	34.9	2.7	37.6	35.0	2.7	37.7	0.3	0.9	0.3
	कुल	18196.7	8246.0	26442.7	18006.6	8451.8	26458.4	−1.0	2.5	0.1

@ इन राज्यों के आंकड़े उनके मूल राज्यों में शामिल किए गए थे।

अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आबंटन

404. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार प्रचालक सेवा को सुचारू रूप से चलाने और अधिक ग्राहको को जोड़ने के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई रूपरेखा तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या दूरसंचार विभाग ने बड़ी और लाभप्रद कंपनियों को निःशुल्क अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आबंटित किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे किस सीमा तक अपनी सेवाओं का विस्तार करने को राजी हुए हैं;

(छ) क्या सरकार इस बात से आश्वस्त है कि इन कंपनियों के लिए इस प्रकार का अतिरिक्त स्पेक्ट्रम निःशुल्क जारी करने से देश में अधिक क्षेत्रों को दायरे में लाने में सहायता मिलेगी; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 2जी स्पेक्ट्रम का आबंटन करने के लिए उपभोक्ता आधारित स्पेक्ट्रम आबंटन संबंधी आशोधित मानदंड की सिफारिश करने हेतु एक समिति गठित की गई है। तथापि, यह मामला दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) में न्यायाधीन है।

(ङ) से (ज) जी, नहीं। विभिन्न मोबाइल दूरसंचार प्रचालकों को किसी दूरसंचार सेवा क्षेत्र में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन, उपभोक्ता आधारित पात्रता संबंधी मानदंड को ध्यान में रखते हुए उनके अनुरोध के अनुसार अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आबंटित किए गए हैं। ऐसे अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए सेवा प्रदाताओं को राजस्व हिस्से की अतिरिक्त प्रतिशतता का भुगतान करना पड़ता है।

वस्त्र क्षेत्र को पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए नीति

405. श्री के.एस. राव : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र क्षेत्र को पुनः सुदृढ़ बनाने के लिए क्षेत्रीय वस्त्र निवेश एवं उत्पादक परिसरों की स्थापना के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त परिसरों की स्थापना के लिए स्थानों/स्थलों की पहचान हेतु सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परिसरों के लिए प्रस्तावित नीति, कर तथा विनियामक छूटों की प्रकृति क्या है तथा इससे क्या लाभ होंगे;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन परिसरों में वस्त्र उत्पादन के लिए घरेलू एवं विदेशी दोनों बाजारों हेतु नई अवसंरचना सुविधाओं, वित्तीय साधनों तथा विपणन रणनीतियों का सृजन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन) : (क) से (च) सरकार ने लेनदेन की लागतों को और कम करने तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए वस्त्र क्षेत्र में दृष्टिगत संघट्टीकरण की घटना का समेकन करने के लिए वस्त्र क्षेत्र के वास्ते निवेश क्षेत्र शुरू करने का निर्णय लिया है। संकेंद्रित, सन्निहित निवेश और उत्पादन क्षेत्र जिनमें उच्च कोटि की अवसंरचना हो और जिनमें संपूर्ण मूल्य श्रृंखला

शामिल हो, कुछ हद तक बहुत प्रकार के करों द्वारा लादे गए बोझ, उच्च विद्युत लागत, लदान में कठिनाइयों और कानूनी स्वीकृति में विलंब से बचने में मदद कर सकता है। वे बिलियन डॉलर में निवेश घरेलू और विदेशी दोनों, वाले वस्त्र केंद्र बन सकते हैं। निवेश क्षेत्र सार्वजनिक-निजी भागीदारी के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि इन क्षेत्रों में सरकारी निवेशों में बढ़ोत्तरी हो सके।

तदनुसार "वस्त्र अवसंरचना विकास निधि और वस्त्र क्षेत्रीय निवेश एवं उत्पादन परिसर के लिए नीतिगत संकल्प" संबंधी एक अवधारणा पत्र तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त कोई और ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

हस्तशिल्पों तथा कालीन का निर्यात

406. श्रीमती निवेदिता माने :

श्री रशीद मसूद :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बाजार में भारतीय हस्तशिल्पों की मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जबकि भारतीय कालीन की मांग में वर्ष-दर वर्ष कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा इसके पश्चात् हस्तशिल्पों तथा कालीन का पृथक-पृथक कुल कितना निर्यात हुआ है;

(ग) योजना आयोग द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्रत्येक वर्ष हस्तशिल्प तथा कालीन के निर्यात का कुल कितना अनुमान लगाया गया है;

(घ) क्या सरकार हस्तशिल्पों तथा कालीन विनिर्माण क्षेत्र में लगे कामगारों को कोई विशेष क्षतिपूर्ति प्रदान कर रही है अथवा मदद कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) चीन जिसके द्वारा विश्व हस्तशिल्प बाजार का अधिक हिस्सा हथिया लेने की संभावना है, के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प एवं भारतीय कालीन दोनों की मांग में वृद्धि हो रही है। गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के हस्तशिल्प एवं कालीन के निर्यात आंकड़े निम्नलिखित हैं:-

करोड़ रुपए में

वर्ष	हस्तशिल्प (अनंतिम)	कालीन (अनंतिम)
2004-05	13032.70	2583.62
2005-06	14526.85	3082.06
2006-07	17288.14	3674.86
2007-08 (अप्रैल-अक्टूबर)	6750.08 (अनंतिम अप्रैल-अक्टूबर 2006)	1598.14 (अप्रैल-अक्टूबर, 2006)

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान वर्षवार हस्तशिल्प तथा कालीन के निर्यात लक्ष्य हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित कुल अनुमान निम्नलिखितानुसार है:-

वर्ष	हस्तशिल्प		कालीन	
	करोड़ रुपये में	(अमरीकी मिलियन डॉलर में)	करोड़ रुपये में	(अमरीकी मिलियन डॉलर में)
2007-08	21000.00	4500	4278.50	947.02
2008-09	22000.00	5500	4827.00	1068.43
2009-10	27500.00	6875	5460.00	1208.55
2010-11	35200.00	8800	6225.00	1377.88
2011-12	46000.00	11500	7127.63	1577.67

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही स्कीमों के अंतर्गत हस्तशिल्पों एवं कालीन विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े कारीगरों को प्रत्यक्ष रूप से कोई विशेष क्षतिपूर्ति मुहैया कराए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, समय-समय पर भारत एवं अन्य देशों के बीच सहमत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में डिस्पले एवं सजीव प्रदर्शन हेतु भाग लेने के लिए सिद्धहस्तशिल्पियों को प्रायोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सिद्धहस्तशिल्पी केंद्रीय/राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों/निर्यात संवर्धन परिषदों, आदि के माध्यम से आयोजित होने वाले विदेशी कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। इसके अलावा कारीगरों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा स्कीम भी क्रियान्वित की जाती है।

(च) सरकार ने ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेना, जागरूकता/एक्सपोजर उत्पन्न करने की दृष्टि से विदेशों में भारतीय हस्तशिल्प के ब्रांड इमेज के संवर्धन पर संगोष्ठियों का आयोजन करना जो अन्ततः वैश्विक बाजार में हस्तशिल्प के हिस्से को बढ़ाने में सहायक होगा।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.01 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

बंगलादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में आए भयंकर चक्रवात "सिद्र" के कारण बड़े पैमाने पर जान-माल की हानि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्यों, जैसा कि आप जानते हैं कि बंगलादेश के तटीय क्षेत्रों में "सिद्र" नामक भयंकर चक्रवात आया जिससे भारी तबाही हुई और कई हजारों लोग मारे गए तथा सम्पत्ति को भी भारी नुकसान हुआ।

यह सभा इस आपदा में हुई जान–माल की क्षति पर गहरा दुख व्यक्त करती है इस दुःख और संकट की घड़ी में हम बंगलादेश के लोगों के साथ हैं।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

अपराह्न 12.01½ बजे

तत्पश्चात्, सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

अपराह्न 12.02 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

बंगलादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में हाल ही में आए भयंकर चक्रवात के कारण हुई हानि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभा के नेता इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस विषय पर एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

मैं बंगलादेश में हाल ही में आए चक्रवात और उससे हुई तबाही के संबंध में सदन को सूचित करना चाहूंगा।

माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि 15 नवंबर को बंगलादेश में विशेषकर उसके तटीय जिलों में एक भीषण चक्रवात आया था जिससे जन–धन की काफी हानि और तबाही हुई। अब तक 2300 से अधिक व्यक्तियों के मरने की और हजारों के बेघर होने की सूचना प्राप्त हुई है। अनुमानतः 2.7 मिलियन व्यक्ति भी प्रभावित हुए हैं; हजारों पशु मारे गए हैं और खड़ी फसलों एवं बुनियादी ढांचे को काफी क्षति पहुंची है।

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बंगलादेश में अपने समकक्षों को लिखित में इस आपदा के प्रति अपनी वेदना और गहरा दुख व्यक्त करते हुए राहत प्रयासों में सहायता प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है। कल मैंने डॉ. इफ्तिखार अहमद चौधरी, बंगलादेश की कामचलाऊ सरकार के विदेशी मामलों के सलाहकार से बात की और उनसे बंगलादेश सरकार के प्रयासों में योगदान हेतु राहत सामग्री भेजने की अपनी तत्परता का उल्लेख किया।

बंगलादेश इस तबाही से निपटने का प्रयास कर रहा है अतः जरूरत की इस घड़ी में बंगलादेश के साथ हमारे घनिष्ठ संबंधों और बंगलादेश की हितैषी जनता के प्रति अपनी सहानुभूति रखते हुए भारत सरकार ने तत्काल समग्र राहत पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया है। हमारे प्रस्ताव में प्रभावित व्यक्तियों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राहत सामग्रियां भेजना शामिल है। इस पैकेज में दवाएं, खाद्य सामग्री, दूध का पाउडर, तम्बू और कंबल, प्राथमिक उपचार किट और अन्य राहत सामग्रियां शामिल होंगी।

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि पूर्व में भी भारत ने बांगलादेश के ऐसे अनुरोधों पर पहले भी तुरंत कार्रवाई की है। अभी हाल ही में कुछ माह पूर्व जब मानसून के दौरान मिट्टी खिसकने से भारी तबाही हुई थी तब भारत ने ऐसी सहायता दी थी। हम पहले से ही बंगलादेश को अनिवार्य खाद्य वस्तुएं मुहैया कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। इस बार भी हम उन्हें यथासम्भव सहायता देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात है। सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : नन्दीग्राम मुद्दे का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जाने के पश्चात् मैं आपको अनुमति दूंगा।

अपराह्न 12.05 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 9 अक्टूबर, 2007 की उद्घोषणा, जो कि कर्नाटक राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 9 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजतंत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 653(3) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7166/07]

(2) उपर्युक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति के 9 अक्टूबर, 2007 के आदेश, जो 9 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.कां.नि. 654(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7167/07]

(3) राष्ट्रपति को कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा भेजे गए 8 अक्टूबर, 2007 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7168/07]

(4) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 12 नवम्बर, 2005 की उद्घोषणा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य के संबंध में 9 अक्टूबर, 2007 को उनके द्वारा जारी पूर्व उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया है, तथा जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 12 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 700(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7169/07]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना जो 15 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 431(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7170/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) राष्ट्रपति द्वारा 15 सितम्बर, 2007 को प्रख्यापित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) द्वारा अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 7)।

(2) राष्ट्रपति द्वारा 17 अक्टूबर, 2007 को प्रख्यापित बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (2007 का संख्यांक 8)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7171/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : श्री कांति लाल भूरिया की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) नेशनल लेबर कोआपरेटिव फेडेरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लेबर कोआपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7172/07]

(2) (एक) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006–07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006–07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006–07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7173/07]

(3) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अरबन कोआपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अरबन कोआपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ अरबन कोआपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006–07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7174/07]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2006–07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा–परीक्षित लेखे।

(दो) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2006–07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7175/07]

अपराह्न 12.05½ बजे

विधेयकों पर अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 13 अगस्त, 2007 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् चौदहवीं लोक सभा के ग्यारहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति–प्राप्त निम्नलिखित 6 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:

1 भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2007;

2 विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2007;

3 विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2007;

4 अंतर्देशीय जलयान (संशोधन) विधेयक, 2007;

5 शिशु (संशोधन) विधेयक, 2007; और

6 सड़क से वहन विधेयक, 2007

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति–प्राप्त निम्नलिखित 5 विधेयकों की प्रतियां, राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित, भी सभा पटल पर रखता हूं:

1. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007;

2. भाण्डागारण (विकास और विनियमन) विधेयक, 2007;

3. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक, 2007;

4. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2007; और

5. वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2007

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7176/07]

अपराह्न 12.06 बजे

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी का 13 सितम्बर, 2007 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने तत्काल प्रभाव से लोक सभा की सदस्यता

से त्यागपत्र दे दिया है और मैंने 13 सितम्बर, 2007 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.06¼ बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

15 वां, 16 वां और 17 वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री एन जनार्दन रेड्डी – उपस्थित नहीं।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2007–08) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(एक) 'हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय का कार्यकलाप – एक समीक्षा' के बारे में समिति के बारहवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन*;

(दो) 'सीएनजी और एलएनजी सहित प्राकृतिक गैस के आपूर्ति, वितरण और विपणन' के बारे में 16वां प्रतिवेदन*; और

(तीन) 'तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के लिए रणनीति' के बारे में 17वां प्रतिवेदन*।

अपराह्न 12.06½ बजे

रेल संबंधी स्थाई समिति

32 वां, 33 वां और 34 वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(एक) नए रेलवे जोनों के निष्पादन संबंधी 32वां प्रतिवेदन;*

(दो) रेलवे में औद्योगिक संबंध और कर्मचारी कल्याण संबंधी 33वां प्रतिवेदन;*

(तीन) उप–नगरीय और मेट्रो रेल संबंधी 34वां प्रतिवेदन।*

12.06¾ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

199 वां और 200 वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(एक) नार्थ–ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के बारे में 199वां प्रतिवेदन; और

(दो) 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007' के बारे में 200वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 11, उन्होंने अभी–अभी सरकारी कार्य संबंधी वक्तव्य की घोषणा की है।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि आज, 19 नवम्बर, 2007 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा:–

---

* अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था तब प्रतिवेदन 21 अक्टूबर, 2007 को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया और माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत इन प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की सहर्ष अनुमति दे दी थी।

* अध्यक्ष, लोक सभा के निदेशों के निदेश 71क के अंतर्गत जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था तब 32वें और 33वें प्रतिवेदनों को 14 सितम्बर, 2007 को और 34वें प्रतिवेदन को 6 नवम्बर, 2007 को लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया और माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत इन प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की सहर्ष अनुमति दे दी थी।

1. आज के आदेश पत्र से लिए गए सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

2. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2007 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र (विशेष उपबंध) विधेयक, 2007 पर विचार करना तथा पारित करना।

3. बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार करना तथा पारित करना।

4. टायर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) विधेयक पर विचार और पारित करना।

5. भारतीय बायलर (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात्, विचार तथा पारित करना।

6. राष्ट्रीय जूट बोर्ड विधेयक, 2006 पर विचार तथा पारित करना।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार, माननीय सदस्यों को सूचना देनी चाहिए अथवा अपने मुद्दे उठाने के लिए अनुरोध करने का प्रयास करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : तीन या चार सदस्यों के निवेदन करने के पश्चात् मैं आप की बात सुनूंगा।

...*(व्यवधान)*

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएं:–

1. देश में कृषि संबंधी संकटों से निपटने के लिए राष्ट्रीय किसान ऋण राहत आयोग के गठन के लिए एक विधान लाने की आवश्यकता।

2. देश में प्रवेश में योग्यता सुनिश्चित करने, सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए पिछड़े समुदायों को आरक्षण और स्ववित्तपोषित व्यवसायिक महाविद्यालयों द्वारा वित्तीय शोषण को रोकने के लिए एक विधान बनाए जाने की आवश्यकता ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, पिछले डेढ़ वर्ष में दूध की कीमतों में कई बार बढ़ोत्तरी हो चुकी है। पिछले महीने एक बार फिर वृद्धि की गई और अगली जनवरी में एक बार फिर वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। क्या कारण है कि सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली दूध की डेयरियां कीमत बढ़ाते समय समाज के विभिन्न तथा विशेष कर पिछड़े वर्गों के हितों का ध्यान नहीं रखतीं?

देश के 80 प्रतिशत लोगों की रोज की कमाई मात्र 20 रुपए है। ऐसे में एक परिवार एक लीटर दूध में कितने बच्चों का पोषण कर लेगा और आवश्यकता पड़ने पर कितनी बार दिन में चाय पी लेगा? दूध के दामों में बढ़ोत्तरी करते समय सरकार और सरकारी डेयरियों को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए अन्यथा समाज के कमजोर वर्ग कुपोषण का शिकार होंगे। कम से कम दूध जैसे पेय पदार्थों की कीमतों को बढ़ने से रोकना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. सत्यनारायण जटिया।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ये दोनों प्रस्ताव सभा पटल पर रखे माने जाएंगे।

[हिन्दी]

***श्री गिरधारी लाल भार्गव** (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, संसद की आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए:–

1. राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जाए, क्योंकि भूमि, भवन एवं योग्य शिक्षक मौजूद हैं।

2. राजस्थान जयपुर में स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का दर्जा दिया जाए।

***डा. सत्यनारायण जटिया** (उज्जैन) : महोदय, कृपया इस सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित दो विषय सम्मिलित करें:–

1. देश के विकास के लिए आवश्यक बिजली, सड़क और पानी की आधारभूत प्राथमिकताओं को विकसित करने के प्रभावी उपाय किए जाएं तथा इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य निर्धारित कर वार्षिक कार्य–योजना को सुनिश्चित किया जाए।

2. कृषि, गांव और गरीब किसानों की समृद्धि का आधार है। अतएव, कृषि को उद्योग की तरह केन्द्र सरकार खाद, बिजली, सिंचाई की विशेष सहायता और अनुदान देकर कृषि को लाभकारी उद्योग बनाने की नीति और कार्यक्रम बनाए।

* सभा पटल पर रखे गए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, नन्दीग्राम का मामला पहले लिया जाए। उसके बाद कोई भी इश्यू लिया जा सकता है। वहां सैंकड़ों हत्याएं हुई हैं। लोग मर रहे हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मामला सभा के सामने नहीं है। जब तक मैं सहमत न हूं यह मामला सभा के सामने नहीं रखा जा सकता। अभी मैंने इस विषय पर आपकी सूचना स्वीकार नहीं की है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.11 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज के लिए नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा।

...(व्यवधान)

(एक) रामनगरम-मैसूर के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए धनराशि का वार्षिक आबंटन बढ़ाये जाने की आवश्यकता

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : कर्नाटक सरकार ने रेल मंत्रालय को निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजे हैं :

(i) रेल मंत्रालय द्वारा बंगलौर–रामनगरम के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना आरंभ की गई है। अब रेलवे ने 2007–08 के बजट में 16.15 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ रामनगरम–मैसूर के बीच (लाइन के) दोहरीकरण को मंजूरी दी है। दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए कुल अनुमान 343.18 रुपए है। राज्य सरकार ने इस परियोजना को दो वर्ष में पूरा करने के लिए रेलवे से आबंटन को बढ़ाकर 90 करोड़ रुपए करने का अनुरोध किया है; और

(ii) कोत्तूर–हरिहर नई रेल लाइन परियोजना 65 किमी की परियोजना है। आर्थिक व्यवहार्यता और बेल्लारी क्षेत्र से लौह अयस्क के परिवहन की बढ़ी हुई संभावनाओं पर विचार करते हुए, राज्य सरकार ने इस परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना में तब्दील करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कुल रकम 40 करोड़ रुपए तक जा चुकी है। रेलवे ने 2007–08 के बजट में 30.70 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। कुल लागत लगभग 290 करोड़ रुपए है और अब तक 40 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। राज्य सरकार ने इस परियोजना को अगले दो वर्ष में पूरा करने हेतु रेलवे से आबंटन को बढ़ाकर 65 करोड़ रुपए वार्षिक करने का अनुरोध किया है।

मैं सरकार से इन दोनों प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह करता हूं।

(दो) जम्मू और कश्मीर के अखनूर में सेना और अर्द्धसैनिक बलों में युवाओं की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने की आवश्यकता

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : जम्मू और कश्मीर का अखनूर क्षेत्र सीमा से लगा हुआ है। यह क्षेत्र आतंकवाद और अन्य अनपेक्षित परिस्थितियों के अलावा भारत पाकिस्तान के बीच 1947, 1965, 1971 में हुए युद्ध और 1999 में कारगिल युद्ध के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इसलिए, इस क्षेत्र के लोग उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर पाए हैं और परिणामस्वरूप वे बेरोजगार हैं जबकि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। बेरोजगारी की समस्या के कारण, वे अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां उठाने में समर्थ नहीं हैं और आतंकवादी नापाक इरादों के लिए उनके विचारों को बदल रहे हैं। मैं सरकार से युवकों को सेना और अर्ध–सैन्य बलों में भर्ती करने के लिए अखनूर, जम्मू और कश्मीर में एक विशेष भर्ती अभियान चलाने का आग्रह करता हूं।

(तीन) धान के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेन्थन (पलानी) : महोदय, धान देश के दक्षिणी राज्यों, विशेषतः तमिलनाडु की फसलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है और अधिकतर किसान इसका उत्पादन करते हैं। लेकिन इन किसानों को आवश्यक सहायता और उनके उत्पाद के लिए पर्याप्त समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। इसके कारण, इन राज्यों के किसान गरीब हैं और उनमें से कुछ ने तो आत्महत्या भी की है।

हाल ही में, केन्द्र सरकार ने गेहूं, धान आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) निर्धारित किया था। गेहूं के लिए एम एस पी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करके इसे 750 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। लेकिन धान की दो किस्मों के लिए एम एस पी 645 रुपए और 695 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया

---

* सभा पटल पर रखे माने गये।

है। गेहूं उत्पादक किसानों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन धान उत्पादक किसानों को नहीं दिया गया है। पिछले चार वर्षों में गेहूं के एम एस पी में 35% की वृद्धि की तुलना में धान के एम एस पी में मात्र 17% वृद्धि हुई है। हाल ही में सरकार ने प्रति क्विंटल 50 रुपए अतिरिक्त राशि की घोषणा की है लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों में धान की खेती की लागत में काफी वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रम की उपलब्धता में काफी कमी आने के कारण अंततः श्रम लागत में वृद्धि हुई है। धान के बाजार मूल्य और केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच अंतर को समाप्त किया जाए।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि या तो धान के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए या यथाशीघ्र एक विशेष प्रोत्साहन मूल्य की घोषणा की जाए।

(चार) पश्चिम बंगाल में बालासान की दार्जिलिंग पेय जल परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. नरबुला (दार्जिलिंग) : संप्रग सरकार द्वारा मंजूर किए गए 50 करोड़ रुपए से दार्जिलिंग की सौ वर्ष पुरानी पेयजल समस्या को हल करने में सहायता मिली है। दिसंबर 2005 में बालासान की दार्जिलिंग पेयजल परियोजना शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की आधारशिला 19 फरवरी 2006 को रखी। यह परियोजना दो वर्ष की एक समयबद्ध परियोजना है। लगभग एक वर्ष बीत चुका है लेकिन अब तक कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू नहीं हुआ है। राम्की इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, ने यह परियोजना आरंभ की है लेकिन यह खेद की बात है कि इस परियोजना का मुख्य काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

इस कंपनी ने केवल सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया है लेकिन वह भी संतोषजनक नहीं है। इस कंपनी को मुख्य परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू करना चाहिए अन्यथा लागत बढ़ जाएगी और स्वीकृति राशि परियोजना को पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी और दार्जिलिंग के लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। राम्की इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को इस स्थान पर आना चाहिए और तुरंत ही मुख्य परियोजना शुरू करनी चाहिए। इस बीच, दार्जिलिंग के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान जल प्रणाली लाइनों और उन जलस्रोतों की, जिनसे पानी झीलों तक लाया जाता है, मरम्मत की जानी चाहिए और साथ ही साथ पुरानी पाइप लाइन, जो झील से जोरबंगला स्थित फिल्टर हाउस होते हुए पानी को दार्जिलिंग तक ले जाती हैं, की मरम्मत की जानी चाहिए। इसलिए, मैं, केन्द्र सरकार से इन मरम्मत कार्यों के लिए पांच करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने का आग्रह करता हूं।

(पांच) गुजरात के मेहसाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वजल-धारा योजना कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना में पेयजल का अभाव है। लोगों को दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है और गैस और पेट्रोलियम के कुंओं में खुदाई एवं गैस एवं तेल निकालने की प्रक्रिया से पानी में फ्लोराइड तत्व मिल गये हैं जिसके पीने से लोग बीमार पड़ गये हैं और विकलांग हो रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में स्वजलधारा की 37 योजनाएं पूरी की गई हैं। अगर योजनाएं पूरी हो गई हैं, तो लोगों को पानी मिलना चाहिए परन्तु इन योजनाओं के क्रियान्वयन किये जाने के बाद भी पेयजल का संकट अभी बरकरार है। अगर ये 37 योजनाएं पूरी हो गई होतीं, तो पेयजल की स्थिति मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना में अच्छी हो गई होती।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना में जो पेयजल की भीषण समस्या है उसके समाधान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वजलधारा की और कई योजनाएं चलाने का कष्ट करें।

(छह) भरूच-जम्बूसर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा नेत्रा और अंकलेश्वर के बीच रेल लाइन को नंदुरबार तक बढ़ाते हुए पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के कई भागों में लोगों की रेलवे की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भरूच से जबोसर नैरोगेज को ब्रॉडगेज लाइन में परिवर्तन करना अति आवश्यक है। यह अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अंकलेश्वर से नेत्रा नैरोगेज रेलवे लाइन कई वर्षों से बंद पड़ी है। इसे ब्रॉडगेज लाइन में परिवर्तन करके नेत्रा से डेडिया पारा, सागबारा सेलम्बा होते हुए महाराष्ट्र के नेदूरबार तक इस ब्रॉडगेज लाइन को ले जाया जाये। यह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है एवं रेलवे सेवा के अभाव में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। अगर नेत्रा से नेदूरबार तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन बनाया जाये तो इस कार्य से गुजरात एवं महाराष्ट्र के इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों को यातायात में काफी सुविधा होगी और इन आदिवासी लोगों का आर्थिक विकास करने में मदद मिलेगी।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि भरूच से जबोसर नैरोगेज लाइन को ब्रॉडगेज लाइन में बदला जाये। नेत्रा से अंकलेश्वर तक बंद पड़ी नैरोगेज लाइन को ब्रॉडगेज लाइन में बदलकर इसे नेदूरबार तक किया जाये।

(सात) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लेप्रोपाइरोसिस के और फैलने को रोके जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक महामारी फैल गई है। अनेक स्थानों पर देखने में आया है कि 3 दिन के बुखार के बाद, रोगी की अचानक मौत हो जाती है। अब बुखार के अनेक रोगी विभिन्न औषधालयों और सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आ रहे हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा इस बुखार की पहचान 'लेपरोपाइरोसिस' के रूप में की गई है। यह बुखार हर साल इस दूरस्थ क्षेत्र के अनेक लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। मैं समझता हूं कि इस बीमारी की जांच प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं और विशेषतः विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा कराने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

मैं केन्द्र सरकार से इस दूरस्थ द्वीपसमूह में रहने वाले लोगों के अधिक से अधिक बेहतरी के लिए सभी संभव और शीघ्र उपाय करने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) नागपुर के जिन किसानों की भूमि विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए अधिग्रहित की जा रही है, उन्हें समुचित मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : महोदय, देश में विशेष आर्थिक सहायता जोन में परिवर्तन किया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में मल्टीमॉडल इंटर-नेशनल हब एयरपोर्ट नागपुर (मोहन प्रकल्प) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन हैं, जिसमें किसानों की 4311 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा रही है। इस भमि का मुआवजा केवल 5 लाख रुपये प्रति एकड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों में बहुत असंतोष है। जमीन का बाजार भाव आज नागपुर के पास एक करोड़ रुपये एकड़ से भी ज्यादा है। केन्द्र सरकार के द्वारा इसे अनुमति दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। इस भूमि के अधिग्रहण से कई किसान घर से बेघर हो जायेंगे एवं किसानों में आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ती ही जायेंगी। किसानों की आत्महत्याएं तुरंत रोकने हेतु बाजार भाव के हिसाब से, यानी कम से कम एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मोहान प्रकल्प में किसानों को मुआवजा दिया जाये। इसके अलावा जिस किसान की जमीन अधिग्रहित की गयी हो, उसके परिवार से एक व्यक्ति को इस प्रकल्प में एक साल के भीतर नौकरी दी जाये।

(नौ) भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, विश्व की सबसे बड़ी बोली भोजपुरी लगभग 70 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 16 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा झारखण्ड में इसका प्रयोग व्यापक है। नेपाल के तराई क्षेत्र, मॉरीशस, फिजी, ट्रिनिडाड, थाईलैंड, हालैंड, मलेशिया तथा सिंगापुर सहित 27 देशों में भी इसका व्यापक आधार है। ऋग्वेद में महर्षि विश्वामित्र द्वारा "भोज" शब्द, जिससे भोजपुरी बनी, का उल्लेख तो है ही, महाभारत सहित विभिन्न धर्म-ग्रंथों से होते हुए मालवा के राजा भोज, उज्जैन के भोज, गुर्जर प्रतिहार भोज, काशी तथा डुमरांव के भोज राजाओं का इतिहास भोजपुरी की व्यापकता, विशालता और प्राचीनता का गवाह है।

संत साहित्यकारों गुरू गोरखनाथ जी, चौरंगीनाथ जी, योगिराज भर्तृहरि, कबीरदास, कमलदास, धरमदास, धरनीदास, पलटूदास, भीखा साहेब जैसे सैंकड़ों संत साहित्यकारों, विचारकों और चिन्तकों ने अपनी लोक कथाओं, गीतों, लोकगाथाओं और लोकोक्तियों से भोजपुरी की पीढ़ी दर पीढ़ी एक कंठ से दूसरे कंठ तक पहुंचाया। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डा. भगवतशरण उपाध्याय और चतुरी चाचा जैसे रचनाकारों ने भोजपुरी गद्य साहित्य को नयी ऊंचाइयां प्रदान की।

महोदय, जैसा कि विदित है भारतीय संविधान के मूल रूप में 14 भाषाएं आठवीं सूची में थी। बाद में इसमें संशोधन कर सिंधी, कोंकड़ी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो को भी शामिल कर लिया गया। भोजपुरी संस्कृति इन सभी भाषाओं का आदर करते हुए यह जानना चाहती है कि जिस वजह से इन बोलियों को इस सूची में शामिल किया गया उनमें से क्या कोई एक भी तत्व ऐसा है जिसे भोजपुरी पूरी न करता हो।

महोदय, हम 16 करोड़ लोगों की भावनाओं को समझते हुए भोजपुरी को तत्काल आठवीं सूची में शामिल किया जाये।

(दस) राजस्थान में और अधिक गांवों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, राजस्थान राज्य वर्तमान वसुंधरा सरकार के प्रयासों से बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकल कर विकासशील राज्यों की श्रेणी में परिगणित होने लगा है। विकास का मूल आधार विद्युत ऊर्जा है। यद्यपि राजस्थान में जल विद्युत, ताप विद्युत तथा

परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत से पर्याप्त विकास कार्य सम्पन्न हो रहे हैं। परन्तु पूर्व में विद्युतीकरण के नाम पर राजस्थान में केवल पंचायत मुख्यालयों को ही विद्युतीकरण कर यह मान लिया गया कि पूरी पंचायत विद्युतीकृत हो गई है, जबकि एक ही पंचायत में कई उससे भी बड़े राज स्वगांव ढाणियां, मजरे होते हैं, वे सब विद्युतीकृत होने से बचे हुए हैं। अतः राजस्थान के अधिकांशः गांव/मजरे/ढाणियां अभी भी बिजली से वंचित हैं। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 41 प्रस्ताव प्रेषित किए थे जिसमें से 27 योजनाओं को ही स्वीकृति दी गई। 12 प्रस्तावों पर सिद्धांततः स्वीकृति दी गई। हजारो मजरे, ढ़ाणिया, राजस्वगांव अभी विद्युत की पहुंच से बाहर हैं। अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान की सीमावर्ती स्थिति, पिछड़ेपन, विषम भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राजस्थान के बचे हुए सभी गांवों, ढाणियों और मजरों को सम्मिलित किया जाये और वहां बिजली पहुंचाई जाये।

(ग्यारह) प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों के कारण केरल के हतोत्साहित नारियल उत्पादकों को राहत देने के लिए उचित तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा) : केरल में कृषि क्षेत्र दो वर्ष से संकट का सामना कर रहा है। कृषि उत्पादों विशेषतः नकदी फसलों के मूल्यों में आई गिरावट ने राज्य के किसानों के बड़े भाग को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

नारियल की फसल राज्य में कृषि की रीढ़ है। पिछले कई वर्ष से मूल्यों में गिरावट और नारियल के पेड़ों में बार–बार होने वाली बीमारियों के कारण राज्य के नारियल उत्पादक किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। विदेश से बड़े पैमाने पर 'पाम ऑयल' आयात करने के नए निर्णय से इस क्षेत्र को और भी झटका लगा है। इसके परिणामस्वरूप नारियल तेल और नारियल से जुड़े अन्य उत्पादों के मूल्य में और भी गिरावट आएगी।

इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए, मैं केन्द्र सरकार से शीघ्र हस्तक्षेप करने और देश के नारियल उत्पादक किसानों को बचाने और इस उद्देश्य के लिए उचित प्रणाली विकसित करने का अनुरोध करता हूं।

(बारह) केन्द्रीय सड़क निधि परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर स्थित थुरावूर को केरल के मेन सेंट्रल रोड़ से जोड़े जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी) : अलपुजा एक तटीय जिला है जिसमें अरूर से ओचिरा तक 92 किमी राजमार्ग है। अलपुजा एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में उभर रहा है क्योंकि यह 'बैकवॉटर' पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान नारियल जटा उद्योग के उद्गम के रूप में भी जाना जाता है और इसीलिए वाणिज्य मंत्रालय ने इसे नारियल जटा उद्योग के लिए "निर्यात उत्कृष्टता कस्बा (टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस)" घोषित किया है। अरूर समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है और केरल से निर्यात होने वाला 80% से अधिक समुद्री भोजन इसी स्थान से आता है। अरूर को "निर्यात उत्कृष्टता कस्बा" (टाउन ऑफ एक्सपोर्ट) एक्सीलेस) समुद्री उत्पादों के कारण भी घोषित किया गया है। इस तटीय जिले का केरल की ऊंची पहाड़ियों से सीमित संपर्क है। इसलिए, थुरावूर में राष्ट्रीय राजमार्ग–47 को थिकौटटूसेरी और मक्केकाडावू–नीराईकाडावू होते हुए मेन सेन्ट्रल (एम. सी.रोड़) के साथ जोड़ने वाली सड़क आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग–49 और राष्ट्रीय राजमार्ग–220, दोनों से जोड़ा जा सकता है। यह तट से ऊंची पहाड़ियों तक एक संपर्क मार्ग का काम कर सकती है। इसलिए मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से इस पर केरल राज्य हेतु केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत विचार करने का अनुरोध करता हूं।

(तेरह) उत्तर प्रदेश में औरेया जिले के किसानों को एन. टी. पी. सी. दिबियापुर से विद्युत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा) : महोदय, सदन के माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि जनपद औरेया दिबियापुर में एन.टी.पी.सी. का एक प्रतिष्ठान स्थापित है, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में है। इस प्रतिष्ठान को स्थापित करने से लाखों लोगों का आशियाना उजड़ा था जिसकी भरपाई आज तक नहीं की गई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जबकि प्रतिष्ठान को पूरे जनपद में बिजली, पानी, सफाई विद्यालय की व्यवस्था करना अनिवार्य है। रायबरेली जनपद में भी एन.टी.पी.सी. का एक प्रतिष्ठान है, जो पूरे जनपद में बिजली वितरण कर रहा है एवं मुआवजा भी सभी को मिल गया है।

अतः मंत्री जी से आग्रह है कि एन.टी.पी.सी. रायबरेली की तर्ज पर एन.टी.पी.सी. दिबियापुर में भी पूरे औरेया जनपद को विद्युत की वितरण की व्यवस्था करे एवं किसानों को 24 घंटे विद्युत की व्यवस्था की जाये।

(चौदह) उत्तर प्रदेश में बरेली-पीलीभीत-बस्ती को जोड़ते हुए मौजूदा राज्य राजमार्ग संख्या 26 को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से

सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले राज्य मार्ग नं. 26 बरेली–पीलीभीत–बस्ती मार्ग की ओर दिलाना चाहता हूं। यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी हालत बहुत खस्ता है। तराई क्षेत्र के लोग इस मार्ग पर निर्भर रहते हैं। समूचे क्षेत्र के विकास के लिए बरेली–पीलीभीत–बस्ती मार्ग का विकास बहुत जरूरी है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाये ताकि इस मार्ग का विकास सुचारु ढंग से हो सके।

(पंद्रह) शैक्षणिक सत्र 2008-09 से बिहार के पटना में आई. आई. टी. खोले जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, सरकार द्वारा बिहार में आई.आई.टी. खोलने के निर्णय का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। राज्य सरकार ने आईआईटी की स्थापना के लिए बिहटा, पटना में जमीन मुहैया करा दी है और साथ ही साथ केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि अगले सत्र 2008–09 से आईआईटी की पढ़ाई वहां अस्थायी भवन में चालू किया जाये और जब अपना भवन तैयार हो, वहां स्थानांतरण कर दिया जाये। सरकार के इस निर्णय से निश्चित तौर पर बिहार के विकास में यह एक अच्छा कदम साबित होगा।

मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस संबंध में अविलम्ब निर्णय लेकर आई. आई.टी. के 2008–09 के सत्र से पढ़ाई बिहार में चालू करने के लिए आवश्यक कदम उठायें।

(सोलह) केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को उत्पादकता वृद्धि आधारित बोनस दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर) : अध्यादेश के जरिए बोनस संदय अधिनियम में हाल ही में संशोधन करके बोनस के लिए कामगारों की अर्हता सीमा 3,500 रुपए से 10,000 किए जाने, और बोनस सीमा को 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए निर्धारित करके, 1,000 रुपए की वृद्धि करने, अधिकतम सीमा 2,400 रुपए करने का स्वागत करते हुए, मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों यथा रेल कर्मचारी, डाक कर्मचारी और केन्द्र सरकार के अन्य कर्मचारियों को इस संशोधन से कोई लाभ नहीं हुआ है।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उत्पादकता संबंधित बोनस अधिकतम 2,500 रुपए पर निर्धारित किया जाना जारी है और विभिन्न संगठनों की मांगों के बावजूद इसमें वृद्धि नहीं की गई है। अन्य कर्मचारियों की भांति, केन्द्र सरकार के कर्मचारी भी प्रतियोगी वातावरण में कार्य कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति में काफी योगदान दे रहे हैं। इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्रियों से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उत्पादकता संबंधित बोनस में वृद्धि के लिए शीघ्र कदम उठाने का आग्रह करता हूं क्योंकि बोनस संदाय अधिनियम में संशोधन हुए लगभग एक महीना हो चुका है।

(सत्रह) महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में किए गए संशोधनों अपमिश्रण का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : मैं सरकार का ध्यान दूध और अन्य खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की बढ़ती हुई घटनाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। महाराष्ट्र विधायिका के दोनों सदन सभी दंडनीय अपराधों को संज्ञेय और गैर–जमानती बनाने के लिए खाद्य अपमिश्रण निरोधक अधिनियम, 1954 में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित कर चुके हैं। उपर्युक्त विधेयक गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास लंबित है।

सभी दंडनीय अपराधों को संज्ञेय और गैर–जमानती बनाने के लिए खाद्य अपमिश्रण निरोधक अधिनियम, 1954 में शीघ्र संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

(अठारह) कोयला और अन्य खनिजों पर रॉयल्टी को यथामूल्य आधार पर बिक्री मूल्य का 20% निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : कोयला और अन्य खनिजों पर रायल्टी दर में संशोधन नियमित अन्तराल पर किया जाए और रायल्टी की दरों में संशोधन के बारे में फैसला संशोधन देय तिथि से पहले लिया जाए ताकि इसे शीघ्र अधिसूचित किया जा सके। ग्यारहवें वित्त आयोग ने यही सिफारिश की है और स्पष्ट किया है कि, "यदि संशोधन की प्रक्रिया उस तारीख तक पूरी नहीं होती है जिस तारीख को नया संशोधन देय है तो राज्य मुआवजे का हकदार है।" ग्यारहवें वित्त आयोग की इस सिफारिश के बावजूद, रॉयल्टी दरों में लगभग पांच वर्ष बाद संशोधन किया गया है। इसलिए, मैं सरकार से, पिछले दो वर्ष से रॉयल्टी दरों में संशोधन न किए जाने के कारण हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति का आग्रह करता हूं।

रॉयल्टी को यथा मूल्य आधार पर विक्रय मूल्य का 20% किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि रॉयल्टी का निर्धारण हाइब्रिड सूत्र के अनुसार किया जाता है, इसलिए उड़ीसा सहित अनेक राज्यों को जिनमें खानें हैं, कोई लाभ नहीं होता है। यदि रॉयल्टी की यथा मूल्य दर अपनाई जाए तो, बेशक रॉयल्टी दर समय पर संशोधित न की जा सके, किसी को भी राजस्व का अधिक नुकसान नहीं होगा।

केशोरा इंडस्ट्रीज मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खनिजधारी भूमि पर कर लगाने के राज्य के अधिकार को सही ठहराया है। इसलिए, खनन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए, कोयला रॉयल्टी दरों में संशोधन किसी भी प्रकार से राज्य के खनिजधारी भूमि पर कर लगाने के अधिकार को सीमित न करे। इसलिए, मैं सरकार से, इस अधिसूचना से अधिभार/कर के लिए रॉयल्टी को समायोजित करने संबंधी खंड को हटाने का आग्रह करता हूं।

(उन्नीस) झारखंड में कोडरमा जिले में कोनार नहर सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हज़ारीबाग) : महोदय, झारखंड के हजारीबाग जिला वर्तमान में कोडरमा में कोनार नहर सिंचाई योजना का कार्य वर्ष 1977 में ग्यारह करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया था, और अब इसकी राशि बढ़ाकर चालीस सौ करोड़ रुपये कर दी गई है। कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है कि तीस वर्षों के बाद भी किसानों के खेतों को सिंचाई हेतु एक बूंद पानी नहीं मिला है। इसके लिए उस वक्त बिहार सरकार ने कोनार नहर सिंचाई योजना के लिए अलग से इंजीनियरों एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति कर बड़े–बड़े कार्यालयों का निर्माण कराया था। हजारों कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। उनके वेतन एवं भत्तों में करोड़ों रुपये महीने खर्च हो रहे हैं। जिस मकसद से यह सिंचाई परियोजना बनाई गई आज तक उसमें सरकार को कोई सफलता नहीं मिली है।

अतः आग्रह है कि इस पर तत्काल प्रभावी कदम उठाने का कष्ट किया जाये ताकि किसानों के खेतों को पानी मिल सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 20 नवंबर, 2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 20 नवंबर 2007/29 कार्तिक, 1929 (शक) को पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका (16.11.2007)

क्रम सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	21
2.	श्री काशीराम राणा	22
	श्री हरिसिंह चावड़ा	
3.	श्री वरकला राधाकृष्णन	23
4.	श्री जीवाभाई ए. पटेल	24
	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	
5.	श्री उदय सिंह	25
	श्री अधीर चौधरी	
6.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	26
	श्री असादुद्दीन ओवेसी	
7.	श्री सी. के. चन्द्रप्पन	27
	श्री गुरूदास दासगुप्त	
8.	श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	28
	श्री रामजीलाल सुमन	
9.	श्री सुग्रीव सिंह	29
	श्री किसनभाई वी. पटेल	
10.	प्रो. महादेवराव शिवन्कर	30
	प्रो. एम. रामदास	
11.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	31
12.	श्री संतोष गंगवार	32
13.	श्री कैलाशनाथ सिंह यादव	33
14.	डा. चिन्ता मोहन	34
15.	श्री रायापति सांबासिवा राव	35
	श्री चन्द्रभूषण सिंह	
16.	श्री पी.सी. थामस	36
17.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	37
18.	श्रीमती निवेदिता माने	38
	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़	
19.	श्री एम. अप्पादुरई	39
	श्री एस. अजय कुमार	
20.	श्री हरिकेवल प्रसाद	40
	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका (19.1.07)

क्रम सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	41
	प्रो. एम. रामदास	
2.	श्री रनेन बर्मन	42
3.	डा. एम. जगन्नाथ	43
4.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	44
	श्री रेवती रमन सिंह	
5.	श्री जोवाकिम बखला	45
6.	श्री रामदास आठवले	46
7.	श्री नरहरि महतो	47
8.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	48
9.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	49
10.	डा. के.एस. मनोज	50
	श्री एन. एन. कृष्णदास	
11.	डा. सत्यनारायण जटिया	51
	श्री रामजीलाल सुमन	
12.	प्रो. महादेवराव शिवनकर	52
13.	श्री अनंत गुढ़े	53
	श्री निखिल कुमार	
14.	श्री अधीर चौधरी	54
	श्री असादूद्दीन ओवेसी	
15.	श्री मदनलाल शर्मा	55
16.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	56
	श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	
17.	श्री एस.के. खारवेनथन	57
18.	श्री सुरेश अंगड़ि	58
19.	श्री पी.सी. गद्दीगउडर	59
20.	श्री एल. राजगोपाल	60
	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका (16.11.07)

क्रम सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1	आचार्य, श्री बसुदेव	129
2	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	148, 175, 196, 207
3	अहीर, श्री हंसराज गं.	124, 148
4	अजय कुमार, श्री एस.	165, 187
5	आठवले, श्री रामदास	134, 178
6	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	132, 167
7	भक्त, श्री मनोरंजन	131, 166, 188, 202
8	चिन्ता मोहन, डा.	149
9	चौधरी, श्री अधीर	158, 183, 219
10	देवरा, श्री मिलिन्द	123, 146, 148
11	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	118, 141, 190, 204, 213
12	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	113, 136, 169, 192, 200
13	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	157, 162, 182, 185
14	गंगवार, श्री संतोष	152
15	जगन्नाथ, डा. एम.	135
16	जेना, श्री मोहन	127, 168, 178
17	खारवेनथन, श्री एस.के.	120, 143, 172, 194, 220
18	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	117, 140, 171, 193
19	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	149, 176
20	महरिया, श्री सुभाष	114, 137, 170
21	माने, श्रीमती निवेदिता	157, 182, 199
22	मोहले, श्री पुन्नूलाल	133, 178
23	मुन्शी राम, श्री	161
24	निखिल कुमार, श्री	130, 158, 183
25	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	164, 186, 201, 211
26	पटेल, श्री किसनभाई वी.	148, 150, 176, 177
27	प्रसाद, श्री हरिकेवल	159
28	राजगोपाल, श्री ए.	134, 167
29	रामदास, प्रो. एम.	151, 178
30	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	156, 181
31	राव, श्री रायापति सांबासिवा	154, 180, 198, 209
32	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	119, 142, 191, 205, 214
33	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	111, 139, 174, 203, 212
34	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	126, 159
35	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	122, 145, 189, 206, 215
36	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	148, 175, 196, 217
37	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	151, 178
38	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	121, 144, 173, 195, 216
39	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	161
40	सिंह, श्री चन्द्रभान	127
41	सिंह, श्री सुग्रीव	148, 150, 176, 177
42	सिंह, श्री उदय	147
43	सुमन, श्री रामजीलाल	176

1	2	3
44	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	116, 138
45	थामस, श्री पी.सी.	155
46	तुम्मर, श्री वी.के.	126, 161
47	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	128, 163, 218
48	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	125, 160, 184, 200, 210
49	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	115
50	यादव, श्री गिरिधारी	112
51	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	153, 179, 197, 208

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका (19.11.07)

क्रम सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1	आचार्य, श्री बसुदेव	280
2	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	242, 319, 328, 364, 369
3	अहीर, श्री हंसराज गं.	246, 257, 286, 345, 381
4	अजय कुमार, श्री एस.	269
5	अंगड़ि, श्री सुरेश	314
6	अप्पादुरई, श्री एम.	253, 357, 400
7	अर्गल, श्री अशोक	285, 343, 379
8	आठवले, श्री रामदास	308, 359, 390, 399
9	बर्मन, श्री हितेन	228, 255
10	बखला, श्री जोवाकिम	292
11	भगोरा, श्री महावीर	230, 344, 380, 400
12	भक्त, श्री मनोरंजन	270, 336, 374, 401, 404
13	बिश्नोई, श्री कुलदीप	229, 299
14	बोस, श्री सुब्रत	273
15	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	391
16	चौरे, श्री बापू हरी	223, 246, 252, 291, 318
17	चावड़ा, श्री हरिसिंह	254, 326, 367, 383
18	चिन्ता मोहन, डा.	280
19	चितन, श्री एन.एस.वी.	305, 357
20	चौधरी, श्री पंकज	313
21	चौधरी, श्री अधीर	311, 361
22	देवरा, श्री मिलिन्द	222, 241, 304, 319
23	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	276, 339, 376, 393, 402
24	ढींढसा, श्री सुखदेव सिंह	221, 278
25	धोत्रे, श्री संजय	223, 246, 252, 318, 363
26	धूमल, प्रो. प्रेम कुमार	235, 301, 355, 388, 397
27	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	315
28	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	363, 333, 372, 392, 401
29	गंगवार, श्री संतोष	313, 340, 362, 377
30	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	223, 246, 252, 291, 318
31	घुरन राम, श्री	282, 342
32	जाधव, श्री प्रकाश बी.	239, 369
33	जगन्नाथ, डा. एम.	306, 358, 389, 398

1	2	3
34	जैन, श्री पुष्प	275
35	झा, श्री रघुनाथ	260, 271, 338
36	जिन्दल, श्री नवीन	272
37	जोगी, श्री अजीत	257, 338
38	करूणाकरन, श्री पी.	284
39	खारवेनथन, श्री एस.के.	297, 352, 385, 403
40	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	232, 300, 354, 387, 396
41	कृष्ण, श्री विजय	280, 288, 346, 382
42	कृष्णदास, श्री एन.एन.	323, 363
43	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	243, 280, 322
44	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	307
45	महरिया, श्री सुभाष	231, 401
46	महतो, श्री नरहरि	296
47	महतो, श्री टेक लाल	266
48	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	313, 362
49	मंडल, श्री सनत कुमार	257, 400, 404
50	माने, श्रीमती निवेदिता	263, 333, 372, 392, 406
51	मनोज, डा. के.एस.	309
52	मसूद, श्री रशीद	290, 406
53	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	274
54	मिश्रा, डा. राजेश	236
55	मोहले, श्री पुन्नूलाल	264
56	मो. ताहिर, श्री	316, 346
57	मंडल, श्री अबु अयीश	319, 331, 400
58	मुन्शी राम, श्री	233

1	2	3
59	मुर्मू, श्री हेमलाल	268, 335
60	नायक, श्री अनन्त	247, 348
61	निखिल कुमार, श्री	361
62	उरांव, डा. रामेश्वर	237, 302, 339
63	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	321, 365, 400
64	परस्ते, श्री दलपत सिंह	400
65	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	248, 320, 347, 383
66	पटेल, श्री किसनभाई ए.	246, 262, 332, 371, 391
67	पाठक, श्री ब्रजेश	317
68	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	222, 259, 307
69	प्रसाद, श्री हरिकेवल	225, 248, 295, 375
70	राजगोपाल, श्री एल.	298, 353, 386
71	राजेन्द्रन, श्री पी.	331
72	रामदास, प्रो. एम.	310, 360
73	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	261, 330, 370
74	राणा, श्री काशीराम	326
75	राव, श्री के.एस.	260, 329, 405
76	राठौड़, श्री हरिभाऊ	317
77	रावले, श्री मोहन	279, 341, 378
78	रावत, प्रो. रासा सिंह	245, 316
79	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	293, 350, 384, 395
80	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	244, 337
81	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	227, 258, 320, 375
82	रिजीजू, श्री कीरेन	222, 259, 307, 313, 400

1	2	3
83	साई प्रताप, श्री ए.	275, 278
84	सरङगी, श्री इकबाल अहमद	226, 331, 400
85	शर्मा, डा. अरुण कुमार	251, 325
86	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	289
87	सेनथिल, डा. आर.	400
88	शैलेन्द्र कुमार, श्री	281
89	शर्मा, श्री मदन लाल	312
90	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	242, 319, 328, 364
91	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	310, 360
92	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	224, 294, 351
93	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	256, 327, 368
94	सिंह, श्री चन्द्रभान	250
95	सिंह, श्री राकेश	238, 259, 303, 356, 394

1	2	3
96	सिंह, श्री रेवती रमन	240, 349
97	सिंह, श्री सुग्रीव	246, 262, 332, 371, 391
98	सिंह, श्री उदय	277, 311
99	सुब्बा, श्री मणी कुमार	234
100	सुमन, श्री रामजीलाल	243, 322
101	थामस, श्री पी.सी.	283
102	तुम्मर, श्री वी.के.	258, 347, 367
103	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	267, 334, 373
104	वल्लमनेनी, श्री बालोसोवरी	249, 306, 324, 366
105	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	254
106	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	265
107	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	319, 364, 400
108	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	317
109	येरननायडु, श्री किन्जरपु	287

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका (16.11.07)

कॉर्पोरेट कार्य	24
पृथ्वी विज्ञान	37
वित्त	25, 28, 33, 34, 39
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	
विधि और न्याय	30, 35, 38
नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा	32
विद्युत	21, 22, 26
ग्रामीण विकास	31
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	36
जनजातीय कार्य	27
शहरी विकास	23, 40
महिला और बाल विकास	29

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (19.11.07)

कृषि	44, 45, 46, 47, 52, 57, 59, 60
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	41, 48
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	42, 43, 51, 56
रक्षा	
श्रम और रोजगार	49, 50, 55
वस्त्र	58
जल संसाधन	53, 54

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका (16.11.07)

कार्पोरेट कार्य	126, 131, 194
पृथ्वी विज्ञान	153, 154, 180, 211, 212
वित्त	115, 116, 117, 118, 121, 122, 129, 130, 132, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 149, 150, 162, 164, 167, 173, 175, 176, 177, 183, 185, 186, 195, 208, 214
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	113, 114, 119, 152, 196, 216
विधि और न्याय	156, 158, 171, 182, 189, 201
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	181, 200, 202, 218

विद्युत	127, 128, 147,165, 172, 178, 179, 187, 188, 199, 210, 215
ग्रामीण विकास	112, 124, 125, 134, 148, 151, 157, 160, 161, 169, 170, 184, 190, 191, 197, 207, 217
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	136,155
जनजातीय कार्य	133, 166, 192
शहरी विकास	120, 123, 143, 146, 159, 163, 168, 174, 198, 205, 206, 209, 219, 220
महिला और बाल विकास	111, 139, 145, 193, 203, 204, 213

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका (19.11.07)

कृषि	226, 228, 236, 237, 247, 248, 253, 257, 261, 265, 266, 271, 276, 278, 280, 282, 283, 284, 296, 302, 305, 306, 307, 309, 312, 313, 318, 322, 327, 335, 336, 339, 345, 346, 347, 349, 351, 352, 356, 358, 363, 364, 365, 380, 381, 382, 388, 389, 397, 398
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	223, 224, 225, 227, 229, 240, 245, 250, 256, 258, 259, 262, 267, 268, 272, 274, 290, 291, 294, 295, 298, 300, 301, 303, 320, 323, 324, 328, 329, 330, 334, 337, 340, 343, 354, 355, 362, 366, 371, 373, 375, 377, 383, 385, 386, 387, 395, 404
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	221, 241, 242, 243, 254, 260, 275, 286, 288, 292, 293, 316, 353, 367, 368, 391, 400
रक्षा	222, 232, 233, 234, 238, 277, 281, 289, 299, 304, 310, 311, 314, 319, 321, 348, 350, 369, 379, 394
श्रम और रोजगार	244, 246, 249, 251, 255, 269, 273, 279, 331, 360, 361, 370, 374, 376, 384, 393, 396, 402, 403
वस्त्र	235, 263, 264, 287, 297, 315, 317, 325, 326, 332, 333, 341, 357, 372, 378, 390, 392, 399, 401, 405, 406
जल संसाधन	230, 231, 239, 252, 270, 285, 308, 338, 342, 344, 359

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. – 48/30/2/2007/(एन.)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।